राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ७१ वां दिवस [संख्या ३३

गुरुवार, दिनांक 28 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11–03 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, मंत्रि मण्डल, नगर विकास, सहकारी, गृह, आयुर्वेद, चिकित्सा, पशु पालन, स्वायत्त-शासन, जन-स्वास्थ्य व सामान्य प्रशासन विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न, श्रीमती मदनकौर

बाड़मेर–फलसूंड रूट पर कुछ बसें

902. **श्रीमती मदनकौर** (पचपद्रा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर-फलसूंड रूट पर बसों में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक रहती है ? क्या राज्य सरकार इस रूट पर और अधिक परमिट देने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस रूट पर यात्रियों की संख्या बहुत अधिक रहती है, क्या राज्य सरकार इस रूट पर और अधिक बस परमिट देने का विचार रखती है ?

उपमंत्री यातायात (श्री शिवचरण सिंह) (1) प्रतिदिन एक बस जाती है और एक बस आती है।

(2) यात्रियों की संख्या इस रूट पर बहुत अधिक रहती है ऐसी जानकारी इस विभाग को नहीं है। इस मार्ग पर अनुज्ञा-पत्र के स्कोप के निर्धारण का मामला प्रादेशिक परिवहन अधिकारण के विचाराधीन है। निर्णय होने पर अधिक बसें बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि ज्यादा संख्या इस बस में नहीं रहती है तो विचाराधीन कैसे है कि और नम्बर बढ़ाया जायगा ?

श्री शिवचरण सिंह : स्कोप को एक्जॉमिन करते हैं कि बसों में पैसिन्जरों की संख्या ज्यादा है या नहीं है। उनका स्कोप एक्जॉमिन कर रहे हैं और अगर पैसिन्जरों की संख्या ज्यादा होगी तो बसें बढ़ाने की व्यवस्था की जायगी।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष जी, इस रूट पर एक और बस चलाने के लिए जिला-

(श्रीमती मदनकौर)

धीश बाड़मेर ने बार बार आर० टी० ओ० को लिखा है। गत वर्ष यह बस दो टाइम जाना शुरू हो गई थी, हमें पता नहीं कि किस आधार पर शुरू हुई थी, लेकिन वह बन्द हो गई। ये बसें आम तौर पर ओवर-लोड रहती है और ओवरलोड रहने के बावजूद बहुत पैसेन्जर्स रह जाते हैं। अतएव मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि कितने समय में दूसरी बसें चालू कर दी जायगी ?

श्री शिवचरण सिंह : वहां पर पैसेन्जर्स ज्यादा हैं तो उसकी व्यवस्था के बारे में जानकारी की जायगी और उसके पश्चात् जितनी बसों की आवश्यकता होगी कर दी जायगी।

श्रीमती मदनकौर : इस तरह से टालमटोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा मंत्री जी। कितने समय में परमिट और दे देंगे ?

श्री शिवचरण सिंह : परमिट देने के नियम हैं। पैसेन्जर का कितना स्कोप है उसको एक्जॉमिन करके रीजनल ट्रांसपोर्ट आथोरिटी जो एक आटोनामस बोर्ड है वह व्यवस्था करती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम कुछ नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट आथोरिटी एक्जॉमिन करके अगर महसूस करेगी कि और बसों की आवश्यकता है तो आवश्यक बसें बढ़ाई जा सकेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न 903

काटन फैक्ट्री भीलवाड़ा में सीमेंट की सड़क का निर्माण

903. **श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद)** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा कॉटन फैक्ट्री में मार्च, 67 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीमेंट की सड़क बनाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर इसके बनने के बाद अब तक कोई ट्रैफिक चालू नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सीमेंट की सड़क बिना ट्रैफिक चलें टूट चुकी है ?

(4) क्या यह सही है कि इस सीमेंट की सड़क के निर्माण में सीमेंट व रेत का जो रेशियो होना चाहिए वह नहीं होने से रेत की सड़क की तरह से बनी और जितने समय तक चलनी चाहिए नहीं चली, बल्कि 6 महिने में ही बरबाद होने लग गई ?

(5) क्या सरकार उक्त गड़बड़ी की जांच कराकर जिसकी गलती से यह गलत निर्माण हुआ है उसको सजा दिलाने का विचार करेगी ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) बस कोर्स सीमेंट रोड़ का निर्माण किया गया है।

(2) ट्रैफिक चलता है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम हुआ है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है। सड़क बिल्कुल टूट चुकी है और उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं। इसलिए जैसा कि मैंने अपने प्रश्न में निवेदन किया है कि क्या आप जांच कराने की कृपा करेंगे। वह स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं बनी है और रेत ही रेत को बना दी गई है जिससे कि वह 3 महीने के पूर्व ही समाप्त हो गई। क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि इस सम्बन्ध में वे जांच करायेंगे और जिन लोगों ने खराब काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो स्पेसिफिकेशन का कायदा है 1-3-6 के रेश्यो का उसी हिसाब से एक कोट लगा है। दूसरा कोट नहीं लगा है, क्योंकि वहां पर दुकानें टूटने का खतरा था इसलिए फैक्ट्री वालों ने एलाऊ नहीं किया। इसके अलावा भी अगर माननीय सदस्य यह जानकारी में लायेंगे कि वह टूट गई है तो जांच करा दी जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जानकारी में ला रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह टूट चुकी है, बरबाद हो चुकी है। क्या आप जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री माधोसिंह : उदयपुर के अभियन्ता को लिख दिया जायगा कि इसको जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न

प्रश्न संख्या 904

श्री अब्दुल हादी

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 905

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती कान्ता कथूरिया

सादूलगंज स्कीम बीकानेर में बेचे गये प्लाट

906. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सादूलगंज स्कीम, बीकानेर में बेचे गये प्लाटों पर सरकार ने पुनः कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उन पर कौन सी सरकारी इमारतें तामीर की गई हैं ?

(2) क्या जिन व्यक्तियों के प्लॉट्स सरकार ने अपने कब्जे में लिए हैं उनको मुआवजा व कीमत वापिस अदा कर दी है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

(3) जिन व्यक्तियों के प्लॉट सरकार ने कब्जे में लिये हैं उनको क्या दूसरे प्लॉट दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उपमंत्री, नगर विकास न्यास : (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सादूलगंज स्कीम, बीकानेर में बेचे गये प्लॉटों में से 31 प्लॉटों का क्षेत्र डूंगर कॉलेज में आजाने से सरकार ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। इन प्लॉटों में आये क्षेत्र में डूंगर कॉलेज एवं पोलिटैकनिक की इमारतें बनाई गई हैं।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(2) इन 31 प्लॉटों को एक्वॉयर करने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अवाप्ति अधिकारी का अवॉर्ड हो जाने पर मुआवजे की कार्यवाही की जायगी।

(3) जी नहीं। केवल 1 व्यक्ति श्री सुलतानसिंह ब्रिगेडियर को प्लॉट नं. 75 सादूलगंज स्कीम में देने के आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : क्या मंत्री महोदया, यह बताने की कृपा करेंगी कि जो जमीन उन इमारतों के काम में ली गई है, डूंगर कॉलेज और पोलीटेकनिक इन्स्टीट्यूशन्स की, वह बिना एक्वॉयर किये की काम में ली गई हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एक्वायर करने की कार्यवाही चालू है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं निवेदन करूंगी कि जब बिल्डिगें बनाई गई तो एक्वीजिशन की कार्यवाही नहीं की गई। जमीनें काम चलाने के पहले एक्वायर की जाती हैं यह रूल्स में प्रोवीजन है तो बिना एक्वायर किये ही क्यों काम चालू किया गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो स्थिति थी वह बतला दी।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : स्थिति तो सही है लेकिन रूल्स में क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि बिना एक्वायर किये ही लोगों की जमीनें लेलें और उन पर निर्माण करलें और अब निर्माण करने के बाद एक्वीजिशन की कार्यवाही चालू हो तो यह कहां तक सही है ? क्या रूल्स में ऐसा हो सकता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की कोई आपत्ति विभाग के पास में नहीं आई ?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं निवेदन करूंगी कि वहां पर एक कोठारी का प्लॉट है वह काम में लिया गया है जो कि उनका खरीदा हुआ प्लॉट है। उन्होंने 10 एप्लीकेशन्स दी हैं कि मेरी खरीदी हुई जमीन पर बिल्डिंग बन रही है उसके लिए या तो मुझे कम्पेन्सेशन दिया जाय या मुझे आलटरनेट प्लाट दिया जाय, लेकिन विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है मैंने प्रश्न के उत्तर में जवाब दे दिया है कि मुआवजे की कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : इसका जवाब तो आया ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब जितना था उनके पास उतना दे दिया। उससे ज्यादा मालूम नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सही स्थिति तो यह है कि बिना एक्वायर किये ही वहां पर बिल्डिगें बना डाली और उनको कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया। उसकी कार्यवाही एक्वीजिशन की अब की जायगी। यह कोई जवाब नहीं है। यह गल्ती कैसे हुई ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उम्र के लिहाज से तो आपको उत्तर मिल चुका है।

उपरोक्त सहकारी भंडार लि० (वार्ड नं० 27) जोधपुर की जांच

907. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वार्ड नं० 27 उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, जोधपुर में प्रशासक कितनी अवधि तक रहे ? वह कौन कौन प्रशासक रहे ?

(2) इस अवधि में उक्त भंडार में कितनी धनराशी का गबन हुआ? व गबन किसने किया ?

(3) श्री यशवन्तराज जोशी इस भंडार में कितने अर्से तक प्रशासक रहे ? इसका ट्रान्सफर जालोर कब हुआ ? जालोर से वापस जोधपुर कब हुआ ?

(4) इस उपभोक्ता भंडार की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

उप मन्त्री (श्री रामदेवसिंह) : (1) वार्ड नं 27 उपभोक्ता सहकारी भंडार लि० जोधपुर में प्रशासक दिनांक 30-9-64 से दिनांक 23-3-66 तक रहे व निम्न प्रशासक रहे:—

1. श्री ओंकारेश्वर चौबीसा, दिनांक 30-9-64 से 24-5-65 तक

2. श्री भागीरथसिंह, दिनांक 25-5-65 से 15-10-65 तक

3. श्री यशवन्तराज जोशी, दिनांक 16-10-65 से 23-6-66 तक।

(2) इस अवधि में उक्त भंडार में 9837)88 रुपये की धनराशि का गबन हुआ व गबन श्री कानमल राठी, व्यवस्थापक एवं श्री रामगोपाल राठी सेल्समैन ने किया।

(3) श्री यशवन्तराज जोशी इस भंडार में 8 मास 8 दिन तक प्रशासक रहे हैं। इनका स्थानांतरण जालोर, सितम्बर 1966 में हुआ। जालोर से वापिस जोधपुर सितम्बर 1967 में हुआ।

(4) इस उपभोक्ता भंडार की जांच श्री बंशीदास, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा की गई।

श्रीमती गौरी पूनिया : गबन सेल्समैन ने किया तो आपका प्रशासक उस समय सो रहा था क्या ?

श्री रामदेवसिंह : प्रशासक श्री जोशी थे लेकिन जांच की गई है उसमें सहायक रजिस्ट्रार ने व्यवस्थापक और सेल्समैन को दोषी माना है।

श्रीमती गौरी पूनिया : फिर आपका प्रशासन किस काम के लिये था। उसके नीचे का अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं करता है तो क्या वह आंखें मुंदे हुए था ?

श्री रामदेवसिंह : इस मामले में जो प्रशासक रहा है उसकी जांच अलग से कराई जा रही है।

श्रीमती गौरीपूनिया : आपके इन्सपेक्टर्स अभी कहां लगे हुए हैं ?

श्री रामदेवसिंह : पूरी जानकारी मेरे

(श्री रामदेवसिंह)

पास नहीं हैं लेकिन जोधपुर में कहीं लगे हुए हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : उनका काम यदि बहुत अच्छा रहा था तो उनको वापिस लाऐंगे ?

श्री रामदेवसिंह : यह प्रश्न अलग है लेकिन इस मामले में सरकार विचार करेगी।

श्रीमती गौरी पूनिया: गबन का मामला पुलिस को दे दिया गया क्या ?

श्री रामदेवसिंह : मामला पुलिस को तो नहीं दिया लेकिन फिलहाल रजिस्ट्रार वसूली का कार्य कर रहे है।

श्रीमती गौरी पूनिया : कुछ वसूली हुई है क्या ?

श्री रामदेवसिंह : जी नहीं।

नेशनल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज जयपुर के मजदूरों के विरुद्ध फौजदारी के मुकदमें

908. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1964 में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जयपुर में हड़ताल के अवसर पर मजदूरों पर चलाए गए फौजदारी मुकदमों के संबंध में हड़ताल समाप्त होने के बाद क्या सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि सब मुकदमें वापस ले लिए जायेंगे ?

(2) यदि हां, तो उस आश्वासन के फलस्वरूप क्या सभी मुकदमें वापस ले लिए गए या अभी भी कुछ मुकदमें चालू हैं ?

(3) यदि कुछ मुकदमें चालू हैं तो उन्हें किस आधार पर बाकी रखा गया है ?

उपमंत्री गृह (श्री खेतसिंह) : (1) ऐसा कोई आश्वासन सरकार द्वारा नहीं दिया गया था।

(2) हड़ताल समाप्त होने के बाद श्रमिकों तथा मैनेजमेंट में स्वस्थ वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से न्यायालय में चालान किये गये 15 मुकदमों में से 9 मुकदमें वापस कर लिए गये ?

(3) न्यायालय में विचाराधीन 5 मुकदमें मारपीट व बलवे के होने से वापस नहीं लिये गये हैं।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि स्टेट श्रम एडवाइजरी बोर्ड, जिसके माननीय भीखाभाई सभापति थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि सारे केसेज वापिस ले लेंगे ? प्रोसिडिंग्ज मौजूद हैं।

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार इस प्रिन्सिपल को मानती है कि मालिक और मजदूरों के झगड़े में पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिये ?

श्री खेतसिंह : पुलिस कभी दमन नहीं करती है, लेकिन जब मोब वायोलेन्ट हो जाता है तो पुलिस इस तरह की कार्यवाही

(श्री खेतसिंह)

करती है जिससे लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने नहीं पावे। लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने लगती है तभी पुलिस आती है।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि एम्पलोयर्स का दोष होता है इस कारण से मजदूरों में रोष होता है ?

श्री खेतसिंह : नहीं, ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आई।

श्री केदारनाथ : क्या आज तक किसी एम्पलोयर का प्रोसीक्यूशन किया गया है स्ट्राइक के बारे में ?

श्री खेतसिंह : आप इस केस के बारे में पूछ सकते हैं आज तक का तो मैं कैसे बताऊं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बीकानेर जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में पिछड़ी जाति के वैद्य एवं उप-वैद्य।

909. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में आयुर्वेदिक औषधालय कुल कितने हैं और किन किन गांवों में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन औषधालयों में पिछड़ी जाति के वैद्य व उप वैद्य एवं प्रचारक नहीं लिए गए है ? यदि हां, तो नहीं लेने का क्या कारण है ?

(3) अगर लिए गए हैं तो कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (1) बीकानेर जिले में 39 औषधालय हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) उक्त औषधालयों में पिछड़ी जाति के वैद्य नहीं हैं केवल उप वैद्यों में एक उप वैद्य है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 5 कर्मचारी हैं। वैद्य पद के लिए पिछड़ी जाति में निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं।

(4) पिछड़ी जाति के कर्मचारी निम्नांकित है –

1. किस्तूरचन्द उप वैद्य
2. पूसाराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
3. रामचन्द्र ,,
4. हरभजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5. गुलाब ,, ,,
6. नेमीचन्द ,, ,,

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सत्य है कि बीकानेर जिले में जितने औषधालय हैं उनमें पिछड़ी जाति के वैद्य, उप वैद्य और परिचारक नहीं लिये गये ? यह बिल्कुल सही बात है ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास जो इन्फारमेशन थी उसके अनुसार मैंने आपको

(श्री अमृतलाल यादव)

सूचना दी । लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यदि माननीय सदस्य के पास कोई क्वॉलिफाइड पिछड़ी जाति के लोग वैद्य या उप वैद्य हैं तो उनकी लिस्ट दे दें, मैं उनको लगाने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डन) : क्या यह सही है कि जिस प्रकार आपने बताया कि एक उप वैद्य है और वैद्य कोई नहीं है। क्या यह माना जा सकता है कि वहां कोई वैद्य उप वैद्य इस पद के लायक होते हुए नहीं लिया गया ।

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा नहीं है कि कोई वैद्य या उप वैद्य पद के लायक हो और उसको नहीं लिया हो, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई । मैं निवेदन कर रहा था कि क्योंकि मैं भी पिछड़ी जाति में से हूं, मैं जानता हूं कि आम तौर से भिषगाचार्य या भिषगवर्ग की क्वालिफिकेशन का व्यक्ति पिछड़ी जाति में नहीं है फिर भी माननीय सदस्य के पास हों तो सूचि दें उनको जरूर लगायेंगे ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मंत्री जी ने जवाब सन्तोषजनक दिया है इसमें दो राय नहीं है लेकिन खेद इस बात का है कि मैं स्वयं 8–10 परिचारकों को लेकर गया था, वहां पर जगह थी, मैंने उनसे कहा कि आप इनको लें लेकिन उन्होंने पिछड़ी जाति के 11 लोगों को नहीं लिया और दूसरे लोगों को ले लिया ।.........

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न । श्री केशरी सिंह हाडा ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि उप वैद्य के लिये विभाग की तरफ से किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेने के आदेश हैं और उनको डाइरेक्ट उप वैद्य लिया जाता है । क्या इस पद के लिये शिड्यूल्ट कास्ट में से उस जिले में नहीं तो दूसरे जिलों में कोई आदमी नहीं था जिसको लेकर 12½ परसेन्ट का कोटा पूरा किया जा सकता ? कोटा की पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री अमृतलाल यादव : उप वैद्य के लिये कम से कम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है इस क्वालिफिकेशन के किसी व्यक्ति ने दरख्वास्त दी हो और डाइरेक्टर ने रिजेक्ट की हो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई । ऐसे कोई लोग आपके पास हों तो भेजिये ।

श्री श्रवणलाल : जहां तक सवाल इस बात का है कि एक भी अर्जी नहीं आई....

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास इस क्वालिफिकेशन का कोई हो तो अर्जी दे दीजिये मंत्री जी विचार करेंगे । आपके पास कोई है नहीं तो पूरक प्रश्न पूछने से क्या लाभ ?

श्री श्रवणलाल : मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि उप वैद्य के पद पर मैट्रिक पास को लिया जाता है, विभागीय परीक्षा में बैठने की उसको जरूरत नहीं होती है तो जी. ए डी. विभाग से ऐसे लोगों की जो एप्लीकेशन्स फोरवर्ड की जाती है वे आपके विभाग में भी पहुंचती हैं अनेक दरख्वास्तें आपके विभाग में पहुंची होंगी उनमें से आपने साढा बारह परसेन्ट का कोटा पूरा नहीं किया ।.........

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने उत्सुक माननीय सदस्य हैं, आपका काम तो आलोचना करना ही रह गया है, आपसे ज्यादा उत्सुक मैं हूं। जी. ए. डी. की तरफ से या एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज की मार्फत एप्लीकेशन्स कोई नहीं आती। मैंने कहा कि आपके पास एप्लीकेशन आई हो या आपके पास हों तो बताइये मैं उनको लेने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह रावत : यह बात हमेशा उठती है·······

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न बोल दिया।

श्री विजयसिंह रावत : मैं प्रश्न नहीं पूछता। माननीय सदस्य जो तथ्य बताते हैं वे जिम्मेदारी रख कर बताते हैं············

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जिस वक्त ऐसा प्रश्न आवे उस समय आपत्ति की जाय।

मंत्रियों के दौरों के भत्ते टेलीफोन तथा पेट्रोल पर व्यय

910. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों पर नवम्बर, 1968 तक दौरों के भत्ते, टेलीफोन व पेट्रोल के लिये 3 लाख 30 हजार का खर्च हुआ है ?

(2) अलग अलग मंत्रियों पर उक्त राशि में से कितना कितना खर्चा किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) जी नहीं। इन मदों पर संदर्भित अवधि में रुपये 2,63,150,54 पैसे कुल व्यय हुए हैं।

(2) इस सम्बन्ध में मंत्रीवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो तीन माह का खर्च बताया गया है, शुरू में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में कितना खर्चा हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ नहीं पाया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : माहवार कितना हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माहवार कितना हुआ, यह अलग अलग नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मन्थवाइज।

श्री उपाध्यक्ष : नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में।

श्री मथुरादास माथुर : आपका प्रश्न यह है कि राजस्थान में नवम्बर, 66 से फरवरी, 67 इस क्वार्टर के लिए आपने पूछा है, इस क्वार्टर का मैंने टोटल बता दिया है।

Page No. 10

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जितना खर्च बताया गया है, यह जनवरी और फरवरी का है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जनवरी और फरवरी का कितना है और पहले वालों का कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर : अलग से पूछ लीजिये, तो बता दूंगा । आपने पूरे क्वार्टर का पूछा था वह मैंने बता दिया दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये तो मैं अलग अलग बता दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुवालाल चौधरी ।

दूदू में चिकित्सा की व्यवस्था

911. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति दूदू के मुख्यालय पर सरकार की ओर से बीमारों के इलाज हेतु कोई व्यवस्था है ? अगर नहीं तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ से जयपुर 60 मील लम्बे नेशनल हाई वे पर सरकार की ओर से कहीं भी सफाखाने की व्यवस्था नहीं है ? इससे अक्सर ऐक्सीडेंट होने पर बहुत मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा का साधन नहीं मिलने से मृत्यु तक हो गई है ?

(3) क्या सरकार दूदू में जो किशनगढ़ जयपुर के बीच में सड़क पर स्थित है कोई सफाखाना खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा)

(1) जी हां । आयुर्वेदिक औषधालय है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

श्री सुवालाल चौधरी : जो नहीं का मतलब है कि कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा : आवश्यकता का सवाल नहीं है । जैसा आपने पूछा है कि कोई व्यवस्था है क्या, उस व्यवस्था का जवाब मैंने दिया, जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : उससे अधिक पूछा है ।

श्रीमती सुमित्रा : भई, पहले में है कि इलाज की व्यवस्था है या नहीं और इसका क्या कारण है । वहां व्यवस्था है, तो दूसरे प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सुवालाल चौधरी : तीसरे का जवाब नहीं कहा है । क्या सफाखाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसकी व्यवस्था नहीं करते ?

श्रीमती सुमित्रा : सड़क पर अस्पताल नहीं खोले जाते हैं, माननीय सदस्य । आपने पूछा है, दूदू में जो किशनगढ़ जयपुर के बीच में सड़क पर स्थित है उसके लिए । तो सड़क पर अस्पताल नहीं खोले जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सड़क के बीच में नहीं, सड़क के पास ।

श्री विजयसिंह : सड़क के बीच में खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रेमसिंह : बड़ा कामनसेन्स है । वाह भई वाह ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सड़क का क्वेश्चन पूछा है, उसका मैंने जवाब दिया है कि सड़क पर नहीं खोले जाते, सड़क से दो तीन मील दूर, तीन चार मील मोजमाबाद में अस्पताल है, नरैना और बिचून में पब्लिक हेल्थ सेन्टर है, यह सड़क से कोई दूर नहीं है ।

श्री प्रेमसिंह : आपके कामनसेन्स की दाद है !

श्री सुरजलाल : मैंने साफ पूछा है पंचायत समिति दूदू के लिए, इसमें सड़क कहां से आ गई ।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने निवेदन किया पंचायत समिति के मुख्यालय पर आयुर्वेदिक औषधालय है ।

श्री सुआलाल चौधरी : वहां एक वैद्य है और दस रुपया की दवाइयां भी नहीं मिलतीं सारे क्षेत्र के लिए । बीस वर्ष का आपका शासन है इसमें एक भी हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्था नहीं की । पंचायत समिति की एक लाख की जन संख्या है, आपकी सरकार ने वहां व्यवस्था नहीं की । एक लाख की जन संख्या के लिए बीस वर्ष पहले एक शफाखाना था, वह भी आज नहीं है । यह आपकी क्या मंशा है ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि 1961 की जनगणना के अनुसार दूदू की आबादी है वह केवल 2,849 है, जब कि कानून के अनुसार तीन हजार की आबादी नहीं होती तब तक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान नहीं होता । जैसा मैंने निवेदन किया, दूदू पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर आयुर्वेदिक औषधालय है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि तीन हजार से कम आबादी के ऊपर भी डिस्पेन्सरी खुली हुई है ।

श्रीमती सुमित्रा : हो सकता है, मुझे ऐसे गांवों के विषय में जानकारी नहीं है । हो सकता है और उसके कई और भी कारण हो सकते हैं, अकेली आबादी का ही दृष्टिकोण नहीं होता है ।

महारावल लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि दूदू एक महत्वपूर्ण स्थान है, किशनगढ़ और जयपुर के 65 माइल के फासले में बीच में है, नेशनल हाईवे के ऊपर है । मैं मानता हूं, सड़क के ऊपर अस्पताल नहीं हुआ करता, वहां एक्सीडेंट के मामले होते रहते हैं ......

श्री प्रेमसिंह : यह कामनसेंस है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसलिए अस्पताल सड़क के आस पास होना चाहिए । दूदू एक महत्वपूर्ण स्थान है, अगर तीन हजार की जनसंख्या की आवश्यकता पूरी नहीं करता तो करीब करीब तीन हजार जन संख्या है, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि क्या मंत्री, या मंत्राणी महोदय........

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, कल मंत्राणी की बात पर कहा ही था, आप आज फिर वही मंत्राणी कहे जा रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राज्य मंत्राणी महोदय........

श्री प्रेमसिंह : एतराज हो तो मंत्री कहने लग जायं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दूदू के अन्दर अस्पताल खोलने की कृपा करेंगी? वह एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां अस्पताल नहीं होना राज्य सरकार के लिए अशोभनीय है। यह आवश्यक है कि दूदू में अस्पताल हो।

श्रीमती सुमित्रा : दूदू पंचायत समिति के निर्णय के अनुसार बिचून के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया गया है।

श्री सुवालाल चौधरी : आज तक व्यवस्था नहीं है........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बिचून में खोल दिया गया है, तो बिचून का तो दूदू में आना कठिन है। दूदू में क्यों नहीं खोल दिया? दूदू नेशनल हाई वे पर स्थित है, प्रश्नकर्त्ता के अनुसार वहां एक्सीडेंट होते हैं उनको फर्स्ट ऐड नहीं मिलती। तो आवश्यकता वहां अस्पताल की है औषधालय की नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : पंचायत समिति का प्रस्ताव बिचून के लिए था, वहां खोल दिया है। प्रस्ताव दूदू के लिए नहीं था।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : महला आठ मील के डिस्टेन्स पर है। महिला मंत्री है तो महला गांव में खोलने का विचार रखती हैं?

श्री खेतसिंह : महिला मंत्री और महला।

श्री दामोदरलाल व्यास : महला! अच्छा!

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न! श्री रामचन्द्र आर्य!

गोगामेडी मेले से आय

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नोहर, जिला गंगानगर में गोगामेड़ी मेला राजस्थान सरकार ने अपने अधिकार में कौन से सन् में लिया था? क्या यह सही है कि इस मेले में पशुपालन विभाग, देवस्थान विभाग तथा कर विभाग अलग अलग से टैक्स वसूल करते है?

(2) यदि हां, तो पशुपालन विभाग को हर वर्ष कुल कितनी आमदनी टैक्स से होती है?

(3) यात्रियों व पशुओं के लिये किस किस विभाग द्वारा क्या क्या सुविधा देने का प्रबन्ध किया जाता है? और कितना कितना खर्चा किया जाता है?

(4) क्या यह सही है कि इस मेले में जनता के लिये वर्षा व धूप से बचने के लिये

Page No. 13

कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या सरकार अब इस पर विचार करेगी ?

(5) क्या यह सही है कि गत वर्ष इस मेले में वर्षा से बचने के लिये यात्रियों ने एक कच्चे मकान में शरण ली थी और वह गिर गया था जिससे कई आदमी अकाल मौत मरे थे ? यदि हां, तो कितने आदमी मरे थे और उनमें पुरुष, स्त्री व बच्चे कितने कितने थे ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से मृत व्यक्तियों के परिवारों को सहायता नहीं दी गई ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितनी सहयता दी गई और घायल व्यक्तियों के इलाज के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध हुआ ?

(7) क्या यह सही है कि राजस्थान में यह पशु मेला दूसरे स्थान का है और इस मेले से सरकार को बहुत बड़ी रकम टैक्स के रूप में प्राप्त होती है ? यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा पर रुपया खर्च क्यों नहीं किया जाता ?

(8) क्या यह सही है कि अलग अलग से टैक्स अलग अलग विभागों द्वारा वसूल करने से यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो इस मेले का प्रबन्ध रेवेन्यू विभाग द्वारा क्यों नहीं किया जाता था ?

(9) क्या यह सही है कि इस प्रकार की बदइन्तजामी से मेला समाप्त होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार कर इन तकलीफों को दूर करने पर विचार करेगी ?

उपमंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) : (1) गोगामेड़ी पशु मेला राज्य सरकार ने अपने अधिकार में 19 मार्च, सन् 1959 में अपने अधिकार में लिया था। यह भी सही है कि पशुपालन विभाग रवन्ना टैक्स एवं कर विभाग बिक्री कर राजकीय नियमों के अनुसार वसूल करते हैं, परन्तु देवस्थान विभाग केवल मात्र दुकानों का किराया ही वसूल करता है।

(2) पशुपालन विभाग को प्रति वर्ष हुई आय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) पशुपालन विभाग द्वारा यात्रियों को जल, रोशनी, सफाई, पारितोषिक आदि व्यवस्थायें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिन पर किये गये खर्च का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी हां वर्ष 1966 में यात्रियों ने वर्षा से बचने के लिए एक कच्चे मकान की शरण ली थी और वह गिर गया था, परन्तु यह भवन मेला क्षेत्र से बाहर था। इस भवन के गिरने से 1 पुरुष (30 साल), दो लड़कियां (4 वर्ष एव 3 माह), एक लड़का (सवा दो साल) मरे, एवं 18 व्यक्ति घायल हुए थे।

(6) राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को कोई सहायता नहीं दी गई, एवं घायलों की चिकित्सा व्यवस्था कर दी गई थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो पूरा नहीं हुआ है। प्रश्न बहुत लम्बा है।

श्री हरिसिंह : (7) जी नहीं। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यक सभी सुविधायें यात्रियों को प्रदान की जाती हैं।

(8) केवल पशुपालन विभाग एवं कर विभाग राजस्थान नियमों के अनुसार कर वसूल करते हैं, एवं देवस्थान विभाग तो केवल मात्र दुकानों का किराया ही वसूल करता है। यात्रियों को भी सुविधायें प्रदान की जाती हैं। अतः इसका प्रबन्ध रेवेन्यू विभाग द्वारा करवाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(9) जी नहीं मेला उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है जैसा कि आय के आंकड़ों से भी विदित होता है एवं सब ही सुविधायें यात्रियों को उपलब्ध हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि मेले में जल, रोशनी और पारितोषिक वितरण में रकम रखी हैं उसमें पानी में खर्च नहीं होता है, पारितोषिक में होता है और पशुओं की सुविधा के लिए वर्षा और धूप से बचने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री हरिसिंह : पहले जल व्यवस्था के लिए कहा है इसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि इसमें तो बराबर खर्च ज्यादा होता है, 59 से लेकर 66 तक घटा नहीं है, 59 में एक हजार रुपया जल व्यवस्था का है, वह 67 में बढ़ कर पन्द्रह सौ हो गया। जहां तक धूप और वर्षा का कहा, तो मैं समझता हूं कि लाख डेढ़ लाख व्यक्ति इकट्ठे होते हैं मेले में उनके लिए कहें कि टीन शेड जैसा बना दिया जाय तो वह सम्भव नहीं है। उसमें करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हो जायगा और उसका उपयोग नहीं होगा सिवाय आठ दस दिन के।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि वहां मेला एक महीने के लिये लगता है और एक महिने तक मेला रहता है, 8 या दस दिन के लिये नहीं ? इस मेले में गवर्नमेंट को इतनी आमदनी हो रही है, उस आमदनी में से जनता और पशुओं पर खर्च नहीं किया जाय और वहां जयपुर में लोगों के आराम के लिये कोठियां बना दें यह उचित नहीं है। आइटम नं० 3 में जो रकम दी गई है, वह सब की सब मेले के प्रबन्ध के लिये , यात्रियों और पशुओं की सुविधा के लिये कुछ भी खर्च नहीं किया जाता है। इसलिये क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि मेले से जो लाखों रुपयों की आमदनी होती है, उसका कोई परसेंटेज यात्रियों और पशुओं की सुविधा के लिये खर्च किया जाय कोई छप्पर बनाया जाय? एक महीने तक मेला रहता है, गर्मी के दिनों में मेला लगता है जब कि चिलचिलाती धूप पड़ती है, उस धूप में यात्री और पशु परेशान होते हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : टोटल जो खर्चा कर रहे हैं, उसमें प्राइजेज के नाम से कितना खर्चा हुआ है ?

श्री हरिसिंह : पहले तो माननीय रामचन्द्रजी की आर्य की बात का उत्तर दे देता

(श्री हरिसिंह)

हूं। आपने मेले की आय के परसेंटेज के खर्च का कहा है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार 1967 में इस मेले से कुल आय 93748 रुपये 25 न. पै. हुई, जहां तक व्यय का सवाल है, 1967 में 7900 रुपये व्यय किये गये जो कुल आय का करीब 10 परसेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता हो जहां तक ठहरने की सुविधा का सवाल है, पशुपालन विभाग से इस प्रकार की अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है पर देवस्थान विभाग का एक मंदिर वहां पर है, जहां यात्री ठहरते है और एक धर्म शाला है जहां यात्री ठहर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दरख्त लगा सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई धर्म शाला नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है। बिक्री कर विभाग, पशुपालन विभाग और देवस्थान विभाग को इस मेले से एक लाख रुपये की आमदनी होती है। जो आपने व्यय बताया है सब कर्मचारियों के भत्ते के लिये, टी. ए. डी. ए. के लिये व्यय होता है, पशुओं और यात्रियों की सुविधा के लिये कुछ भी व्यय नहीं किया जाता है!

श्री केदारनाथ : मेले के इन्तजाम के लिये क्या कोई एडवाइजरी कमेटी है ?

श्री हरिसिंह : अलग अलग व्यवस्था के लिये अलग अलग अस्थाई कमेटियां होती हैं। क्योंकि अस्थाई ही काम रहता है इसलिये इसके लिये कोई परमानेन्ट विभाग तो है नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न नं० 4 का उत्तर दिया कि मृतकों के परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? मेले में जोहड़ पर मकान था, वर्षा में लोगों ने वहां शरण ली और मकान गिरने से आदमी मरे उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं देना यह आप लोगों की ज्यादती नहीं है क्या ?

श्री हरिसिंह : जहां तक सरकार द्वारा धनराशि देने का सवाल है मैंने निवेदन किया कि मेले से बाहर कच्चा मकान था, वर्षा में कुछ व्यक्ति वहां पहुंच गये और वह मकान गिर पड़ा तो उसके लिये आप कहें कि सरकार मुआवजा दे, तो ऐसा कौनसा नियम है, यह आप बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी गलत है। आपने कहा कि मेले में वह मकान नहीं है। वह मकान बिल्कुल मेले में है, जोहड़ का पानी होता है वहां वह मकान है और जोहड़ बिल्कुल मेले के अन्दर है। आप कहते हैं कि मेले के बाहर है, यह आपकी सूचना गलत है। उन मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या सरकार मृतकों के रिश्तेदारों को कोई मुआवजा देने के लिये तैयार है ?

Page No. 16

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें, कुछ तो नियमों का ध्यान रखें।

श्री दौलतराम सारण।

बालोतरा के पास लूनी नदी पर पुल

91३. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) क्या बालोतरा के पास लूनी नदी पर कोई पुल बनाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि इस पुल को बनाने की स्वीकृति हो गई थी? यदि हां, तो कब? और फिर निर्माण क्यों नहीं हुआ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस पुल निर्माण के बिना बाड़मेर जिले को राजधानी तथा जोधपुर से जोड़ने वाली एक मात्र सड़क वर्षा में बन्द हो जाती है और आवागमन रुक जाता है?

(4) क्या यह भी सही है कि सीमा स्थित बाड़मेर को जोड़ने और बिना किसी रुकावट के यातायात चालू रखने के लिये यह पुल आवश्यक है और इस कारण इसका सामरिक महत्व भी है?

(5) यदि हां, तो राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण पुल को कब तक बनाने का विचार रखती है?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां, धन राशि प्राप्त होने पर।

(2) जी हां, ता० 20-7-67 को निर्माण कार्य भारत सरकार के आदेशानुसार रुक गया।

(3) जी हां।

यह तार रोड है।

(4) जी हां, यह जरूरी है।

(5) धनराशि उपलब्ध होने पर।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पुल के निर्माण के लिये स्टाफ सेंक्शन हो गया था और इसके लिये सामान पूरा ले आया गया था और बाद में निर्माण बन्द कर दिया गया?

श्री माधोसिंह : जी नहीं। प्लान में रख लिया था पर जितनी रकम लगने वाली थी, वह उपलब्ध नहीं हुई थी, भारत सरकार ने नहीं दी, इसलिये पहली बार रोका गया और दूसरी बार सेंक्शन के लिये भेजा था, भारत सरकार विचार कर रही थी, इसलिये रोक दिया।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पुल बनाने के लिये सीमेंट, लोहे का सामान और दूसरा आवश्यक सामान वहां आ गया था और स्टाफ भी मुकर्रर कर दिया गया था, वह स्टाफ एक साल बैठा रहा?

श्री माधोसिंह : हमारा स्टाफ वहां

Page No. 17

(श्री माधोसिंह)

परमानेन्ट है, दूसरे कार्यों के लिये भी नहीं है। सीमेंट और दूसरा सामान पूरी सड़क का वहां से निकलता है। दो चार दिन यदि वहां सामान रुक गया हो तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये या कि वह उस ही के लिये आया था।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि वह सामान इस पुल के लिये आया था ?

श्री माधोसिंह : इस पुल के लिये नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

जयपुर में पत्रकारों को प्लाटों का आवंटन

914. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में पत्रकारों को मकान बनाने के लिये प्लॉट देने की योजना सरकार ने बनाई थी ?

(2) यदि हां, तो कौन कौन से पत्रकारों को किस किस नाम के प्लॉट अलॉट हो चुके हैं ?

(3) किन किन पत्रकारों की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं ?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी नहीं, अलग से कोई योजना नहीं बनाई किन्तु विभिन्न सरकारी आदेशों के अन्तर्गत भूखण्ड मोती डूंगरी विस्तार योजना में आवंटित किये गये हैं।

(2) जिन जिन को भूखंड आवंटित किये गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे कोई सूची नहीं मिली है ताकि मैं सप्लीमेंटरी कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर सूची छोटी हो तो आप पढ़ कर सुना दें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 54 पत्रकार हैं, जिन्हें भूखण्ड दे दिये गये हैं। कहें तो मैं उनके नाम पढ़कर सुना दूं और 6 के लिये एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि पहले बारह बारह सौ गज के प्लाट्स दिये गये, उसके बाद में छः छः सौ गज के दिये गये और अब जो दिये जा रहे हैं वे तीन, तीन सौ गज के दिये जा रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विभिन्न प्रकार के प्लाट्स हैं, कुछ 1400 के हैं, कुछ 1500 के हैं, कुछ 566 के भी है, कुछ 395 के भी हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : किसी को 1200 का किसी को 600 का और किसी को 300 का, यह पत्रकारों के लिये भेद क्यों हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे खयाल से उनके आवेदन पत्रों के अनुसार होंगे।

श्री दौलतराम सारण : क्या ये कन्सेशन रेट पर दिये गये हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पत्रकारों ने कुछ प्लाट्स बेच दिये हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि जिस तरह के उन्होंने मांगे थे उस तरह के नहीं दिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उदाहरण देंगे तो बता दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री आईदानसिंह।

जिला जालोर में खोदे गये नल कूप

915. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें—

(1) जिला जालोर में अब तक कितने नलकूप खोदे गये हैं ?

(2) उपरोक्त नल कूपों में से कितने सफल नल कूप हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त नल कूपों को चलाने के लिये कुछ पम्पिग सैट्स के आर्डर्स दिये गये थे ?

(4) अगर हां, तो कब दिये गये थे ? और उनमें से कितने पम्पिग सैट्स आ चुके हैं ?

उपमंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) अब तक 37 नल कूप खोदे गये हैं।

(2) 22 सफल नल कूप हैं।

(3) जी हां।

(4) आर्डर्स समय समय पर ज्यों ज्यों नल कूप डेवलप किये गये और उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई दिये गये। जिसमें से 10 जगहों पर पम्पिग सैट्स प्राप्त हो चुके हैं।

श्री आईदानसिंह : ये नल कूप किस योजना के अन्तर्गत खोदे गये हैं ?

श्री हरिसिंह : एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स ओर्गेनाइजेशन के सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत।

श्री आईदानसिंह : मैं उस योजना का नाम पूछ रहा हूं जिसके अन्तर्गत ये नल कूप खोदे गये।

श्री हरिसिंह : 250 नल कूप राजस्थान के जो अभावग्रस्त जिले हैं उनके लिये हैं।

Page No. 19

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि ये नल कूप जालोर नलकूप योजना के अन्तर्गत खोदे गये थे ?

श्री हरिसिंह : जी हां।

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि 1966 में मशीनरी के लिये आर्डर प्लेस किया गया था ?

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया कि 10 पम्पिग सैट तो प्राप्त कर लिये गये हैं।

श्री आईदानसिंह : क्या 66 में इनके लिये आर्डर प्लेस किया गया था ?

श्री हरिसिंह : जी हाँ।

श्री आईदानसिंह : उनमें से कितने पम्पिग सैट्स राजस्थान में आये ?

श्री हरिसिंह : इसको डिटेल्स इस प्रकार है। 22 नल कूप सफल सिद्ध हुए। 17 के आर्डर तो दिये जा चुके हैं और 10 जगह के पम्पिग सैट प्राप्त हो चुके हैं, बाकी के 5 पम्पिग सैट खरीदने के लिये विचाराधीन है।

आईदानसिंह : क्या यह सही है कि सन् 1966 में जितने पम्पिग सेटस का आर्डर दिया सारे के सारे बिहार भेज दिए गए थे ?

श्री हरिसिंह : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ तो वोल्टास को दिया गया और कुछ मोटेस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी देहली को दिया गया। अलग अलग तारीखों पर दिया गया। अभी मन्यूफैक्चरर्स ने डिस्पैच नहीं किया, जैसे ही डिस्पैच करेंगे तो उपलब्ध किए जायेंगे।

श्री आईदानसिंह : कृषि मंत्री परसरामजी का एक पत्र है 1967 का जो उन्होंने श्री हरिश्चंद्र संसद सदस्य को लिखा है जिसमें साफ लिखा है कि बिहार में फेमिन था, इसलिए सारे के सारे पम्पिग सैट्स वहां भेज दिए गए। आप चाहें तो पत्र की कापी सदन की मेज पर रख सकता हूं और क्योंकि अकाल जालोर में भी था, और मंत्री महोदय कहते हैं कि 200 नलकूप योजना के अंदर खोदे गए, मैंने पहले एक प्रश्न पूछा था नं० 623 दिनांक 18-6-67 तो जवाब दिया गया था यहां पर कोई नलकूप नहीं खोदे गए और पूरी योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने पास ही रहने दें, कभी काम आ जायगा।

श्री आईदानसिंह : किसको सही मानें ? ये दोनों बयान कन्ट्राडिक्टरी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्लीयर है। अगला प्रश्न।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आज भी इन नलकूपों का उपयोग किया जा रहा है ?

श्री हरिसिंह : मैंने कहा 22 कुंए सफल सिद्ध हुए हैं, टेस्ट किया जा चुका है और बोर्डर कमिश्नर की मौजदूगी में टेस्ट किया गया है, आऊटपुट देखा गया, 20 हजार गैलन प्रति घंटा से ज्यादा जिनका आऊटपुट है वे कृषि परपजेज के लिए और 20 हजार गैलन प्रति घंटा से कम वालों का पानी पीने

Page No. 20

(श्री हरिसिंह)

के लिए हैं उपयोग हो रहा है या नहीं, इसके लिए तो प्राथमिकता के आधार पर जो जो स्थान आते हैं, कार्य चालू है, पाइप लाइन्स भी लगाई जा चुकी हैं परन्तु वहां पर अभी धनाभाव के कारण प्रायरिटी में नहीं लिया गया है वहां पर अगर अभी चालू करना चाहते हैं तो स्थानीय पंचायत अगर मेन्टेनेन्स का खर्चा खुद मीट करे तो चालू किए जा सकते हैं।

श्री आईदानसिंह : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक गैलन भी पानी 22 कुओं में से अभी नहीं लिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : इतना खर्चा किया है, 22 टेस्ट कर लिए, क्या उनमें से किसी का पानी उपयोग में लिया गया है, ताकि स्कीम का पता तो चले।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : लाखों रुपए की लागत हो चुकी है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि 22 सफल कूप खोदे गए। अगर उनकी उपयोगिता नहीं है तो सफल शब्द का प्रयोग मेरे ख्याल से निरर्थक है। क्या मन्त्री महोदय प्रकाश डाल सकते हैं कि सफल कूप जो खोदे गए, उनकी औसतन गहराई कितनी है? वह क्या काम करते हैं उत्पादन के सम्बन्ध में या बिजली के सम्बन्ध में या कोई अन्य काम करते हैं उनकी सफलता की उपयोगिता के रूप में? अगर कोई सिद्ध हुआ है तो उस सम्बन्ध में प्रकाश डालें।

श्री हरिसिंह : सफलता का जहां तक प्रश्न है मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूं कि सफल शब्द का टेक्नीकली यही मतलब है जो कि पर आवर आऊटपुट दिया है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उसका मतलब है कि पानी काम आने योग्य है, खारा नहीं है, मीठा है।

श्री हरिसिंह : बाकायदा टेस्ट किया जाता है, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, स्थानीय आऊटपुट को देखते हुए 3 हजार गैलन या 5 हजार गैलन, उसी रेडियस के अन्दर दो हजार आबादी वाले गांव आ जाते हैं तो वे उपयोग करते हैं। मगर जब तक पाइप लाइन का इन्सटोलेशन नहीं होता तब तक सम्भव नहीं होता उसका उपयोग करना।

श्री दौलतराम सारण : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो ट्यूबवेल्स बनाए हैं उन ट्यूबवेल्स को काम में लेने के लिए राज्य सरकार ने पहले योजनाबद्ध ढंग से उनका उनके उपयोग के लिए प्रावधान नहीं किया इसलिए बेकार पड़े हैं?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : नलकूपों की बात को लेकर सदन में काफी भ्रांतियां चलती हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 250 कुएं राजस्थान के उन इलाकों में खोदने का फैसला किया जो अक्सर अकाल ग्रस्त रहते हैं और जिन कुओं पर 5 हजार गैलन से ज्यादा पानी निकलता है उनको कृषि योग्य समझा जायगा और उससे कम निकलता है तो पीने के पानी के काम में लाए जा सकते हैं। इसलिए सफलता या

Page No. 21

(श्री मथुरादास माथुर)

असफलता उसके उपयोग पर निर्भर करती है कृषि की दृष्टि से जो कुए सफल देखा जाय तो पीने के पानी के लिए वे नाकामयाब हो सकते हैं और जो पीने के पानी के लिए सफल हो सकते हैं तो वे कृषि की दृष्टि से नाकामयाब हो सकते हैं, यह कुएं के डिस्चार्ज पर निर्भर करता है। भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑरगनाइजेशन, मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर ने इस काम को शुरू किया, इस तरह से ज्यालोजिकल सर्वे की जो एक्सप्लोर्ड एरिया है वहां कुए खोदे गए और अनएक्सप्लोर्ड एरिया में एक्सप्लोरेशन का काम चालू किया। बड़ा वक्तव्य तो प्रश्न काल में नहीं दिया जा सकता। जो कुए कामयाब होंगे कृषि की दृष्टि से या पानी पीने की दृष्टि से, उनमें पम्पिंग सेट्स लगा कर चालू किया जायगा। इसके लिए इस बजट में भी और अगले बजट में भी प्रावधान रखा गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो कुए कृषि के उपयोग में नहीं आयेंगे और पानी पीने के उपयोग में आयेंगे ऐसे कुओं को पंचायतों को चलाने के लिए रिकरिंग खर्चा मोट करना पड़ेगा। इसके लिए प्रावधान पहले से ही है। जालोर जिले की अलग स्कीम है। उस स्कीम को अभी तक कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया है। ये 22 कुए 250 कुओं के अगेन्स्ट में हैं और यह स्कीम योजना आयोग की एप्रूवल के बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना में लिए जाने का प्रावधान रखा गया था और चौथी योजना में ली जायगी।

श्री दौलतराम सारण : मन्त्री महोदय नेजो उत्तर दिया है, वह तथ्यों से परे है। इन 250 ट्यूबवेल्स को खोदने का निश्चय किया गया था। उसमें से लगभग 134 कुएं सफल बताए हैं और उनमें से कई कुएं 3–3 4-4 वर्ष पुराने खुदे हुए पड़े हैं, मशीनरी भी लगी हुई है लेकिन आज तक कुछ भी पानी नहीं दिया गया है और एक दाना भी पैदा नहीं किया गया और कहा गया कि सिंचाई के काम में न लेकर पीने के पानी के लिए पंचायत समितियों को देना है लेकिन पंचायत समितियों और पंचायतों द्वारा मांगने पर भी ये कुएं उनको नहीं दिए गए हैं, वहां बेकार पड़े हैं। मेरी जानकारी में कई जगह सरदार शहर, जैतसर में पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य विषयांतर हो गए हैं, एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑरगनाइजेशन ने 250 कुएं खोदे। उस सम्बन्ध में यह चर्चा चल पड़ी है। प्रश्न केवल मशीनें खरीदने, पम्पिंग सेट्स लगाने से सम्बन्धित था उस पर काफी चर्चा हो गई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। जालोर से संबंधित यह प्रश्न है। जालोर में दो कुएं सफल हुए हैं, 22 बनाए गए हैं, उन 22 में से पेय जल के सम्बन्ध में कितने कुएं और सिंचाई के लिए कितने हैं। जो सफल कुएं हैं उनमें कितनी गहराई पर पानी मिला औसतन ?

श्री उपाध्यक्ष : यह इस प्रश्न के दायरे में कहां आता है, यह सूचना प्रश्नकर्त्ता ने नहीं चाही है ? अन्य तरीके से किसी और समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 916

श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No. 22

श्री डूंगाराम राजोरिया : प्रश्न 916 का उत्तर कृपया दिलाया जाय, माननीय सदस्य पूछने वाले नहीं हैं, यह एक हरिजन महिला को अस्पताल में मृत्यु से सम्बन्धित है....

श्री उपाध्यक्ष : समय बच जायगा तो पूछने दिया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

जिप्सम की खरीद

917. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के ड्रेनेज इंजीनियर विभाग ने जिप्सम खरीद किया था? अगर हाँ, तो किस मूल्य में?

(2) इस जिप्सम को किस स्थान पर रखा गया?

(3) उक्त जिप्सम जिस कार्य के लिये खरीद किया गया था? व उसका किस मात्रा में कब कब कहां कहां उपयोग किया गया? व किस किस्म की भूमि पर उपयोग किया गया है?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) सन् 65--66 में 453-5 टन व 67-68 में 2006-90 टन जिप्सम 11) रु० प्रति मैट्रिक टन व अतिरिक्त बिक्री कर से खरीद किया गया है।

(2) खरीदा हुआ जिप्सम कोटा, बल्लोप व माटुण्डा ड्रेनेज प्रोजेक्ट के भण्डारों में रखा गया है।

(3) जिप्सम क्षारीय भूमि को सुधारने के लिये खरीदा गया था। 250 टन जिप्सम को बल्लोप प्रोजेक्ट पर सन् 1966 को बरसात के पहले क्षारीय भूमि पर सुधार के लिये उपयोग में लाया गया। शेष जिप्सम 67-68 में माटुण्डा प्रोजेक्ट के लगभग 550 एकड़ क्षारीय भूमि को सुधारने के काम में लाया गया। प्रति एकड़ जिप्सम की मात्रा एक टन से लेकर आठ टन तक डाली जाती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिप्सम क्षारीय भूमि पर आवश्यक है?

श्री हरिसिंह : जी हां। इसका सर्वे किया जाता है। इस एरिया का सर्वे किया गया है तभी जिप्सम डाला गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिप्सम सेलिएन्ट ऐरिया में थर्ड स्टेज में डाला गया है। थर्ड सेलिएन्ट की स्टेज आ चुकी थी, फर्स्ट निकल गई थी?

श्री हरिसिंह : मैंने यह कहा कि एन्क्ला-ईन्ड और स्लाईन ऐरिया में डाला जाता है। यह सेल्यूबल होता है और लोज करके जिप्सम डाला जाता है। सेलिएन्ट की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट के अन्दर जहां जिप्सम काम में लाई जा रही है वह क्षार की भूमि है?

श्री हरिसिंह : जी हाँ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरजीराम बुरडक।

Page No. 23

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिप्सम जितनी खरीदी गई वह खुली पड़ी रही और सारी बरसात में भीगती रही।

श्री हरिसिंह : खुला पड़ा रहने का सवाल नहीं है। जिस ऐरिया में वह जानी जाती थी उसको वहां भेज दिया गया है और उसका पूरा उपयोग भी हो गया है। वहां पर प्रॉबलम भी सोल्व हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बरसात में भीगने से इसकी पोटेंशियलिटि खतम हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

ग्राम मीठड़ी की डिस्पेन्सरी के कम्पाउंडर के विरुद्ध शिकायतें।

918. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्राम मीठड़ी, तहसील लाडनूं जिला नागौर में जो डिस्पेन्सरी है उसके मौजूदा इन्चार्ज कम्पाउन्डर कब से वहां पर है और इससे पूर्व यही व्यक्ति वहां कब कब कितने कितने समय रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कम्पाउन्डर का कभी स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो कब कब और किन कारणों से और वापिस कैन्सिल किन किन कारणों से हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त कम्पाउन्डर के खिलाफ कोई शिकायतें हुई थी ? यदि हां, तो कब कब कौन कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इतनी अधिक शिकायतें होने के बावजूद भी उक्त कम्पाउन्डर को वहां से हटाने का निर्णय सरकार किन कारणों से नहीं ले रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि डा० जौहर, भू० पू० जिला स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने उक्त कम्पाउन्डर के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करके सरकार को कोई रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा)

(1) दिनांक 28-2-66 से। इससे पूर्व उक्त कम्पाउन्डर यहां पर केवल अप्रेल, 1962 से अप्रेल, 1965 तक रहे है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री हरजीराम (बुरड़क) : शिकायत आपने इसकी ट्रान्सफर 65 में की थी और 66 में वापिस उसी जगह लगाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुमित्रा : वहां के जो कम्पाउन्डर थे वे ट्रेनिंग पर चले गये थे और

(श्रीमती सुमित्रा)

वहां पर जगह खाली थी। स्थानीय लोगों ने मांग की कि इस कम्पाउन्डर को लगा दिया जाय। इस कारण इसको वहां लगाया गया।

श्री हरजीराम (बुरडक) : स्थानीय लोगों ने मांग की थी, उसकी शिकायत थी और सही पाईगई तो फिर 66 में उसी को लगाया दूसरे रिक्त स्थान पर क्यों नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : 66 के बाद उनकी कोई शिकायत नहीं है। उसके पहले जो ऐसी शिकायत की गई थी, उस पर जांच की और डी० एम० एच० ओ० ने वहां पर दो पार्टी है। एक पार्टी कम्पाउन्डर के खिलाफ है और दूसरी पार्टी कम्पाउन्डर के पक्ष में है। इसलिए इस बात में कोई राज-नैतिक कारण नहीं है हालांकि उस समय तबादला कर दिया गया था लेकिन स्थानीय मांग पर उसको वहां वापिस लगा दिया।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी की मांग होगी।

श्री उपाध्यक्ष : कम्पाउन्डर के ट्रान्सफर का प्रश्न है। इसको इतना नहीं लेना चाहिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : इससे आपस में पार्टियों में खिचाव होता है।

श्रीमती सुमित्रा : शिकायत थी तब उसका ट्रान्सफर कर दिया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिकायत सच्ची थी या झूठी, यह बतलायें।

श्रीमती सुमित्रा : शिकायत के आधार पर तबादला किया गया था। दो साल बाद जनता ने वापिस मांग की तो उसको लगा दिया गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री हरजीराम (बुरडक) : खुद यह ने महसूस किया है कि दो पर्टियां थीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया स्थान गृहण करें। ऑर्डर प्लीज।

(माननीय सदस्यों के बोलते रहने पर)

ऑर्डर प्लीज।

श्री हरजीराम (बुरडक) : उपाध्यक्ष महोदय, 65 में जांच हुई और 65 में आपने फिर उसका पोस्टिंग कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष . अगला प्रश्न।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात।

श्री उपाध्यक्ष : कम्पाउन्डर का मामला है। एक एक मिनट सदन का कीमत है। उत्तर दे दिया गया है, ठीक है।

श्री दिग्विजयसिंह।

प्रश्न संख्या 919।

सरोली-दूनी सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक-देवली सड़क का निर्माण सरोली से ग्राम दूनी तक हुआ है ? यदि हां, तो यह निर्माण कब हुआ ?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण में कुछ काश्तकारों की भूमि सड़क में आई हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं?

(3) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो इतने समय बाद क्यों की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि अब तक भी उस भूमि के मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक तय कर दिया जावेगा?

उप मंत्री, सार्वजनिक निमार्ण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां, जुलाई सन् 1960 में।

(2) जी हां, सरोली से दूनी के भाग में 21 खातेदारों की भूमि अवाप्त की गई थी।

श्री दिग्विजयसिंह : दो से शुरू मत करें। एक से करें वापिस।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : फिर से करें।

श्री माधोसिंह : (1) जी हां, जुलाई, सन् 1960 में।

(2) जी हां सरोली से दूनी के भाग में 21 खातेदारों की भूमि अवाप्त की गई थी।

(3) जी नहीं।

(4) मुआवजा भुगतान करा दिया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या यह सही है कि खसरा नं० 2 में 273 और 286 का आज दिन तक भुगतान नहीं दिया गया?

श्री माधोसिंह : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नहीं दिया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं 273 और 286 का मुआवजा आज दिन तक नहीं दिया गया है। और इस सड़क के निर्माण के अन्दर यह खसरा आया हुआ है।

श्री माधोसिंह : आप हमारी जानकारी के अन्दर लायेंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री दौलतराम सारण : आपकी जानकारी में ला रहे हैं न।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या यह सही है कि 66 में उनको एक्वोजीशन की कार्यवाही के लिये नोटिस दिये गये थे?

श्री माधोसिंह : जी नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : किस आधार पर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिया गया है। नोटिस मिला है। फार्म नम्बर 9 भरा हुआ है।

श्री माधोसिंह : मुआवजा दे दिया गया और कोई नोटिस दिया नहीं है। इसके अलावा कोई गलती से समझ रहा हो कि बकाया है तो बात अलग है। दरख्वास्त दे दीजिये। जांच करवा ली जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 920

श्री देवीदत्त गाडिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझार सिंह ।

स्टेट ट्रान्सपोर्ट व रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज

921. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी व रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी में कौन कौन सदस्य हैं ? कृपया अलग अलग रीजन की व स्टेट के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी पर सदस्य नियुक्त करने के लिये क्या आधार तय किया हुआ है और जिन विभागों के व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाता है उनका विभाग से और खास तौर से ट्रैफिक से क्या सम्बन्ध रहता है ?

(3) रीजनल ऑथोरिटी में पब्लिक का कोई आदमी नहीं होने व स्टेट बाडी में होने के क्या कारण है ?

(4) पिछली साल रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज ने अलग अलग रीजन्स में कुल कितनी कितनी बार मीटिंग बुलाई और कितनी कितनी बार स्थगित या रद्द की ?

(5) बस की लाइनें पास करने या परमिट देने में अन्य राज्यों में क्या विभाग द्वारा ही चेयरमैन के मार्फत परमिट देने का नियम है ? यदि हां, तो यहां पर केवल गवर्नमेन्ट आफिसर्स की बोडी बनाकर इस काम को करवाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस पद्धति में परिवर्तन करने का विचार करेगी ?

उपमंत्री, यातायात (श्री शिवचरण सिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) स्टेट रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का गठन मोटर गाडी अधिनियम 1939 की धारा 44 की उप धारा (1) व (2) के अन्तर्गत किया जाता है । उक्त धारा में प्रावधानों के अनुसार उक्त ऑथोरिटी पर नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों का किसी ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग में वित्तीय हित मालिक कर्मचारी या अन्य रूप में नहीं होना चाहिये ।

एस. टी. ए. पर पांच अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति पांचों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने तथा छठा सदस्य उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है ।

स्टेट रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी पर नियुक्त शासकीय सदस्य परिवहन विभाग स्वयं के एवं आरक्षी विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं । इन विभागों का परिवहन विभाग से क्या सम्बन्ध है यह सर्व विदित है ।

(3) मोटर गाडी अधिनियम 1939 की धारा 44 की उप धारा (2) में दिनांक 21 जून, 1960 से मोटर व्हीकल राजस्थान संशोधन अधिनियम 1961 अ (अधिनियम

(श्री शिवचरण माथुर)

संख्या 3 सन् 1961) द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार राज्य सरकार, यदि उचित समझे तो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्य सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी व्यक्ति या दोनों हो सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सरकारी सदस्य नियुक्त करना ही निश्चय किया। एस. टी. ए. में सरकारी व गैर सरकारी दोनों के रखने का निर्णय लिया गया।

(4) सन् 1966 में रीजनल ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटीज की बैठक होने की व स्थगित होने की सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) सब राज्यों के बारे में जानकारी नहीं है, परन्तु कुछ राज्यों में यातायात विभाग के अधिकारियों को आर. टी. ए. के अधिकार दिये होने के कारण उनके द्वारा भी परमिट दिये जाते हैं।

राजस्थान में क्वासी जुडीसियल बोर्डी को यह कार्य दिया गया है। अधिनियमों व नियमों में कुछ संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन है उनके साथ इस बिन्दु पर भी विचार किया जायेगा। (सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझार सिंह : रीजनल ओथोरिटी में नान आफीसियल मेम्बर लिया गया? क्या कारण?

श्री शिवचरण सिंह : नियमों में दोनों के लिये प्रावधान है।

श्री जुझारसिंह : फिर क्या बात थी, क्यों नहीं लिया यही तो मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अमृतलाल यादव : आर. टी. ए. में और एस. टी. ए. में नान आफीसियल लेने की मनाई नहीं है। पर परिस्थितियों को देखते हुए आर. टी. ए. में नहीं लिया, एस. टी. ए. में लिया।

श्री जुझार सिंह : यह तो ठीक है। लेकिन रीजनल ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी में नान आफीसियल को नोमिनेट नहीं करने का क्या कारण है मैं तो कारण जानना चाहता हूं। आपने नामिनेट नहीं किया इसका परिणाम यह निकला है कि जिन जिन मीटिंगों की लिस्ट आपने दी है उनमें से चार कोटा जिले में होनी थीं, उनमें से तीन को अटेण्ड नहीं किया। इसी तरह उदयपुर में सात में से 4 और जोधपुर में सात में से 3 में अटेण्ड नहीं कर पाये। आफीसियल लोग मीटिंग बुलाकर उसे अटेण्ड करने की तरफ ध्यान नहीं देते और फल यह होता है मीटिंग नहीं होती और बिजनेस जो जो ट्रान्जेक्ट होना चाहिये नहीं हो पाता। देर होती है। इसलिये अगर नान आफीसियल होता तो मीटिंगें जल्दी जल्दी और पूरी अटेण्ड होती और बिजनेस भी ट्रान्जेक्ट होता।

श्री अमृतलाल यादव : मीटिंगें अटेण्ड करने का कारण तो यह नहीं है, कारण यह है कि चार चार छः छः आर. टी. ए. का एकीकरण होने से समय नहीं मिलता उनको, इसलिये हम सोच रहे हैं इसके लिये तो कि रीजन वाइज। आर. टी. ए. हो उनके अलग

(श्री अमृतलाल यादव)

अलग चेयरमैन हों ताकि मीटिंगें भी हो सकें और काम भी जल्दी निपट सके।

जहां तक नॉन ग्राफीसियल मेम्बर के रखने का सवाल है इसके लिये हमारी ना नहीं है। पर अभी तक नहीं लेने का कारण यह था कि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं समझी। अब इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गुजरात में तो दोनों बाडी नॉन ग्राफीसियल लोगों की है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जुझारसिंह : एक सप्लीमेन्टरी और है उपाध्यक्ष महोदय। आप जो नान ग्राफीसियल मेम्बर नॉमीनेट करते हैं वह किस आधार पर करते हैं आज जितने हैं एक पार्टी विशेष के आदमी हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है वे ट्रान्सपोर्ट के बहुत ज्यादा अनुभवी भी नहीं होते। तो क्या इनकी नियुक्ति में आप अनुभवी को तरजीह देंगे। आज तो सभी कांग्रेसी हैं।

श्री अमृतलाल यादव : गवर्नमेंट को नोमीनेट करने का अधिकार है।

श्री जुझारसिंह : पर सभी कांग्रेसी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगन प्रस्ताव।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : 916 का उत्तर दिलवा दीजिये। बहुत इम्पोर्टेन्ट है उपाध्यक्ष महोदय। अस्पतालों में छुआछूत न होकर सही ढंग से इलाज हो। अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छुआछूत का बरताव होता है, महिलाओं के साथ भी ठीक इलाज नहीं होता। इसका उत्तर जरूर दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री लाभचन्द्र।

श्री लाभचन्द वैद्य : 651

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया। समय काफी हो गया है। पांच स्थगित प्रश्न हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह कितना महत्व रखता है।

श्री उपाध्यक्ष : में सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण समझता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हरिजन कौम की महिला की अस्पताल में मृत्यु होती है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बड़ा अफसोस है इसका। कौम और जाति का सवाल उठता है इसमें भी।

भारत के सभी नागरिकों की बराबर की हैसियत है। जाति पांति का भेदभाव बरता नहीं जाता। मैंने देखा माननीय सदस्य बार बार कहते हैं अनुसूचित जनजाति के हैं। इस बात को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। सदन में भेदभाव बरता नहीं जाता। फिर समय होता तो जरूर पूछ सकते थे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो जात पात के बारे में कहते हैं यह तो जाहिर है कि अनुसूचित जाति की हरिजन महिला समझकर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : किसी जाति की महिला के साथ ऐसा बरताव हुआ है तो यह अनुसूचित है। इसमें जाति पांत का हरिजन महिला का क्या प्रश्न है।

स्थगित प्रश्न

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, छूआछूत के कारण सही इलाज नहीं किया गया तो यह सदन इस बात को देखे।

श्री उपाध्यक्ष : इसको लेने के पीछे मत पड़ियेगा। यह प्रश्न कोई जान बूझकर छोड़ा जा रहा है ऐसी बात नहीं है।

अगला प्रश्न पुकार लिया गया। आगे काफी प्रश्न पड़े हैं। अगर इतना ही आवश्यक था तो माननीय सदस्य पूछने वाले खुद उपस्थित हो सकते थे और अगर दूसरे एक प्रश्न को ले लेते हैं तो बहुत से प्रश्न बाकी हैं उनके लिये भी दरवाजा खुल जाता है इसलिये माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि स्थगित प्रश्न को लेने दें। श्री लाभचन्द।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हो सकता है कोई कारण हो इसलिये प्रश्न कर्ता न आये हो। पर ऐसे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा ही दिया जाना चाहिये। फिर आपकी मरजी है।

स्थगित प्रश्न

(19-3-68)

कुओं से सिंचाई

651. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के जिन हिस्सों में कुओं द्वारा सिंचाई होती और सरकार द्वारा जो बीज वितरित किये जाते हैं वे बीज उन कुओं के पानी में पनपने वाले ही वितरित किये जाते हैं ?

(2) क्या सरकार किसान को यह राय देती है कि वे पानी टैस्ट करवा के उसके अनुकूल ही बीज प्राप्त करें ?

(3) क्या सरकार यह जानकारी रखती है कि किस प्रकार के पानी में कौनसे बीज अच्छे पनपते हैं ?

उपमंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। उनको पानी और भूमि टैस्ट करने के पश्चात् ही उसमें पनपने वाला बीज वितरित किया जाता है।

(3) जी हां।

श्री लाभचन्द वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि आज तक किसी कुए की सिंचाई के लिए उसका पानी टेस्ट के लिए नहीं गया होगा आप किस आधार पर कहते हैं जी हां ?

श्री हरिसिंह : जहां तक टेस्ट का प्रश्न है वह चाहे मिट्टी का हो या पानी का हो कुए के पानी का तो आपको चाहिए कि सम्बन्धित क्षेत्र के जो कृषक हैं उनको स्वयं को अपने सेम्पल अलग अलग लेबोरेटरीज जो स्थापित की गई हैं गंगानगर, सुमेरपुर आदि में वहाँ भेजना चाहिये। रिसर्च लेबोरेटरीज में उसका पूरा तरह से परीक्षण

(श्री हरिसिंह)

होता है। सोइल का वाटर का सबका परीक्षण होता है और उसके अनुसार उनके द्वारा रिकमन्डेशन भी दी जाती है और वह उसको समझाते भी हैं। लेकिन कोई वहां जाने का कष्ट नहीं करे और सेम्पल तक देने का कष्ट नहीं करें और आप चाहें कि हर कुए जाकर सरकार स्वयं टेस्ट करे तो यह सम्भव नहीं होगा।

श्री लाभचन्द वैद : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इसकी कोई किसी किस्म की पब्लिसिटी की है कि इतनी लेबोरेटरीज हैं या आपने किसानों को कोई जानकारी दी है? आप तो जानते हैं कि किसान अनपढ़ हैं तो ग्राम सेवकों के द्वारा या और किसी के द्वारा उनको जानकारी कराई है इस बात की ?

श्री हरिसिंह : यह तो आपका स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है। लेकिन सूचना प्रसारण अलग से विभाग भी है जो समय समय पर बुलेटिन निकालता है, पीरियोडीकल्स निकालता है अगर कोई पढ़ने की कोशिश ही नहीं करे तो क्या किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(स्थगित प्रश्न संख्या 704)

श्री लादूराम सुजानिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

स्थगित प्रश्न

21-3-68

शिक्षण संस्थाओं की इमारतों का स्वामित्व तथा उनकी मरम्मत

717. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधीन राजस्थान में कितनी शिक्षण संस्थाओं की इमारतों पर स्वामित्व प्राप्त है ? कृपया जिलेवार सूची दें।

(2) क्या यह सही है कि इस इमारतों की मरम्मत के लिए अलग से कोई मद स्वीकृत नहीं है ?

(3) अगर हां, तो इन इमारतों की मरम्मत किस प्रकार व किस फण्ड से करवाई जाती है ?

(4) कोटा शहर में स्थित प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की इमारतों पर मरम्मत में कब कब कितना कितना रुपया कहां कहां खर्च किया गया ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जिलेवार सूची प्रस्तुत है। जोधपुर सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो एकत्रित कर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(2) जी हां।

(3) रिपेयर्स ग्रान्ट की उपलब्ध धन-राशि में से आवश्यक वार्षिक मरम्मत करवाई जाती है।

(कृपया परिशिष्ट सं 5 देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो रिपेयर ग्रान्ट आप सरकारी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

संस्थाओं पर खर्च करते हैं इसी ग्रान्ट में जो गंग के वर्कचार्ज हैं जो कि मेन्टीनेन्स में काम करते हैं वह पैसा भी इसी ग्रान्ट से खर्च किया जाता है ?

श्री माधोसिंह : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सही है कि उस उस पैसे के खर्च हो जाने के बाद वर्कचार्ज कार्य पर ज्यादा खर्च किया जाता है सरकारी संस्थानों की मरम्मत के लिए उससे पैसा नहीं बचता है ?

श्री माधोसिंह : ऐसी बात नहीं है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित समझती है कि जो सरकारी इमारतें सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास हैं उनकी मरम्मत के लिए प्रति वर्ष अलग से बजट रखा जाये ?

श्री माधोसिंह : अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुझे सूची दी है उसमें केवल 6000 का खर्चा हुआ बताया है 13 संस्थानों के ऊपर प्राईमरी और मिडिल स्कूल हैं उनके ऊपर केवल 6000 रुपया खर्च हुआ है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि जितनी आवश्यकता होती है उतना खर्च किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे ही प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों की इमारतें कम हैं और जितनी भी इमारतें हैं उनकी स्थिति बिगड़ती आ रही है। उनका मेन्टीनेन्स नहीं होता। जो भी बजट है पहले तो बिल्डिंग पर खर्च नहीं होता है और खर्च होता है तो केवल तहसीलदार, एस० डी० ओ० की बिल्डिंग पर खर्च होता है लेकिन प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की मरम्मत नहीं होती है और इसके लिए एक पैसा पी० डब्लू० डी० खर्च नहीं करती।

श्री माधोसिंह : इन बिल्डिंग्स के लिए उनकी लागत का 1 पर्सेन्ट के हिसाब से पैसा रखा गया है और इसके लिए कोटा में 4000 ही होना चाहिए था और उसकी जगह हमने 6000 कर दिया। वर्ना 1 पर्सेन्ट की बिल्डिंग की कीमत के अनुसार खर्च किया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक इस मद में कुल कितना पैसा था और वर्कचार्ज लेबर पर कुल कितना खर्च कर दिया है ?

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी आप अलग से पूछें तो उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्रीमती कान्ता कथूरिया।

स्थगित प्रश्न

(21-3-68)

नगर विकास न्याय बीकानेर द्वारा निवासियों की बेदखली

723. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विकास न्यास बीकानेर के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किस वर्ष से पूर्व आबाद हुए निवासियों को बेदखल न करने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं ?

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

(2) क्या इन आदेशों का पालन किया जा रहा है ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रों के निवासियों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उप-मंत्री, नगर विकास न्यास (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) 1957 से पूर्व आबाद निवासियों को बेदखल न करने के ही आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं। आदेशों की प्रति-संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, जिलाधीश बीकानेर से इन शिकायतों पर जवाब मांगा जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस आदेश का पालन किया जाता है या नहीं इसके लिए मैं निवेदन करूंगी कि सादुलपुर में हरिजन बस्ती है उसकी एक पिटिशन भी मैंने सदन में पेश कर रखी है, उस पिटिशन की राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को सूचना दे दी गई है या नहीं ? एक बात। दूसरे यह 20-25 वर्ष के पहले की बस्ती है फिर भी उसको उठाने की कार्यवाही की गई है और लोगों के मकानात तोड़े गये हैं क्या यह सही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि जो शिकायत आई है वह जिलाधीश के पास भेज दी गई और उनका जवाब आने पर ही मैं उत्तर देने की स्थिति में होऊंगी।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह सत्य है कि नगर विकास न्यास के द्वारा मकान तोड़े गये हैं मैं उदाहरण के लिए फोटो टूटे हुए मकान की है वह सदन की मेज पर रखने की आपसे इजाजत लूंगी, उपाध्यक्ष महोदय। इसके बारे में शिकायत करते हैं तो यह जवाब देते हैं कि गलती से टूट गया है और कच्ची बस्तियों के लिए मेरे यहां पर पिटिशन पेश करने के बाद भी मकान तोड़े हैं इसका उत्तर स्पष्ट मिलना चाहिए।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने उत्तर में बताया है कि जिलाधीश से जो आपकी शिकायत है उसके सम्बन्ध में जवाब मांगा गया है और उत्तर आने पर आपको उससे सूचित कर दिया जायेगा।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह नोटीफिकेशन की कापी भेजी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि हर महीने की 10 तारीख को जिलाधीश को अपनी रिपोर्ट असिस्टेन्ट सक्रेटरी को भेजनी होगी लेकिन क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी है नगर विकास न्यास को ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग से प्रश्न है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नीति का प्रश्न है। मन्त्री महोदय को बताना चाहिए कि इसके बारे में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार की क्या नीति है। यह केवल बीकानेर में ही नहीं है। मैंने भी जयपुर के बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। कोटा में ऐसा हुआ, जोधपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ आखिर सरकार की इस सम्बन्ध में नीति क्या है? क्या सरकार यह कहती है कि जो लोग इस तरह से कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं यह एश्योरेन्स दे सकती है कि सरकार कि उनको परमानेन्टली बसायेगी और नहीं हटायेगी? जगह जगह इस प्रकार की प्राबलम्स क्रियेट हो रही हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह एश्योरेन्स तो चुनावों के समय में होते हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदालिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बीकानेर सिटी में जितने भी हरिजनों के मोहल्ले हैं उनको आज तक कोई पट्टा नहीं दिया गया है और बीकानेर बसा तब से लेकर आज तक जितने उनके मोहल्ले हैं और माननीय सदस्या जो फोटो पेश कर रही हैं वह बिल्कुल सही बात है। फोटो एक मकान का नहीं बल्कि हजारों मकान तोड़े गये हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर भाषण नहीं होगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दालिया : दूसरी तरफ हरिजनों के मकान तोड़े जा रहे हैं इसलिए मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

श्री भीखाभाई : (मन्त्री, नगर विकास न्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये जैसे अलवर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि यह नीति का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध यहां पर जो प्रश्न है उससे उपस्थित नहीं होता। यहां पर प्रश्न जो है वह एन्क्रोचमेन्ट का है और उसके लिए जवाब दिया है। समय समय पर 52 से लेकर 57 तक जिन लोगों ने एन्क्रोचमेन्ट किया है उनके बारे में क्या आदेश जारी किये हैं उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें और कहा गया है कि जो आदेश दिये गये हैं उसके लिए कलेक्टर जो कि ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनसे शिकायत के बारे में जवाब मांगा गया है। माननीय सदस्य ने पट्टों का प्रश्न उठाया उसके लिए तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वह इस प्रश्न से सम्बन्धित भी नहीं है और यह अलग से प्रश्न है। लेकिन जो प्रश्न उठाया गया है बीकानेर के बारे में उसकी जानकारी कलेक्टर से आयेगी तब उत्तर दिया जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : भीखाभाई जी यह आपके बस का रोग नहीं है। लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और आप कहते हैं कि यह अलग से प्रश्न है। यह आपके बस की बात नहीं है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसी बस्ती के लिए मैंने एक पिटीशन पेश कर रखी है उसको जिलाधीश महोदय को दे चुके हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : इसकी सूचना मन्त्री महोदय के पास उपलब्ध नहीं मालूम पड़ती है।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा नियमों का ध्यान रखें । अगला प्रश्न ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय में एक ही मिनट लेना चाहता हूं जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया वह असन्तोषजनक है । गलत है इससे मुझे इससे बड़ा असन्तोष है । बीकानेर में हरिजनों के मकान हर वक्त गिराये जाते हैं । माननीय मंत्री मौके पर चलने के लिये तैयार हों तो इस वक्त भी तोड़े हुए मिलेंगे, क्या मंत्री महोदय चलने के लिये तैयार हैं, मौके पर जाकर देखने के लिये तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी

(स्थगित प्रश्न)

21-3-68

ग्राम रावा में रेबारी के कत्ल का मामला

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में थाना छीपा बड़ौद, थाना छबड़ा व थाना जेपला के क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 तक कत्ल के कितने मामले हुए और किन किन गांवों में ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम रांवा तहसील छीपा बड़ौद में एक रेबारी का कत्ल हुआ है ? अगर हां, तो इसमें पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपमंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : कोटा जिले में थाना छीपा बड़ौद थाना छबड़ा व थाना जेपला के क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 तक कत्ल के कुल 6 अभियोग घटित हुए ।

1. थाना छीपा बड़ौद
   1. ग्राम छीपा बड़ौद
   2. ग्राम मन्डोला
   3. ग्राम रांवा
2. थाना छबड़ा
   1. ग्राम इन्द्र पहला की टपरियान
   2. ग्राम बीदारी बाग
3. थाना बेपला
   1. ग्राम गोदिया

2. जी हां । मुकीम रावां तहसील छीपा बड़ौद में दिनांक 13-10-60 को गोकुल रेबारी के कत्ल के करने की चेष्टा की । रिपोर्ट छीतर रेबारी द्वारा थाना छीपा बड़ौद में पेश की गई । जिस पर एफ० आइ० आर० नंबर 74 धारा 307/147/148 ता० हि० खिलाफ 8 मुलजिमान के दर्ज रंजिस्टर हुई । चूंकि मकतूल रेबारी का दिनांक 15-10-67 को देहान्त हो जाने से धारा 302/147/148 ता० हि० में तरमीम कर दिनांक 23-12-67 को मुलजिमान के खिलाफ चालान अदालत पेश किया जा चुका है जो विचाराधीन है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गांव धनाऊ व गांव आलमसर में ट्यूब वेल

904. श्री अब्दुल हादी (चोहटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि गांव धनाऊ व गांव आलमसर तहसील चोहटन में जो ट्यूब वैल बनाये गये वे दोनों ट्यूब वैल बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इन ट्यूब वैल का उपयोग लेने के संबंध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

दोनों नलकूपों को चालू किया जा चुका है। इन नल कूपों का उपयोग पेय जल वितरण के लिए किया जावेगा।

मंत्री मंडल के सदस्यों की चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

605. श्री रामकिशन : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान मंत्री मंडल के सदस्यों ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा नियुक्ति के पूर्व अथवा उसके बाद राज्य सरकार को दिया या नहीं ? और नहीं तो क्यों नहीं ? अगर दिया है तो कृपया उसे सदन की मेज पर रखा जावे ?

(2) 1967 से पूर्व के मंत्री मंडल के सदस्यों ने भी ऐसा विवरण दिया था या नहीं ? अगर दिया है, तो कृपया उसे भी संशोधनों सहित सदन की मेज पर रखा जावे ?

उत्तर

1. इस प्रकार के ब्यौरे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, मंगवाये जा रहे हैं ?

2. जी हां। विवरण सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है क्योंकि ये गुप्त अभिलेख हैं।

प्रतापगढ़ जनाना अस्पताल में हरिजन महिला की मृत्यु

916. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह नवम्बर, 1967 में प्रतापगढ़ जनाना अस्पताल में डिलेवरी के केस में एक हरिजन महिला को दो पलंग खाली होने के बावजूद भी पलंग नहीं देकर अस्पताल भवन की खुली पढ़साल में ही रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उसके पति के कहने के बावजूद भी उक्त महिला को न दवाई दी गई न ही उसे संभाला गया और लेडी डाक्टर ने उसे नीच कह कर और धमका कर निकाल दिया ?

(3) क्या यह सही है कि लेडी डाक्टर की लापरवाही से इस महिला की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(श्री चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उक्त महिला की मृत्यु प्रसव के बाद पेरीफेरल सरक्यूलेटरी फेल्योर के कारण हुई।

झुंझुनूं नगरपालिका द्वारा चलाये जाने वाले अपराधिक अभियोग के मामले

920. श्री देवीदत गाड़िया (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं नगरपालिका द्वारा कुछ लोगों पर अपराधिक अभियोग चलाये जा रहे हैं तथा उन अभियुक्तों में एक भू. पू. अध्यक्ष व सदस्य तथा एक वर्तमान सदस्य शामिल हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भू. पू. स्वायत्त शासन मंत्री जब माह सितम्बर, 66 में झुंझुनूं गये तब कुछ सदस्यों द्वारा उक्त वर्तमान सदस्य को इन अभियोगों से सम्बन्धित होने के कारण निलम्बित किये जाने की मांग की थी ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा चलाये जा रहे अपराधिक अभियोगों में नगरपालिका के कर्मचारी इस्तगासा के गवाह हैं ? और उन लोगों ने जिलाधीश, झुंझुनूं को आवेदन भी दिया है कि उन पर गवाही बदलने के लिये दबाव डाला जा रहा है ?

(3) उक्त अपराधिक अभियोग में शामिल होने के उपरांत भी उक्त वर्तमान सदस्य को सदस्यता से निलम्बित किन कारणों से नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। केवल श्री भोलाराम द्वारा ऐसे आवेदन पत्र दिये जाने की सूचना है।

(4) मामला विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(20-3-68)

तीन सूत्रीय मांग-पत्र

704. श्री लादूराम सुलाणिया (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 14 जुलाई, 1966 को तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री मथुरादास माथुर ग्राम सिरसी, पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर में कृषक सम्मेलन में वाया झोटवाड़ा पधारे थे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उन्हें झोटवाड़ा विकास समिति के मुख्यालय पर एक तीन सूत्रीय मांग–पत्र में अंकित कौन कौन सी मांगें स्वीकृत हो चुकी हैं और कार्य पूरा हो चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) यदि कोई मांग स्वीकार नहीं की गई है तो क्यों ?

Page No. 37

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केवल एक पत्र सड़क निर्माण हेतु दिया था किन्तु वह स्पष्ट नहीं था। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर के जनरल अस्पताल में सुव्यवस्था

487. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के जनरल अस्पताल के इन्डोर वार्डों में आम तौर पर कुत्ते घुस जाते हैं जो मरीजों की दवाईयां, खाना दूध वगैरा खा जाते हैं और मरीजों को परेशान करते हैं ?

(2) क्या यह सच है कि मरीजों को दी हुई बहुत सी अलमारियों की जालियां टूटी हुई हैं और इसलिये उनमें कुत्तों के लिये मुंह देना बिल्कुल आसान है ?

(3) क्या यह सही है कि मरीजों का इस प्रकार वार्डों में बेरोक टोक आना और खाने वगैरा में मुंह देना मरीजों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है ?

(4) क्या यह सही है कि इस अस्पताल के सर्जीकल वार्ड में फ्लश के पाखाने नहीं हैं जिसके कारण वहां बहुत गन्दगी रहती है ?

(5) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में इन्डोर वार्डों के पिछली तरफ नर्सिंग स्टाफ के रिहायशी क्वार्टरों के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वार्डों के ऊपर की मंजिल के पाखाने से गंदगी गिरती है ?

(6) क्या यह सही है कि ऊपर की मंजिल में इन्डोर वार्डों में बरामदे और खिड़कियों में जाली नहीं जिससे मक्खियां वार्डों में खूब आती हैं ?

(7) क्या राज्य सरकार की ओर से अस्पताल की इन छोटी छोटी कमियों का किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया है और राज्य सरकार का ध्यान इन कमियों की ओर दिलाया है ? यदि हां, तो किसने और कब ?

(8) क्या स्थानीय पी. एम. एन्ड एच, ओ. ने राज्य सरकार का ध्यान इन कमियों की ओर दिलाया है ? यदि हां, तो कब कब ? राज्य सरकार की ओर से इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) केवल पुराना सर्जीकल वार्ड में फ्लस की टट्टियां नहीं हैं पर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। नये ब्लाक में जितने वार्ड्स हैं उन सब में फ्लस की टट्टियां हैं।

(5) जी हां,।

(6) जी हां।

(चिकित्सा मंत्री)

(7) जी हां। श्री जे. एस. मेहता, सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के पिछले वर्ष इस विषय में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा था।

(8) उपरोक्त भाग ७ के अनुसार कार्यवाही की गई एवं पी. एम. एण्ड एच. ओ. द्वारा भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये बार २ लिखा जा रहा है।

अलवर के जनरल अस्पताल में नालियों, जालियों आदि की मरम्मत

488. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के जनरल अस्पताल में पानी के नल खराब हो जाना, नालियां वगैरा टूट जाना, जालियां दरवाजे टूट जाना आदि आकस्मिक दिक्कतें आम तौर पर होती रहती हैं जिनको तुरन्त ठीक करने के लिए अस्पताल के पास अपना कोई बजट और एजेन्सी नहीं है और इन छोटे छोटे कामों को भी कराने के लिए अस्पताल को सार्वजनिक निर्माण विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है?

(2) क्या यह सही है कि पिछले दिनों कई दिन तक इस अस्पताल में नल खराब होने के कारण 24 घंटे पानी चलता रहा और यों ही नष्ट होता रहा परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग को बार बार लिखने के बावजूद कोई व्यवस्था जल्दी से नहीं की गई?

(3) क्या यह सही है कि अलवर में अस्पताल की रोजमर्रा की फोरी आवश्यकताओं की देखभाल और उनकी पूर्ति करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है?

(4) क्या राज्य सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये इस बात पर विचार करेगी कि हर स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से अस्पतालों के लिये किसी भी स्टाफ को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाय तो अस्पताल के अधिकारियों से तालमेल रख कर नित्यप्रति वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति करें?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। साधारणतया जब कभी कोई खराबी हो जाती है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्टॉफ ठीक करने पहुंच जाता है।

(4) ओवर-सियर सार्वजनिक निर्माण विभाग इन कार्यों के लिये नियुक्त है जो सभी सरकारी भवनों की देखरेख करते हैं। अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

सतर्कता आयोग द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराने की सिफारिश

489. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सतर्कता आयाग ने अब तक पुलिस विभाग के किन किन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच अथवा मुकदमें दायर करने की सिफारिश आई. जी. पी को की और उनमें से किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

89. मामलों में से 16 मामलों में दोषी अधिकारियों को दोष मुक्त किया गया। 20 मामलों में विभागीय जांच के परिणाम स्वरूप दोषी अधिकारियों को समुचित दण्ड प्रदान किया गया। 4 मामलों में पुनः जांच हो रही है। 49 मामलों में अभी विभागीय जांच पूर्ण नहीं हो पाई है।

अजमेर में नगर-परिषद् द्वारा पानी की व्यवस्था

490. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के कई मोहल्लों में नगर परिषद् द्वारा संचालित व्यवस्था से गर्मियों में नलों में बिलकुल पानी नहीं पहुंचता है और उन मकान मालिकों से, जिनके घरों में नल कनेक्शन हैं पानी की न्यूनतम कीमत तथा मीटर किराया वसूल कर लिया जाता है ?

(2) अगर नहीं, तो रामगंज, आदर्श-नगर, गूजरधरती, बिहारीगंज, जोन्सगंज तथा नगरा इलाके में प्रतिदिन कितना पानी सार्वजनिक नलों में और प्राइवेट कनेक्शनों में दिया जाता है ?

(3) क्या सरकार जिन स्थानों पर पूरा पानी नहीं दें सकती है वहां न्यूनतम चार्जेज का नियम लागू करने की व्यवस्था समाप्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई सम्पूर्ण मोहल्ला नहीं है जहां पानी नहीं जाता है।

(2) रामगंज और जोन्सगंज वाटर-मेन्स से पानी लगभग 175,000 गेलन प्रतिदिन दिया जाता है तथा आदर्शनगर गूजरधरती, राबडिया व नगरा इलाकों में प्रतिदिन लगभग 3,000 गेलन पानी दिया जाता है।

(3) जी नहीं।

बारां नगर का मास्टर प्लान

491. श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बारां नगर का जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, मास्टर टाउन प्लान बनाया गया है या बनाए जाने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि बारां नगर में गंदगी का एक बहुत बड़ा नाला है जिसके कारण नगर में मच्छरों का भयंकर प्रकोप व बदबू व सड़ांध पैदा हो रही है ?

(3) क्या सरकार नेशहर की स्वास्थ्य रक्षा के लिये इस गंदे नाले को समाप्त करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नगर के मध्य में से गुजरने वाले बरसाती नाले से ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

(3) जी नहीं।

पेय जल की व्यवस्था पर निर्धारित धनराशि

492. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1966–67 के बजट के अनुसार पेय जल की व्यवस्था के लिये जिलेवार कितनी कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और उसमें से कितनी कितनी धनराशि किस किस जिले द्वारा सरेन्डर की गई? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

बजट में नगरीय और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिये एक मुश्त राशि का प्रावधान रखा जाता है और विभिन्न खण्डों, जिलों में विभिन्न योजनाओं की प्रगति ध्यान में रख कर मुख्य अभियन्ता, द्वारा प्रावधान का आवंटन किया जाता है। 1966–67 में खण्ड, जिलेवार जो आवंटन किया गया है और जो वास्तविक व्यय हुआ वह संलग्न तालिकाओं में दर्शाया गया है। जिनमें स्पष्ट है कि पेय जल के कार्यों के लिए प्रदत धनराशि में कोई बचत नहीं हुई थी बल्कि कुछ अधिक खर्चा ही हुआ।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी शहर की नल योजना

493. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी शहर में नल योजना का किस साल में उद्घाटन किया गया था?

(2) क्या यह सच है कि इस योजना के अधीन जहां जहां पर पानी के नल लगाये गये हैं वहां पर जो पत्थर के खुर्रे खोदे गये थे, वे अभी तक वापस दुरस्त नहीं किये गये और अभी तक भी गलियों और बाजारों में पत्थर जहां तहां पड़े हैं और विभाग द्वारा खुदी हुई जगह पर वापस खरंजे और पटाव नहीं जड़े गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि देवपुरा में जो कि नगरपालिका क्षेत्र का एक अंग है, अभी भी नलों की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों? और क्या सरकार वहां नल लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बूंदी जलदाय योजना का उद्घाटन 19 अप्रेल, 1960 को हुआ था।

(2) जी हां, सच है। पूर्व में यह तय हुआ था कि इनकी दुरुस्तगी स्वयं नगरपालिका बूंदी करवायेगी और जो रकम व्यय होगी उसका बिल इस विभाग को भेज देगी किन्तु नगरपालिका बूंदी ने यह कार्य नहीं करवाया।

(3) सच है। सरकार की ओर से

(श्री जन स्वास्थ्य मंत्री)

नये पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट लगाने का प्रावधान नहीं है। यदि वहां के निवासी घरों पर नल लेना चाहें तो नियमानुसार लाइन डालकर कनेक्शन दिया जा सकता है।

भूमि निरीक्षण हेतु चलती फिरती प्रयोगशालाएं

494 श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में कोई चलती फिरती भूमि परीक्षण प्रयोग शालाएं खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई प्रयोग शाला राजस्थान में खोले जाने का आग्रह राज्य सरकार ने केन्द्र से किया है ? यदि नहीं, तो भूमि परीक्षण की सेवाओं को किसान तक पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

जी हां। चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला केन्द्र की सहायता से खोले जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है, राजस्थान में इस समय चार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें दुर्गापुरा, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में कार्य कर रही हैं। बढ़ती हुई मांग को देखकर राज्य सरकार ने 3 प्रयोग शालाओं की स्थापना क्रमशः दुर्गापुरा, कोटा एवं श्री गंगानगर में सन् 1967 में की। इन प्रयोग शालाओं में प्रत्येक की क्षमता 10000 नमूने (सेम्पल्स) प्रतिवर्ष परीक्षण करने की है।

विस्थापित शिक्षकों की आयु सीमा

495. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित शिक्षकों की आयु सीमा 60 वर्ष तक रखने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो यह रियायत अन्य विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गई जब कि उनकी संख्या 10-15 के लगभग ही है ?

उत्तर

जी हां। विस्थापित शिक्षकों को यह रियायत सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आव एज्यूकेशन के प्रस्ताव पर दी गई है। अन्य विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की रियायत देने पर कभी विचार नहीं किया गया।

स्टेट स्टेच्युटरी कारपोरेशन और स्टेट एन्टरप्राइसेज में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के सुरक्षित स्थान

496. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य के स्टेट स्टेच्यूटरी कारपोरेशन और स्टेट एन्टरप्राइजेज में नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने के आदेश जारी नहीं किये हैं ? यदि हां, तो क्यों और किये हैं तो कृपया उस आदेश

Page No. 42

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि स्टेट मिनिस्टर्स की कान्फरेन्स के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को ऐसे आदेश तुरन्त जारी करने चाहियें थे? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के गृह मन्त्रालय ने भी मार्च सन् 64 में एक ऐसा परिपत्र राज्य सरकार के पास भेजा है जिसके अनुसार रिजर्वेशन किया जाना आवश्यक माना गया है?

उत्तर

(1) जी नहीं। आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गयी है।

(2) जी नहीं, स्टेट मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। तथापि कान्फ्रेन्स के पहिले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(3) जी हां। किन्तु जुलाई 64 में, न कि मार्च 64 में।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फर्नीचर

497. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में कितनी राशि तक का फर्नीचर प्रदान किया जाता है?

(2) देवगढ़ में केन्द्र की स्थापना के बाद कितना फर्नीचर दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र में डाक्टर तक के बैठने को एक टूटी कुर्सी पड़ी है?

(4) आबादी एवं आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए दवाईयां और पट्टियां आदि की सख्त कमी देखते हुए क्या सरकार इनकी व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फर्नीचर के लिये कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। सामान्यतः 100) रु० इस मद में दिये जाते हैं।

(2) देवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित फर्नीचर उपलब्ध हैं:—

1. आफिस टेबिल	1
2. चेयर वुडन	3
3. स्टूल	10
4. आलमारी बड़ी (लकड़ी)	3
5. आलमारी छोटी (लकड़ी)	2
6. ड्रेसिंग टेबिल	1
7. आलमारी गोदरेज की बड़ी	1

(3) इसके अलावा 12 कुर्सी, 4 स्टूल

Page No. 43

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)

एवं 2 टेबिल इस वर्ष और भेजी जा रही है। जी नहीं।

(4) वित्तीय वर्ष सन् 1967–68 में इस केन्द्र के लिये दवाईयों व पट्टियां आदि के लिये 3403) रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पुलिस कर्मचारियों को वर्दियां

498 श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस विभाग के कर्मचारियों में से वर्दी किन किन व्यक्तियों को दी जाती है और एक वर्दी कितने समय के लिये दी जाती है ?

(2) क्या सी० आई० डी० विभाग के कर्मचारियों को भी कोई वर्दी दिए जाने का नियम है ? यदि हां, तो किस समय वह वर्दी दी जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि कान्स्टेबिलों को समय पर वर्दी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग में आरक्षक एवं मुख्य आरक्षकों को वर्दी निःशुल्क दी जाती है वर्दी दिये जाने के निर्धारित समय की सूचि संलग्न है :

(2) जी हां। सी० आई० डी० विभाग के आरक्षक एवं मुख्य आरक्षकों को सिविल पुलिस के अनुसार ही वर्दी दी जाती है।

(3) यह सत्य नहीं है कि कान्सटेबिलान को समय पर वर्दी नहीं दी जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

रतनगढ़—नगर में चोरियां

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रतनगढ़ में सन् 1966-67 में कितनी चोरियां हुई ? किस किस की हुई ? किस किस की बरामद हुई ? सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

रतनगढ़ में सन् 66 व 67 में 36 चोरी की घटनाएं हुई थीं। चोरी की घटनाओं व उनकी बरामदगी के ब्यौरे की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर में पर्यटकों हेतु प्रबन्ध

500. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में पर्यटन सम्बन्धी निम्न विषयों पर क्या क्या प्रबन्ध किये गये:-

(1) पर्यटकों के ठहरने के लिये सर्किट हाउस एवं अन्य राजकीय विश्राम गृहों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिये।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

(2) दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों को दिखलाने के बारे में।

(3) पर्यटकों को अन्य सुविधायें जुटाये जाने के बारे में।

(ख) इस वर्ष में कितने विदेशी पर्यटक बीकानेर व उसके आस पास स्थित ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थान देखने आये ?

(ग) राजस्थान में उक्त वर्ष में विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी रही और सबसे अधिक कौनसे स्थान इन पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु रहा ?

(घ) राजस्थान ने पर्यटकों की राजस्थान यात्रा से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

उत्तर

(क) (1) पर्यटकों के ठहरने के लिए सर्किट हाऊस एवं अन्य राजकीय विश्राम गृहों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिऐ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(2) दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों को दिखाने के लिए एक कनिष्ठ लिपिक परिधि गृह में नियुक्त है

(3) अन्य सुविधायें जुटाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बीकानेर के दर्शनीय स्थानों का नक्शा व निवेश तैयार किये गये है जो अभी तक जयपुर में स्थित मुद्रणालय में छापने के लिए पड़े हुये हैं।

(ख) इस वर्ष में बीकानेर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए 100) विदेशी पर्यटनों का आगमन हुआ।

(ग) सन् 1967 में विदेशी पर्यटनों की राजस्थान में भ्रमण करने की संख्या 30,000) थी। सबसे अधिक आकर्षण केन्द्र बिन्दु राजस्थान विदेशी पर्यटकों के भ्रमण करने की दृष्टि से जयपुर नगर रहा।

(घ) सन् 1967 में विदेशी पर्यटकों की राजस्थान यात्रा से साठ लाख रुपयों के अनुमान की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

कर्मचारियों के स्थानान्तरण के नियम

501. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तर के बाबत क्या कोई भिन्न भिन्न नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन विभागों के क्या क्या नियम हैं ?

उत्तर।

(1) स्थानान्तरण के संबंध में सचिवालय के विभिन्न पदों के अवश्य नियम बनाये गये है (प्रतिलिपि संलग्न है) जिन 2 विभागों में स्थानान्तरण संबन्धी कोई नियम नहीं बनाये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। शेष विभागों से सूचना प्राप्त होते ही भेज दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

धीरेरा ग्राम में गायों का मेला

502. श्री लाभचन्द्र वैद (सुजानगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

Page No. 45

(श्री लाभचन्द वैद्य)

क्या बीकानेर जिले में घोरेरा ग्राम में गायों का मेला हुआ था ? अगर हां, तो किस की तरफ से ? क्या केन्द्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने इस मेले के लिये धनराशि दी थी ? अगर हां, तो केन्द्रीय सरकार कितनी व राज्य सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की ?

उत्तर

बीकानेर जिले के धोरेरा ग्राम में एक गायों के मेले का आयोजन । अक्टूबर 1967 को केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस मेले हेतु कोई धन-राशि नहीं दी गई। राज्य सरकार को यह भी मालूम नहीं है, कि इस मेले हेतु केन्द्रीय-सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की।

सिरोही जिला भू-संरक्षण विभाग के विरुद्ध गबन की जांच

503. श्री मोतीलाल परमार (रेवदर सु०)-क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सिरोही जिला भू-संरक्षण विभाग के खिलाफ फर्जी मस्ट्रोल द्वारा गबन करने की जांच राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई ? यदि हां, तो अब तक की क्या प्रगति हुई ? आगे कार्यवाही क्यों ठप्प है ?

उत्तर

जी हां। यह विषय आवश्यक आज्ञा हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

क्रय विक्रय समिति, राजगढ़

504. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु०) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे:-

(1) क्या राजगढ़ (चूरू) की क्रय विक्रय सहकारी समिति बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) इस समिति का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ? इसकी हिस्सा पूंजी कितनी थी ? और कितने सदस्य थे ? अब कितनी हिस्सा पूंजी शेष है ?

(3) इस का आडिट कब कब करवाया गया ? कृपया आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आडिट रिपोर्ट में इस समिति में गबन बतलाया गया है ?

(5) इस समिति के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। सन् 1963 से बन्द है।

(2) इस समिति का रजिस्ट्रेशन 23-1-59 को हुआ। रजिस्ट्रेशन के समय हिस्सा पूंजी 12500) रूपये थी और 23 सदस्य थे। अब 4800) रू० हिस्सा पूंजी है।

(3) समिति का प्रथम आडिट दिनांक 10-1-59 से 30-6-59 तक का दिनांक 18-5-60 तक का किया। दूसरा आडिट 1-7-59 से 30-6-60 तक का दिनांक

(श्री सहकारिता मंत्री)

24-11-60 से 8-1-61 तक किया। आडिट रिपोर्ट संलग्न हैं।

(4) जी, नहीं।

(5) इस समिति की प्रबन्धकारणी को भंग करके दिनांक 22-8-63 को प्रशासक समिति नियुक्त की जिसने चार्ज दिनांक 18-2-64 को लिया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टीबी में पशु चिकित्सालय

505. श्री बीरबल (संगरिया सु०)—क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सही है कि तहसील टीबी के समस्त क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है और इस कारण वहां के लोगों को बड़ी परेशानी होती है? कस्बा टीबी में सरकार का कब तक पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है?

उत्तर

जी, हां। तहसील टीबी के पास हनुमानगढ़ पशु चिकित्सालय पड़ता है, एवं रावतसरस्थित पशु चिकित्सा ईकाई भी समय समय पर चिकित्सा व्यवस्था करती है। राज्य की आर्थिक विषमता के कारण सरकार का टीबी में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार फिलहाल नहीं है।

सांडों का उपयोग

506. श्री श्रवणलाल (हिण्डोन)—क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा जो सांड पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों को दिये जाते है वे एक निश्चित अवधि तक काम आते है? यदि हां तो साधारणतया कितने अर्से तक काम आते हैं?

(2) क्या यह सच है कि जो सांड सर्विस नहीं देते है? उनका बधिया बनाकर जोत के कार्य में लिया जाता है? यदि हां, तो अब तक कितने सांड बधिया बनाये जा चुके हैं?

(3) वर्ष भर में एक सांड पर साधारणतया कितना खर्चा हो जाता है और उससे कितनी आमदनी एक वर्ष में होती है?

उत्तर

(1) जी, हां। साधरणतया सांड दस से बारह वर्ष की उम्र तक काम आते हैं।

(2) जी हां। परिसेवा के अयोग्य सांडों को या तो नीलाम कर दिया जाता है या गोसदन में भेज दिया जाता है अथवा बधिया कर जोत के कार्य में लिया जाता है (अब तक बधिया किये गये सांडों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।)

(3) पंचायतों अथवा पंचायत समितियों के सांडों के आहार का प्रबन्ध ग्रामवासी स्वयं करते हैं। उन पर किये जाने वाले खर्च का सही अनुमान नहीं लगाया

(श्री अमृतलाल यादव)

जा सकता। विभाग द्वारा पाले जाने वाले सांडों पर प्रतिवर्ष आहार आदि का करीब 1000) रु० खर्च होता है आमदनी परोक्ष रूप में न हो कर अपरोक्ष रूप में होती है।

बीकानेर में विभाग न्यास भवन पर व्यय

507. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत)– क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर में निर्माणाधीन विकास न्यास भवन पर कितना व्यय किया जा चुका है और कुल कितना व्यय किया जावेगा ?

(2) इस भवन के निर्माण निमित्त धन राशि राजकीय कोष से दी गई है या न्यास द्वारा विक्रय की गई जमीनों से प्राप्त हुई धनराशि थी ? यदि यह राशि जमीनों के विक्रय से प्राप्त हुई थी तो उसका कितने प्रतिशत भाग बेची गई जमीनों के विकास पर व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। 19-11 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई हैं।

(2) यह धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है इस वर्ष (1967-68) में एक लाख रूपया खर्च किये आने का अनुमान है।

बीकानेर में गिनाणी के गंदे पानी के निकास की योजना

508. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में गिनाणी के गंदे पानी के निकास की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना रुपया व्यय किया जावेगा ?

(2) यह योजना पूरी करने में कुल कितना समय लगेगा।

उत्तर

(1) रु० 169855.66 पैसे खर्च किया जा चुके है लगभग 7000.00 रु० का और खर्च होगा।

(2) राज्य कोष से कोई धनराशि नहीं दी गई धन राशि जमीन विक्रय से प्राप्त की गई थी। जमीनों की बिक्री से प्राप्त आय 35-36 प्रतिशत भाग उनके विकास कार्यों पर खर्च किया गया।

ग्राम तुड़बी के ट्यूब वेल से ग्राम हरसांणी को पानी की व्यवस्था

509. श्री वृद्धचन्द जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम तुड़बी (शिव तहसील) में जो ट्यूब वेल खोदा गया है उसमें प्रति घंटा कितना पानी निकालने की क्षमता है ?

(2) उस ट्यूब वेल से हरसांणी ग्राम में पानी पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(3) अगर है तो वह योजना कितने समय में कार्यान्वित हो सकेगी।

उत्तर

(1) ट्यूब वेल खोदा जा चुका है व टेस्टिंग चालू है निश्चित रूप से टेस्टिंग होने पर ही बताया जा चुका है वैसे लगभग 10,000 से 15,000 गैलन पानी प्रति घंटा की क्षमता की सम्भावना है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतापगढ़ नगरपालिका के, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

510. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) प्रतापगढ़ नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध कब कब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है ?

(2) अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता हेतु किस किस अधिकारी को नियुक्त किया गया ?

(3) उपरोक्त अधिकारियों के समय पर बैठक में न जाने से बैठक कब कब स्थगित की गई ? अधिकारियों के समय पर न जाने के क्या कारण थे ?

(4) प्रतापगढ़ नगरपालिका के किन किन सदस्यों को कब कब निलम्बित किया गया ? निलम्बन के क्या कारण थे तथा उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) दिनांक 3-11-66, 28-7-67 व 5-8-67।

(2) दिनांक 26-11-66 को बैठक हेतु एस० डी० ओ०, प्रतापगढ़ को नियुक्त किया गया था व 29-12-66, 28-1-67 2-9-67 व 18-9-67 को बैठकों हेतु अतिरिक्त जिलाधीश चित्तौडगढ को नियुक्त किया गया था।

(3) 26-11-66, 29-12-66 एवं 2-9-67 को। बैठकें अधिकारियों के अपरिहार्य परिस्थिति वश समय पर पहुंचने के कारण स्थगित की गई थी ?

(4) सर्व श्री चांदमल पालीवाल, गंगाराम बलाई अम्बालाल राव, बंशीलाल वाहेतरे एवं रामनिवास सोनी को दिनांक 19-1-67 को निलम्बित किया था। पुनः वाई बहाल कर दिया है व मामला न्यायायिक जांच में है।

सर्व श्री चांदमल पालीवाल व चांदमल सालगीया को दिनांक 13-9-67 व 14-9-67 को निलम्बित किया गया है। इनको कारण बताओ नोटिस दिये गये है मामला सरकार के विचाराधीन हैं।

निलम्बन के कारणों की सूचना संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 49

नये खोले गये औषधालय

611. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) 1 अक्टूबर सन् 66 से 31 जनवरी 68 तक समस्त राजस्थान में कहाँ कहाँ नये औषधालय किन किन तारीखों में खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नये औषधालय खोलते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) नये औषधालय खोलते समय उस क्षेत्र की जनसंख्या निकटतम चिकित्सा सुविधा, निशुल्क भवन व्यवस्था, आवागमन के सुगम साधन आदि तथ्यों के औचित्य पर विचार कर औषधालय खोलने का निर्णय लिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(1 -3-68 व 21-3-68)

राजस्थान केनाल क्षेत्र में सड़क निर्माण पर व्यय

238. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में केनाल के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिये 31 मार्च सन् 1968 से पहले कुल कितने रुपयों का प्रावधान रखा गया था ?

(2) इस रुपये में से किस किस तहसील में कितने मील लम्बी सड़क बनाई गई है तथा किस स्थान से किस स्थान तक ?

(3) क्या जिन जिन सड़कों का कार्य चालू किया गया था वे सब मुकम्मल बन कर तैयार हो गई हैं ?

(4) इस क्षेत्र में बनने वाली सभी सड़कों की लम्बाई क्या क्या है ?

(5) सूची सदन की मेज पर रखी जावे !

(4-4-68 को पुनः पूछा गया)

स्थगित प्रश्न

(13-3-68 व 21-3-68)

1966-67 में सड़क निर्माण कार्य

248. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार ने माह जनवरी, 67 व फरवरी, 67 में सड़कों पर कितना कितना रुपया खर्च किया और वित्तीय वर्ष 66-67 के अन्य महीनों से इन दो महीनों में क्या ज्यादा खर्च हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) वर्ष 66-67 में बनाई गई सड़कों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

का विवरण जिले वाइज देने की कृपा करें और उसमें यह भी बतायें कि कार्य की कब मंजूरी हुई, कब कार्य शुरू हुआ तथा कार्य कब बन्द हुआ उस पर कितना खर्चा हुआ? बन्द करने के कारण भी बताने की कृपा करें।

(4-4-68 को पुनः पूछा गया)

स्थगित प्रश्न

(21-3-68)

पशु मेलों से सरकार को आमदनी

335. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नागौर, परबतसर, पुष्कर, मेड़ता रोड और तिलवाड़ा के पशु मेलों से जुदा जुदा कितनी आमदनी सरकार को प्रति वर्ष होती है?

(2) आमदनी का कितना हिस्सा मेलों की व्यवस्था में सुधार निमित्त लगाया जाता है और 1967 की आमदनी में से परबतसर पशु मेला मैदान पर कितना रुपया लगाया गया है? और किस किस कार्य पर कितना कितना?

(3) परबतसर पशु मेले से वर्ष 1967 में कितनी आमदनी हुई? इस मेले के संबंध में सरकार का कितना कितना रुपया किस किस मद में खर्च हुआ?

(4) पशु मेला परबतसर की आमदनी 1967 में से परबतसर नगरपालिका को कितनी राशि दी गई?

उत्तर

(1) मेलों की आय 1963-64 से 1967-68 तक का विवरण संलग्न तालिका 'क' में अंकित है।

(2) पशु मेलों में जो आय होती है उसमें से मेले के सुधार हेतु कोई भी व्यय नहीं किया जाता है, इसके लिये पृथक मद में राज्य सरकार द्वारा प्रावधान प्रदान किया जाता है जिसमें से आवश्यकतानुसार मेलों में व्यय किया जाता है।

(3) इस वर्ष परबतसर पशु मेले में 3,09,878·14 पैसे की आय हुई एवं व्यय का विवरण तालिका 'ख' में संलग्न है।

(4) 1967 में प्राप्त पशु मेला परबतसर की आमदनी में से नगर पालिका परबतसर को देने सम्बन्धी कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(21-3-68)

परबतसर नगर परिषद्

347. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु०): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) परबतसर नगर परिषद् को 1966-67 में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ?

(श्री परसराम गंगाराम)

(2) राजस्थान सरकार ने 1966-67 में परबतसर नगर परिषद् को कितनी सहायता दी ?

(3) परबतसर नगर परिषद् द्वारा 1966–67 में कर्मचारियों को वेतन हर माह समय पर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद् परबतसर ने मैला व कचरे का ढेर श्री तेजाजी के मंदिर, पुलिस थाना व कुवां व धर्मशाला के सामने बना रखा है, और इससे बीमारी फैलाती है ? यदि हां, तो वहां से कब तक हटाये जाने का विचार है ?

(5) क्या नगर परिषद् द्वारा रेगर मोहल्ला, नाथ बस्ती व डाकोतों की बस्ती में बिजली की स्ट्रीट लाइन कब तक लगाये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1966–67 में निम्न आय व व्यय हुआ है :—

आय	व्यय
32,865	33,655

(2) वर्ष 66-67 में किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई।

(3) आय के अभाव में नहीं दिया गया है। मौजूदा समय में मौजूदा स्टाफ का वर्ष 66-67 का वेतन बकाया नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(12·22 म. प.)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री गंगासहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले में सिवाय चक भूमि का अलोटमेन्ट व नियमन करने में की गई पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से संबन्धित चार याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

विधेयक का पुरस्थापन

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय भूमि कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीलाल यादव।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली जयपुर नेशनल हाई वे में बहरोड़ (अलवर) क्षेत्र की आई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया

Page No. 52

(श्री अमीलाल यादव)

गया है। उसका लगान वसूल किया जा रहा है इस कारण वहां के किसानों को भावनाओं को किस प्रकार ठेस पहुंची है मैं उस ओर राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क के नीचे बहरोड से लेकर शाहजहांपुर, चौबारा पुगल कोटा तक 17 एकड़ एरिया में होकर यह सड़क गई है, इसमें बहुत से काश्तकारों की आराजी है।, यह सड़क लगभग सात आठ साल से निकाली गई है और इसके अन्दर इन काश्तकारों की जिनकी आराजी सड़क में आयी है उनसे लगान भी वसूल किया गया है। जब से सेटलमेन्ट हुआ है उसके बाद से लगान तो वसूल नहीं किया जा रहा है लेकिन उनको आज तक मुआवजा नही दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं यह जो मुआवजा सड़कों का दिया जाता है इस बारे में बहुत सारी कठिनाइयां इस सबन्ध में आती है एक तो बगैर नोटिस के ही आराजी ले लेते हैं और न कोई उस बारे में सूचना होती है और न मुआवजा दिया जाता है। वहां के किसान लोगों में जिनकी जमीन ली जाती है इस कारण बड़ा असन्तोष होता है। जिस सड़क के फायदे के लिये उन्होंने जमीन दी है उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिये उसके न मिलने से उनको बड़ा दुख है जैसे कहावत भी है "सेवा दान बार बार करने से फायदा नहीं" इतने अरसे बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं कहां तक अर्ज करूं। इस सड़क के अन्दर बहरोड के अन्दर तीन रिहायशी घर भी आ गये हैं उसका भी उनका मुआवजा नहीं दिया गया।

मोदड़िया गांव में एक कुआं आया है जिससे सिंचाई का कार्य होता था वह भी बिल्कुल हटा दिया गया है। उसकी एवज में दूसरा कुआं तकावी लेकर बनाया गया है उसके लिये स्पेशल कन्सीडरेशन उनके मुआवजे के वक्त करना चाहिये।

इसके साथ में यह भी अर्ज कर दूं आप मुआवजा कन्सीडर करते हैं वह लगान के आधार पर करते हैं। जब कि दूसरी जगहों पर इतनी महंगाई का वक्त है जहां भी जमीन का उपयोग करते हैं उसका बहुत पैसा देकर के मुआवजा देने के वक्त में तीन साल का एवरेज रेट लेकर पूरा मुआवजा तय करना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं झगड़े बाजी के बाद जो आप अवार्ड घोषित करते हैं वह इतना हो मुआवजा होता है कि वह तो इसकी पेशियों में ही खर्च हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ज्योंही भूमि को एक्वायर की जाय उसके पहले ये सारे मसले तय करके जिस वक्त कब्जा लिया जाय उसी वक्त मुआवजा दे दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब यह नेशनल हाई वे का मामला आया है बैराठ नारनोल रोड़ बाता है उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया। खास तौर से इसके लिये दलील दी जाती है जिस एक आदमी की आराजी आई उसका देहान्त हो जाता है तो फिर

(श्री ग्रमीलाल यादव)

उसके लड़के के नाम पर आता है पर उसके लिये कहा जाता है इसका सकसेसन सर्टिफिकेट लाओ तभी मिल सकेगा, सकसेसन सर्टिफिकेट पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है. किसान के लिये इसका प्राप्त करना बड़ा कठिन है इसलिये इसका सरलीकरण होना चाहिये। मुआवजा देते समय जो कोम्पलीकेटेड क्वेश्चन आते हैं अतः इसका सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है। म्युटेशन हो गया उसको मुआवजा मिल जाना चाहिये।

इसके साथ साथ में निवेदन करना चाहता हूं 1954 से बहरोड़ कुण्ड रोड़ निकली है उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया। इन मुआवजों के न मिलने से किसानों में बड़ा असन्तोष है। जो लोग सड़कों की अहमियत को इतना जानते हैं और प्रगति के लिये यह आवश्यक है इस कारण कोई तंग नहीं करते हैं, किसी प्रकार की वे रुकावट नहीं डालते। यह मानकर कि यदि ऐसा करेंगे तो विकास कार्य में रोड़ा बनेंगे तो बहुत बुरी बात होगी। विकास कार्य के लिये रोड़ का बनना बहुत जरूरी बात होती है।

जैसा कि हमारे पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर महोदय जानते होंगे कि बहरोड़ से शाजापुर जो रोड निकाली है उसमें इस वजह से........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री ग्रमीलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, में सूक्ष्म में ही आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे तीन सुझाव है, एक तो यह है कि जो भी भूमि एक्वायर की जाय उसमें एक्वायर करने से पहले और कब्जा लेने से पहले उसे उसका मुआवजा उस वक्त की मार्केट रेट से तय करके उनको पहले पेमेन्ट कर देना चाहिए। दूसरा यह हैं कि जिनके मकानात और कुए वगैरह आते हैं उनको कीमत उसी वक्त की लागत से या दूसरी जगह जो बनाये जायें उस लागतसे डिटरमिन करके उसी रेट से पेमेन्ट कर दिया जाना चाहिए तीसरी बात यह हैं कि जिन काश्तकारों के पास बहुत थोड़ी भूमि है और वही खेत एक्वायर कर लिया जाता है तो उसके एवज में उसको दुगनी भूमि एलॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वह तो बेचारा उस गांव में भूमिहीन हो जायगा। जिसके एक ही खेत हुआ और वही सड़क के अन्दर आ जाय या एक्वायर करने के अन्दर राज्य ने ले लिया तो बिल्कुल भूमिहीन हो जाता है। इसलिए यह भी मेरा सुझाव है कि इस तरह की जमीन है, एक ही खेत है और वह भी एक्वायर कर ली गई हो तो उसको उस एरिया से दुगुनी जमीन एलॉट होना चाहिए।

इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि मैंने जो इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाया है तो इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाकर जो काश्तकारों में, किसानों में एक तरह का असन्तोष है वह मिट जायगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : इसके साथ साथ यह भी ध्यान आकर्षण कर दें कि जो वायदे किये हैं वे पूरे हो जायं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वे इनसे नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब से है।

Page No. 54

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने नेशनल हाई वे के लिए भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा अभी तक नहीं चुकाये जाने के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। यह निश्चित बात है कि जहां तक हो सके मुआवजे का चुकारा जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। जहां तक लगान का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने बताया है कि लगान तो उनसे लेना सेटलमेंट हो जाने के बाद में बन्द कर दिया गया है, और इसलिए लगान का प्रश्न तो अब उपस्थित नहीं होता है।

लेकिन यह जो बात है कि कुछ ऐसे झगड़े के मामले हैं कि इनमें जो पी. डबल्यू. डी० से नक्शे बनकर आने चाहिए उन नक्शों में किसी आदमी की तो आधी जमीन है, किसी आदमी की ज्यादा जमीन है, और उसका कम्पेन्सेशन देने के बारे में यह स्थिति अभी तक नहीं आई है। जब हम किसी पब्लिक परपज के लिए जमीन प्रोक्योर करते हैं, अवाप्त की जाती है, तो दफा 17 के तहत पजेशन ले लिया जाता है, और उसके बाद में वह मुआवजे की बातें चलती रहती हैं। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत ही जैसा कि आपने फरमाया है कि यह प्रावधान है कि मार्केट वेल्यू जो नोटिफिकेशन पब्लिश हो दफा 6 का उसकी डेट को जो मार्केट वेल्यू होती है उसी तारीख को वह मार्केट वेल्यू डिटरमिन की जाती है। उनका रेफरेन्स भी किया जा सकता है। अब रहा सकसेशन का सवाल तो उसमें आम तौर पर ये झगड़े मिलते हैं कि जब किसी व्यक्ति की जमीन होती है और वह मर जाता है। तो उसके 2-3-4 लड़के हैं वारिसान तो किस को कम्पेन्सेशन दिया जाय उसकी बात होती है, लेकिन जब म्यूटेशन हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे झगड़े आते नहीं हैं म्यूटेशन जिसके नाम पर उस जमीन का हो जाता है वह मालिक बन जाता है। उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के म्यूटेशन के बाद कोई भूमि अवाप्ति ऑफिसर के तरह से इस प्रकार से सक्सेशन सर्टिफिकेट का बात होती है तो ऐसे मामलों पर हम बैठ कर बात करेंगे और उनको निपटाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक पहले मुआवजा देने का प्रश्न है, दोनों ही तरह का प्रावधान है। पहले भी मुआवजा डिटरमिन किया जाता है और दफा 17 के तहत पजेशन ले लिया है तो बाद में मुआवजा तय किया जाता है। नेशनल हाई वे में जल्दी थी तो उस वक्त मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके जल्दी से जल्दी मुआवजे का प्रश्न हल हो। अगर फिर भी कोई शिकायत रहती है तो आपसे बात करके कार्यवाही करूंगा।

श्री धर्मलाल यादव : जिनसे लगान वसूल कर लिया है उनको वापिस दिलाने का जवाब भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया मन्त्री महोदय का और उनके ध्यान में सब बातें आ गई। अगर कोई बात बच गई हो तो उसका भी ध्यान रखेंगे।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय तो ऐसे केसेज के वकील हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर मतदान।

अनुदानों की मांगों पर विचार

मांग संख्या 13

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या, 13, मुख्य शीर्षक 26 व विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,24,95,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विविध में डी० पी० आर० नहीं है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज आपने स्थगन प्रस्तावों पर अभी तक व्यवस्थाएं नहीं दी हैं। इस तरह का यह पहला मौका है। इससे पहले जो मेरे स्थगन-प्रस्ताव हैं उन पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं। मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव भेजा था उस पर कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर आदेश दे दिये गये हैं कि जानकारी प्राप्त कर ली जाये। व्यवस्था अगर देनी होती तो सदन में देता। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है कि इसमें जानकारी ले ली जाय, तो व्यवस्था देनी नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें सूचना कैसे मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : जब यहां पर व्यवस्था दी जाती है उस वक्त सूचना मिलती है। हमारे पास आपका सूचना पत्र प्राप्त हुआ था तो जानकारी के लिए सरकार को भेज दिया। आज कोई व्यवस्था देनी नहीं थी। सदन में कल दे दी जायगी।

श्री गुलाम अली : उपाध्यक्षजी, आपने आदेश दिया था उपमन्त्रीजी को कल एक औरत के हत्या के मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : उसके आंकड़े अलग से मांगे गये हैं। किसी मौके पर प्रस्तुत हो जायगा।

मांग संख्या 15

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,19 37.000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या 13

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :
1. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग की अकर्मण्यता से देवस्थानों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

2. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देवालयों की समुचित व्यवस्था हेतु योग्य स्टॉफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देवस्थान के अधिकारियों द्वारा देवस्थान के कर्मचारियों की सेवा के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (राज्याधीन देवालयों में भगवान के समय पर सेवा भोग आदि नहीं होने से धार्मिक प्रवृति वाले व्यक्तियों में उत्पन्न क्षोभ के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (देवस्थानों, देवालयों के धर्मचर्चा के प्रांगण में कोतवाली, पोस्ट आफिस आदि कार्यालयों के होने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों के हृदय पर आघात पहुंचता है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (देवालयों की जायदादों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 15

7. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में मिडिल स्कूलों की संख्या विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुये बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ललित कला अकैडमी एवं साहित्य एकेडमी के कलाकारों एवं लेखकों को अधिक प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राज्य और शहरों के बजाय जयपुर शहर में ही ज्यादा दी जाती है, इस पर चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (उदयरामपुर [जिला बीकानेर] में माध्यमिक शाला को सेकन्डरी में परिवर्तित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी):
11. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिए)।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (इग. सु.):
12. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (झालरापाटन गर्ल्स मिडिल स्कूल को बहु-उद्देशीय माध्यमिक पाठशाला बनाने पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय

(श्री लक्षमण तावोवाल)

(खानपुर हाई स्कूल की दुर्व्यवस्था एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाये जाने पर चर्चा के लिए ।

14. मांग संख्या 15,मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (झालावाड के हायर सेकेन्डरी स्कूल में नौसेना प्रशिक्षक का पद खाली होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 13

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु.) : 15. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों का चयन करने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 15

16. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रु० कर दिया जाय (नापासर) जिला बीकानेर) में हायर सेकन्डरी स्कूल व कालेज न खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

17. मांग संख्या 15,मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (नोखा मंडो(जि.बीकानेर) में लड़कियों के लिए हायर सेकेन्डरी स्कूल में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए) ।

18. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पांचू(तहसील नोखा) की मिडिल स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित न करने में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए) ।

19. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (नोखा मण्डो जिला बीकानेर) उच्चतर माध्यमिक शाला से महाविद्यालय बनाने में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए) ।

20. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर के विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

21. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बघडा ग्राम तहसील नोखा (जिला बीकानेर) की मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी मे परिवर्तित करने में सरकार की असफलता एवं उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिए) ।

22. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (ग्राम भामरसर(तहसील

Page No. 58

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

नोखा) की आबादी एवं आसपास के गांवों गांवों की जनसंख्या को देखते हुए वहां की प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल न बनाने पर सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति पर चर्चा के लिए) ।

23. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जसरासर (तहसील नोखा) की मिडिल स्कूल को हायर सेकन्डरी में परिवर्तित न करने पर सरकार द्वारा दिखाए गए पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए) ।

24. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (हिम्मतसर (तहसील नोखा) की मिडिल स्कूल को हायर सेकिन्डरी में परिवर्तित न करने की सरकार की उपेक्षा पूर्ण वृत्ति पर चर्चा के लिए) ।

25. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (ग्राम वैरासर, हिमरसर, पांचू जसरासर तथा बन्दड़ा (तहसील नोखा) की मिडिल स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)

26. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (ग्राम भामटसर (तह० नोखा) में मिडिल स्कूल खोलने में सरकार असफल रही है जब कि हायर सेकन्डरी तक बिल्डिंग तैयार है इस पर चर्चा के लिए) ।

27. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम किसना सरवास उतरादा (तह.नोखा) की मिडिल स्कूल के लिए भवन जनता द्वारा बनाया हुआ तैयार है फिर भी सरकार स्कूल खोलने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए) ।

28. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रुपये कम कर दिया (ग्राम नाथूसा (तहसील नोखा) मिडिल स्कूल खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

29. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम नापासर (तह० बीकानेर) में कालेज खोलने में सरकार असफल रही है, उस पर चर्चा के लिए)

30. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम झंजू व अनासर (तहसील नोखा) में मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी बनाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिए)

31. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम दुचासर(तह० श्री डूंगरगढ़) में कालेज खोलने में सरकार की ढिलाई व पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

32. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नोखा मण्डी में डिग्री कालेज की बहुत आवश्यकता होते हुए भी सरकार ने पक्षपात व ढिलाई बरती है, इस पर चर्चा के लिए) ।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

33. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले भर में पिछड़ी जाति के लिये सरकार शिक्षा का पूरा प्रबन्ध करने में असफल रही है व पक्षपात किया है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भोम): 34. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान की संस्कृति एवं इतिहास के प्रति उपेक्षा पर चर्चा के लिए)

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : 35. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अकलेरा हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 13

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु.): 36. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (परबतसर कस्बे की उचित सफाई का प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 15

37. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तह० परबतसर के पीड़ गांव में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिए)

श्री नन्द लाल (किशनगंज) : 38. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षामें से 100) रु० कम कर दिया जाय (अटरू जिला कोटा में हाई स्कूल की अधूरी इमारत पूरी कराने पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शाहबाद जिला कोटा के हाई स्कूल में साइन्स क्लास खुलवाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत : 40. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (टेक्नीकल शिक्षा की दिशा में छात्रों की भरती में कमी किये जाने के विषय पर चर्चा के लिए) ।

41. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (महारानी सुदर्शना कालेज, बीकानेर को पोस्ट डिग्री कालेज न बनाने के विषय पर चर्चा के लिए) ।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : 42. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण होने सम्बन्धी चर्चा के लिए) ।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : 43. मांग संख्या 15, मुख्य शीषक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (जालौर कालेज व हायर सैकन्डरी स्कूल भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 13

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

44. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग की निरर्थकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भूतपूर्व तहसील जोधपुर के धांधीया के महंत द्वारा देवस्थान की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर सरकार द्वारा पूरा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26— विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नगर पालिकाओं सम्बन्धी बजटों पर देरी से स्वीकृति होने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय निकायों के संचालक को पूरे अधिकारों से वंचित करने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नगरीय सामुदायिक विकास का कार्यक्रम पाली में अगले वर्ष से चालू करने पर चर्चा के लिये।

51. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय निकाय संचालक के आधीन चलने वाली नगर पालिकाओं द्वारा ली जाने वाली चुंगी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

52. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने की प्रणाली में किये जाने वाले भेद भाव पूर्ण व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गांवों में व्यस्क शिक्षा पर आवश्यक ध्यान नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पाली शहर में कालेज होस्टल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 - शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्कूल व कालेजों में खेलों के मैदान की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

Page No. 61

(श्री मूलचन्द डागा)

56. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पाली बांगड़ कॉलेज में चित्र कला (ड्राइंग) का विषय न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पाली शहर में प्राइमरी स्कूल भवनों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा की वर्तमान पद्धति पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (छात्रों में अनुशासन हीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राज्य की बदलती हुई वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : 61. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (सरकार वर्तमान दूषित शिक्षा पद्धति को बदलने में असफल रही, इस सम्बन्धी नीति का अनुमोदन)।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद): 62. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (अल्प बचत के नाम पर पंचायत समितियों द्वारा प्राप्त राज्य एवं केन्द्रीय आर्थिक सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26— विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग द्वारा वितरण व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26— विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूर्णतया असफल व जनहितकर सिद्ध न हो सका, इस पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26— विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राज्य गैरेज तथा ओटोमोबाइल विभाग की गाड़ियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (मरम्मत के अभाव में प्राचीन देवस्थानों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सेवा आयोग द्वारा पक्षपात पूर्ण सिलेक्शन से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजय सिंह रावत)

68. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान भवन, नई दिल्ली में टेलीफोनों व ट्रंकालों पर अंधाधुन्ध होने वाले खर्च पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (डाक बंगलों और परिधि गृहों में विधायकों को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन, जयपुर, में विधायकों को सुविधाजनक कमरे व अन्य उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पूल की जीपों व गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

72. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी शालाओं में पंचायतों व पंचायत समितियों द्वारा कुव्यवस्था के कारण व्याप्त भ्रष्टाचारों पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (ग्राम श्री नगर (अजमेर) में H. S. School में साइन्स विषय स्वीकृति देकर लागू न करने व ग्राम पो० रामसर अजमेर में H. S. School में इसी सत्र से कॉमर्स विषय लागू कराने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त विद्व विद्यालयों व महा विद्यालयों में सरकारी अनुदान धन का दुरुपयोग एवं छात्रों को अनेकों कष्ट व असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राजकीय मिडिल स्कूल रामनगर अजमेर, 1966 में झूठे टी० ए०, डी० ए० व अन्य तरीकों से छात्राओं से रुपये वसूल करके गबन किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (नसीराबाद में हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्याओं के आधार एवं नगर की बढ़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए नसीराबाद में एक कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (महिला शिक्षा सदन, हटुन्डी को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से मिले धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पो० जेठाना (जिला० अजमेर) की हायर सैकन्डरी स्कूल के अधूरे भवन को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (नेताजी सुभाष मिडिल शाला नसीराबाद की बिल्डिंग की टूट फूट की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री विजयसिंह रावत)

80. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय। सैनिक स्कूलों में छोटे रैंक के जवानों के बच्चों की भरती में बढोतरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त ईसाई शालाओं में ईसाई धर्म प्रचार किया जाता है व ईसाई अध्यापकों के सिवाय अन्य धर्मों के अध्यापकों को इसमें नहीं लिया जाता है अतः ऐसी संस्थाओं को राज्य सरकार से अनुदान बन्द कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामनगर (अजमेर) के प्रति भ्रष्टाचार इत्यादि की अनेक शिकायतों को दबाये जाने एवं कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): 83. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (शिक्षित व्यक्तियों में बढती हुई बेकारी को रोकने के लिये शिक्षा में आमूल परिवर्तन के बारे में नीति का अनुमोदन)।

84. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा में श्रम तथा बुद्धि का समन्वय कैसे हो और पढ़ कर निकलने वाले व्यक्ति नौकरी की ओर न दौड़े, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 85.मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अल्प बचत योजनाओं की कमियों एवं उनके निवारण के उपायों के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

86. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के सुधार पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कमियां एवं उनमें सुधार के बारे में चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन निर्माण एवं उसके छात्रावास व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए)।

89. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (मरुधर बालिका विद्यापीठ (रानी) को शत-प्रतिशत अनुदान देने एवं सांचोर में माध्यमिक पाठशाला स्थापना की चर्चा के लिए)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

90. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या शिक्षा के बारे में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीम क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध में दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति के बारे में चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की भेद भाव पूर्ण नीति के बारे में चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पर्याप्त शिक्षक न होने के बारे में चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम सरणाऊ में माध्यमिक पाठशाला एवं सांचोर में कन्या माध्यमिक पाठशाला खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 13

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : 95. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिये जाय (सांगोद व रामगंज मंडी के कस्बों में डाक बंगलों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (होटल कार्पोरेशन की प्रशासनिक अव्यवस्था व अप्रशिक्षित स्टाफ की अव्यवहारिकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

97. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के विकास में मनमाने ढंग से व पक्षपात पूर्ण रीति से स्कूल खोलने पर चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्पोर्ट्स कोन्सिल में होने वाली फिजूल खर्ची व पक्षपात की ओर ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री दुर्गालाल बांदरदार (हवामहल, जयपुर) : 99. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में चौकड़ी पुरानी बस्ती, रामचन्द्र जी, व गंगापोल की ओर स्वायत्त शासन विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग में से 100) रु० कम

Page No. 65

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कम दिया जाय (छोटे 2 मंदिरों की जायदाद खालसा होने के पश्चात् उनके मेन्टीनेंस के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

101. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम दिया जाय (प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों के स्थानान्तरण व नियुक्तियों में होने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

103. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (आवश्यकतानुसार स्कूलों के नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पाठशालाओं में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में ध्यान न देने पर चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्पोर्ट्स कौन्सिल को दिये गये अनुदान का रेकार्ड उचित रूप से न रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): 108. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध भाग में में 100) कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के मन्दिरों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 15

109. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बून्दी की शिक्षा संस्थाओं की इमारतों की मरम्मत नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में 100) रु० कम कर दिया जाय (बी. एस. टी. सी. स्कूलों के शिक्षित अध्यापक 3-4 वर्षों से बेकार होने पर भी उन्हें चालू रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गंगा सहाय (कठूमार सु.): 111. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देवस्थान और देवपुरा विभाग के द्वारा संचालित मंदिरों के प्रति उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26, विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला परिषदों व पंचायत समितियों में कर्मचारियों को नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

113. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी माध्यमिक प्राथमिक कला विद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदानों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : 114. [मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा नगर परिषद् के आन्तरिक कार्यों में सरकार के अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

115. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्व विद्यालय में हो रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलस की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

117. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अतिरिक्त शिक्षा संचालक व सेकेण्ड्री स्कूल दतीब (टोंक) के अध्यापकों द्वारा बोर्ड के लिए जाली परीक्षाफल तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 13

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): 118. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय अतिथियों पर होने वाले व्यय चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन के कर्मचारियों को उनके कठिन कार्य के देखते हुए स्पेशल भत्ता देने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ में डाक बंगला या रेस्ट हाउस के लिये नये भवन की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ नगर पालिका के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास के प्रस्ताव को राजनैतिक आधार पर रोके जाने और अवैधानिक रूप से सदस्यों को निलम्बित किये जाने के संबंध चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बारां में श्री जी कल्याण राय जी के मंदिर की भूमि का मुआवजा अभी तक पूरा नहीं दिए जाने बावत चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में विधवा एवं वृद्ध महिलाओं को जो पेन्शन दी जा रही है, उसे बढ़ाने के संबंध में पुनः विचार करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

127. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (हिन्डौन नगर पालिका क्षेत्र की भूमि को नगर विकास न्यास के अध्यक्ष द्वारा अनियमित एवं पक्षपात पूर्ण ढंग आवण्टित करने पर चर्चा के लिए)।

125. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर पालिका क्षेत्र में जनता पर नगर भूमि सुधार कर लगाने बाबत चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय बचत संगठन में भारी धांधली बाजी पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्टेट बीमाफण्ड के धन के खुले दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिला रसद विभागी द्वारा लगभग 3-4 वर्ष पूर्व किसानों से ली गई हजारों बोरी गेहूं की खरीद में भार घोटाले पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नाप तोल इंस्पेक्टर्स की पोस्टस की निरर्थकता पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा नगर परिषद को विभाग द्वारा एक लम्बे समय से अनुदान नहीं दिए जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (मांगरोल (जिला कोटा) को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बिलाड़ा (जिला जोधपुर) को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर पालिका के गरीब एवं मजदूर गृह विहीन वर्ग को सस्ती दर पर जमीन दिए जाने बाबत चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर पालिका के गंदे नाले की सफाई नहीं कराने एवं मच्छरों आदि के कारण बीमारी के प्रकोप पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर पालिका 'बी' श्रेणी की नगरपालिका घोषित नहीं करने में भारी पक्षपात बरता गया है इस पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर पालिका द्वारा

(श्री देवीदत्त दगाड़िया)
रेल्वे स्टेशन के चौराहे के पास सरकारी जमीन अनुचित रूप सस्ती दर पर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

137. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सैकन्डरी स्कूलों के हैडमास्टर्स की पदोन्नति में भारी पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में सामान की खरीद में भारी घोटालों पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग एवं शिक्षण संस्थाओं में चल रही धांधली व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया (राजस्थान साहित्य एकेडमी में नियुक्तियां एवं कार्य संचालन के विषय में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (B. S. T. C. स्कूल सुजानगढ़ में डाक बंगला खाली कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में महिला प्रौढ़ शिक्षा स्कूल की पास शुदा छात्राओं को नौकरी नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

143. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (डिवीजनल लाइब्रेरीज के लाइब्रेरियन्स को राजपत्रित अधिकारी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में के 100) रु० कम कर दिया जाय (महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, जयपुर के भवन के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन एवं सिटी अलाउन्स आदि में भेदभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 13

श्री शीशराम (सादुलपुर): 146. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (मिर्जा इस्माइल रोड स्थित एक ही फार्म से ही माप तौल विभाग के अधिकारियों द्वारा सामान खरीद कर सरकारी धन तथा पद के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): 147. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा लाडनूं के ब्लेक लिस्ट व्यापारियों को शुगर डिलर लाइसेन्स देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

148. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग आवश्यक उम्मीदवारों के चयन करने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

149. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय बीमा विभाग द्वारा मृत कर्मचारियों की रकम उनके उत्तराधिकारियों को समय पर नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

150. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ में लड़कों को भर्ती करने में राजस्थान के निवासियों को आवश्यक प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं के खिलाफ चल रही जांच कई वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक पूर्ण नहीं हो सकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला निरीक्षक नागौर द्वारा इस वर्ष अध्यापकों की नियुक्ति में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय पंचायत समितियों द्वारा संचालित स्कूलों का नियमानुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में नियुक्त योग्यता प्राप्त अध्यापकों को प्रमोशन नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम मीठडी, तहसील लाडनूं की हाई स्कूल में कामर्स विषय नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टी परपज हायर सैकन्ड्री स्कूल लाडनूं का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम नया जसवन्तगढ़) (जिला नागौर) में कालेज के भवन निर्माण के लिये पैसा जमा होने के बाद भी विभाग द्वारा भवन नहीं बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जसवन्तगढ़ जिला नागौर में सरकार द्वारा अपने एग्रीमेन्ट के अनुसार कालेज में पढ़ाई शुरू नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

159. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (निम्बी जोधां, जिला नागौर की हाई स्कूल में कॉमर्स विषय नहीं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 – शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जसवन्तगढ़ हाई स्कूल जिला नागौर के लिए ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (एस० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापक उपलब्ध होते हुये भी विभाग द्वारा अनट्रेण्ड अध्यापक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100) रु० कम दिया जाय (जे० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल, लाडनूं को सरकार द्वारा अपने पूर्व के वायदे के अनुसार 11 वीं क्लास का अनुदान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टी परपज हायर सैकेन्डरी स्कूल को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद भी उक्त स्कूल की देनदारियां सरकार द्वारा अभी तक नहीं चुकाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल, नागौर, द्वारा अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में नाजायज हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :
165. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26– विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य गैरेज तथा ऑटोमोबाइल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय अतिथियों पर किये जाने वाले फिजूल खर्च को रोकने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन, जयपुर का समुचित प्रबन्ध न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नई दिल्ली के राजस्थान भवन पर होने वाले खर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

169. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया

Page No. 71

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जाय (राजस्थान में हर गांव में प्राईमरी पाठशाला खोलने पर सरकार का ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के क्षेत्र में सब को समान अधिकार दिये जावें, इस पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (स्कूली बच्चों को समय पर कोर्स की पुस्तकें नहीं मिलतीं जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में रुकावट आती है तथा उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देहातों में अध्यापकों को आवास-गृह की समस्या पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में जहाँ पर पति पत्नि दोनों ही सर्विस में हों उनको एक ही जगह रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 15, मुख्य, शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देश में विभाजन के बाद पाकिस्तान से सिन्धी लोग बहुत तादाद में यहां आये हैं इसलिये स्कूलों में सिन्धी भाषा भी सिखाने का प्रबन्ध हो इस पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में हरिजनों के लिये छात्रों को ठहराने का प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा का कोर्स कम से कम पुस्तकों में हो ताकि बच्चों पर किताबों का बोझ कम हो सके इस पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर के आसपास अनेक ग्राम होने के कारण वहां एक छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अध्यापकों को वर्तमान में दिये जाने वाले कम वेतन पर पुनर्विचार हेतु)।

179. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हाई स्कूल तक की शिक्षा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 18—शिक्षा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर के हायर सेकेन्डरी स्कूल में बॉयोलोजी क्लासेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु. कम कर दिया

Page No. 72

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जाय (देहातों में माध्यमिक पाठशाला व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा कन्या विद्यालयों के भवन निर्माण पर जिस प्रकार सरकार शहरों में खर्च करती है उसी अनुपात में गांवों में व्यय करने पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण होने से बेकारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (देहातों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक पाठशालाओं में बाहर से अर्थात् अन्य ग्रामों से पढ़ने आने वाले बच्चों के अल्प आहार का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में कन्या माध्यमिक उच्चतर विद्यालय में साइन्स की क्लासेज खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 15. मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (देश को स्वतंत्र हुए 21 वर्ष हो गये. लेकिन शिक्षा गरीबों को मुफ्त देने का कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर करने के लिये प्रौढ़ पाठशालाओं का प्रबन्ध नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में डिग्री कालेज खोलने पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (रावतसर तथा गंगानगर के अन्य ग्रामों में कन्या पाठशाला के नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में ग्राम गन्धेली ललाना मनहरपुरा, बावाली, दीपलाना, बड़बिराना तलानिया में माध्यमिक पाठशालाएं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर में हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ में कृषि कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (माध्यमिक पाठशालाओं तक शिक्षा परिषद् के अधिकार में सौंपे जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

Page No. 73

(श्री रामचन्द्र आर्य)

193. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ सैनिक स्कूल की स्थापना करने से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में बल मिलेगा, इस पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में 60 ग्रामों में प्राइमरी पाठशालायें आज तक नहीं खुलने में जनता में भारी रोष व असन्तोष व्याप्त है, पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (निरीक्षक, जिला श्री गंगानगर द्वारा माध्यमिक पाठशाला ढंढेला के अध्यापकों का वेतन 2 माह तक नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100)रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में प्राइमरी एवं माध्यमिक पाठशाला के अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

श्री रामचन्द्र (खण्डेला):
197. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभागमें से 100)रु. कम कर दिया जाय (सीकरनगर पालिका में अव्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) 194. मांग,संख्या मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1)रु. कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों को पंचायत समितियों को देने में शिक्षा के स्तर में हुए गिरावट के कारण सरकार की इस सम्बन्धी नीति का अननुमोदन)।

199. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (अध्यापकों का बकाया वेतन व ऐरियर चुकाये जाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

200. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (बच्चों को समय समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

201. मांग की संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100)रु० कम कर दिया जाय (गत वर्ष करौली कालेज का परीक्षाफल नहीं के बराबर होने पर चर्चा के लिए)।

202. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100)रु० कम करदिया जाय (हायर सेकेन्डरी व सेकेन्डरी स्कूलें खोलने में सवाई माधोपुर के साथ सौतेले व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):
203. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गतमांग में से 100)रु. कम दिया जाय (बाड़मेर जिले में राज्य सरकार द्वारा मिडिल, सेकेन्डरी एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलें खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

204. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण को विस्तृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

205. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम हुडों की ढाणी, शिव, हरसाणी, सिणवारी में माध्यमिक पाठशालाएं खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

206. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम कवास जिला (बाड़मेर तहसील) में उच्चतर माध्यमिक पाठशाला खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

207. मांग की संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम बेजाला बाड़मेर तहसील बाड़मेर जिला में उच्चतर माध्यमिक पाठशाला खोले जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

208. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (चौहटण ग्राम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण को विस्तृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

209. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में 100) रु० कम कर दिया जाय (हिन्द पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी अध्यापकों की नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)
210. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (झालरापाटन में कन्या माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

211. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (असनावर ग्राम, जिला झालावाड़ में माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बदलने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण (मंडावा) :
212. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सीकर और झुंझुनूं जिले के तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों को पदोन्नत नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

213. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देहातों में लड़कियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों खोलने हेतु बजट में व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

214. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (किसानों के लड़कों

(श्री रामनारायण)

को छात्रवृत्ति देने के लिये प्रथक से बजट प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

215. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बी० एस० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त न करने पर चर्चा के लिए) ।

216. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (लड़कियों की छात्रवृति के लिए पृथक से कोई प्रावधान न होने पर चर्चा के लिए) ।

217. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की अनुदान प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को सरकारी संस्थाओं के अनुरूप महंगाई भत्ता न दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

218. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्र-वृत्तियों में अनियमितताओं व पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

219. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु. कम कर दिये जाय (पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

220. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के बी० एस० टी० सी० ट्रेन्ड व्यक्तियों को नियुक्ति न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

221. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (हायर सैकण्डरी स्कूल मण्डावा द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने पर भी अध्यापकों को सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर महंगाई भत्ता न दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

222. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षण संस्थाओं में अच्छे पाठ्यक्रम के अभाव से छात्रों में अनुशासन का अभाव रहता है व राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं बन पाती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

223. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देश में शिक्षा के स्तर आई में गिरावट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

224. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (उनियारा हाईस्कूल को हायर सेकन्ड्री स्कूल में परिवर्तित न करने के सम्बन्ध में सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये) ।

225. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (उनियारा हाई स्कूल के अधूरे भवन को पूरा न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

226. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, साहित्य अकादमी उदयपुर व ललित कला अकादमी जयपुर में धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर) :

227. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (अनिवार्य शिक्षा लागू करने में शासन की असफल नीति का अननुमोदन)।

228. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (निरक्षरता निवारणार्थ प्रौढ़ शिक्षण के सम्बन्ध में शासन की असफल नीति का अननुमोदन)।

229. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (भूतपूर्व बीकानेर राज्य के अनिवार्य शिक्षा कानून के अन्तर्गत स्थापित अनिवार्य शिक्षा स्कूलों और उनके अध्यापकों को एवं कर्मचारियों की वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा करने से हुई दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) :

230. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर रेन्ज में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में प्रमोशन के समय झुन्झुनू जिले के अध्यापकों के साथ बरते गये भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री ओम दत्त भाटी (सरदारपुरा) :

231. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा की नीति में भेदभाव व अस्थिरता व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

232. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में कार्य कर रहे बी० ए० और बी० एड० ट्रेन्ड अध्यापकों की पदोन्नतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से शिक्षा को वापिस लेने पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में मास्टरों के अत्यधिक स्थानान्तरण से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये)।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :

235. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा स्तर में आई गिरावट के कारण छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

श्री राम कुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़):

236. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पुराने हाई स्कूलों को इन्टरमीडिएट कालेजों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री रामकुमार (नन्दवाना) :

237. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय छोटी सादडी (जिला चित्तौड़गढ़) में गर्ल्स सेकन्डरी स्कूल सन् 68-69 के सत्र में प्रारम्भ किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सेकन्डरी स्कूल, बसी, सावा, घोमुण्डा में विज्ञान की कक्षाएं खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ कालेज के छात्रों के लिए होस्टल की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

240. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाने तथा कालेज में कामर्स कक्षाएं चालू करने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री महेन्द्र सिंह (पीपल्दा) :

241. मांगसंख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के माध्यमिक शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिए)।

242. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में हायर सेकन्डरी एवं सेकन्डरी के भवनों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों में गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 — शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों के साथ बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (इन्द्रगढ़ सेकेन्ड्री स्कूल भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति पर चर्चा के लिये)।

श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद) :

246. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 — शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की लापरवाही से विद्याध्यन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर-सु.) :

247. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ ग्राम पाठशाला (जिला चूरू) को शिक्षा विभाग के अधीन लेने संबंधी ही चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा साडवा में हायर सेकन्ड्री स्कूल तथा ग्राम सडू छोटी (जिला चूरू) में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भासींद) :

249. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) :

250. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (लड़कियों को हायर सेकन्ड्री स्कूल ब्यावर में बाइलोजी विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (मोहम्मद अली मेमोरियल हाई स्कूल ब्यावर के अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

252. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (ब्यावर में लड़कियों के लिये डिग्री कालेज की आवश्यकता पर चर्चा क लिए)।

253. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (मसूदा पंचायत समिति के ता० 1-7-67 से सेवामुक्त अध्यापकों के पेंशन केसेज नहीं बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) :

254. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (गलत शिक्षा नीति के कारण बच्चों के साथ होने वाले खिलवाड़ के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

255. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 — शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (स्कूलों में अध्यापकों की कमी व शिक्षा स्तर गिरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (कपासन) :

256. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा में परिवर्तन पर चर्चा के लिये)।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) :

257. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक पाठशालाओं में छात्रों के लिए स्थान की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) :

258. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 —शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (ग्रामों में जन सहयोग द्वारा माध्यमिक शाला एवं उच्च माध्यमिक शाला के भवनों को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

259. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं को पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र से पृथक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा. सु.) :

260. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया

Page No. 79

(श्री देवीलाल)

जाय (तहसील सराड़ा गांव बहगांव। प्राइमरी स्कूल को माध्यमिक शाला के रूप में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (गांव झाडोल तहसील सराडा माध्यमिक शाला को सेकिन्ड्री स्कूल के रूप में बदलने पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गांव सेमारी माध्यमिक शाला को सेकेन्ड्री स्कूल के रूप में बदलने पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में चावण्ड हायर सेकन्ड्री स्कूल में विज्ञान की कक्षा खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़-सु०) :

264. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ गर्ल्स हायर सेकन्ड्री स्कूल भवन की कमी एवं पंचायत समितियों के स्कूलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास (निम्बाहेड़ा) :

265. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी क्षेत्र में समुचित शिक्षण व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :

266. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं का नियंत्रण शिक्षा विभाग को सौंपने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दूदू में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा—सु०)

268. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28- शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (तहसील दौसा व जमवारामगढ़ की जनता द्वारा भवन बनाने पर भी हाई स्कूल व मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)

269. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1)रु० कर दिया जाय (शालाओं में पाठ्य-पुस्तकें छात्रों को समय पर उपलब्ध कराने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

270. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों को वेतन श्रृंखला व ग्रेड दिए जाने में अत्यधिक विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

371. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100)रु० कम कर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

दिया जाय (शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता तथा सेवाकाल के आधार पर न किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक एवम् माध्यमिक शालाओं की पाठ्य पुस्तकें सही प्रिंट न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर):

273. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिला शिक्षा की दृष्टि से उपेक्षित होने के कारण वहां विशेष रूप से शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाय और शीघ्र ही एक कालेज की स्थापना की जाय पर चर्चा के लिये)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़):

274. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में कन्या हायर सेकेन्ड्री विद्यालय अविलम्ब खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ क्षेत्र में हर 10 मील के क्षेत्र में मिडिल पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

276. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ सज्जनगढ़ सेकेन्ड्री विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र कुशलगढ़ में स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा–सु.):

277. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति मूखिया में सेकेन्ड्री स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना):

278. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28– शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (टोडा व गुहाला में हायर सेकेन्डरी स्कूल के न होने से वहां के विद्यार्थियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़):

280. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील बहरोड़) में कालेज खोलने के संबध में चर्चा के लिए)।

281. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री दीपचन्द छंगाणी (फलोदी):

282. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100)रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के तबादलों में अनुचित हस्तक्षेप करने पर चर्चा के लिए)।

श्री बनवारीलाल (धोलपुर) :

283. माग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ट्रेन्ड अध्यापक बेकार बैठे हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए)।

श्री मेघराज (चुरु) :

284. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (खांसोली ग्राम में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

285. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय बागला हायर सेकेन्डरी स्कूल, चूरु में बोयज फन्ड के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

286. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (एन० सी० सी० कैम्प चूरु में हुए बीमार शिवरार्थी की चिकित्सा में अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) :

287. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (नवलगढ़ क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा तक की पाठशालाओं पर अधिक ध्यान देने पर चर्चा के लिए)।

288. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100 रु० कम कर दिया जाय (शेखावाटी क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाओं का पूर्णतया राजकीय संरक्षण में लेने पर चर्चा के लिए)।

श्री कल्याण मल मीणा (जहाजपुर. सु.)

289. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील के ग्राम टीकड़ में मिडिल स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में)।

290. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (तहसील कोटड़ी के ग्राम छः बडेल में मिडिल स्कूल खुलवानें पर चर्चा के लिये)।

291. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शंकरगढ़ में कन्या मिडिल स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जहाजपुर हाई स्कूल में ऐग्रीकल्चर सब्जेक्ट खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

293. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंडेर में साइन्स का सब्जेक्ट खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

294. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पंडेर में कन्या मिडिल स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

295. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील के ग्राम टीकड़ में मिडिल स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) :

296. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति के उचित अवसर न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

297. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर में नगर परिषद के तत्वावधान में चलने वाले स्कूलों को सरकार के अधीन लिए जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री जयनारायण (लसाड़िया-सु.) :

298. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पारेल, खूंता, जेताणा आदि गांवों में मिडिल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये) ।

299. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (पारसोला, भवाराणा एवं लसाड़िया में हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) :

300. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (संस्कृत कालेज नाथद्वारा में प्राध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

301. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जनता द्वारा बनाये गये स्कूल भवनों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

302. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गर्ल्स हाई स्कूल भवन नाथद्वारा को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा-सु.) ।

303. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल भवन निर्माण के लिए सरकार प्राय: ग्रामीण लोगों से श्रमदान मांगती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

304. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम लोयती तहसील बानसूर में सरकार के आश्वासन दिये जाने पर भी हाई स्कूल न खोलें जाने पर चर्चा के लिये) ।

305. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री उपाध्यक्ष : आज माननीय सदस्यों द्वारा की जाने वाली चर्चा पौने चार बजे समाप्त होगी, और पौने चार बजे के बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे । साढ़े चार बजे मुख बन्धक का प्रयोग करके बाकी बची हुई मांगों पर मतदान होगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री आलमअली : बाकी व्यवस्था आप दें ।

Page No. 83

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं, साफ कह दें।

श्री आलमअली : एक औरत की हत्या के मामले बींरी जानकारी पूरी मिली कोन्यां आप आदेश दियो हो उपमंत्री जी ने के बे पूरी जानकारी देगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल लें। वहां पधारें।

श्री आलमअली : चेम्बर की बात दूसरी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा का क्षेत्र एक महान् महत्वपूर्ण है और बहुत विस्तृत है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरे दल को सदन का अधिक से अधिक समय देने की चेष्टा करूंगा। तो केवल दो ही मिनिट आपसे निवेदन करूंगा और मेरा आवेदन है वह स्पोर्ट्स के सम्बन्ध में है। अधिकांश माननीय सदस्य इस सदन के हैं वे शिक्षा के सम्बन्ध में जब चर्चा करते हैं तो स्पोर्ट्स के विषय पर बहुत कम चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स खेल कूद एक बहुत महत्वपूर्ण समाज के लिए विषय है, और राजस्थान में सरकार ने जो कुछ भी कदम इस ओर उठाये हैं, उनका तो मैं स्वागत करता हूं वह एक ठीक दिशा में कदम उठाया गया है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार के पास धनाभाव है, यह अनुभव करता हूं कि इसमें जो खर्चा किया जायगा वह इन्वेस्टमेन्ट के रूप में सिद्ध होगा। आज देश के अंदर दलगतवाद, भाषावाद दुनिया भर के वादों का प्रादुर्भाव हम देख रहे हैं जिससे हमारा देश विघटन की ओर अधिक जाता है ऐसा अनुभव करते हैं। खेल दलगत नीति से परे है और ऊंचा है। खेलों का स्थान मेरे खयाल से बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर खेलों को महत्व दिया जायगा वहां नियन्त्रण की मात्रा बढ़ेगी, टीम वर्क बढ़ेगा जहां टीम वर्क होता है वहां व्यक्तिगत हित को गौण रख कर टीम हित को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी राजस्थान सरकार ने खेल कूद के संबंध में व्यवस्था की है उसको मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण और उचित समझता हूं और जो कुछ व्यवस्था है उसको भी शनैः शनैः आगे बढाना चाहिये, पैसा और अधिक देना चाहिये और अध्यापकों को भी इस संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिये। अध्यापक और छात्र दोनों खेल के महत्व को समझ सकें, सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहित करना चाहिये। यदि खेलों की तरक्की होती है, और तरक्की की है हमने पंजाब जैसे खेलों के क्षेत्र के मुकाबले में प्रतियोगिता द्वारा सफलता हासिल की है वह भी प्रशंसनीय है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खेलों पर विशेष ध्यान दे और जो आज तक खर्चा किया है उससे अधिक खर्चा करके ध्यान दे। इतना ही आवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले शिक्षा विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

अभी विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने फरमाया स्पोर्ट्स के लिये ज्यादा ध्यान देना चाहिये, स्पोर्ट्स कौन्सिल को सरकार कुछ

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पैसा देती है लेकिन वह इतनी कलील रकम है कि उससे हम सारे राजस्थान में खेलों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते न उनको पैसा दे सकते हैं। जब सरकार डेढ करोड़ से तीस करोड़ रुपये खर्च करने लगी है शिक्षा पर तो उनको खेलों पर भी धन खर्च करना चाहिये जिससे लोगों में खेलों की भावना पैदा हो। स्पोर्ट्स कौंसिल के द्वारा या स्कूलों और कालेजों के द्वारा इसमें बढोत्तरी करनी चाहिये।

इसी प्रकार ललित कला राजस्थान में मशहूर है लेकिन खर्चा उस पर नाम मात्र का किया जाता है उससे कलाकारों को और साहित्यकारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। जितना इसको आज देते हैं उससे चार गुणा अधिक होना चाहिये। इसी प्रकार साहित्य अकादमी का हाल है इसको भी नाम मात्र का देते हैं और कहते हैं कि हम प्रोत्साहन देते हैं लेकिन है कुछ नहीं। शान्ति के समय साहित्यकार का पता नहीं चलता। साहित्यकार का पता युद्ध के समय चलता है जब वह अपनी कविता से लोगों में हिम्मत बंधाता हैं तब पता चलता है कि उसकी कितनी कद्र है। इसलिये इस पर भी पांच गुणा ज्यादा रकम खर्च करनी चाहिये।

अब मैं कुछ घर की बात कह दूं। सारे राजस्थान में प्राथमिक या प्राइमरी स्कूलें सरकार चलाती है लेकिन बीकानेर में स्टेट के वक्त में नगरपालिका चलाया करती थी उसके बाद से अब तक नगरपालिका ही चला रही है। हमने कई दफा सरकार से निवेदन किया कि बीकानेर नगरपालिका की हालत बड़ी खराब है, सारे राजस्थान में आप प्राइमरी शिक्षा चलाते हैं तो बीकानेर शहर में क्यों ओक्ट्राय की आमदनी से चलाते हैं तो उत्तर मिलता है कि शुरू से नगर-पालिका की तरफ से हो चल रही है इसलिये उसी के द्वारा चला रहे हैं। मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक गांव में मारवाड़ में गया तो वहां देखा कि कुछ खाट बरतन वगैरा नीलाम हो रहे थे, ये काजीजो के थे। मैंने पूछा काजीजी से कि यह क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप दादों ने सौ दो सौ वर्ष पहले एक गलती करली थी, सरकार के पास बांस बांधने के लिये मूंज नहीं थी तो उन्होंने अपने यहां से मूंज देदी। वह बही में लिख दी गई कि काजीजी के यहां से मूंज आई। अब हर तीसरे साल हमसे मूंज मांगने आते हैं और जब हमारे पास मूंज देने को नहीं होती है तो बरतन वगैरा नीलाम कर देते हैं। उसी तरह से हमारी स्टेट ने एक गलती करदी। नगर-पालिका के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा शुरू करदी। उसका नतीजा यह है कि राजस्थान के अन्य सारे शहरों में तो प्राथमिक शिक्षा राज्य की ओर से चलाई जाती है परन्तु बीकानेर वालों को कहते हैं कि नगरपालिका की तरफ से चलाई जायगी। इसमें नगरपालिका के एक लाख से अधिक रुपये खर्च होते हैं। यह पैसा शिक्षा पर खर्च न होकर सफाई के काम में खर्च होने लगे तो हमारे यहां की जो नालियां गंदी रहती हैं उनकी सफाई होने लग जाय। आप साफ कहें कि प्राइमरी स्कूलों का समुचित खर्चा राज्य सरकार देना चाहती है या नहीं या बीकानेर शहर को काजी की मूंज बनादेंगे ?

(12.43 म. प.)

स्कूलों का जहां तक सवाल है सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद दो साल

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पहले 3 मिडिल स्कूल खोली गई हैं बाकी आज तक नहीं खोली। वहां पर एक एक मिडिल स्कूल में डेढ़ डेढ़ हजार लड़के पढ़ते है। सरकार कहती है कि करोड़ों रुपये खर्च होते है लेकिन यहां के लोग इन तक नहीं पहुंच पाते वहां की अवहेलना होती है। जहां पर पहले हाई स्कूल नहीं थे, वहां पर आज कॉलेज और युनिवर्सिटी खुल गई हैं। जहां पर दसवीं ग्यारवीं तक की दो तीन स्कूलें थीं वहां पर 30 हो गई हैं, पता नहीं क्या पैमाना है स्कूलें खोलने का? मेरा निवेदन यह है कि आप हमारे शहर की अवहेलना मत करिये। हमारे यहां के अधिकांश लोग व्यवसाय करते हैं, आप वहां पर प्राइमरी स्कूलों में जितनी उपस्थिति है उसको देखकर मिडिल स्कूल्स खुलवाइये और मिडिल स्कूलों में छात्रों की जितनी उपस्थिति है उसको देखकर यह तय करिये कि वहां पर कितनी सेकेन्डरी स्कूलें खोलनी चाहिये। बीकानेर में सेकेन्डरी स्कूलें बहुत कम हैं और इस कारण से पूरे लड़कों का दाखिला नहीं होता। बीकानेर शहर के पास कोलायत के पास उदरामसर है जहां पर 1200 घरों की बस्ती है वहां पर मिडिल स्कूल से काम नहीं चलेगा। वहां पर बिल्डिंग बना हुआ है, हाई स्कूल वहां पर बनानी होगी। बीकानेर की आपने बहुत अवहेलना की है। शिक्षा मंत्रीजी उदार और समाजवादी विचारों के हैं आप बराबर हिसाब करिये। जिस प्रकार छात्रवृत्तियां जयपुर में बैठ कर हजारों की तादाद में जयपुर वालों को ही दे दी जाती हैं बाहर के तो कहीं दो चार को देते हैं और जयपुर में 4000 को दे देते हैं। यहां आप रहते हैं, बंगले आपके यहां पर हैं इसलिये जो आवे और दर्खवास्त देकर चला जाय उसी को दे देते हैं। हमें इस बात का दुख है कि आपका हैड क्वार्टर जयपुर में है। चपरासियों की भर्ती भी यहीं पर कर ली जाती है, कहते हैं तो जबाब देते हैं कि बाहर कोई जाने को तैयार नहीं। छात्रवृति का नमूना आप देख लीजिये। किस किस शहर में कितनी कितनी दी है और जयपुर में कितनी दी है उससे मालूम हो जायगा सदन को कि जयपुर के साथ कितना पक्षपात किया है और दूसरों के साथ कितना अन्याय करते हैं। शिक्षा के बारे में, मुझे विश्वास है शिक्षा मंत्रीजी शिवचरणजी हैं मैं उनमें बहुत विश्वास करता हूं, वे न्याय करेंगे और मैं समझता हूं आयन्दा हम जब कभी बोलें तो यह नहीं कहें कि आपने अन्याय किया शिक्षा के प्रति।

अब मैं देवस्थान के बारे में कहना चाहता हूं, हालां कि मंत्रीजी उपस्थित नहीं हैं.......

श्री शिवचरण माथुर : मैं नोट कर रहा हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप नोट कर रहे हैं तो ठीक है। आजादी के बाद यदि किसी की दयनीय दशा हुई है तो वह देवालयों की हुई है सनातन धर्म के। जो दुर्दशा औरंगजेब के राज्य में नहीं हुई वह आज आप के राज्य में देखनी पड़ती है इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता, जो धर्म प्राण लोग है उनकी आत्मा आज कांप उठती है यह देख कर कि आज राजकीय देवालयों की क्या हालत हो रही है। आज एक मंदिर है जयपुर शहर में चोपड़ के पास ही जिसके प्रांगण में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

किसी समय श्रीमद् भागवत की कथा हुआ करती थी उसमें पोस्ट आफिस है-प्रांगण के अन्दर। उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। निजी मंदिर के सामने जूते पहन कर चलते है आमिष भोजन भी वहां पर होता है, सामने भगवान् विराजमान हैं। मैं समझता हूं राजकीय मंदिरों की यह व्यवस्था रही तो लोग, धर्म के नाम से कहीं विमुख न हो जायं।

इसी प्रकार कोतवाली है, वहां नीचे है मानिक चौक देवालय, वहां ऐसी भाषा का स्कूल इस देवालय में चलता है जिस भाषा को पढ़ाने के लिए हर तरह के लोग आ जाते हैं, वह देवालय की कोई मर्यादा नहीं समझते हैं और इधर उधर मंदिर में जूते पहन कर जाते हैं और तरह तरह के आहार, मांसाहार करते हैं। इन मंदिरों का क्या हाल हो रहा है। मुझे यह लग रहा है कि शांतिप्रिय और धार्मिक शिक्षा वाले जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हमेशा शांति से रहते हैं और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, आप उनमें आपके इन गलत अधिकारियों के द्वारा उग्रता पैदा करवायेंगे। इसलिए, सभापति महोदय, देवालयों के जितने अधिकारी हैं, प्रायः वह या तो अनिश्वरवादी हैं या धर्म में उनका विश्वास नहीं है। ऐसे अधिकारियों द्वारा इन मन्दिरों की मर्यादा नष्ट करवाने का बराबर प्रयत्न हो रहा है। मन्दिरों में जिनकी भावना नहीं है मन्दिरों में जिनकी आस्था नहीं-ऐसे अधिकारियों को मन्दिरों की व्यवस्था के लिए रखने में आपका कौन सा हित है? अगर आपकी यही भावना है कि सनातन धर्मी इस देश में ज्यादा रहते हैं इसलिए इनकी भावनाओं के ऊपर कुठाराघात किया जाय, इनकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को कमजोर कर दिया जाय....

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री ही नहीं हैं। किसको सुना रहे हो?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मंत्री जी कहते हैं, मैं हूं सब कुछ, स्वयं भू हूं, मैं आपको सुना रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : धर्म निरपेक्ष राज्य है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : धर्म निरपेक्ष राज्य के अन्दर आप केवल मन्दिर की व्यवस्था को सहन नहीं कर सकते और किसी धर्म पर अधिकार नहीं कर सकते। गिरजाघरों पर अधिकार करें। मन्दिर आपके हाथ में हैं तो क्या जैन मन्दिर आपके हाथ में हैं? सनातन धर्मी को नीचा दिखाने के लिए यह सारे प्रयास चल रहे हैं। इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सभापति महोदय, मन्दिरों में जो व्यवस्था है, जो राजकीय अधिकार में है, डाइरेक्ट राज्य के पजेशन में है। उन मन्दिरों की हालत आज यह है कि मान लीजिए कि होली के दिन भोग चढ़ाना है तो उसकी स्वीकृति छः महीने के बाद मिलेगी। इसी तरह होली-दीपावली पर प्रसाद, भोग आदि का सामान नहीं दिया जाता है। मंदिरों के पुजारियों से अधिकारी अपने घरों पर काम करवाते हैं। मंदिरों के पुजारी हैं वह ठाकुरजी की सेवा के नाम से हैं ठाकुरजी वहीं बैठे रहें, उनकी सेवा नहीं होगी, लेकिन वह अधिकारियों के घर पर काम करने के लिए जाते हैं। मैं ऐसे कई अधिकारियों को जानता हूं, मंत्री महोदय

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

चाहें तो मैं उनकी लिस्ट दे दूं। मैं कितने ही अधिकारियों को जानता हूं जो मंदिरों के से पुजारियों से अपने घर पर काम करवाते हैं। इस जयपुर में ही दो सौ पचास से ज्यादा काम करते हैं। तो यह दुर्दशा इन देवस्थानों की क्यों ? धर्म निरपेक्ष के मायने यह हैं ? जब खुद में धर्म के प्रति आस्था नहीं होती है तो धर्म के ऊपर कुठाराघात करते हैं। अगर इसी तरह देवालयों की व्यवस्था रही तो लोगों के मन से मंदिरों के प्रति आस्था उठ जायगी। मैं समझता हूं....

श्री सभापति : समय का ध्यान जरा रखें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, राज्य सरकार की मान्यता है कि देव मन्दिरों में रियासत के वक्त से जो पुजारी को वेतन मिला करता था, वही वेतन दिया जाय, और मंदिरों की आय देख कर पुजारियों को वेतन दिया जाता है। यह सरकार पुजारियों को फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स कहती है। जिसको हम देवता मानते हैं वह इस राज्य सरकार के लिए फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं और उनका वेतन वही मिलेगा जो उनको तीस साल पहले मिलता था। आज महंगाई बढ़ गई है तो औरों का वेतन बढ़ सकता है लेकिन उनका वेतन नहीं बढ़ सकता। देवस्थान जयपुर से यह प्रबंध किया गया है। मैं मुस्लिम वक्फ कमेटी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धार्मिक सम्पत्ति को पंजीबद्ध किया है, करोड़ों रु० की सम्पति उनकी उसमें है। लेकिन देवस्थान डिपार्टमेंट के अन्दर एक बटालियन बैठी है, लेकिन उस डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम धार्मिक सम्पत्ति के लिए इस्लामी शरायत को मानने वाला एक कमिश्नर बैठा और उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसने जगह जगह अपनी एजेंसी कायम करके धार्मिक सम्पति को पंजीयत कर लिया है। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है ? सनातन धर्म की सारी सम्पति का आज तक पता नहीं है। सरकार के पास में जितनी दुकानें हैं, जितने मन्दिर हैं, उनके यदि सौ रुपये आने चाहिये तो दो रुपये माह के ऊपर किराये पर देवस्थान विभाग दे देता है और इस तरह इन देवालयों का नुकसान पहुंचा रहा है। बीकानेर शहर में लक्ष्मी नारायण जी मन्दिर के आस पास में दस दुकानें हैं, जिनका दस रुपये महीने के हिसाब से किराया लेते हैं। जगन्नाथ जी के मन्दिर की सत्तर दुकानें है लेकिन हजार रुपया महीना इनकम आपकी नहीं है। मिल-जुल कर आठ आना, एक रुपया, दो रुपया माहवारी पर देवस्थान की सम्पति का दुरुपयोग करने के लिए दिया जाता है। मैं समझता हूं कि देव स्थानों के प्रति अन्याय है। आज देवालय एक दयनीय स्थिति में हैं। देवालयों को आप फालतू चीजों में से समझते हैं। आपको नैतिकता का प्रचार करना है, और आप चाहते हैं कि देश में नैतिकता क़ायम रहे तो हर मंदिर की आज ढंग व्यवस्था हो। उनमें जो श्रीमद् भागवत् का पाठन वगैरह होता है वह नैतिकता और शांति के लिए जरूरी है, नैतिकता और शांति के उनमें उपदेश होते हैं। आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। देवालयों की सम्पत्ति की आज अगर पांच लाख आमदनी है तो कल उनकी सम्पत्ति को थोड़ा ठीक करके वाजिब किराये पर दिया जाता है तो कम से कम एक करोड़

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

रुपये की आमदनी हो सकती है। एक मन्दिर है इस जयपुर शहर में। थोड़ा मानिक चौक से आगे जाइये, तो इधर जो पोस्ट आफिस है, वहां पर चार सौ रुपया सालाना पर नौ दस दुकानें और अन्दर पोस्ट आफिस बीस रुपये महिने पर दे रखा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जिनका पैसा सार्वजनिक काम में आता है, उनसे आपको वाजिब किराया मिले, वाजिब आमदनी मिले। इसके लिए आप आर्डिनेन्स नहीं बना सकते, एक्ट नहीं बना सकते ? आप रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत उनसे वह जगह छीन नहीं सकते ? आप कहें कि दो रुपये महीने में दे दी वह जगह, तो ऐसा नहीं है वह मन्दिर कि इतने रुपये से ठाकुर जी के चन्दन लग जाय, भोग का प्रसाद हो जाय, धूप लग जाय। आपने तो धर्म विरोधी भावनायें फैलाने का दायित्व ले लिया है, इनसे आस्था उठाने का संकल्प ले लिया है। मैं, सभापति महोदय, देवस्थानों के बारे में बहुत सी बातें कहना चाहता हूं। जयपुर शहर का यह रामनिवास बाग है, इसके आगे की ओर का सारा हिस्सा देवस्थान का है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : आपने पन्द्रह मिनिट ले लिये हैं। एक मिनिट में भाषण समाप्त करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जहां पर आपने पब्लिक डिपार्टमेंट का नया गेट के सामने लगा रखा है। वह देवस्थान को दिलानी चाहिए। जो मन्दिरों की जगह है, जो मन्दिरों की जागीर है, देवालयों की सम्पत्ति और जायदाद है, उनको आपके सरकारी अधिकारी, न जाने क्यों, कन्ट्रोल में लेना चाहते हैं। वह समझते हैं कि यह फालतू की चीजें हैं और जो यह देव मंदिर हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है उनको यह लोग बन्द करवाना चाहते हैं। यह जो मुरली मनोहर जी का मन्दिर है, इसके नाम से पन्द्रह आदमी नौकर हैं लेकिन वहां पर केवल तीन व्यक्ति हैं और बारह अधिकारियों के घरों पर हैं। मन्दिरों की इस दुर्दशा को आप मिटवायें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इन्होंने एक देवस्थान कमेटी बना रखी है, राजस्थान की भी और जिलों की भी। इस कमेटी के द्वारा देवस्थानों का विनाश हो गया है। न इस कमेटी की मीटिंग होती है और न इसके द्वारा काम होता है। इस देवस्थान कमेटी में ऐसे लोग हैं जिनको मन्दिरों से कोई वास्ता नहीं है। मुझे मालूम है, कई जैन धर्म के लोग इसमें हैं, कई नास्तिक हैं, कोई आर्य समाजी उसमें हैं जिनका इन मन्दिरों की व्यवस्था से और धर्म से कोई वास्ता नहीं है........

श्री मूलचन्द डागा : जैनियों को मंदिरों से वास्ता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सनातन धर्म के मन्दिरों से वास्ता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : सबसे है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सनातन धर्म से तो आपका, यह इतिहास बताता है,

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

द्वेष रहा है। और इसमें सरकार ने उन लोगों को इकट्ठा कर रखा है ताकि इन मन्दिरों की मर्यादा को भंग किया जाय। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन मन्दिरों की मर्यादा को भंग मत कीजिये, देवालयों को आप इनसे बचाइये, इनसे कोई काम नहीं चल सकेगा।

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न है। कोई धर्म दूसरे धर्म की तौहीन करके जी नहीं सकता, और आप जैन धर्म के लिए कहते हैं तो जैन धर्म तो सबके लिए खुला है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इनमें दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं हो मैंने यह निवेदन किया है।

श्री लाभचन्द वैद : बिना मतलब के आपने जैन धर्म पर प्रहार किया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : खूब बोले। मैं सनातन धर्म के मन्दिरों की बात करता हूं, सनातन धर्म में आस्था नहीं रखने वाले लोगों को इन कमेटियों में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि जैन धर्म का कोई मन्दिर, रिखब देव जी के सिवाय सरकार के कब्जे में नहीं है। हम यह कब कहते हैं कि जैन धर्म के मन्दिरों को कब्जे में ले लो। जैन धर्म अपने मन्दिरों की अच्छी व्यवस्था करते हैं, उनको नहीं लिया है न गिरजाघरों को लिया है। मैं उनको लेने की बात नहीं करता। मैं तो सनातन धर्म के मन्दिरों को राज्य के चंगुल से छुड़वाना चाहता हूं... ....

श्री लाभचन्द वैद : आपने इसके जरिये जैनियों के मन्दिरों पर प्रहार करना चाहा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप तो अभी कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं और आप उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री लाभचन्द वैद : बिल्कुल।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप मेरे मजहब पर क्या प्रहार करेंगे। मैं सनातन धर्मी हूं, मैं जैन धर्म का आदर करता हूं और मैं जैन धर्म को आपसे ज्यादा समझता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप चेयर को एड्रेस करिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं सरकार से यह जबाब चाहता हूं, आज वह यह तय करे कि जो कमेटी इन्होंने बना रखी है, यह कमेटी सात वर्षों से मृत प्रायः हैं, उसकी एक मीटिंग भी नहीं हुई है तो इसके द्वारा मंदिरों की व्यवस्था को क्या सुधारा जायगा। तो मुझे यह जबाब दिया जाय कि यह मुरली मनोहर जी के मंदिर से यह पोस्ट आफिस हटेगा या नहीं, और मंदिरों की जो सम्पत्ति है, जायदाद है उसको खाली करवाया जायगा या नहीं और इनकी व्यवस्था को ठीक करवाने के लिए सरकार क्या कर रही है? मंदिरों की व्यवस्था के लिए जो कमेटी बनाये, उसमें जिस धर्म का मंदिर है उस धर्म के लोगों को उसकी व्यवस्था सौंपी जाय। अगर सरकार इन मंदिरों को नहीं चला सकती है तो इनको चलाने की सरकार समुचित

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

व्यवस्था करे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे सारे भाषण को पढ़ें न तो मैंने जैन धर्म की बुराई की है और न किसी और धर्म की बुराई की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं मेरे मंदिरों को राज्य के चंगुल से छुड़वाना चाहता हूं। यह आपको बुरा लगे क्यों?

श्री लालचन्द्र वैद : आपके पास क्वालिफिकेशन को नापने का कौनसा माप दण्ड है, जिसके आधार पर आप ने कहा कि आप मेरे से ज्यादा जानते हैं।

श्री श्रवणलाल। आपको मालूम होना चाहिए, कलियुग है, मन्दिर सिविल लाइन्स में तैयार हो गये हैं।

श्री देवीलाल बुरासियां : (केकड़ी सु.) : सभापति महोदय, मैंने मेरे केकड़ी क्षेत्र में विद्यालय खोलने बाबत कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। उस बाबत में आपसे निवेदन करूंगा कि दिनांक 1-1 67 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा केकड़ी नगर में महा विद्यालय का उद्घाटन किया गया था और वहां पर कहा गया........

श्री सभापति : श्री देवीलाल, स्वतंत्र पार्टी।

श्री देवीलाल बुराशिया : वहां पर कहा गया, अगले सत्र में महा विद्यालय की कक्षायें चालू कर दी जायगीं। दुर्भाग्य की बात है कि महा विद्यालय की कक्षायें चलाना तो दूर रहा, महा विद्यालय का जो शिलान्यास किया गया था, उसका पत्थर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मुझे अफसोस होता है कि उसका राजस्थान के मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया, और स्वयं उन्होंने महाविद्यालय का शिलान्यास का पत्थर भी रखा लेकिन साल भर तक उसकी नींव भी नहीं भर पाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा, कि केकड़ी क्षेत्र के कम से कम पचास पचास मील तक कहीं भी महा विद्यालय नहीं है और केकड़ी नगर के चारों ओर कम से कम सत्तरह अठारह माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और करीब हर साल तीन सौ, चार सौ विद्यार्थी केकड़ी क्षेत्र से निकलते हैं। केकड़ी क्षेत्र में महा विद्यालय न होने की वजय से केकड़ी क्षेत्र के किसान और गरीब जाति के छात्रों को अपने क्षेत्र से बाहर पढ़ने नहीं भेजने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। अब मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि केकड़ी के किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उनके बच्चों और बच्चियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए केकड़ी क्षेत्र में एक महा विद्यालय बनाने की कृपा करें। आज जो कुछ अच्छे छात्र निकलते हैं, उनमें से जो कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, उनका कहीं एडमीशन न मिलने के कारण वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए केकड़ी सब डिविजन की ढाई लाख जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए एक महा विद्यालय खोलने की कृपा करें।

शिक्षा के बारे में ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो दो शिफ्ट में चलता है।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि दो शिफ्ट में चलने से अध्यापक वर्ग और छात्र वर्ग दोनों ही खुश नहीं हैं। अतः मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि केकड़ी में एक धर्म शाला है जो कि नगर पालिका के अन्दर में है और शिक्षा मंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री मिल कर वह नगर पालिका से से लेकर कम से कम उच्चतर माध्यमिक शाला को एक शिफ्ट में चलाया जाय तो अच्छा होगा।

केकड़ी सब डिविजन सराड़ा के हायर सेकेण्डरी स्कूल की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जब कि गांव वालों को कहा गया, भई आप भवन बना देंगे तो हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोल देंगे। वहां पर लोगों ने दो साल पहले कमरे बना दिये हैं लेकिन अभी तक वहां पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला जा रहा है। इसका क्या कारण है और यह उपेक्षा क्यों की जा रही है?

खारेड़ा में साइन्स की कक्षाएं चालू करने के लिये मैं शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि खारेड़ा में साइन्स क्लासेज खोली जायं।

बस इतना निवेदन करके अनुरोध करूंगा कि केकड़ी क्षेत्र में महा विद्यालय खोलने के लिए कृपा करें। और पुरजोर शब्दों में डिग्री कालेज खोलने की मांग करता हूं। इतना कह कर मैं अपने कट मोशन पेश करूंगा।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग-सु.) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में बैठने वाले दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को आपके द्वारा मुझसे पूर्व बोलने वाले दो वक्ताओं की बात कह कर, मैंने जो शिक्षा के सम्बन्ध में तीन कटौती के प्रस्ताव रखें हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्शित करूंगा। जब हमारी स्वतंत्र पार्टी के, विरोधी दल के नेता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि शिक्षा तो महत्वपूर्ण विषय है ही लेकिन विद्यार्थियों को खेलकूद की बात की तरफ लगाया जाना चाहिये। मैं नहीं मानता कि शिक्षा ही महत्वपूर्ण विषय है। जब वक्ता चर्चा करने के लिए आता है तो प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, अगर कल को बात चले सिंचाई को लेकर तो जीवन को चलाने वाला महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्या? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य निभावे और वह जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र की बातों को लेकर एक बार जो भी समस्या उसके सामने आ जावे उसका निदान कर दे। मैं अपने क्षेत्र की जो समस्यायें हैं उनको आपके सामने रखूंगा। सर्व प्रथम खानपुर क्षेत्र के अन्दर जो भीलवाड़ा जिले का एक अंग है, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह एक बार खानपुर आये थे तो ग्रामवासियों को जो शब्द उन्होंने कहे थे, खानपुर तहसील जो विशेषकर कृषि पर आधारित है, सारा इलाका खेती करता है, उस खानपुर के हाई स्कूल की दुर्दशा जब उन्होंने देखी थी तो दुर्दशा को देखने के बाद एक बात कही थी। कि इस खानपुर हाई स्कूल को कृषि कालेज बनवा देंगे पर आज तक वह कृषि कालेज तो नहीं बना। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में न कह कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाई

स्कूल को सरकार की ओर से कोई मदद, कोई एड नहीं मिल रही है और जनता ने जो चन्दा किया अब उससे एक इमारत बनाई है; उसकी भी छत फटने जा रही है और यह नितान्त सत्य है कि विद्यार्थी उन कमरों में नहीं बैठते हैं, कमरों के बाहर टिन शैड है, उसमें बैठते हैं क्योंकि कभी भी छत के फटने के कारण दब जाने का डर बना रहता है, उसकी दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, दीवारें फट गई हैं, कभी भी छत गिर सकती है, इसलिए बरसात में उन कमरों में नहीं बैठ सकते। कमरों का उपयोग यही है कि टूटा हुआ फर्नीचर कमरों में भरा हुआ है और विद्यार्थी टिन शैड में बैठते है। एक भी कोई समस्या सामने आये और उसका निदान हो जाय तो सारा काम ठीक तरह से चल सकता है, समस्याओं के निदान के लिए ही तो विधान सभाएं और लोक सभा बनाई गई हैं। पर आज जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जनता में समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस ओर ध्यान दिलाते हुए खानपुर का जो प्रस्ताव है, कृषि कालेज तो आपने नहीं बनाया पर उसकी इमारत की जो दुरव्यस्था है, उसे हाई स्कूल को इमारत की मरम्मत तो कम से कम हो जाय और उस हाई स्कूल स्कूल की कुछ प्रोग्रेस हो जाय, कृषि कालेज बनाना तो दूर रहा, हायर सेकन्ड्री स्कूल तो बना दो। वहां एक ही स्कूल है, बाकी प्राथमिक शालाएं हैं। इसलिए मै सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसको हायर सेकन्ड्री स्कूल बना दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि मैं झालावाड़ जिले के झालरा पाटन की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पुराना अति प्राचीन नगर है यह झालरा पाटन। यह प्रगतिशील भारत के राजस्थान का पाटन नगर अति प्राचीन है। 1938 में वहां गर्ल्स हाई स्कूल का भवन बना है पर 1938 से आज 1968 तक वह उसी अवस्था में चल रहा है। श्रीमन्, मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा था कि एक जगह तो जहां प्राइमरी स्कूल होता है वहां हाई स्कूल बना दिया जाता है और दूसरी जगह जहां पहले से हाई स्कूल होता है. वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती, वहां किसी प्रकार की प्रगति नहीं की जाती। यह उपेक्षा क्यों की जाती है। उपेक्षा हमारे झालावाड़ की हो सकती है क्योंकि हमारे झालावाड़ के महाराजा साहब ने सर्व प्रथम कांग्रेस को लताड मारी थी, इसलिए उस जिले की उपेक्षा हो सकती है। शिक्षा जैसे क्षेत्र में जिले को बढ़ावा नहीं मिले यह अन्याय है, आपकी बुरी प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए शिक्षा को साधन नहीं बनाना चाहिए। वहां लड़कियों का स्कूल है, एक ही स्कूल है, पढ़ने के बाद मिडिल पास करने के बाद लड़कियां वहीं रह जाती हैं और बड़ा स्कूल जो पड़ता है वह वहां से साढ़े चार माइल पर झालावाड़ में पड़ता है। आगे पढना हो तो साइकिल पर या और किसी तरह से इतनी दूरी तय करके जाये तो आगे पढने की बात को कर सकती हैं। इस कारण यह होता है कि वैसे ही इतनी दूर लड़कियां नहीं जायेंगी पढ़ने, मां बाप कह देंगे कि नहीं बेटा, अब क्या करना है आगे पढ़के, चिट्ठी पत्री लिख लोगी यही काफी है, क्योंकि इस समस्या का वहां समाधान नहीं है। पढ़ने की बात तो है पर स्कूल नहीं है। इसलिए लड़कियां आगे पढ़ने से रह जाती हैं, यह हमारे प्रति सरकार की उपेक्षा है। मै याद दिलाना चाहता हूं कि

(श्री रामनारायण)

हमारे यहां यह लड़कियों का बहुत पुराना स्कूल है, उसको हाई स्कूल बनाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि इसे हाई स्कूल बनाया जाय।

मेरा स्वयं का क्षेत्र भवानी मन्डी है, वहां हाई स्कूल नहीं है वह एक ऐसा स्थान है कि हाथ खड़े करो तो दोनों तरफ मध्य प्रदेश की सीमा पड़े और एक तरफ राजस्थान की सीमा है। मध्य प्रदेश सीमा के गांव हैं, वहां के विद्यार्थी भी वहां पढ़ने आया करते हैं। भवानी मन्डी जिले के अन्दर सबसे बड़ा व्यापार केन्द्र है, व उद्योगों की दृष्टि से भी वहां बहुत कुछ है। जितने व्यापार केन्द्र हैं, व्यापारी मन्डियां हैं हमारे झालावाड़ में उनमें रेलवे स्टेशन तो भवानी मन्डी ही पड़ता है, इसलिए आवागमन के भी साधन वहां हैं। वहां शिक्षा की बड़ी दुर्दशा है। वहां एक ही हाई स्कूल है, और आगे पढ़ना चाहें तो झालावाड़ की ओर पढ़ते हैं। और झालावाड़ में भी क्या है? एक ही तो कालेज है जिसको अब को बार कुछ कक्षाएं बढ़ाने का सौभाग्य प्रदान हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार मेरे जिले की समस्याएं हैं, मेरे जिले की इन समस्याओं का निदान हो जायगा तो मुझे सन्तोष हो जायगा।

अब मैं राजस्थान की कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं भले ही हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पायें पर अजमेर के अन्दर, मेरे पास एप्लीकेशन है कि वहां पर ईसाइयों की ओर से कुछ शिक्षण संस्थाएं चलाई जाती हैं और उन शिक्षण संस्थाओं के अन्दर विद्यार्थियों को जो शिक्षा देने की बात है, वे लोग अपने प्रकार से शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने का क्या बात है? हर व्यक्ति शिक्षा को ओर बढ़े तो अच्छा है। हर जगह स्कूल तो है पर इन ईसाइयों की स्कूलों में ऐसी क्या बात है कि लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ कर इन ईसाइयों की स्कूलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो सरकार की ओर से स्कूलें हैं, जो स्कूलें सरकार की एड से चलती हैं, जो सरकार के नेतृत्व में स्कूलें चलती हैं, वहां लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि आये दिन उन स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की और दूसरे कर्मचारियों को इधर से उधर और उधर से इधर बदला जाता है। वहां शिक्षण नाम मात्र का है। शिक्षण तो ईसाई देते है। वे बच्चों को पढ़ाते है और मां बाप की सेवा करने की बात करते हैं और उनके मां बापों के जीवन में रोजमर्रा आने वाली समस्याओं का निदान करते है। जिस तरह से हम लोगों ने उनको आज तक नहीं अपनाया है, उसी तरह से अगर अब तक नहीं अपनायेंगे तो निश्चित है कि वे लोग दूसरी ओर बढ़ेंगे। ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो स्कूलें चलाई जाती है उनमें रोजाना बच्चों को शिक्षा तो देते है पर साथ ही कुछ बातें यह भी सिखाते है जैसे, वहां के अध्यापक कहते हैं बच्चों से :

पिता को ईसू मानो, माता को मेरी मानो। इस प्रकार से उनको रोजाना सिखाते हैं। हमारे स्कूलों में तो केवल भगवान को प्रार्थना होती है। हमारे स्कूलों मे भगवान

Page No. 94

(श्री रामनारायण)

की प्रार्थना का बच्चों पर भले ही असर न हो पर उन बच्चों के ऊपर यह असर जरूर पड़ेगा कि वे देश के विरुद्ध, देश की संस्कृति के विरुद्ध दावेदार बने । यह सरकार का षडयन्त्र है कि हमारे देश के बच्चों में ऐसे बच्चे पैदा हो जो कभी देश का विघटन हो तो ईसाईयों का साथ देने वाले हो। यह हमारे देश के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिये नई पीढ़ी बनाने के कारखाने चल रहे हैं। इन कारखानों से तैयार हुई नई पीढ़ी जब पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब क्या होगा यह भविष्य ही जाने।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मंत्री महोदय, यह सारा राजस्थान आपका इलाका है, आपका क्षेत्र है, राजस्थान के किसी हिस्से में किसी प्रकार की कोई समस्या प्रदान हो उसका आप निदान करें, भली प्रकार से निदान करें। बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान मेरे जो कटौती प्रस्ताव शिक्षा के सम्बन्ध में है, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : समय केवल 5 मिनट

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरा इलाका बीकानेर जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है शिक्षा की दृष्टि से। वहां की जनता ज्यादातर गांवों में रहती है। नोखा मंडी एक बहुत ही व्यापारिक मंडी है और शिक्षा की दृष्टि से वहां कालेज होना बहुत जरूरी था। अब 20 साल के बाद भी सरकार ने वहां लड़कों को विद्या की सुविधा से वंचित रखा है। उससे मुझे बड़ा खेद है और मैं सरकार से चाहता हूं कि नोखा मंडी में खास तौर से एक कालेज होना बहुत जरूरी है, यह मेरा सुझाव है जिसकी ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, ने आम चुनावों के दिनों में जब नोखा में आम सभा में भाषण दिया था तब घोषणा की थी कि इस नगरी को देखकर मेरे दिल में एक नई चेतना एक नया उमंग आता है और यहां एक कृषि कालेज होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी यहां नहीं हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कहां गए वे उमंग और जनता के प्रति प्रेम के सुन्दर विचार? आज तक कोई कालेज नहीं खोला गया है जो कि खोला जाना अत्यन्त आवश्यक था।

कोलायत तहसील एक बहुत बड़ी तहसील है और वहां आज तक उस तहसील में शिक्षा का अच्छा इंतजाम नहीं है। जब कि मेरी मांग है कि वहां कालेज होना चाहिए, हर तहसील हैडक्वार्टर पर एक कालेज होना चाहिए था जहां पुराने जमाने जमाने से सेकेन्डरी स्कूल्स चल रहे हैं लेकिन कोई कालेज नहीं खोला गया है।

नोखा में पढ़ने वाली लड़कियों की जन संख्या बहुत ज्यादा है और आज तक वहां कोई भी हायर सेकेन्डरी स्कूल लड़कियों के लिये सरकार इन्तजाम नहीं कर सकी है।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

तीसरी बात ग्राम पांचू है, नोखा तहसील में। वहां लड़कों की अधिक संख्या है, वहां किसानों के हजारों की तादाद में लड़के हैं। जो शिक्षा के बिना बेकार बैठे हैं। आज गांव के किसानों की ऐसी हालत नहीं है कि वे अपने बच्चों को शहर में भेजकर शिक्षा दिला सके। इसलिए ग्राम पांचू में और जसरासर में हायर सेकेन्डरी स्कूल होना जरूरी है।

बंदड़ा बीकानेर जिले में है यह पहाड़ी ही पर बसा इलाका है और पहाड़ी ही पर मिडिल स्कूल है और पास में नागौर जिला भी लगता है। आसपास में किसानों की हजारों ऐसी ढाणियां हैं जो गांवों में नहीं रहते हैं लेकिन ढाणियों में रहते हैं। किसानों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा से आज तक वंचित रखा गया है, यह जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। आज तक सरकार शिक्षा दिलाने में असमर्थ रही है, असफल रही है।

(1.23 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नाई उपाध्यक्ष, पदासीन)

नोखा तहसील में बंदड़ा के मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किए जाने की जरूरत है। इसी तरह के नापासर में सेकेन्डरी स्कूल चला रहे हैं, लड़कों की संख्या ज्यादा है, आस पास किसानों के गांव पड़ते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है : शहरों का खर्चा करने में वे असमर्थ हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि नापासर में कॉलेज होना जरूरी है। कम से कम हायर सैकेन्ड्री तो इसे अवश्य बना दिया जाना चाहिये।

में सरकार का ध्यान उन लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं किसान और पिछड़ी जाति के लोग, उनके प्रति सरकार ने जो बीस साल में उदासीनता दिखाई है, उससे मुझे दुख है। गरीब पढ़ना चाहते लेकिन उनके पेट में भूख है और पढ़ाई का इन्तजाम नहीं है। आज गरीबों के बच्चे जहां अकाल पड़ रहा है वहां भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। 20 साल तक पिछड़ी जाति वालों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, मुझे खेद है, आज तक सरकार ने इन्तजाम नहीं किया। बीकानेर जिले में पिछड़ी जाति के छात्रावास चल रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं वहां जो बच्चे हैं उनकी ऐसी दुर्दशा है कि जैसे लावारिस हों, उनमें हीन भावना भर दी है उनका मोराल बहुत गिरा दिया है। यहां तक वह किसी से अच्छे ढंग से बात भी नहीं कर सकते, यह सरकार उनको रोटी नहीं दे सकती, किताब नहीं दे सकती, पढ़ाई के लिए भवन की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास नहीं है।

बीकानेर जिले की तरफ आप ध्यान दें। वहां कोई छात्रावास नहीं है। पिछड़ी जाति के जितने लोग पढ़ रहे हैं वे मकान के बिना बैठे हैं। आप बीकानेर गए थे। आपने मुझे सूचना नहीं दी। इसका मुझे दुःख है मैं स्वयं मौके पर जाकर आपको दिखाता। मुझे आशा है कि उसे आपको देखकर आपकी आत्मा को चोट पहुंचती। स्वतंत्रता मिले 20 साल हो गए, फिर भी आज इन्सान की हालत बहुत बुरी है। अगर आपने इसी तरह से गरीब लोगों को दबाए रखा तो मैं सरकार को दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब तबका, एक दिन जल्दी आने वाला है, सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। जब

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कभी शिक्षा का मामला चलता है तो मंत्री महोदय दूसरे कामों में लगे रहते हैं और माथुर साहब, पिछड़ी जाति के लोगों की जब बात चलती है तो भूल जाते हैं। बीकानेर जिले के पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा दिलाने में सरकार असफल रही है। मेरा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है जिस तरह से बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर बहुत ही पिछड़े हुए जिले हैं। इन जिलों में आज तक पिछड़े हुए लोगों और किसानों के विद्यार्थियों के लिए इन्तजाम करने में हर प्रकार से सरकार असफल रही हैं। सरकार उनके लिए पढ़ाने का इन्तजाम करे, वे लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सरकार की नीयत से साफ जाहिर है कि उनकी नीयत में दाल में काला है। एक आदमी खेत में काम कर रहा था, भैंस चरा रहा था तो वहां परड़ (सांप) आ गई, गाँव के भले परड से डर कर पडियों(भैंस का बछड़ा) पर चढ़ गए। उल्टी बात हो गई। इसी तरह आजादी के बाद हम लोगों को ऊपर करने को बजाय छाती पर लात मार दी, ऐसी लात मार दी, कि 20 साल और उठ नहीं सकेंगे। अगर सदन में पिछड़ी हुई जातियों की बात उठाते है, किसान की बात उठाते हैं तो दबा दिया जाता है। पुलिस शोषण कर रही है। कल मेरा कटौती प्रस्ताव था। मैं शिक्षा पर ही बोल रहा हूँ। पुलिस हरिजनों के बच्चों पर झूठे मुकदमें बनाकर उनको शिक्षा से वंचित करती हैं। सारी पुलिस बुरी नहीं है लेकिन खास तौर से कुछ ऐसे विद्यार्थी जो बीकानेर के कॉलेज में पढ़ने वाले थे, पुलिस ने पिछले महीने में मार्च में एक बच्चे को पीटकर और उसका हाथ तोड़ दिया, उस पर झूठा मुकदमा लगाया कि लड़के आपस में लड़े थे।

चुरू जिले का. सुजानगढ़ तहसील में सम्मासर का एक विद्यार्थी श्री शिवकरण माचरा नौजवान लड़का था, उसका हाथ तोड़ दिया, रात भर उसको कूटा और उसके खिलाफ केस दायर किया है।

इन्होंने दूसरे विद्यार्थियों पर हमला कर दिया। बड़े खेद की बात है आज के दिन किसान के बच्चे पढ़ने जाय और आपका विभाग उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें। आपकी राज्य की व्यवस्था ऐसी है जो अन्याय करती है। मैं चाहूंगा शिक्षामंत्री जी से कि आप स्वयं इस मामले की जांच करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बीकानेर में जब आप पधारे तो कम से कम हमें भी इत्तला कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री चुन्नीलाल : एक मिनट में समाप्त करता हूं। आपकी यह घोषणा है कि बीकानेर में सीमावर्ती इलाकों में, सीमा के रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ सीमावर्ती छात्रावासों में सीमा के रहने वाले लड़को को भर्ती नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय को बता रहा हूं और मंत्री महोदय, आप बात कर रहे है। सीमावर्ती छात्रावासों में किसी भी सीमा के रहने वाले किसान के बच्चों कों भरती नहीं किया गया है इसलिये मैं खास तौर से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जी चाहता है मैं कुछ और कहूं। सरकार तक बात नहीं पहुंचती है और वे परवाह नहीं करते है। एक बात

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

याद आ आती है।

श्री गिरधारीलाल : आप तो कहानी कहने लग गये।

श्री चुन्नीलाल : एक ने झूठा मुकदमा कर दिया, किसान पर। मुकदमा करने के बाद वह किसान अदालत से गया, वहां एक वकील साहब बैठे थे जिस तरह माथुर साहब बैठे हैं। वकील साहब उस किसान का मुकदमा लेने को राजी हो गये और कहा में मेहनताना लूंगा और तेरे को बरी कर दूंगा। मेरा मेहनताना मुसाड़िया जो से ज्यादा है। उसने कहाकि में मेहनताना बरी होने के बाद में दूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उसने कहा में मेहनताना अध्यक्ष महोदय के पास जमा करवा दूंगा। वे मेरे जिले के जिम्मेदार व्यक्ति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस वकील ने किसान को झूठी बात बताई थी। अदालत में वकील साहब ने यह बताया कि बिलकुल झूठ बोलना है। जब तुझे जज कोई बाब पूछे तो कह देना हुर्र, दुबारा पूछे तो कह देना हुर्र तीबारा कोई बात पूछे तो कह देना हुर्र। अदालत में मजिस्ट्रेट ने पूछा तो वह बाला हुर्र, वकील ने पूछा तो बोला हुर्र। मजिस्ट्रेट ने कहाकि यह तो बिलकुल बेवकूफ है और भोला है इसलिये बरो कर दिया जाय। दूसरे आदमियों से सलाह ली गई। दुबारा पूछा कि हुर्र। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कह दिया कि यह तो बावला है, इसलिये बरी कर दिया। जब वकील साहब की फीस का मामला आया और वकील साहब ने मेहनताना देने को कहा तो उसने जवाब दिया हुर्र। तो माथुर साहब आप देख लेना...........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माथुर साहब को खास तौर से कहता हूं कि इस हुर्र से बड़े बड़े काम किये है। इस हुर्र से हमने राजाओं से राज ले लिया, अंग्रेजों से राज ले लिया, जागीरदारों से जागीर ले ली। यह हुर्र अब हम आपको भी दिखा देंगे। और आपका शासन को समाप्त कर देगें।

श्री मथुरादास माथुर : बोलो हुर्र की जय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में राजस्थान में शिक्षा का प्रचार बढ़ा है। भी में मानती हूं कि आज जितनी रकम शिक्षा के उपर खर्च की जा रही है उतना शायद दूसरे मद पर खर्च नहीं की है। यह भी में मानती हूं और मंजूर करती हूं कि जब रियासतों का इन्टेग्रेशन हुआ तब शिक्षा पर डेढ़ दो करोड़ खर्च होता था आज उसका 27 करोड़ का बजट है।

एक माननीय सदस्य : 29 करोड़ का है।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत :)

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व स्त्री शिक्षा नाम मात्र की थी लेकिन आज शहरों में कालेज भरे हुये हैं। गांवों तक में शिक्षा पहुंच रही है और 5 प्रतिशत से लगाकर हमारे यहां लड़कियों की संख्या 26 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है यह मानते हुए में शिक्षा के ऊपर कटौती का प्रस्ताव इसलिए रखती हूं कि शिक्षा की नीति स्थिर होनी चाहिये, वह नहीं है। जो शिक्षा की नीति है जिसे समुचित रूप से शिक्षा कहनी चाहिये, वह नहीं है। आज भी हमारा राज्य एक्सपेरीमेंट पर चल रहा है। नित नये तरीके के एक्स-पेरीयमेंट शिक्षा के ऊपर किये जा रहे हैं। आज भी सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल रखने चाहिये कि हाई स्कूल। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी शिक्षा की तरफ देखती हूं तो ऐसा पता चलता है कि सरकार की क्वान्टिटि की ओर नजर जाती है लेकिन इसकी क्वालिटी की तरफ शायद ध्यान ही नहीं है। जब गांवों के स्कूल की तरफ नजर जाती है तो देखती हूं जगह जगह स्कूल भवन अधूरे पड़े हुए हैं। सरकार और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं शिक्षकों की गिनती पूरी नहीं है। उनके तबादले हो जाते हैं और वे टीचर नवम्बर तक पहुंच पाते हैं। जब प्राईमरी स्कूलों की तरफ नजर जाती है तो दुख होता है जो समुचित शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिये, वह दे पा रहे हैं या नहीं यह भी पता नहीं। वर्तमान में हम जो शिक्षा दे रहे हैं, उसका सबसे बुरा परि-णाम आता है कि जिस किसी बच्चे को थोड़ी बहुत शिक्षा मिल गई, समझ लीजिये वह बेरोजगार की लाईन में खड़ा हो गया। पता नहीं किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि वे किसी प्रकार का धन्धा नहीं कर पाते हैं। उन्हें पसन्द आता है बाबू। 8वीं क्लास तक पहुंचे तब सोचते हैं मैं क्लर्क बन जाऊं। सबसे बड़ी खराबी शिक्षा में है। मै यह निवे-दन करूंगी गांवों में जो प्राईमरी स्कूल हैं, उनमें एग्रीकल्चर का प्रबन्ध किया जा सके तो बच्चों को एग्रीकल्चर की शिक्षा मिलेगी और जो बेकारी नजर आ रही है वह भी दूर होगी। आज जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगते हैं, उन्हें खेती के काम से नफरत होती है। अगर हमारी वर्तमान एज्यूकेशन पर ध्यान दिया जाय। मुझे कितना समय मिला है, आप बार बार घड़ी की ओर देखते हैं और मैं सोचती हूं कि समय.... .... । आज उपा-ध्यक्ष महोदय हम देखते हैं कि स्कूलों में लड़को और लड़कियों में अनुशासन हीनता बढ़ती जाती है। इन्सपेक्टर स्कूलों की जांच के लिए जाते तो वे देखेंगे, उनके हिसाब को, वे देखेंगे उनके मकान को, मास्टर हैं या नहीं, इसको देखेंगे लेकिन यह नहीं देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार होती है। बच्चों के और शिक्षकों के बीच किस प्रकार का ताल-मेल होता है, यह नहीं देखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय कोई ठीक प्रकार की जांच नहीं होती है। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद यदि मै कहूं इस शिक्षा में कु शिक्षा काफी मात्रा में दी जा रही है तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम देखते हैं कि जगह जगह कालेजों में, यूनिव-र्सिटियों में अनेक जगह हड़तालें चलती हैं। तरह तरह के रोजाना उपद्रव हो रहे हैं। क्या हमारा शिक्षा विभाग इस ओर नहीं सोच सकता है कि इस रोजाना की हड़तालों का कौनसा कारण है। नये नये तरह के रोजाना झगड़े होते हैं। यह मैं मानती हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे राजनैतिक कारण भी है, राजनैतिक कारणों से भी

Page No. 99

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुन्डावत)
उपद्रव कराये जाते हैं श्रौर ज्यादातर इसी कारण से उपद्रव होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि इन कालेजों में, युनिवर्सिटियों में, शिक्षा संस्थानों में पार्टी बाजी होती है।

पार्टी बाजी के कारण आपस में झगडे करते हैं श्रौर उसके शिकार बनते हैं हमारे विद्यार्थी वर्ग। एक जगह नहीं अनेकों जगह कालेजों में यह सवाल आया है। शिक्षकों ने श्रौर प्रोफेसरों ने अपने हितों के लिये विद्यार्थियों को उकसाया श्रौर सारे के सारे झगडे इन्होंने कराये।

तो मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस श्रोर आकर्षित करना चाहती है कि किसी भी शिक्षक या प्रोफेसर आदि की बात ध्यान में आवे कि पार्टीबाजी बनाकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उस पर बहुत ही स्ट्रोंग एक्शन लिया जाना चाहिये।

दूसरी, राजनैतिक बातें श्रौर ढंग से देखी जावेंगी, पर विभाग में इस प्रकार के कार्यों के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है।

दूसरा सरकार का ध्यान आज साम्प्रदायिक बातों की श्रोर सही तरह से नहीं जाता। सरकार की नीति है कि साम्प्रदायिक बातों को दूर हटावें। पर अफसोस से कहना पड़ेगा कि डाइरेक्ट न सही, पर इन्डारेक्टली कम्यूनल बातों को बढाने में शिक्षा विभाग के कई शिक्षकों का एक प्रकार से हाथ रहता है। क्योंकि कई ऐसी कम्यूनल संस्थाएं हैं जिनको ग्रान्ट इन एड राज्य सरकार देती है श्रौर वहां पर कम्यूनलिज्म के जर्म्स को बढ़ाया श्रौर पाला पोसा जाता है। नजीर के तौर पर कहूंगी कि जिस तरह मिशनरी ईसाई स्कूलें काम कर रही हैं जिनको 90 प्रतिशत ग्रान्ट इन एड मिलती है, वहां ईसाई धर्म प्रचार के लिये न जाने कितने तरीके अन्दर ही अन्दर अपनाये जाते हैं। हालांकि यह मान सकते हैं कि जितनी अच्छी शिक्षा श्रौर जितनी अटेन्शन प्रति विद्यार्थी के प्रति इन संस्थाओं में दिया जाता है, उतना सरकारी स्कूलों में भी नहीं दिया जाता। हालांकि इसका भी कारण है, सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है शिक्षकों के अनुपात से श्रौर यहां शिक्षक अधिक होते हैं उनके पास वित्तीय साधन अधिक होने के कारण। पर यह सही है कि इन मिशनरी स्कूलों में धार्मिक प्रभाव बच्चों पर डालने की चेष्टा की जाती है। तब भी परसनल अटेन्शन दिये जाने के लालच से लोग वहां अपने बच्चों को भेजना अधिक पसन्द करते हैं। तो इनसे भी कम्यूनल झगडे बढते हैं।

इसके साथ साथ आर.एस.एस. भी ऐसी संस्था है, जहां बच्चे प्रातः ही लाठी ले लेकर पहुंचते हैं श्रौर वहां दूषित विचारधाराएं उनके कोमल मस्तिष्क में बिठाई जाती हैं। बहुत से शिक्षक भी इसमें योग देते हैं। इस तरह से कम्यूनल भावनाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब या तो आप इस बात को स्पष्ट स्वीकार कर लें कि आर. एस. एस. में जाना गुनाह नहीं है। तो हमें ऐतराज नहीं। इधर तो सरकार नियम बनाती है कि हमारे शिक्षक आर. एस. एस. में न जावें। उधर खुल्लाम खुल्ला आपके 70/75 प्रतिशत शिक्षक उसके साथ सम्बद्ध हैं। कहना कुछ श्रौर श्रौर करना कुछ श्रौर। तो इन ईसाई मिशनरियों श्रौर आर. एस. एस. के बारे में सरकार को अपनी नीति श्रौर

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

स्पष्ट करनी होगी। सरकार को अपने बनाये नियमों और कानूनों पर अमल करना चाहिये। नियमों में ढील देकर अपने आपको अधिक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमें स्पष्ट नीति अपनानी होगी। और उस पर मजबूती के साथ चलना पड़ेगा।

उपाध्यक्षजी, में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत सी स्कूलों में, ग्रान्ट इन एड दी जाती है, 90 प्रतिशत तक दी जाती है। इनमें आपने, और बी कैटेगरी भी बना रखी है। पर कई स्कूलों में यह कैटेगरी गलत ढंग से की गई है। बहुत सी अच्छा सेवा कार्य कर रही है फिर भी ग्रेड उनको नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं की ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगी जहां ग्रान्ट इन एड तो आपसे पूरी लेती हैं पर अपने स्टाफ कोवे उतना पेमेन्ट नहीं करतीं। किसी को सौ की तनख्वाह होती है तो उसे सत्तर पिचहत्तर दिया जाता है। रसीद पूरी की लिखाते हैं या न जाने किस किस ढंग से चन्दा में या किसी में लेकर तनख्वाह पूरी दिखा दी जाती है। तो जब सरकार सहायता देती है तो नियमानुसार उसका पूरा कन्ट्रोल भी इन पर होना चाहिये और सरकार को यह पूरी व्यवस्था करनी चाहिये कि मास्टरों को पूरा वेतन मिले। जो नहीं देती संस्थाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। वह संस्था फिर चाहे किसी महानुभाव की हो। इसमें रहमदिली बरतने की कोई जरूरत नहीं है।

साथ ही साथ में आपका ध्यान राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह में अनेक बार कह चुकी हूं और विश्वास है कि राजस्थानी संस्कृति और साहित्य की उपेक्षा की है। कार्य रूप में हमेशा इसकी उपेक्षा ही की है इस शिक्षा विभाग ने। राजस्थान के इतिहास की भी उपेक्षा की है राजस्थानी लेखकों की भी उपेक्षा की है।

इसके लिये निवेदन करूंगी कि यह जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनमें राजस्थान की संस्कृति और इतिहास को स्थान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिये, कहीं कहीं छोटी मोटी ऐतिहासिक कहानी या कुछ तथ्य दे दिये जाते हैं और इसी में सन्तोष मान लिया गया है। इन पुस्तकों में राजस्थान के ऐतिहासिक पुरुषों के नाम तक गलत छपते हैं। ऐसी पुस्तकें हमारे बालकों में देश भक्ति और शौर्य की क्या प्रेरणा दे सकेंगी।

फिर जो लेखकों की रचनाएं और कविताएं इनमें होती है उनमें इस धरती पर पैदा हुए लेखकों को बिलकुल नेग्लेक्ट किया गया है।

पुस्तकें बाहर छपती हैं यू. पी. में छपती हैं और वहीं के लेखकों की कृतियों का लेकर इन में धर दिया जाता है। पर राजस्थान के लेखकों, साहित्कारों और कवियों की रचना को कोई स्थान नहीं दिया जाता। मेरे पास सूची है कि किन किन व्यक्तियों के आर्टिकल्स और कृतियां इनमें छपी हैं।

में निवेदन करना चाहूंगी कि दो तीन व्यक्ति ऐसे हैं राजस्थान के जिन को राजस्थानी कह सकते हैं और जिनकी रचनाओं

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

को इनमें स्थान मिला है, पर जो बाहर से आये सर्विस में आये हुए हैं, जो आज हमारे यहां की सर्विस में हैं, उनके नाम छापकर आप कहना चाहते हैं कि राजस्थान के साहित्यिकों की कृतियां दे दी गई हैं। यह सही नहीं है। आपने बोनाफाइडो राजस्थानी साहित्यकारों को कितनी कृतियों को स्थान दिया ? यह बात दें। आज इससे राजस्थान के सारे साहित्यकारों में क्षोभ है। क्या राजस्थान में कोई ऐसा साहित्यकार नहीं है ? केवल कन्हैयालाल सेठिया की कविता छपी है, इसके अलावा दूसरे लेखकों की, कवियों की कोई कृति दिखाई नहीं देती, मामूली सी एक दो जगह के सिवाय।

तो हमें बड़ा भारी क्षोभ है, राजस्थान के साहित्कारों में बड़ी क्षुब्धता छाई हुई है कि दो करोड़ राजस्थान की जनता में क्या दो चार-पांच साहित्यकार, लेखक, कवि आपको अभी तक दिखाई नहीं दिये। क्या आप यह मानते हैं कि दो-चार-पांच साहित्यकार लेखक कवि भी अब तक राजस्थान पैदा नहीं कर सका जो कि हमारे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त रचनाएं लिख सकें ? अगर राजस्थान में ऐसे साहित्यकार, कवि, लेखक पैदा नहीं किये जा सके तो यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं अपने प्रदेश के दुर्भाग्य की बात इसे कहूँ या शिक्षा विभाग ने इन साहित्कार लेखक, कवियों के प्रति जो रुख अपना रखा है, जो उपेक्षा वृति अपना रखी है उसको दोष दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि इन पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान के इतिहास को, यहां की गौरवशाली परम्पराओं को और यहां की संस्कृति, शिक्षा और दीक्षा को उचित स्थान दिया जावे। हमारे यहां के देश भक्त वीरों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियों से इस प्रदेश को गौरवान्वित किया है उनकी गौरव गाथा और जीवन चरित्र इनमें अवश्य दिये जाने चाहिये ताकि बच्चों में वैसे ही ऊंचे संस्कार अंकुरित हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आर्काईव्ज विभाग की ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है जब मैं बीकानेर जाती हूँ और वहां जो कुछ संग्रह इसका किया गया है तथा वैज्ञानिक वर्गीकरण किया उसे देखती हूँ तो काफी प्रसन्नता होती है। जो कुछ संग्रह किया गया है वह विद्वानों के लिये शोध कर्त्ताओं के लिये और राजस्थान के गौरव के लिये और हमारी प्राचीन साहित्यिक सम्पदा को देश के सामने लाने के लिये है, उसे बढ़ाने के लिये वहां की एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। जैसे आप सब जानते हैं वे पुरानी हमारी निधियां है उन पर शोध कार्य किया जाता है तो चाहे उनका शोध किया जावे चाहे उनका वर्गीकरण किया जावे। वह सारे के सारे प्राचीन अभिलेख हैं जो कि तीन भाषाओं में मिलते हैं परशियन, उर्दू और पुरानी राजस्थानी। जब तक इन तीन भाषाओं का जानकार वहां नहीं हो इनके ऊपर काम नहीं किया जा सकता। जो वहां के प्राचीन लेख मिलते हैं, जो हमारे हाथों में लिखे हुए हैं उनको पढ़ने के लिए हरएक आदमी के लिए आसान काम नहीं

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

है कि उन लिपियों को जो 200 और 300 साल पहले अलग अलग ढंग से लिखे गये थे उनको आसानी से पढ़ सकें । कुछ व्यक्ति जो पुरानी सेवाओं में थे वह ऐसे थे कि जो हाथ से लिखी हुई लिपियों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं । आज हमारे सामने समस्या यह आ रही है कि उन्हें पढ़ेगा कौन ? कल भविष्य में आने वाली यह समस्या और विकट होकर आयेगी कि इन लिपियों को पढ़ेगा जो कि हाथ की लिखी हुई हैं और भाषायें लिखी हुई है, उनको कौन समझ पायेगा । इसका कारण यह है कि जो पुरानी सर्विस में हैं वह तो इस काम को कर रहे हैं लेकिन आगे आने वाले विद्यार्थी न तो लिपियों को पढ़ने की चेष्टा करते हैं और न पढ़ना ही चाहते हैं और वह चाहेंगे भी क्यों ? इस लिए कि कोई इसके लिए विशेष ऐड नहीं है, विशेष साधन नहीं है । एक बी० ए० और एम० ए० का विद्यार्थी बैठता है आज वह पोस्ट किसको दी गई है क्लर्क को । तो क्या एक विद्यार्थी क्लर्क की छोटी सी तनख्वाह के ऊपर काम करना चाहेगा ? इस लिए आज कोई उस लाइन में जाना नहीं चाहता । इसलिए मैं निवेदन करूंगी उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह के लेख जो पढ़ने वाले हैं उनको चाहें तो आप रिसर्च वालों में लें, चाहे उनका टेक्निकल नाम दें, चाहे स्पेशेलाइज० बनायें लेकिन इस प्रकार का ग्रेड कायम किया जावे कि दूसरे विद्यार्थी हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ने के लिए सर्विस में आ सकें और इस तरह की उनको सुविधायें मिलें । अगर आपने यह नहीं किया तो आने वाले 10 सालों में एक भयंकर विकट समस्या हो जाएगी कि न तो उनको कोई पढ़ा सकेगा और न उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का काम कर सकेगा । चाहे कोई रिसर्च स्कालर एम० ए० या पी० एच० डी० का हो उसको मुंह देखना पड़ता है क्लर्क का । वह पढ़कर सुनाता है तब वह रिसर्च कर सकता है । और उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद हस्तलिखित चीजों को पढ़ती हूं और मैं निःसंकोच कहना चाहती हूं कि कई लिपियां ऐसी हैं, जैसे प्राचीन जोधपुर की लिपि है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, प्राचीन कोटा और बूंदी की लिपि है वह मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाती है हालांकि, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दिलचस्पी है तथा डिसाइफर भी कर लेती हूं लेकिन कितनी मुश्किलें आती हैं इसी को देखते हुए मैं आपके सामने यह समस्या रख रही हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो हमारे पुरातत्व विभाग वगैरह हैं मेरा मतलब है म्यूजियम वगैरह से उनके बारे में मुझको थोड़ा सा ध्यान दिलाना है जिसमें अभी गंगानगर के मुंडा गांव में एक्सकेवेशन के जरिये वीरभद्र की मिट्टी की मूर्ति मिली और भी कई चीजें माडलागढ़ से और इधर उधर से मिली हैं । उसके लिये मैं इस विभाग को बधाई देती हूं कि कुछ दुर्लभ चीजें उन्होंने प्राप्त कीं और इस बारे में काम भी हो रहा है लेकिन फिर उसी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जिस प्रकार के शिलालेख है । जिस प्रकार के एक्सकेवेशन के काम होने चाहिए उनके लिये न तो हमारी सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि दी गई है और न उस सम्बन्ध में काम ही हुए हैं । इन सारी की सारी चीजों को रिसर्च करने के लिए स्मारकों को सम्भालकर रखने के लिए और इस तरह की जो चीजें हैं उनको बढ़ाने के लिए जैसे कालीबंगा में जो प्राचीन सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं वह मोहनजोदड़ो से भी पुराने हैं । इसी प्रकार गंगानगर के रंगमहल और पल्ल में प्राचीन

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

चीजें प्राप्त हुई अगर उन पर काम किया तो प्राचीन के ऊपर बहुत कुछ प्रकाश डाल सकेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि इन बातों की ओर आज 29 करोड़ का बजट होते हुए भी हमारा शिक्षा विभाग बहुत कम इस मद में धनराशि रखता है। मैं फिर इस शिकायत को दोहराना चाहती हूं कि हमारे राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में और इन मामलों में हमेशा से राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग आंख मींचकर रहा और आज भी उसी नीति से चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इधर हमारी प्राचीन मूर्तियों की चोरियां हो रही हैं, प्राचीन ग्रन्थ लाईब्रेरी से निकाले जा रहे हैं. मेनुस्क्रिप्ट्स को बाहर के गेंग आकर और थोड़ा थोड़ा पैसा देकर क्लर्कों से ले जाते हैं और आज उनका पता नहीं चल रहा है। जब जब हम सवाल पूछते हैं तो उत्तर मिलता है कि पुलिस कार्यवाही कर रही है। हमारी जो अमूल्य चीजें हैं वह कौड़ियों के भाव बाहर वाले, विदेश वाले गेंग आकर हमारी तिजोरियों में से निकाल कर ले जाते हैं और राजस्थान अपनी अमूल्य सम्पदा से वंचित कर रहा है। और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमारी प्राचीन चीजों का जिसके लिए राजस्थान को गौरव है जो अमूल्य चीजें हैं वह चली जायेंगी उसके बाद कुछ नहीं रहेगा।........

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय समय का ध्यान रखा जाये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : फिर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान का शिक्षा विभाग राजस्थान की संस्कृति की ओर ध्यान दें। आज शिक्षा की मांग है और कल जब गृह मंत्रालय पर वाद विवाद था तो सदन खचाखच भरा था और सारे उत्सुक थे जोरों से स्पीचें हो रही थीं आज जब कि शिक्षा के 29 करोड़ के बजट पर वाद विवाद हो रहा है जो हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है हमारी ट्रेजरी बेन्चेज खाली पड़ी हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारे सदन के माननीय सदस्य कितना इन्टरेस्ट लेते हैं। कल ऊपर से उठ उठ कर बोल रहे थे कि हम बोलेंगे आज सदस्यों की यही हमारे साहित्य के प्रति और शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति रही तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपने 5 मिनिट के समय की मांग की है।

श्री विट्लप्रस द शर्मा : धन्यवाद आपको भी।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में स्वतंत्रता के बाद हमें इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का जन्म देना था जो हमारी संस्कृति और हमारी प्रतिभा के अनुकूल हो। गनीमत है भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। भारत सरकार ने डा० राधाकृष्णन और डा० जाकिर हुसैन की देखरेख में इस प्रकार की समिति का

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

गठन किया। राजस्थान सरकार ने भी समय समय पर इस प्रकार के आयोग बैठाये हैं और इन आयोगों ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित की हैं। 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान में डेमोक्रेसी का डीसेन्ट्रेलाइजेशन हुआ, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ और प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। मैं चूंकि प्रधान रहा हूं इसलिए पंचायत समितियों के अन्दर जो स्कूलों की स्थिति है, अध्यापकों की जो स्थिति है उसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। आपने यह दावा किया है, आपने इसका प्रचार किया है कि हमने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर दिया है और सत्ता को जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दिया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह से करके आपने बहुत बड़ी बेगार पंचायत समितियों के माथे पर सौंप दी है। स्कूलों को उनको दे दिया है लेकिन अफसोस है कि पंचायत समितियों में जितने अध्यापक हैं, जितने स्कूल हैं उनके लिए शिक्षा विभाग पूरा वेतन नहीं देता है और अध्यापकों की हालत पंचायत समितियों में इस प्रकार की है कि पंचायत समिति अपने कोष से, अपनी इनकम से उन अध्यापकों को वेतन चुकाती है। जो दूसरे भेदभाव बरते जाते हैं वह यह हैं कि शहरों की जनता से किसी प्रकार का श्रमदान नहीं लिया जाता, अंशदान नहीं लिया जाता लेकिन देहाती ग्रामीण जनता को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वह श्रमदान और अंशदान दें और स्कूल बनायें।

(2 म.प.)

बड़े बड़े शहरों के अन्दर अधिक से अधिक स्कूल खोले जाते हैं, कालेज खोले जाते हैं। जितना भी विकास किया जाता है बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। देहातों के लिए सरकार न पैसा देना चाहती है और न सुविधायें ही देना चाहती है। सरकार कहती है कि हमने मील मील पर स्कूल खोल दिये हैं। शिक्षा मंत्री का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज देहात के स्कूलों में न बिछाने के लिए टाट की पट्टियां हैं, न पानी पिलाने के लिये लोटा और न बजाने के लिए घन्टी ही है। पंचायत समितियों की स्कूलों की स्थिति तो और भी बहुत दयनीय और खराब है।

मैंने एक कटौती का प्रस्ताव इकलेरा हाई स्कूल के बारे में रखा है मैं उसके संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। इकलेरा हाई स्कूल में 24 फरवरी से लेकर 29 तारीख तक हड़ताल हुई थी यह इस बात पर हुई थी कि इस स्कूल के अन्दर 17 अध्यापक हैं उनमें से आठ अध्यापक ऐसे हैं जो साम्प्रदायिक विचार धारा वाले हैं जिनमें से एक का नाम पीर मोहम्मद है जो मुख्याध्यापक है और दूसरे रसूल मोहम्मद है। ये अध्यापक ऐसे हैं जो रात दिन स्कूल का वातावरण खराब करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी हरकतों को सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। ये अध्यापक स्कूल में जो बालिकायें पढ़ती हैं उनके साथ अश्लील मजाक करते हैं, बालिकाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। इसलिए बच्चों के अभिभावकों ने अपनी बालिकाओं की अस्मत बरबाद होती देख कर लड़कियों का टी० सी० कटवा लिया। और इसको पोलिटिकल कलर कर दिया गया मैंने जब इस बात की शिकायत को इन्सपेक्टर और एस० पी० महोदय को कहा कि इस तरह से स्कूल में गुण्डागिर्दी पनप रही है तो

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

इन्सपेक्टर ने उन अध्यापकों का वहां से ट्रान्सफर कर दिया। मुझे अफसोस है कि उन अध्यापकों के ट्रान्सफर को पोलिटिकल कलर दिया उस इलाके के एक नये सूबेदार मुकर्रर हुए हैं मुआडिया जो के नये सूबेदार कन्हैया लाल जो ने मजबूर किया इन अध्यापकों का तबादला रद्द कर दिया जाय। आज वहां की बालिकाओं का जीवन जिस प्रकार से खतरे में है उसको देखते हुए इन गुण्डे अध्यापकों के साथ शासन को किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिये। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जयपुर, जोधपुर और कोटा के अन्दर अश्लील साहित्य खुले आम बाजारों में बिक रहा है। जिसको पढ़ कर हमारे बच्चों के मानसिक चरित्र पर कुप्रभाव पडता है इसको रोकना बहुत आवश्यक है। मैं नमूने की तौर पर दो प्रतियां लाया हूं जिसको पढने में बडो शर्मिन्दगी अनुभव होती है फिर भी मैं कुछ पंक्तियां पढ कर सदन के सामने रखना चाहता हूं इस पत्रिका का नाम है आज का हंगामा जिसके शरद अंक में लिखा है:-

"नीचे से उछलना शुरु कर दिया उसने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। वह उरोजों को दबा रहा था।"

दूसरी किताब मिलन अंक में भी इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं।

"गाउन खींच कर नग्न कर दिया, मुझे बाहों में कस लिया और बाहों में उठा लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिये मुझे गुड़िया की भांति बाहों में उठा लिया।"

आज ये किताबें जयपुर जोधपुर और कोटा में स्कूलों के नजदीक खुले आम बिक रही हैं। इस प्रकार के साहित्य के पढने से बच्चों के चरित्र पर किस प्रकार का प्रभाव पडता है। स्वयं सोचिये।

एक माननीय सदस्य : क्या ये पाठ्यक्रम को पुस्तकें हैं क्या ?

श्री गोकुल प्रसाद : क्या ये दोनों पुस्तकें किसी शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में हैं क्या।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : ये दोनों पुस्तकें सदन की मेज पर रखता हूं। मैं इसको बता कर यह अर्ज कर रहा था ऐसा साहित्य जिससे इन्सान हैवान बन जाता है ऐसे साहित्य को जप्त किया जाय। एक तरफ तो आप स्कूलें खोलते हैं, विद्यालयों की संख्या को बढ़ा रहे हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है और मैं आपसे पूछता हूं कि सरकार एक ओर स्कूल कालेज बढाती जाती है और दूसरी ओर जेलखाने भी बढ़ते जाते हैं। जब कल पुलिस की डिमान्ड चल रही थी उस समय पुलिस मंत्री ने कहा कि अपराधों की संख्या बढ रही है। एक तरफ आपने शिक्षा बढायी है दूसरी तरफ अपराध भी बढे हैं। विशेष तौर पर मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का साहित्य दूसरे राज्यों में जप्त किया गया है यहां भी आपको रोक लगानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पांच मिनिट का समय मांगा है उससे भी ज्यादा ले लिया है।

श्री विट्ठल प्रसाद : मैं एक दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

Page No. 106

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि यहां पर बोलने के लिये भी कुछ महन्तों को ही अधिकार है। जो विधायक नये आते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, अवसर नहीं दिया जाता....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपके दल का आन्तरिक मामला है।

श्री विट्ठल प्रसाद : कई सदस्य ज्यादा विद्वान हो सकते हैं पुराने अनुभवी हो सकते हैं हम नये है लेकिन जहां तक समय का सवाल है सबको समान अवसर मिलता है तो यह हमारे लिये सौभाग्य की बात होगी। नये लोगों को मौका नहीं दिया जाता हम आसन से इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि उनका बरताव सबके साथ समान रूप से होगा मगर आप हमें समय नहीं देते हैं यह दुख की बात है आपको हमारी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से बाध्य किया जाता है कि हर माननीय सदस्य निर्धारित समय में ही अपनी बात कह दें। आपके दल के माननीय सदस्य जिनके नाम बोलने के लिये दिये जाते हैं उसके अनुसार समय का निर्धारण होता है। यदि माननीय सदस्य यह चाहें कि जो आसन को नजर में आवे वे माननीय सदस्य इसी हिसाब से बोलते रहें तो आसन को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसमें भी बहुत से माननीय सदस्य जिनको विशेष जानकारी होती है, उनका दल चाहता है कि वे ही बोलें उस हिसाब के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर समय का बटवारा उसी हिसाब से करते हैं। आप यह समझते हों कि आपके दल के नेता आपके साथ न्याय नहीं करते हैं तो आसन को अधिकार है, आसन को उन माननीय सदस्य को ज्यादा समय बोलने का देने का अधिकार है और समय दे सकते हैं। यह आपके दल की आन्तरिक व्यवस्था है।

श्री भगवानदास शास्त्री : (अजमेर-पश्चिम) : पार्टी के लीडर के लिये माननीय सदस्य द्वारा कोई बात नहीं कही गई। टाइम लिमिट हर काम में एक तरह से कन्ट्रोल की तरह हो जाता है इसके कारण हमेशा कोई न कोई नाराज हो जाता है। माननीय सदस्य का कहना किसी पार्टी के नेता के लिये नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : इनका आरोप आसन की तरफ था। लेकिन आसन को इसमें कोई आपत्ति नहीं कि माननीय सदस्य अच्छी तरह से बोलें। यह तो आपके दल की आन्तरिक व्यवस्था का सवाल है। अमुक माननीय सदस्य इतना बोलेंगे अमुक इतना इस तरह से समय का निर्धारण करके उनके द्वारा जो लिस्ट दी जाती है, उसी के अनुसार समय दिया जाता है अगर एक माननीय सदस्य अपने निर्धारित समय से ज्यादा ले लेते हैं तो उसमें दूसरे माननीय सदस्य को उतना समय बोलने के लिये नहीं मिल सकेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय सदस्य का कुछ सदस्यों को विशेष समय दिया जाता है उसके लिये इशारा था।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : हम विपक्ष में हैं इसलिये हमारे साथ इस तरह का बरताव होता है हमारा कोई काम शासन करता नहीं। गवर्नर एड्रेस के समय बजट पर वाद

(श्री रामनारायण)

विवाद के समय और कट मोशन केवल समय देना नहीं चाहते हैं उन पर भी आपके द्वारा हमारे पर रोक लगायी जाती है। स्थगन प्रस्ताव देते हैं उसको आप अलाऊ नहीं करते। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को आप रिजेक्ट कर देते हैं। आधे घन्टे की चर्चा आप करने देना चाहते नहीं.......

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की बातें नहीं कही जाय।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको तो ज्यादा समय मिलता है शिकायत तो हमको होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप जितने समय बोलना चाहते थे उतना समय ले लिया। आप थोड़ा समय और ले सकते है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं अब बोलना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने मुझे समय दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : परसरामजी सिन्धी में बोलेंगे।

श्री परसराम गंगाराम : राजस्थान में 20843 लड़के प्रथम और मध्यम श्रेणी में पढ़ रहे है और नागोर जिले में 934, लेकिन देखा गया है कि इन स्कूलों में जो पंचायतों द्वारा चलाये जा रहे हैं, उनमें खास तौर से वहां 50 लड़कों पर एक मास्टर और 6 लड़कों पर चार टीचर्स स्कूलों में होते हैं। उनके पढ़ने का समय और टाइम ऐसे ही व्यतीत होता है, और न कोई घर का रहता है और न घाट का, और उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती और मास्टर साहब राजनैतिक बातों में अपना समय गंवाते हैं। उन लड़कों के सामने बीड़ियां और शराब स्कूलों में पीते रहते हैं। मैंने कांकरिया गांव में देखा है कि लड़के बैठे हुए आपस में मस्तिया वगैरहा करते रहते है, परन्तु वहां पर मास्टर साहब का इन्तजाम नहीं और मास्टर साहब स्कूल में नहीं थे। इसलिए मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि गांधी नगर स्कूल, अजमेर में सारे हाल में 400 लड़के पढ़ रहे हैं और बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। मास्टर लोग पढ़ाते हैं तो लड़कों पर कोई अंकुश नहीं होता है। मैं इसलिए मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह मेहरबानी करके उस स्कूल का निरीक्षण करें ताकि पता पड़े कि वहां पर लड़के किस तरह से पढ़ा करते हैं। स्कूलों में पढ़ाई और ज्ञान की बातें नहीं होती है और वे फिजूल बैठे रहते है, और चार बजे स्कूल से घर जाते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं। स्कूल जाने का मतलब यह है कि ज्ञान प्राप्त करें। कहा भी है कि—

नंदरा भोजन भोग मह यह पशु पुर्ष समजान।

नर ने ज्ञिन अदिकता ज्ञिन बिन्त पशुजान॥

जो मानुष विद्या का ज्ञिष प्राप्त नहीं करता वे पशु की तरह से अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, और उनका सारा समय ऐसे

(श्री परसराम गंगाराम)

नष्ट हो जाता है । जैसा कि एककवि ने कहा है—

मुरख पुज निज धाम गुणी पुज्य घिरह है ।

मतलब कहने का यह है कि शिक्षा पर जो लाखों और करोड़ों रुपया लगा रहे हैं फिजूल में बिना किसी मतलब के पानी के माफिक वह रहा है ।

मेरा यह भी आपसे निवेदन करना है कि 1966 से पहले 1967 तक सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित इन तीनों को मिलाकर 33 पर्सेंट मार्किंग, नम्बर लाने पर विद्यार्थियों को पास किया जाता था 1969 से यह नियम बनाया गया है कि इन तीनों विषयों पर अलग अलग 33 पर्सेंट नम्बर लाना चाहिए तब लड़कों को पास किया जायगा । मगर 1968 का क्या हुआ यह कृपा करके बताये । उन लड़कों का क्या हाल होगा । फिर मैं आपको निवेदन करूंगा कि 1968 वाले जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका इन विषयों के बाबत उनके लिए क्या नियम बनाया गया है ।

शिक्षा मंत्री जब रीढ़ गांव में पधारे थे । वहां पर स्कूल हायर सेकेन्डरी के लिये भवन पूरा बना हुआ है तब मंत्री महोदय वायदा करके आये थे सेल उदघाटन के वक्त कि मैं यहां हाई स्कूल बनाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगे, लेकिन वहां पर अभी तक हायर सेकेन्डरी नहीं बना पाई है वहां पर भवन सारा तैयार हैं । और मैं आपसे फिर भी यही निवेदन करूंगा कि आप इस और ध्यान देकर वहां पर जल्दी से जल्दी हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिए सेक्शन फर्मायेंगे । जैसे एक कवि ने कहा कि—

संघों में गंगाता न कीन लहन, नर्को मक्रि दाया माफ कीवन ।

सोने क्यों साफ तन पणोंही पाप परे थाविन ।।

दिल साफ है तो काम हो सकता है । इतना कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदलाल !

श्री नन्दलाल दण्डवासी (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा पर दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । कोटा जिले में शाहबाद नाम का एक कस्बा है । वहां पर हायर स्कूल चलती है । हायर स्कूल की बिल्डिंग जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई उसने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि शाहबाद कस्बे से करीब एक मील दूर शिवपुरी सड़क के ऊपर जाकर इस इमारत को बनवाया है । शाहबाद को दो क्षेत्र डाकू-ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते शाहबाद से लड़के एक मील दूर जंगल में पढ़ने नहीं जा सकते । इसी वजह से आज अगर इस इमारत को जाकर देखा जाय तो उसमें आर० एस० सी० की टुकड़ी रहती है । वहां पर पुलिस ने अपना अड्डा जमा रखा है । हायर स्कूल एक टूटी फूटी इमारत जो पुराना मकान है शाहबाद गांव के बीच में उसमें ही चल रहा है । वहां पर जो लड़के अच्छे पढ़ने वाले हैं जो आजकल साइन्स पढ़ना चाहते हैं वे मध्य प्रदेश के शिवपुरी के स्कूल में दाखला लेते हैं । साइन्स क्लास खुलवाने के लिए वहां की

(श्री नन्दलाल दण्डवासी)

जनता ने 14,000) रु० चन्दे से इकट्ठा करके इन्सपेक्टर ग्रॉफ स्कूल्स, कोटा की मारफत बेंक में जमा कराये हुए हैं राज्य सरकार ने पहले यह ग्राश्वासन दिया हुग्रा था कि वहां पर साइंस क्लास खुलवादी जायेंगी : वह खुली ही नहीं ग्रौर हायर स्कूल की जो इमारत तैयार हुई थी उस पर पुलिस कब्जा किए हुए है, ग्रौर हायर स्कूल एक टूटे फूटे मकान में गांव के बीच में चल रहा है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस ग्रोर ध्यान दें। वहां की जनता ने 14,000)रु० इकट्ठा कर रखा हुग्रा है वहां पर साइन्स क्लास खुलवाने के लिए तो उसको पूरा करें।

दूसरा कटौती – प्रस्ताव ग्रटरू हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिए दिया था। ग्रटरू हायर सेकेन्डरी स्कूल में वहां पर पहले एक मिडिल स्कूल चला करता था उसी में ग्रब हायर सेकेन्डरी स्कूल है। वह उसी पुरानी इमारत में है जो पहले मिडिल स्कूल के लिए थी। ग्रटरू की जनता ने वहां के बच्चों की परेशानी देख कर चन्दा इक्ट्ठा करना शुरु कर दिया ग्रौर 5-6 कमरे चन्दे से जनता ने तैयार किए ग्राज भी कुछ कमरे ग्रधूरे पड़े हैं। वहां पर साइन्स क्लासेज चालू की गई मगर किसी भी प्रकार राज्य सरकार ने साइन्स क्लासेज के लिए मदद नहीं की। साइन्स क्लास के लिये पंचायत समिति ने ग्रपने पर भार लिया साइन्स रूम्स बनवाने के लिये। वहां पर साइन्स रूम्स बनने का कार्य चल रहा है।

ग्राजकल परीक्षायें चल रही हैं ग्रौर परीक्षाग्रों का केन्द्र ग्रटरू बना हुग्रा है। वहां ग्रटरू हायर स्कूल, छबड़ा, छीपा बड़ोद के लड़के हायर स्कूल का इम्तिहान देने के लिए ग्राये हुए हैं, उनके लिए बैठने का पूरा स्थान नहीं है। कुछ कमरे ग्रधूरे पड़े हुए है, जिनके ऊपर छाया के लिये कुछ नहीं है केवल दीवारें खड़ी हुई हैं। मैं खुद ग्रटरू होकर ग्राया हूं, तो मैंने देखा है कि वहां पर कपड़े की चांदनियां तान कर छाया की हुई है ग्रौर उसके नीचे बैठ कर लड़के इम्तिहान दे रहे हैं। यह बड़े हर्ष की बात है। कोटा जिला शिक्षा का एक ग्रच्छा केन्द्र होते हुए भी ग्रटरू हायर स्कूल के ऊपर किसी प्रकार का राज्य सरकार ने ग्राज तक ध्यान नहीं दिया है। मैं शिक्षा मंत्री जी का इस ग्रोर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ग्रटरू हायर स्कूल में जो ग्रब तक ग्रधूरे कमरे पड़े हुये है उन को पूरा करने में सहयोग प्रदान करने में जो मदद कर सकें, करें। ग्रन्यथा वहां की जनता तो जागरुक है ग्रौर ग्रटरू ने ग्रब तो एक उप-मंत्री भी राज्य सरकार को दिया है।

एक बात मैं शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। भरतपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गबन का केस श्री जगदीश प्रसादजी माथुर हैं जो कि शिक्षा विभाग के ग्राडिटर हैं उन्होंने पकड़ा है। वहां पर शिक्षा उप-निरीक्षक एल० डी० रेमजे नाम का है उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में गबन किया है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कोष जो बच्चों से वसूल किया जाता है। जो ग्रध्यापक उनको पढाते हैं वे उनसे कहते है कि यह पैसा देश की सुरक्षा के लिये खर्च होने वाला है, बच्चे ग्रपने घर पर जाते हैं ग्रौर माता पिता से कहते हैं कि पिताजी इतने रुपये दीजिये, ग्रध्यापक जी ने बताया है कि यह पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देना है। इस तरह से एकत्रित किये हुए पैसे को एल० डी० रेमजे नामक निरीक्षका जो ग्रब भी मौजूद

(श्री नन्दलाल दण्डवासी)

है, गबन किया है। यह केस पुलिस में दर्ज कराया जा चुका है। बड़े अफसोस की बात है कि शिक्षा मंत्री जी ने उस एल० डी० रेमजे को मुअत्तिल नहीं किया है। एल० डी० रेमजे को तुरन्त बर्खास्त किया जाय और इस केस की जांच की जाय। सुनने में यह आया है कि श्री जगदीश प्रसाद जो गौड़ को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि वे इस मामले को दबावें। मैं बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को अपने हाथ में लें और इस केस को आगे बढ़ावें। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, स्त्री और पुरुष समाज के दो अङ्ग हैं और किसी देश का विकास तभी कर सकते हैं जब इन दोनों अङ्गों को सुरक्षित किया जायगा। लेकिन बजट में शिक्षा के मद में जो प्रावधान रखा गया है उसको देखने से महसूस होता है कि जितना परसेन्टेज एज्युकेशन के मद का मेल एज्युकेशन पर खर्च होता है उतना परसेन्टेज फीमेल एज्युकेशन पर खर्च नहीं होता। फीमेल एज्युकेशन का परसेन्टेज बहुत कम है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि किसी पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है और यदि किसी स्त्री को शिक्षित किया जाता है तो दो परिवारों को शिक्षित किया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इजराइल का देना चाहती हूं। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है। उसने अभी अभी अरबों को बताया है कि वह कितना मजबूत देश है। इसका कारण यह है कि वहां की महिला समाज ने बहुत उन्नति की है। वे बहुत शिक्षित हैं और वहां की करीब करीब सभी पायलट लड़कियां हैं। महिला शिक्षा की ओर हमारा प्रान्त उदासीन है और यही कारण है कि प्रान्त का विकास जितना होना चाहिये था उतना नहीं हो सका।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि बीकानेर शहर के पास ही गंगाशहर नाम का म्युनिसिपल टाउन है उसमें एक ही माध्यमिक स्कूल लड़कियों के लिये है। जिसके लिये वहां के डाइरेक्टर साहब ने भी कोशिश की कि यह हायर सैकेन्डरी बना दिया जाय लेकिन उसके बावजूद भी उसको हायर सेकेन्डरी स्कूल में कन्वर्ट नहीं किया गया। म्युनिसिपल टाउन होने के बावजूद भी मिडिल स्कूल को हायर सैकेन्डरी बनाने का नम्बर नहीं आ सका। बीकानेर गंगाशहर से 3 मील दूर पड़ता है वहां के लोग आज भी महिला शिक्षा में आगे नहीं हैं क्योंकि वे को-एज्युकेशन में अपनी लड़कियों को भेज सके, इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि वहां के मिडिल स्कूल को हायर सैकेन्डरी बनाया जाय।

जहां तक बीकानेर में पोस्ट ग्रेज्युएट महिला शिक्षा का सवाल है उसमें भी हम पिछड़े हुए हैं। जब जोधपुर में और जयपुर में लड़कियों के लिये पोस्ट ग्रेज्युएट शिक्षा का प्रबन्ध है तो बीकानेर में क्यों नहीं है। बीकानेर में एक ही सुदर्शन महिला कालेज है। वहां के स्टूडेन्ट्स द्वारा मांग की गई

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

कि वहां पर पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोली जांय लेकिन उनके मांग करने के बाद भी इस ओर तवज्जह नहीं दी गई कि पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासें खोली जांय। देश के विकास का माप दंड उसका महिला समाज है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्रीजी बीकानेर को इतनी बुरी तरह से निग्लेक्ट नहीं करेंगे और बीकानेर के लोगों की तरफ ध्यान देंगे, यह बहुत ही आवश्यक है।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर का महिला सुदर्शन कालेज शहर से दूर आउट ऑफ वे पड़ता है। लड़कियों को घर से वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है क्योंकि शहर से दूर है। वहां डूंगर कालेज की पुरानी बिल्डिंग शहर के बीच में है और वहां पर पहले डूंगर कालेज था और अब उसमें पोलीटेक्निक चलता है जो खाली होने वाला है। लड़कियों की कालेज को उसी में शिफ्ट कर दिया जाय तो लड़कियों को सुविधा होगी। वहां पर होस्टल भी मौजूद है, लड़कियां होस्टल में रह सकती हैं। इसलिये मंत्रीजी से निवेदन है कि इन दोनों बातों की ओर जरूर ध्यान देंगे। पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज सारे सब्जेक्ट्स में नहीं खोल सकें तो जो सब्जेक्ट्स लड़कियों के लिये उपयोगी हैं उन्हें ही खोलने की व्यवस्था करिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं प्राइमरी एज्युकेशन के बारे में। प्राइमरी एज्युकेशन की जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में है वह दोषपूर्ण है। हमारे यहां पर यह सोचा जाता है कि कम पढ़े लिखे अध्यापक छोटे बच्चों को पढ़ावें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि शुरू में बच्चों में जो संस्कार पड़ेंगे वे आखिर तक रहेंगे इसलिये यह जरूरी है कि बच्चों को शिक्षा इस तरह से मिले जिससे उनके संस्कार बन सकें ताकि आयंदा के राष्ट्र का निर्माण अच्छा हो सके। मिडिल स्कूलों के लिये इतने पढ़े लिखे अध्यापकों की जरूरत नहीं है जितनी बच्चों के लिये है। जितने पढ़े लिखे अध्यापकों की जरूरत बच्चों के लिये है उतनी बड़ों के लिये नहीं है। क्योंकि बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनकी सब फेकल्टीज डवलप हो सकें। मेरा मतलब यह नहीं है कि वहां पर कम पढ़े लिखे अध्यापक हो या अनपढ़ हो लेकिन बच्चों को शिक्षा इस प्रकार की मिले इस ओर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पंचायत स्कूलों को मैंने देखा है कि दो कमरों की बिल्डिंग होती हैं जिनमें से एक में मास्टरजी रहते हैं और दूसरे में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर को एज्युकेशन होती है क्योंकि लेडी टीचर्स के रहने की व्यवस्था नहीं होती, उनको रहने का साधन उपलब्ध नहीं होता इसलिये वे गांवों में जाना नहीं चाहती। इसलिये मास्टर ही उनको पढ़ाते है जो खुद मिडिल तक पढ़े होते है। उन स्कूलों की दीवारों पर मधुबाला नरगिस वगैरा के चित्र के कलेन्डर टंगे हुए होते हैं। सब्जी काटते हुए कच्छा बनियान पहने हुए क्लास में पढ़ाने आ जाते हैं, मैंने खुद ने देखा है इस प्रकार के अध्यापक लोग वहां पर है तो ये लोग क्या संस्कार बच्चों पर डालेंगे और उनको क्या डेवलप करेंगे। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इस तरफ भी ध्यान दें। जरूरत यह है कि

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

इस दिशा में ज्यादा महिलाओं को, जो बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञ हों उनको इस ओर लगाया जाय, रिलीजियस एज्युकेशन के बारे में मेरा कहना है कि आपने इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। पहले स्कूलों में जाते थे तो सबसे पहले प्रेयर हुआ करती थी। लेकिन आज वह प्रेयर राष्ट्रीय गान में परिवर्तित हो गई हैं। मुझे ऐतराज नहीं है कि राष्ट्रीय गान हो लेकिन प्रेयर भी होनी चाहिये। मिसिनरी स्कूलों में जो लोग पढ़ने जाते हैं वह लोग बच्चों को अपने ही ढंग की विलिजियस ट्रेनिंग देते हैं वह हमारी ट्रेनिंग से बिल्कुल भिन्न है और वे हमारे रिलिजियन से मेल नहीं खाती फिर भी हम उनको एड देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं जब कि हमारे इन्स्टीट्यूशन्स की तरफ आपकी तवजह नहीं है। लेकिन में सख्त विरोध करती हूँ कि जो मिशनरीज को एज्युकेशनल एड दी जाती है वह बंद करके वह रुपया हमारे खुद के एज्यकेशन पर लगाना चाहिये (हीयर हीयर)। और रिलीज्यस एजूकेशन पर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात में कहना चाहती हूं हालाकि उसका ताल्लुक इस मद से नहीं है, नरसिंग इन्सटिट्यूशन्स फिर भी ट्रेक्निकल एज्युकेशन में आता है। सरकार का जो प्लानिंग है वह बिल्कुल गलत है हर डाक्टर के पीछे 5 नर्सेज होनी चाहिये लेकिन इसओर ध्यान नहीं। सब नर्सेज बाहर से आती हैं क्योंकि ट्रेनिंग की यहां पर इन्स्टीट्यूशन नहीं है। प्लानिंग जनता के लिये किया जाता है कि जनता प्लान के लिये नहीं होती। सरकार के पास जब कुछ पैसा बढ़ा, जब विकास कार्यों के लिये एड मिलने लगी तब ट्रेक्नीकल एज्युकेशन को प्रोत्साहन दिया गया। तब इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाये गये। उसके बाद जब विकास में शिथिलता आई, फ़ेमिन पड़ गया तो विकास का काम कम कर दिया आजाद मुल्क में जिसके दो हाथ है दो पाँव है उनको कार्य नहीं मिल सकता पढ़ने के बाद भी तब आपने कह दिया कि ट्रेकनीकल इन्सटिट्यूशन्स को बन्द करना पड़ेगा। में सरकार की इस नीति को नहीं मान सकती। जब ट्रेक्नीकल लोगों को काम या व्यवसाय नहीं मिल सकेगा तो और पढ़े लिखे लोगों को, दूसरी तरह की एजुकेशन वालों को काम कैसे मिलेगा। इसलिए जो टेक्निकल इन्सटिट्यूशन्स में कमी करने की बात कही गई है वह मजाक सा है। साथ ही अपने यह कहा है कि साइमनटेनियलसि स्टाफ में कटौती नहीं की जायेगी वे वहीं पर रहेंगे तो सरकार के खर्च में कमी नहीं होगी और उनका पूरा उपयोग नहीं होगा तो उन को जो वेतन मिलेगा वह नेशनल वेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों नहीं स्टाफ में कमी करके पैसा बचाया जाय। एक तरफ तो आपने भर्ती कम कर दी और दूसरी तरफ कहते हैं कि पूरा स्टाफ चाहिये तो यह नेशनल वेस्ट है और सरकार पर जो दोष लगाया जाता है कि वह भाई भतीजेवाद को पालती है तो वह आरोप सही लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि टेक्निकल एजूकेशन में भरती में कमी करनी चाहिये, इंजनियरिंग कालेज में सौ की उदयपुर में कमी, 80 की जोधपुर में कमी करने की बात कही —यह गलत बात है। कोई कट टेक्निकल एजूकेशन में नहीं होना चाहिये। टेक्निकल एजूकेशन में आज के प्रगतिशील युग में, विज्ञान के युग में कमी की जाती है तो

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।

दूसरा मेरा एक सुझाव है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो शादी शुदा लोग हैं उनको इम्तिहान में बैठने की इजाजत न दें। इससे अर्ली मेरेजज नहीं होंगी, इससे एक तो बेकारी की समस्या हल हो जायगी और दूसरे फेमिली प्लानिंग भी हो जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता:- क्या कहा ? सुना नहीं !

श्री विजयसिंह रावत: फिर से कहें। सुना नहीं। वी डिड नाट हियर !

श्रीमती कान्ता कथूरिया:- एक निवेदन और है, आज जो एजूकेशन की पद्धति है, उसमें इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि विद्यार्थी क्लर्क और बाबू ही बनते हैं। इस तरह की एजूकेशन पद्धति हमारे यहाँ पर है, जिसके द्वारा सरकारी नौकरी के काबिल बनाने के अलावा कोई व्यवस्था बैठ नहीं पाती। जरूरत इस वक्त यह है कि एजूकेशन पद्धति में ऐसी हम चेंज लायें कि जिसमे स्टूडेंट्स को वोकेशनल और प्रोफेशनल टाइप की एजूकेशन मिल सके ताकि लोगों का सरकारी नौकरी का ही मस्तिष्क नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि सरकारी नौकरी नहीं मिले तो वह भूखे मरे। मैं समझती हूं कि वोकेशनल एण्ड प्रोफेशनल एजूकेशन की वजह से लोगों के जीवन को सुधारा जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर कालेज हैं, उसी तरह के कालेज हमारे यहां पर हों। और अभी जो इन्टरमीडियेट या मैट्रिकुलेशन की पद्धति है इसको खत्म करके शुरू से ही एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स और दूसरी चीजों में उनको ट्रेन्ड करना चाहिए, इस तरह से सब्जेक्ट पढ़ा कर बच्चों को बाद में अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिये ताकि वह पर्टीक्यूलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाय और उनको जरूरत नहीं रहे कि वह सरकारी नौकरी करने के मोहताज बनें।

बीकानेर में पोलीटेक्निक है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि बीकानेर में एक वूलन मिल स्थापित कर दी गई है और वहां पर अच्छा वूल का काम हो रहा है इसलिए जो वूलन टेक्नालोजी का सब्जेक्ट है वह वहां की पोलीटेक्निक में स्टार्ट कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

यह दो तीन मुद्दे थे जिनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती थी और मैं आशा करती हूं कि मंत्री जी इस मुद्दों की तरफ जरूर ध्यान देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं कि राजस्थान के भूमिहीन किसानों का एक प्रदर्शन विधान सभा के सामने आया है....

श्री उपाध्यक्ष:-- आप भाषण भी प्रारम्भ कर दीजिये तो अच्छा रहेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य:-- उनके बारे में राजस्थान के राजस्व मंत्री को सूचना देनी चाहिए और वहां उनके सामने मिलने जाना चाहिए। गंगानगर के राजस्थान कैनाल के भूमिहीन काश्तकार बाहर प्रदर्शन कर रहे

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी मांगों को सुना जाय और जो उनकी मांगें हैं उनको मंजूर किया जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह इतनी दूर दूर से चल कर काश्तकार यहां आये हैं, कम जमीन वाले और भूमिहीन किसान आये हैं। इसलिए आपको राजस्व मंत्री को यह कहना चाहिए कि उन्हें उनके सामने जाना चाहिए। राजस्व मंत्री जो सदन में हाजिर नहीं हैं और इतनी दूर से चल कर और काश्तकार तकलीफ उठा कर यहां आये हैं तो उनको जाकर उनकी मांगों को सुनना चाहिए और जो उनकी समस्यायें है उनको हल करना चाहिए। जिस तरह से कम जमीन वालों पर, छोटी जोत वालों पर फिर से लगान लगाया गया है....

श्री उपाध्यक्ष: आपके दल का दस मिनिट का समय बचा हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य:— यह निन्दनीय है। इसलिए राजस्थान भर के कम जमीन वाले और भूमिहीन काश्तकार बड़ा उग्र रूप धारण कर रहे हैं इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष:— आर्डर प्लीज! आप विषय पर बोलें कृपया!

श्री रामचन्द्र आर्य:— इस समय सदन में कोई मंत्री नहीं है, ट्रेजरी बेंचेज पर कोई मन्त्री नहीं है— इससे बढ कर शर्म की क्या बात हो सकती है। इस तरह से काश्तकारों की तकलीफों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है . . . .

श्री उपाध्यक्ष:— आर्डर आर्डर!

श्री रामचन्द्र आर्य:— इस प्रकार की जालिम सरकार का हम विरोध करते हैं क्योंकि यह सीटें खाली पड़ी हुई हैं. तो इस सरकार से क्या उम्मीद है और क्या फायदा है इन खाली सीटों के सामने बोलने से। उपाध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ में वाक आउट करता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष:—आपका नाम बोलने के लिए पुकारा गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य:— यह सरकार की बड़ी दुर्लक्षपूर्ण नीति है और हम इसका घोर विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष:— आपका नाम बोलने के लिए पुकारा गया। आपका वाक आउट मान लिया जायगा। आप भाषण शुरू कर दें।

(श्री रामचन्द्र आर्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर):
उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह रावत :— कान्ता जी को पूरी बात कहने दें साहब!

श्री केदारनाथ:—मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं. सरकार का रवैया और परम्परा है कि हम किसी डेपुटेशन, प्रदर्शनकारियों से मिलना नहीं चाहते। मैं आपको मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी कभी जीवित नहीं रह सकती जब तक कि लोग पोलिटिसाइजेशन नहीं हों, जब तक उनमें राजनैतिक चेतना न आये। लोगों में

(श्री केदारनाथ)

राजनैतिक चेतना लाने का तरीका यह है कि शांतिमय तरीके से स्ट्राइक्स हों, प्रदर्शन हों और लोगों में धीरे धीरे जाकर पोलिटिनाइजेशन की बात हो और एक पोलिटिनाईजेशन आफ थाट्स हो। इसलिए सरकार को परम्परा को बदलना चाहिए और प्रदर्शनकारियों से बाहर जाकर मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ में बाहर मिलने के लिए जाता हूं।

(श्री केदारनाथ सदन से बाहर गये)

श्री उपाध्यक्ष: – श्री प्रेमसिंह !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से शिक्षा के सम्बन्ध में कोटा जिले की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोटा नगर एक औद्योगिक नगर है, वहां दिन पर दिन इन्डस्ट्रीज फैलती जा रही है और इन्डस्ट्रीज फैलने के कारण कोटा नगर की आबादी भी बढ़ रही है। साथ ही साथ वहां पर विद्यालयों विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। मगर मुझे कोटा जिले की तरफ सरकार की उपेक्षा को देख कर अफसोस होता है। कोटा जिला एक औद्योगिक सेन्टर है लेकिन वहां पर एम. काम. की क्लासेज आज तक नहीं हैं। वहां पर एम. काम. की क्लासेज नहीं होने की वजह से विद्यार्थी, जो गरीब विद्यार्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोटा से बाहर जाकर एम. काम. की क्लासेज में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कोटा जिले के अन्दर जल्दी से जल्दी एम. काम. की क्लासेज खोली जांय।

दूसरी तरफ मैं कोटा जिले के छबड़ा की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। छबड़ा की आबादी करीब 53 हजार है। मुझे अफसोस है कि आज के कांग्रेस के शासन को राजस्थान में बीस साल गुजर रहे हैं लेकिन इस बीस साल के अरसे में इस निकम्मी सरकार ने इस तहसील के अन्दर एक भी मिडिल स्कूल नहीं खोला है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जहां पर 53 हजार की बस्ती है, उस स्कूल के अन्दर एक भी मिडिल स्कूल नहीं खोला है।

दूसरी तरफ छबड़ा में एक म्युनिसिपैलिटी कस्बा है, उसके अन्दर हाई स्कूल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में दो कमरों का कम से कम आज से चार साल पहले से काम चल रहा है लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पाया है। मैं इस ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं। आशा है यथाशीघ्र वह इन कमरों की ओर ध्यान देंगे।

दूसरी तरफ छबड़ा में गर्ल्स मिडिल स्कूल है। इस गर्ल्स मिडिल स्कूल में आठ दस साल से शिक्षिकायें, मास्टरनियां लगी हुई हैं। उन्होंने वहां पर पार्टीबाजी चला रखी है जिससे न तो वहां की लड़कियों की पढ़ाई सुचारु रूप से होती है। यहां तक देखा गया है कि मास्टरनियां चोटी पकड़ पकड़ कर लड़ती हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी।

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

दूसरी तरफ छीपा-बडौद जो कोटा जिले का कस्बा है, वहां की तरफ मैं ध्यान दिलाता हूं। वहां पर गर्ल्स मिडिल स्कूल के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई भवन नहीं है। अपना भवन नहीं होने की वजह से जो पहले भवन था, वह प्राइवेट भवन था। अब वहां पर दूसरी व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी व्यवस्था के कारण जो पुराना लड़कों के लिए मिडिल स्कूल का भवन था, उसके अन्दर लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं और अभी वहां पर पढ़ाई चल रही है। मुझे अफसोस है कि उस मिडिल स्कूल के अन्दर वहां के हाई स्कूल के हैड मास्टर साहब रहते हैं। आप देखिये कि एक तरफ तो लड़कियां पढ़ती हैं उस स्कूल में और दूसरी तरफ उसके अन्दर अध्यापक का निवास है। यह कहां तक उचित है।

इसी तरह से मैं शिक्षा के अन्दर पक्षपात के बारे में जिक्र करता हूं छबड़ा में रामकिशोर एक सहायक अध्यापक है। इनको सन् 1951 में मेट्रिक का ग्रेड मिलना चाहिए था। उसके बजाय आज तक पक्षपात के कारण यह ग्रेड नहीं मिल पा रहा है: जबकि इनसे जो जूनियर आदमी हैं उनको यह ग्रेड दे दिया गया है। इस तरफ भी मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब जब मन्त्री महोदय उस इलाके में दौरा करते हैं तो इनका एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पालिटिकल चीटिंग किया जाय! वह घर घर जाकर गर्व से एलान करते हैं हम यहां मिडिल स्कूल खोल देंगे, आप हमारे साथ आयें आप लोग कांग्रेस के साथ आयें। लेकिन इनके वायदे पूरे नहीं होते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि या तो कोई बात कहें नहीं और कहें तो उसको पूरा करें।

इसका उदाहरण देता हूं, बृजसुन्दर शर्मा जो मन्त्रीमण्डल में मन्त्री हैं, तहसील अटरू में गये थे और अटरू में जाकर जनता को आश्वासन देकर आये थे कि यहां मिडिल स्कूल खुलवा देंगे, इस आधार पर जनता ने स्कूल का भवन बनवा दिया। मगर आज तक मिडिल स्कूल नहीं खोला गया है। दूसरी तरफ अब मैं देवस्थान का जिक्र कर रहा हूं। छीपा बडौद की गढ़ी है। उस गढ़ी में देवस्थान डिपार्टमेंट के अन्दर में एक मन्दिर आता है। जो छीपा बडौद में स्थित है। वह माता जी का मन्दिर कहलाता है। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूं, उस मन्दिर की ऐसी हालत हो गई है कि वह किसी भी दिन गिर सकता है। वहां की जनता उस मन्दिर की मरम्मत करना चाहती थी वहां के स्थानीय अधिकारी साम्प्रदायिक वजह से या मैं नहीं समझता किसी और वजह से जनता को मरम्मत करने देना नहीं चाहते हैं। और अगर कोई मरम्मत कराता है तो उसमें अड़चन डालते हैं। दूसरी तरफ मैं प्राइमरी स्कूलों के बारे में आप से अर्ज कर रहा हूं कि प्राइमरी स्कूलों में अव्यवस्था है। उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। एक तरफ तो अभियान चलाया जाता है कि 6 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं उनको स्कूलों में भर्ती किया जाए। फलस्वरूप लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां न तो स्कूल भवन होता है और न मास्टर

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

होता है। यहां तक देखा गया है कि एक एक को दो सौ लड़कों को और करीब करीब तीन तीन चार चार क्लासों को अटेण्ड करना पड़ता है। यह कहां तक संभव है। इससे यहां की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है। और जो लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं उनका भी उत्साह मर जाता है। दूसरी तरफ जो पंचायत राज का दुर्गुण है या कुछ भी कहिए हस्तक्षेप है—उसकी वजह से प्राइमरी स्कूल्स के मास्टरों में पार्टीबाजी है। मास्टरों के तबादले के अन्दर पोस्टिंग के अन्दर रात दिन पक्षपात किया जाता है। जिस तरह से यह शिक्षा प्रणाली सारी की सारी दूषित होती है।

दूसरी तरफ अब में सामुदायक विकास के बारे में निवेदन करूं। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम विकास का एक केडर बना रहे हैं। और केडर में एग्रीकल्चर ट्रेण्ड प्रोफेसर होंगे उनको विकास अधिकारी बनायेंगे। मगर इस घोषणा का पालन आज तक नहीं हो रहा है। एक एक पंचायत समिति के अन्दर में करीब दो दो पांच पांच साल से विकास अधिकारी लगे हुए हैं। वह विकास अधिकारी अपनी पार्टी पोलिटिक्स चलाते हैं और दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। इस कारण सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि एक विकास अधिकारी को एक पंचायत समिति में लिमिटेड टाइम के लिए रखा जाएगा। इसके बाद नहीं रखा जाएगा। अभी ऐसा न होने से जिस पर सरकार की मेहरबानी होती है तो उसको वहां का राजा बना देती है और दूसरा अच्छे से अच्छा काम करे तो उसको निकाल देती है। तो राज्य सरकार इस तरह से मनमानी करती है इसके लिए नियमित रूल्स होने चाहिए कि किसी भी विकास अधिकारी को दो साल चार साल जितना भी उचित समझती है, उतने ही समय रखे। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आलमअली !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा : आलमअली कल बोले थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना।

समय सीमा पांच मिनट।

श्रीफूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : इस समय के भीतर बोलने का प्रयास करूंगा। मैं देवालयों के विषय में अर्ज करना चाहता हूं। सादड़ी में बाराहजी का मंदिर है। वह सरकार की देखरेख में है। परन्तु उसके हिसाब का बराबर चेकिंग नहीं होता है। उसके हिसाब का चेकिंग का इन्तजाम होना चाहिये। एक अन्य सरकारी मन्दिर बारादरी है, वहां सरकार का कोई आदमी नहीं रहता है। यह भी पता नहीं चलता कि किसका है ? और उस पर व्यक्तिगत लोगों का कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ इस मन्दिर का जीर्णोद्धार भी होना चाहिये। यह जीर्ण मन्दिर है। बड़ी जीर्ण अवस्था में है।

शिक्षा के विषय में भी मैं अपने विचार प्रकट करूंगा और कुछ सुझाव दूंगा। शिक्षा

(श्री फूलचन्द बाफना)

पर राजस्थान में 27 करोड़ 40 लाख का बजट है। इसमें कई काम होते हैं। एन० सी० सी० का काम है। और भी कई काम हैं। ये काम सारे वितरित पुस्तिका में लिखे हुए हैं लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा जो आना चाहिए वह और किसी जगह नहीं आये तो कम से कम शिक्षा संस्थाओं में तो आना चाहिए। और विद्यार्थियों को केवल शिक्षित आदमी ही नहीं किन्तु मानव बनाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि कालेज के छात्र लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये कौनसी शिक्षा है? रास्ते में जहां लड़कियां कालेजों में जाती हैं तो उनके आने जाने का रास्ता निर्बाध नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग है वे ऐसी कैसी बातें करते हैं। जो प्राफोसर लोग हैं वे भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन मालूम होताहै कि उनकीपढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुई। पढ़ाई अच्छी रही होती तो वे रिश्वत नहीं खाते। 90 प्र० श० प्राफोसर रिश्वत खाते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पढ़ाई में खराबी है। पढ़ाई में गड़बड़ी है। बहुत भारी गड़बड़ी है जिस कारण से अच्छे आदमी नहीं निकलते। आज स्थिति यह है कि कई अध्यापक भी शराबी हैं। आज स्कूलों में ऐसे अध्यापक मिल जायेंगे जो शराब पीते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे अध्यापकों को निकाल देना चाहिये। मिनिस्टर महोदय से निवेदन है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि अध्यापक तो शराब न पियें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मास्टर और मिनिस्टर कोई नहीं पिये तो अच्छा रहे।

श्री फूलचन्द बाफना : मास्टर मिनिस्टर सभी को साथ रखें।

श्री मथुरादास माथुर : एम० एल० एज को भी रखें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एम० एल० एज भी, हां हुक्म।

श्री फूलचन्द बाफना : इसमें मेरा समय चला जायगा। यहां शिक्षा विभाग का ही कार्य है या और किसी विभाग का काम है। मेरा यह भी निवेदन है कि बच्चो को अश्लील फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिये। अश्लील फिल्मों में आशिक माशूक की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ऐसी फिल्में देखेंगे तो आशिक माशूक की ट्रेनिंग पायेंगे ही। इसके अलावा जो पोस्टर सरे आम लगाये जाते हैं उसमें ऐसे निकृष्ट पोस्टर भी होते है कि औरत नीचे और मर्द ऊपर। यह किस तरह के पोस्टर हैं और किस मकसद से?

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की बातें यहां नहीं की जाय तो अच्छा होगा।

श्री फूलचन्द बाफना : इस तरह से खराब बातों का आदमियों में प्रचार होता है। आप कहते है कि यह स्वतन्त्रता है। यह तो स्वच्छन्दता है। यह स्वतन्त्रता नहीं है। स्वच्छन्दता जरूर है। लेकिन ऐसी स्वच्छन्दता खराब है। मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा कि कालेजों में होस्टल हैं, वहां लड़के गुट्ट बनाते हैं। वहां लड़कों के लिए सूट बनवाते है। और होस्टल का इचार्ज है, उनकी देख-रेख में यह होता है। इस प्रकार सारी की सारी शिक्षा चल रही है। कई प्रकार के कालेज चलते हैं। उनका नतीजा यह होता है कि सब तरफ बेकारी और बेकारों की एक भीड़ खड़ी हो जाती है। जिसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है, और सरकार का बहुत सारा खर्च उसमें चला जाता है। हड़ताल का न करने में और इन्तजाम करने में करोड़ों

(श्री फूलचन्द बाफना)

रुपया खर्च करते हैं। आप भीड खड़ी क्यों कर रहे हैं बेकार आदमियों की ?

आप गांवों में स्कूल खोलते हैं। उनमें ऐसी शर्त क्यों लगाते हैं कि गांव वाले रुपया दें तो मिडिल स्कूल खोलेंगे। हाई स्कूल खोलेंगे। समाजवादी देश में भी शिक्षा के प्रचार के लिए ऐसी शर्तें हो, तो अब भी पैसे वाले ही पढ़े लिखे होंगे। और जिनके पास पैसा नहीं होगा वह पढ़ लिख नहीं सकेंगे। इसी प्रकार यह कौनसा समाजवाद है कि दूर जाने वाले को तो नहीं परन्तु निकट जाने वाले को भी केवल पैसे के बल पर फर्स्ट क्लास में बिठाते है और अधिक बीमार को नहीं परन्तु मात्र पैसा देने पर साधारण बीमार को भी अस्पताल में कॉटेज वार्ड में रखते हैं ? सभी क्षेत्रों में पैसे का प्रभुत्व समाजवाद में भी क्यों हो गया ? Single teacher school में ऐसे अध्यापक रखिये जिनके स्वयं के बाल बच्चे हों जिससे कि छोटे बच्चों से स्नेह कर सकें। नये अध्यापक हैं, उनको भी आप उनके पास मत रखिये। पंचायत समितियों को भी आप मार्गदर्शन कीजिये। उनके पास शिक्षा शास्त्रियों को रखिये। पंचायत समितियों के पास शिक्षा शास्त्री नहीं हैं, मार्ग दर्शन करने वाले नहीं हैं–इसीलिये मांग उठती है कि शिक्षा को पंचायत समितियों के नीचे से हटाओ।

एक बात में यह निवेदन करूँगा कि आज अध्यापक और अध्यापिकाओं के रहने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। स्कूल छप्पर नीचे चल सकते हैं पर अध्यापक और अध्यापिकाओं के रहने के लिये क्वार्टर्स बनाने चाहिए उनके रहने का कोई इन्तजाम नहीं होगा तो उनका पढ़ाने में मन नहीं लग सकता। कहीं भी आप अस्पताल खोलते हो तो वहां भी पहले वैद्य या डाक्टर के रहने के लिये मकान का इन्तजाम करो। कहीं स्कूल खोलें तो पहले अध्यापक और अध्यापिकाओं के रहने के लिये क्वार्टर्स बनाना जरूरी है। स्कूल खोलनी है तो छोटे छोटे मकान बनाओ, छोटे छोटे मकानों में पढ़ाई हो सकती है। दरअसल मास्टरों में सत्व होना चाहिये। मास्टर काबिल होने चाहिये। अच्छे काबिल मास्टर होंगे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। मास्टर ही अच्छे नहीं होंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकेगी। मेरा सुझाव है कि अध्यापक और अध्यापिकाओं के रहने के लिये क्वार्टर्स बनाने चाहिये।

एक मेरा सुझाव है लड़कियों के सम्बन्ध में कि उन्हे तंग कपड़े पहनना बन्द कर दो, तंग कपड़े होंगे तो तंग ख्यालात होंगे, यह बहुत बुरी चीज है। हमारे गरम देश में तंगकपड़े क्यों ?

श्री मूलचन्द डागा : यह 1968 है।

श्री फूलचन्द बाफना : तो आप शुरू कर दो अपने घर में तंग कपड़े पहनाना, मैं तो कहता हूँ आप 68 से अलग हैं।

एक मेरा सुझाव है कि जहां छोटे छोटे बच्चों के स्कूल है, वहां पर रिटायर्ड ऑफिसर्स को पढ़ाने के लिये रखिये। जज रिटायर्ड हों उनको वहां रखिये, इससे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी और उन रिटायर्ड आफीसर्स की उम्र भी खुशी से गुजरेगी, उनको महसूस

(श्री फूलचन्द बाफना)

नहीं होगा कि मेरी मौत नजदीक आ गई है रिटायर होने के बाद आदमी महसूस करने लग जाता है कि अब मेरी मौत नजदीक है। इसलिये वे भी काम में लगकर इस मौत को भूल जायेंगे और बच्चे भी सुधरेंगे।

मेरा यह भी सुझाव है कि बच्चों की हैंड राइटिंग सुन्दर होनी चाहिये। और इसके लिये प्राथमिक शालाओं में फाउन्टेन पैन से लिखना बन्द करवाइये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बस एक मिनिट बोलूंगा। स्कूलों में ये जो यूनियन्स हैं ये फूट के कारण बन गए हैं। फूट बढ़ती है और इस कारण ये यूनियन्स नहीं रहती, डिस्यूनियन हो जाती है। यूनियन्स को आप सुधारिये :

एक मेरा आवश्यक सुझाव है कि स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये। आज स्कूलों मे आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होने के कारण, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यह सब भूल गये हैं। विद्या का मतलब है :—

"सा विद्या या विमुक्तये"

जो अवगुण से मुक्त करे वही विद्या है पर आध्यात्मिक शिक्षा के बिना आपकी यह शिक्षा छात्रों को अवगुणों से मुक्त करती है।

इसके साथ ही साथ मेरा यह सुझाव भी है कि स्कूलों के अन्दर छात्रों को हाथ की कारीगरी का काम सिखाइये। हर स्कूल के साथ एक इन्डस्ट्री चलाइये, हर स्कूल के साथ कोई कारखाना चलाइये, जिससे कि ये शिक्षा संस्थाएं स्वावलम्बी बनें, इनका खर्चा चल जाय। शिक्षा को सरकार के हाथ से निकाल कर स्वतन्त्र बना दीजिये। मेरी तो यह मान्यता है कि शिक्षा कभी सरकार के नीचे नहीं रहनी चाहिये। अगर शिक्षा सरकार के हाथ में रहेगी तो कोम्युनिस्ट आयेंगे तो छात्रों को कोम्युनिस्ट माइन्ड के बनायेंगे। जनसंघ आयेगा तो जनसंघी माइन्ड के बनायेंगे। इसलिये शिक्षा तो सरकार के नीचे रहनी ही नहीं चाहिये. यह अलग से स्वतन्त्र शिक्षा शास्त्रियों के नीचे रहनी चाहिये। इधर राष्ट्रीयकरण पुस्तकों का किया गया है तो बच्चों को पुस्तकें मिलती नहीं है, पूरे साल भर तक भी।

एक मेरा सुझाव यह है कि यह शिक्षा आज के युग में प्राइमरी स्कूलों से आगे 5वीं कक्षा से आगे नहीं रखनी चाहिये। क्योंकि वर्तमान वातावरण में इसमें सिवाय गड़बड़ी के और कुछ नजर नहीं आता है। प्राथमिक स्कूलों तक सहशिक्षा रख सकते हैं।

आज इतनी गड़बड़ियां है, अतः मेरा सुझाव है कि आप अब भूलने की भी एक योजना बनाइये जिससे कि प्रचलित अवगुणों को भुलाया जाकर उनसे मुक्त हुआ जा सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री आईदानसिंह।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिहाज से जालौर व जैसलमेर क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र है। केरल जैसे स्टेट में जहां 80 प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं, वहां हमारे राजस्थान में

(श्री आईदानसिंह)

18 फी सदी लोग ही पढ़े लिखे लोग हैं और जालोर और जैसलमेर क्षेत्रों में तो 8 फी सदी ही पढ़े लिखे हैं।

जालोर जिले में कॉलेज खोला गया तो वहां जिले के लोगों ने डेढ़ लाख रुपया, एक लाख पचास हजार रुपया सरकार में जमा करा दिया, उसके भवन के लिये इस साल भी सरकार ने उस भवन के निर्माण हेतु कोई प्रावधान इस बजट में नहीं रखा है। उसके साथ ही जालोर शहर में एक ही हायर सेकेन्डरी स्कूल है, उसके लिये जो भवन पांच-छः साल पहले बनाना शुरू हुआ था, बनते बनते ही उसका एक हिस्सा टूट गया था, वह अब भी टूटा हुआ पड़ा है, इस भवन को पूरा करने के लिये न तो बजट में ही कोई प्रावधान है और न सरकार का ही भवन बनाने का इरादा नजर आता है।

हमारे जिले के ग्राम सायला में एक मिडिल स्कूल है, उसको पिछले दिनों अपग्रेड किया था पर अब तक मिडिल स्कूल ही चल रहा है। इसी तरह से जैसलमेर हैड क्वार्टर पर या जिले में एक भी कॉलेज नहीं है, हाई स्कूलों में वहां 900 छात्र हैं, पर कामर्स जैसा सब्जेक्ट वहां नहीं है। जैसलमेर में 2 हाई स्कूल्स हैं और मिडिल स्कूल्स 12 हैं, जब कि वहां पर मिडिल स्कूल्स खोलने के लिये काफी स्कोप है। कुड़ी, रूपसी, सतो जैसे गांव है जहां मिडिल स्कूल्स खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है। पर वहां मिडिल स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं।

ये दोनों जिले राजस्थान के बोर्डर पर हैं, बाड़मेर भी बोर्डर का जिला है। पर शिक्षा के अभाव में जितनी बुराइयां फैलाई जा सकती हैं, जितना बुरा प्रचार किया जा सकता है वहां किया जाता है और वहां लोगों को बहकावे में लाया जा सकता है। शिक्षा की कमी के कारण लोग वहां के निवासियों को बहकाते हैं, उनका एक्स्प्लोइटेशन कर रहे हैं। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि शिक्षा के अभाव में वहां किस प्रकार की क्षति हो रही है।

अन्त में, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर कॉलेज के भवन का निर्माण कराया जाय और जो वहां के हायर सेकेन्डरी स्कूल की बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, टूटी हुई हालत में है, उसको शीघ्रता से ठीक करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने दीक्षान्त समारोह होते हैं, मैंने बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों के भाषण सुने, वे सब यही बात सबसे पहले कहते हैं कि आपकी शिक्षा प्रणाली दूषित है, जो एज्यूकेशन प्राप्त किया है, वह गलत किया है। जो लोग डिग्री लेने जाते हैं, ये व्यवहारवादी लोग संसार में आ गये हैं सर्व प्रथम विद्यार्थियों को यही भाषण देते हैं कि आपकी शिक्षा प्रणाली दूषित है।

जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, उनमें आत्महीनता की भावना पैदा हो जाती है, इसके लिये जिम्मेदार शिक्षा विभाग है। छात्र साल भर महनत करते हैं फिर भी जो पास नहीं होते हैं, उनकी क्या हालत होती है, वे आत्महीन हो जाते हैं, समाज में उनका क्या स्थान होता है। यह आप समाज

Page No. 122

(श्री मूलचन्द डागा)

में बहुत गलत तरीके से रोग पैदा करते हैं। वे हताश हो जाते हैं, कम नम्बर आता है तो फेल कर देते हैं। विद्यार्थी साल भर पढ़ता है और अनुत्तीर्ण हो जाता है तो हताश हो जाता है, यह मार्क्स का आपका तरीका गलत है। अगर वास्तव में राजस्थान ने पहल की और राजस्थान समझता है कि राजस्थान में शिक्षा शास्त्री हैं, दिमाग है, इतनी सूझ बूझ है तो मार्कस के इस तरीके में परिवर्तन करना होगा। छात्र को वर्ष के प्रारम्भ से ही नम्बर देते जाइये, शुरु से नम्बर देते जाइये। और इन नम्बर्स को जोड़िये। जो साल के अन्त में इम्तिहान हो उसमें आधे नम्बर ये जोड़िये और आधे उसके रखिये। इन नम्बरों के आधार पर परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण कीजिये। साल के बाद 33 पर्सेंट मार्क्स से पास करते हैं, यह गलत तरीका है, पुराना तरीका है यह तरीका कई छात्रों को गलत दिशा में ले जाता है।

(3 म.प.)

दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि आप छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाएं। समाज में जो पढ़ाने वाला है, जो शिक्षक हैं, वह ज्ञान बेचने वाला बनिया नहीं है, वह एक माली है जो खून देता है। शिक्षक समाज में सबसे उपेक्षित अंग है। समाज में शिक्षा शास्त्री की कद्र नहीं है। समाज में कहीं डाइरेक्टर या प्रोफेसर चला जाता है तो कद्र नहीं है। समाज तो उसको ऊंचा मानता है जिसके पास दौलत है, पूंजी है। इसलिए आपको शिक्षकों को ऊंचा लाना है। जिनके हाथ में आप बच्चों का भाग्य सौंपना चाहते हैं उनको शिक्षा में ऊंचा स्थान दें। किस सम्मान के साथ हम शिक्षक को देखते हैं, वह हम जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनके हाथ में हमने अपने बच्चों का भाग्य सुपुर्द किया है, वह समाज में उपेक्षित है, जिसका आदर नहीं है। उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर आप समझते हैं कि हमारा देश ऊंचा उठ सकता है। हमारे देश में होहल्ला होता है जैसे बंगाल में हुआ, तो उसका कारण शिक्षा में कमी है, आप इसके जिम्मेवार होंगे अगर हमने छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दी। विद्यार्थियों को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर ढक्कन को दबाया जाता है तो केटली नीचे पड़ जाती है। आज चौथी कक्षा का लड़का 15 किताबें लेकर चलता है, पांचवीं क्लास का लड़का 15 16 किताबें और 20 कापियां लेकर चलता है। सारी शिक्षा पद्धति हमारी दोषपूर्ण है। मैंने कई बार कहा है कि अगर आप इस पद्धति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपको परीक्षायें खतम करनी होंगी और उन लोगों को शिक्षा में नहीं लगाना होगा जिनको शिक्षा से प्रेम नहीं है। जो रोज पढ़ाता है उसको चेहरे पर कोई सौंदर्य नहीं चमकता, शिक्षा शास्त्री वही हो, शिक्षा विभाग में वही काम करे जिसको शिक्षा से प्रेम हो। शिक्षक के हाथ से क्या निकालते हैं? शिक्षा आत्म अनुसंधान है जैसे लैबारेटरी में प्रयोग होता है। विज्ञान ने देश को आगे बढ़ा दिया है लेकिन एक शिक्षा शास्त्री आत्मा का अनुसंधान करता है। अन्दर के सौंदर्य को बाहर लाता है। जब इन्सपेक्टर शिक्षक के साथ बैठता है तो वह उसे नफरत की निगाह से देखता है। उसे मालूम नहीं कि शिक्षक का कितना आदर होना चाहिए, किस प्रकार उनका सम्मान हो, आपस में

(श्री मूलचन्द डागा)

शिक्षकों का आदर नहीं होता । शिक्षा विभाग में काम करने वाले वे हों जिनको शिक्षा से प्रेम हो । शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं, उसका मतलब है कि आत्म अनुसंधान और मनुष्य का सौंदर्य बढ़ाना और मनुष्य को मानवता की सीमा तक पहुंचाना । जिसके हाथ में आप शिक्षा का काम सौंपना चाहते हो उसको समाज का उपेक्षित अंग बना रखा है, तो यह असंभव है कि शिक्षा में प्रगति हो सके । शिक्षा का काम ऐसे आदमियों के हाथ में होना चाहिए जो कोमल बच्चों का विकास कर सकें ।

एक महिला परामर्शदात्री कमेटी चलती थी, वह खतम हो गई, उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, यह बहुत जरूरी चीज है । शिक्षा मन्त्री इस ओर ध्यान दें ।

अब मैं लोकल बोडीज की बात करना चाहता हूँ । डाइरेक्टर क्या हैं ? मुझे माफ कीजिए, वह पोस्ट आफिस का काम करते हैं । सबसे बड़ा काम है नगर पालिका का नागरिक जीवन को सुन्दर बनाना । आज जापान, हिन्दुस्तान, अमरीका को एक हर जगह समझ लो, जैसे कोई छोटे छोटे मुहल्ले हैं । आदमी समय आने पर अपने आप सीख लेता है कि कौनसे कपड़े पहने जायं । छोटी छोटी बातें आदमी जानता है कि परसनल्टी ....

श्री आईदानसिंह : खादी पहनो चाहे टेरेलीन ।

श्री मूलचन्द डागा : खादी ने बहुत बकास किया है । आप पहनो तो सही आनन्द आएगा । तो मैं कह रहा था कि लोकल बोडीज के डाइरेक्टर क्या करते हैं ? नगरपालिका जो एक आटोनोमस संस्था है उन पर एक लम्बा काम फैला देते हैं, आप डाइरेक्टर को कुछ पावर्स दें । सेक्शन 80, 285 और 300 में पावर्स हैं । डाइरेक्टर के पास जब कागज आते हैं तो सीधे सेक्रेटेरियेट के पास भेज देते हैं । नगरपालिकायें बजट भेजती हैं । बजट आटोनोमस इन्सटीट्यूशन ने पास किया । मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता । कोई डाइरेक्टर अच्छा हो सकता है लेकिन डाइरेक्टर क्या काम करते हैं ? या तो उनको पूरे अधिकार दे दो । किसी ने 200 रु० की जमीन बेच दी और उसकी एप्रूवल के लिए डाइरेक्टर साहब के पास केस आयगा, कलक्टर ने एप्रूव किया लेकिन मिसल आती है डाइरेक्टर के पास । वह कहते हैं कि मुझे पावर नहीं है, वह उसको ऊपर भेज देगा । म्युनिसिपैल्टीज की आप हत्या कर रहे हो । जो पोस्ट आफिस का काम करने वाले हैं, उनको खतम करो । या तो उनको पूरी पावर्स दो । आप मध्य प्रदेश के कानून को देख लें, और राज्यों के कानून को देख लें, यह म्यूनिसिपैल्टीज के अन्दर बुरा तरीका है । सेक्शन 285 हैं अन्लॉफुल के बारे में, वह मध्य प्रदेश में भी है । कर काम के अन्दर डाइरेक्टोरेट इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है तो इस कारण रुकावट होती है । या तो सरकार डाइरेक्टर को पूरा अधिकार दे और केवल नीति संबंधी काम अपने हाथ में ले ।

तीसरी बात यह है कि विधान सभा में सदस्य 11 बजे से 9 बजे तक बैठे रहते हैं । हमारे रहने के मकान कितने अच्छे हैं ? राजकीयप्रवास भवन है । गांव में रहने वाला व्यक्ति

(श्री मूलचन्द डागा)

आता है राजकीय प्रवास भवन में, मैं शहर की गन्दी गलियों की बात नहीं करता, बाकी 15 दिन के अन्द उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। यह भवन विधायकों के लिए स्थान नहीं है। आपको कुछ धनराशि रख कर एक राजकीय प्रवास भवन बनाना चाहिए। छोटे छोटे कमरे हैं, दो तीन मिलने वाले आ गए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें।

श्री दौलतराम सारण : आपको इतना अच्छा कमरा मिला हुआ है जिसमें पंखा, बिजली, फ्लश बहुत से लोग तो झोंपड़ों में पड़े हैं।

श्री हंसराज आर्य : माननीय सदस्य अपनी चिंता न करके गांवों की चिंता करें।

श्री मूलचन्द डागा : प्रवास भवन में कहीं अगर नल के नीचे बैठते हैं तो सर से लगता है, लाइट जलायें तो हमेशा आफ ही मिलती है। इस प्रकार की अव्यवस्था राजकीय प्रवास भवन में है कि वहां क्रास वेन्टीलेशन भी नहीं है। यह हमें मन्जूर नहीं है। जब मांगों पर बहस चलती है तो हम विधायकों से आप चाहते हैं कि इतने घन्टे बैठे रहें तो आपको उनको रहने के लिए अच्छे मकान की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय आज हमारे देश में पांचवां फाईनेन्स कमीशन काम करना शुरु कर रहा है और इस वक्त स्टेट और सेन्ट्रल के जो फ़ाईनेन्स रिलेशन है, जहा तक शिक्षा के क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं एक फन्डामेंटल रिव्यू होना चाहिए— कारण जितनी एज्यूकेशन की स्कीम हैं ज्यादातर सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड हैं। बनाती हमारी केन्द्रीय सरकार है और उसका इम्लीमेन्टेशन हमारी स्टेट पर है। हमारी स्टेट की इकोनोमिक कन्डीशन बहुत पीछे है, हमारी स्टेट बहुत अनडवलप्ड है, हमारी स्टेट बोर्डर स्टेट है। इसलिए आज यह मांग होनी चाहिये कि हमारे यहां ज्यादा पैसे आये। सेन्ट्रल और स्टेट अपने प्लान को पूरा कर सकें। मान्यवर, आज 15-20 साल बाद यह स्टेज है। सेन्ट्रल से चलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है ताकि डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध बने। आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पर सोचेंगे तो सही प्लानिंग होगा। वरना मान्यवर दरअसल हमारी सरकार है, हमारी ही नहीं सारे स्टेट्स की मांग चल रही है। अगर आप सारे देश में भावात्मक एकता पैदा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं भावात्मक एकता पैदा करना तो वही कन्सेपशन पैदा होना चाहिये जैसा हम आज बनाना चाहते हैं तो लाजमी है युनिफारमिटी आफ कोर्सेस हो। सारे देश में प्राइमरी लेवल पर एक ही थिन्किंग हो और उस थिन्किंग में मुख्यत: वह बात हो जिस तरह की बात समाज में पैदा करना चाहते है। इसके बिना कोई भावात्मक एकता पैदा नहीं कर सकते है। कोई पास्ट की कल्चर और पास्ट की ग्लोरी के नाम से नहीं कर सकते है। यह स्कूल का थाट होना चाहिये। मान्यवर, जहां तक स्टेट की इकोनोमिक का सवाल है मगर इसके साथ साथ जो स्टेट अपने प्लान को इम्लीमेंट न कर पाये, उन स्टेट्स को सेन्ट्रल से ज्यादा पैसा मांगना चाहिये या फिर मजबूत लीडरशिप हो ताकि जनता को कोई नुकसान न हो। मान्यवर एक हायर एज्युकेशन के

(श्री केदारनाथ)

बारे में थाट चल रहा है । यह हायर एज्यू-केशन एक वक्त था जब वे फेमिलीज के लड़के जो इकॉनोमिकल साऊन्ड थे तालीम में बड़े बन गये । आज कोई सर्विजेज ले लें —लीडरशिप व समाज की प्रतिष्ठा उनके हाथों में है । आज कल जब हम युनिवर्सिटीज में जाते हैं तो देखते है कि ज्यादा वे लोग शुरू हो गये हैं जो रूरल ऐरिया से बिलोंग करते हैं जिनके परिवार न आर्थिक दृष्टि से एडवान्स रहे हैं और न वे स्वयं ही एडवान्स है । जब वे आते हैं तो युनिवर्सिटी एज्यूकेशन से मेल नहीं खाते । हायर एज्यूकेशन में इनके एटीटयूट को समझने के लिये युनिवर्सिटी में एक सैल कायम हो-सैल इन दी युनिवर्सिटी कायम हो जिसमें स्टूडेन्टस हों, टीचर्स हों ताकि जो नई प्राबलम क्रियेट—पैदा होने जा रही है, उसका सही हल दे सकें । मान्यवर, आपकी मार्फत अर्ज कर रहा हूं—नीति की बात कह सकते हैं सीमित समय में । यह स्टेट जब हायर एज्यूकेशन, युनिवर्सिटी एज्यूकेशन—आज मान्यवर हम जनतन्त्र की बात करते है, अगर युनिवर्सिटी एक्ट का अध्ययन करें-सीनेट और सिन्डिकेट की बात को देखें, उनकी प्रोसीडिंग्स को देखें तो पता लगेगा कि वाईस चान्सलर को एक मात्र शौक है । सारे के सारे नोमीनेटेड मेम्बर हैं, इलेक्टेड कम आते हैं । इस बात को मानता हूं कि रिसर्च लेवल, टीचींग लेवल पर है बहुत बड़े पावर हैं ताकि वे सही दावा कर सकें मगर जब यह नहीं होता है तो दुख होता है । सारे वाईस चान्सलर कौन अपाईन्ट करता हैं, वाईस चान्सलर्स आगे किनको अपाईन्ट करता है, मैं समझता हूं इसमें स्टेट इन्टरफियर करता है । मान्यवर, इसके खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते हैं फिर हम चाहे रशिया को दोष दें, मास्रो को दोष दें । यह एक मुश्किल प्रोबलम है । आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं जहां पर टीचर्स काम कर रहे हैं मैं इस बात को मानता हूं फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए । रेजिमेन्टेशन ऑफ थॉट नहीं होना चाहिए । Lecturer is a University it self—Prof. Laski मगर में यह भी मानकर नहीं चलता कि टीचर्स की एसोसियेशन काम करें उनको आप मान्यता न दें । हर युनिवर्सिटी में चुने हुये नुमाइन्दे होने चाहिये । एक वक्त था जब पोलिटिकल इन्टर फीयरैन्स कम था । मैं निवेदन करता हूं कि कलक्टर और पटवारी के सम्बन्ध नहीं हुआ करते है और आज युनिवर्सिटी को लेवल पर, डिपार्टमेंटल की लेवल पर यह ट्रेन्ड पैदा शुरू हो गया है तो आईन्दा इतने मैम्बर हो जायेंगे मान्यवर, मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी के जितने एक्ट बनाये हैं, चाहे जोधपुर युनिवर्सिटी को, चाहे जयपुर की युनिवर्सिटी का हो और चाहे उदयपुर युनिवर्सिटी का हो इसमें फन्डामेन्टल चेन्ज आये । वाईस चान्सलर्स की पॉवर्स कम हो, सिन्डिकेट की ज्यादा हो और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से जो हम चाहते हैं हालांकि क्रिटिसिज्म होगा । रिसर्च लेबल पर टीचर्स टीचिंज होना चाहिए । Healthy traditions होना चाहिए । मान्यवर जब हम बात करते है, हमारे यहां आम चर्चा हुई, मैं चाहता हूं कि हमारे यहां डीबेट हो । पंचायतों में स्कूल के एजेन्ट के रूप में काम करते है । एक इलेक्टेड आदमी हैं, उसका

(श्री केदारनाथ)

एक नौकरी से बहुत ऊंचा उसका क्लास है। डेमोक्रेसी की बुनियाद इसी बात पर है और इस बात के लिये इसलिये मानते हैं कि पंचायतों को पूरी पावर्स दीजिये। पंचायत असली रूप से काम शुरू करें। एक मिसाल के तौर पर कहता हूं कि जब खिलाड़ी खेल शुरू करता है तो उसके घुटने टूटते है, हाथ टूटते हैं तब जाकर वह खिलाडी बनता है। आप उसको ग्राउन्ड न दें, बाल न दें, खेलने के अन्य सामान न दें और खेलने के लिये जान मत दें तो कभी अच्छा खिलाड़ी बन नहीं पायेगा। पंचायत राज्य के स्कूलों के टीचर्स अलग नहीं करें, यह गलत धारणा है। मैं इसके लिए प्रपोजल पेश करता हूं। जब तक गांवों में जाग्रति पैदा नहीं होगी। वहां पर बोर्ड बनाये जिसमें टीचर्स हों, प्रधान हों, सरपंच आदि नुमाईन्दे हों, उनको इन्सपेक्टर कन्ट्रोल करें और पंचायत समिति से दूर कर लें इस सिद्धान्त को कभी ऐडवोकेट कर नहीं सकता, इसका नतीजा खराब होगा। मन्यवर स्टूडेन्ट्स के अनरेस्ट की बातें हैं। इंजीनियरर्स की प्राबलम है, आज हमारे काफी इंजीनियर्स बेकार हो गये है।

मैंने स्वयं ने व्यास और पोंग डेम देखा है। वहां पर 500—600 इंजीनियर्स काम करते है। हमारे राजस्थान का एक भी इंजीनियर नहीं हैं—यह है हमारे स्टेट की प्लानिंग, यह हैं, हमारे स्टेट की थिन्किग। इस पालिटिकल अनरेस्ट को दूर करने के लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और यह सरकार के इन्टरेस्ट में है कि आज इंजीनियर्स में बेकारी की जो प्राबलम है वह दूर हो। आपके हित में गवर्नमेंट की फीस आपसे लेते हैं, कास्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन ले लेते हैं और फिर भी अन एम्पोलयमेन्ट आप दूर नहीं कर सकते। हमारे देश में जो आज स्थिति है इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट इन्जीनियरों की और ट्रैक्नीशियनों की जरूरत है।

यूनिवर्सिटी की सिंडीकेट मीटिंग में तय हुआ है और आम डिपार्टमेंट का सरकूलर में है कि इन स्टूडेन्टस अनरेस्ट को कैसे दबाया जावे। मेरा अभिमत है कि यह स्टडेन्ट अनरेस्ट कोई कालेजों से या स्कूलों से पैदा नहीं होता, अनडिसिप्लिन से भी पैदा नहीं होता, यह सोशल इकानामी कन्डीशन जो हमारे देश में पैदा होती जा रही है उसमें से पैदा होता है। आप स्टूडेन्ट कम्यूनिटी को समाज से अलहदा करके नहीं चल सकते। अगर आइसोलेशन में इस अनरेस्ट का हाल ढूंढते हैं तो आप मुगालते में हैं। यह कभी दूर नहीं हो सकता।

जब हड़ताल का सवाल आया, दबने का सवाल आया इससे पहले अगर प्रिन्सिपल्स की मीटिंग कर लेते तो यह एक डेढ़ महीने की हड़ताल से बच जाते। यह नुकसान नहीं होता। लॉ आर्डर की समस्या खड़ी नहीं होती।

इसके पीछे समस्या क्या है ? जिसने दस बारह साल अच्छी एजूकेशन प्राप्त की है, और 14, 15 हजार या दस हजार का खर्चा किया है और जिसकी घर की हालत ठीक न हो उसे अगर अनेम्पलोयमेंट का सामना करना पड़ता है, और जब वह गांव में अपने घर पहुंचता है तो वह न गांव की कन्डीशन से सूट करता है न मासेज से मेल खाता है। बहुत अरसे से वह कट आफ रहा

(श्री केदारनाथ)

है। घर की यह हालत है घर वाले कहते हैं बेकार पड़ा है। तनतनो, तानाकसी और गाली गलौज चलता है सर्विस मिलती नहीं और समाज में वह वातावरण नहीं, ट्रेण्ड नहीं तो लाजिमी तौर पर फिर वह तोड़ फोड़ की नीति में विश्वास करना शुरु करता है। साइकोलोजिकल इफेक्ट उन पर यह होता है। पर कौन सोचता है इतनी गहराई से। इससे तोड़ फोड़ पैदा होगी, लॉ आर्डर पैदा होगी।

कह देते हैं तोड़ फोड़ की लॉ और आर्डर की समस्या पैदा कर दी, इसलिये हमें गिरफ्तार करना पड़ा। इसकी पृष्ठ भूमि की ओर आपकी यह मशीनरी ध्यान देना नहीं चाहती।

शिक्षा मंत्रीजी, आपकी तारीफ करूंगा में, आपका दृष्टिकोण बड़ा साफ है। लिबरल है। जब स्ट्राइक के मामलों में आप लिबरल हैं तो इस पृष्ठभूमि में केसों की वापिसी के मामले में आप दूसरी तरह से क्यों सोचते हैं। जहां पुलिस का सवाल है, वह तो ऐसे ही सोचेगी। चाहे दामोदर जी का केस है। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट। वह पुलिस ही क्या जो चढ़कर न बोले। आज कृषि कालेजों के स्टूडेन्टस दूसरों के पास, टैकनीकल स्टूडेन्टस के मामले दूसरों के पास बाकी स्टूडेन्टस किसी और से पास। स्टूडेन्स का प्रोब्लेम, एजूकेशन की सारी समस्याएं नट शैल में एक है। यह तो सारी स्टूडेन्स कम्यूनिटी का मामला है। एजूकेशन का मामला हैं और सारा एजूकेशन मिनिस्टर के पास होना चाहिये। ऐसा होता तो यह अनुशासन भंग का मसाला पैदा नहीं होता।

फिर तीन यूनिवर्सिटियां तीनों का अलग 2 स्टेण्डर्ड। आप ताज्जुब करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी अलग ढंग से मार्क देती है तो जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटियां अलग ढंग से। जोधपुर में आसानी से एडमिशन मिल सकता है जिसको राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिला हो। उदयपुर चले जाओ और कहीं न मिले एडमिशन तो क्योंकि उदयपुर का निर्माण जिन हालत में हुआ पोलिटिकल हालत थे।

कृषि का सेन्टर गंगानगर पर यूनि-वर्सिटी उदयपुर में होगी। तो पोलिटिकल कन्सीडरेशन ही था और क्या हो सकता है। एम० ए० की क्लास वहां खोलनी थी। लॉ क्लासें खोल लेते। आपको छोटे छोटे रीजनल दृष्टिकोण से सोचना नहीं चाहिये इस बारे में।

मैं और किसी स्पिरिट में कहना नहीं चाहता। पिछली बार आपने मुझे इजाजत दी थी कि एम० एस० सी० क्लासें कहां कहां खोल सकते हैं तो मैंने कहा भरतपुर, गंगानगर, अलवर, उदयपुर में खोल दीजिए। अलवर से कम्युनिस्ट रामानन्दजी, भरतपुर से एस० एस० पी० रामकिशन जी और मैं आधा कम्युनिस्ट और आधा एस० एस० पी० गंगानगर साइड से।

गंगानगर एरिया एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। वह अच्छा एजूकेशन सेन्टर है। वहां से आप रिजल्ट देख लीजिए। खिलाड़िया को देख लीजिए। हमारे लड़कों की गिनती देख लीजिये। बीकानेर के मैडिकल कालेज में पोलि टैकनिक में जोधपुर अजमेर में 3–4 हमारे लड़के हैं। रेवेन्यू का योल्ड हम देते हैं पर एम० एस० सी० को

(श्री केदारनाथ)

क्लासें आपने वहां नहीं खोलीं। बिल्डिंग में एक पैसा नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : इरिगेशन में दिया है।

श्री केदारनाथ : वह तो राजस्थान कैनाल उदयपुर जा नहीं सकती। वरना वह भी उदयपुर चली जाती।

तो ये बातें सरकार के दिमाग में आती नहीं। तो फिर तो इन स्टूडेन्ट्स को तोड़ फोड में ही इन्सेन्टिव मिलेगा। तो इनफरेन्स यह निकलता है कि स्टूडेन्ट में अनरेस्ट सरकार के प्रोवोकेशन से होता है।

हमारे इलाके में पांच कालेज हैं। गर्ल्स कालेज, खालसा कालेज है, एस. डी. गवर्नमेन्ट और दयानंद कालेज है। आप ताज्जुब करेंगे। एम० एस० सी० क्लासें वहां नहीं खोलदी जाती। एम० काम०, क्लासें प्राइवेट तौर पर तो खोलने दीजिये।

हमारा मिक्स्ड इलाका है। अलग अलग नेशनेलिटीज का इलाका है वहां लिटररी टेस्ट आप पैदा करते तो तोड़ फोड़ की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं जाता।

आपको बड़े कालकुलेशन के साथ गम्भीरता के साथ सोचना है कि स्टूडेन्ट्स के इस टेण्ड को कैसे बदलना है हर इलाके के टेण्ड को कैसे बदलना है।

इसके साथ थोड़ा लेंगवेज के बारे में भी कहना चाहता हूं। ठीक है। आपने प्रोब्लम को तै कर लिया है। एक्ट पास हो गया है। लागू हो गया है। साथ ही मेरा नम्र निवेदन है कि जो करन्ट फलो आफ नोलेज है (दुनियां में, हमारी लेंगवेज ऐसी न हो, कि जिसके कारण उस करन्टफ्लो आफ नोलेज) से हम आइसोलेट हो जावें। हमारी लेंगवेज का रिलेशन उसके साथ पैदा हो कैसे करें यह सोचने की बात है। हो सकता है जैसा दुनिया में है एक देश की करन्ट फ्लो आफ नोलेज को दूसरे देश वाला अपने देश की भाषा में तत्काल ट्रान्सक्राइब करके उसके क्लोज टच में रहता है।

आपके यहां थ्री लेंगवेज फार्मूला तै किया है। यह आपके सोचने की बात है। पर इन्टरनेशनल फ्लो आफ लेंगवेज है वह लेंगवेज आज एम्पलोयमेन्ट देती है वह लिटरेचर में रुचि हो दिमाग में रीजनल लेंगवेज से कोई उल्टा असर न हो किस रीजनल लेंगवेज में एजूकेशनल हो यह देखना होगा। राजकाज की भाषा हिन्दी हो। मैं इसमें विश्वास करता हूं। पर एजूकेशनल मैटर्स में बिगोटरी एटीट्यूड लेना लेंगवेज का प्रश्न नहीं कशिश पैदा करना है।

आखिर यह भी कहना चाहता हूं स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स कौंसिल के हमारे चेयरमैन है, सारे राजस्थान का अनुभव है उनको। हमारा फील्ड एक नम्बर का है। अच्छे एथलेट्स हमारे यहां से निकलते हैं। सब कुछ है, पर उनके लिए स्टेडियम नहीं है। ताज्जुब करें आप कि जहां सबसे अधिक और अच्छे एथलेट्स हों वहां आप स्टेडियम न दे सकें। पैसा न दे सकें। और स्टेडियम नहीं होगा तो स्पोर्ट्स मैन क्या होस्टल में पैदा करेंगे। बाजारों में बैठ कर पैदा करेंगे।

(श्री केदारनाथ)

इसकी डिस्ट्रिक्टवाइज प्लानिंग हो। इसके लिये आप पैकेज प्रोग्राम बनाइये। ऐसा होगा तो रिजल्ट अच्छे अचीव हो सकते हैं। यह आपका काम है।

आगे स्टूडेन्टस की समस्याओं के हल के लिये यूनीवर्सिटी एक्ट में अमेण्डमेंट की बात मैं कहना चाहता हूं। कमेटी बनावें वाइस चान्सलरों को आप बुलावें। वहां की समस्याओं को वे फेस करे। ओवर हालिंग करें चार कालेज अण्डर टेक किये गये। फेकल्टीज टच होगी। यह सवाल था। जितने लेक्चरार लिये जावेंगे सर्विस ड्यूरिंग जो होगे उनको वैसे ही उन्हीं शर्तो पर गवर्नमेंट से एडोप्ट कर लेगे। पर यह नहीं हुआ। अब यह आपका फर्ज है। जो आपके बीच से गये यूनीवर्सिटी सर्विस अोप्ट की तो उनकी कन्डीशन्स को ओनर करना चाहिये। नहीं तो इसके कारण डिससेटिसफेक्शन बढ़ता है। तो यह सारी बातें इसलिए अर्ज की कि समय कम था। हमारे यहां एम० एस० सी० और ए० ए० की क्लासेस खुलें, हमारे यहां लॉ क्लासेस खुलें और हमारे यहां स्टेडियम बने। इसके अलावा बांसवाड़ा की मांग हैं मेरे से ज्यादा शिक्षा मंत्री जी जानते हैं। कुशलगढ़ में हायर सेकेन्डरी विद्यालय नहीं है, कन्या पाठशाला नहीं है और मिडिल स्कूल नहीं है तो यह सारी मांगे जेनुइन हैं। अगर डिस्ट्रिक्टवाइज हमारी मांगे मानी जाये तो मैं समझता हूं कि जो इम्बेलेन्स पैदा हुआ है हम इसको कैसे कन्सोलीडेट करें और कहां हमें एक्सटेन्शन करना है यह सारे प्लान आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि शिक्षा का जो फायदा हम चाहते हैं, जो फायदा हम चाहते हैं, जो शिक्षा के जरिये जागृति पैदा करना चाहते हैं उतना ही उसका रिजल्ट निकलेगा वर्ना इस का कोई रिजल्ट निकल नहीं सकता।

इसके अलावा जो ट्रेण्ड टीचर्स हैं उनकी बेकारी का सवाल है। मैं इस व्यू का नहीं हूं कि पंजाब के टीचर्स नहीं लगाये जायें। लेकिन जो लोग यहां से पास करके निकलें मैट्रिक यहां से पास करें ट्रेनिंग यहां लें, यहीं के रहने वाले हों तो आप पहले तो उनको सर्विस में लें। लेकिन आपके खुद के पास में एम्पलायमेंट नहीं हैं। आपके 4–5 हजार टीचर्स बेकार है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए जब हमारे टीचर्स बेकार हैं तो उनको बाड़मेर, उदयपुर और भीलवाड़ा भेजो। जिस इलाके में वह सरप्लस हों वहां से लेकर उनका मूवमेंट कर दो। यह प्लानिंग की बात है। तो अंत में आपको मार्फत यह कहते हुए कि आज जो प्रयास आप करने जा रहे हैं कि एज्युकेशन को प्रोडक्शन सेन्टर से जोड़ दिया जाये मैं कहता हूं कि प्राईमरी एज्यूकेशन में यूनीफार्मिटी हो और इसके साथ ही साथ जो आपने तय करने है यूनीवर्सिटी के पहले पहले जितनी एजूकेशन 12 साल की हो या 13 साल की हो उसके लिए एक इन्टोग्रेटेड स्कीम बनाई जाये तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा होगा वर्ना एजूकेशन मिनिस्टर आये और गये सब के सब भुला दिये गये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत,

(श्री उपाध्यक्ष)

जनसंघ दल का समय पूरा ले लिया गया है इसलिए अब यह आपके देखने की बात है ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद हम आशा करते चलते थे और मुझे विश्वास भी था कि एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट में कोई भ्रष्टाचार जैसी बात नहीं आयेगी लेकिन आज क्योंकि समय का अभाव है मैं कुछ मुद्दे शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहूंगा

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कल इस सदन के अन्दर पुलिस की मांग पर बहस हो रही थी और पुलिस डिपार्टमेन्ट में जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी उससे कुछ कम इस शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है । भारत के बालक और बालिकायें जो कि देश का निर्माण करेंगे और देश की बागडोर को अपने कन्धों पर लेंगे और शिक्षा विभाग में जो अमूमन शिकायतें आती हैं और मेरे पास में हजारों एप्लीकेशन्स रोज आती हैं जिनमें लिखा होता है कि बच्चों से नाजायज फीस ली जाती हैं, कहीं पर डिफेन्स फण्ड के पैसे का गबन होता है और इस बारे में हजारों घोटालों की शिकायत हमारे शिक्षा विभाग में है और उन घोटालों को देखकर बच्चों के दिमागों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है । मैं इसके साथ ही साथ आपको यह कहना चाहूंगा कि जितनी भी शिकायतें हमारे शिक्षा मंत्री जी को या डिपार्टमेन्ट को मिली भ्रष्टाचार के बारे में तो वह यह कहकर कि उनका कोई रिश्तेदार है या जान पहचान का है टाल दिया गया । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उनको इस तरह से कहकर नहीं छोड़ें क्योंकि यह देश की बात है, यह राष्ट्र की बात है । राष्ट्र का निर्माण करने वाले भावी बच्चे हैं उनके चरित्र की बात है । इसलिए आप ऐसी कोई भी गंदगी की बात आती है तो आप सख्त कार्यवाही करें और जिससे शिक्षा का महत्व बढ़े और घटे नहीं । उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में भी मुझे यह कहा गया था कि नसीराबाद में जो कॉलेज है उसको डिग्री कॉलेज बना दिया जायेगा । उसको हमने राजस्थान गवर्नमेन्ट को दे दिया था और इसलिए दिया था कि ताकि वह फुल फ्लेज्ड कालेज बन जाए । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा विभाग ने उसे डिग्री कालेज बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की है । तो मैं चाहूंगा कि यह डिग्री कॉलेज बनाया जाये क्योंकि वहां की बालिकायें अजमेर आती हैं और उनको बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है । उसे देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि अजमेर के कॉलेज में एडमीशन नहीं मिल पाता है क्योंकि अजमेर में पहले ही ज्यादा हैं ।

श्रीनगर पंचायत समिति है और उसमें जो हायर सेकेन्डरी स्कूल है जिसमें साइन्स का सामान पड़ा हुआ है । इसी प्रकार से जो भूतपूर्व अजमेर राज्य का जहां शिक्षा विभाग की बहुत सी हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं और साइन्स का सामान पड़ा है लेकिन राजस्थान के मर्जर होने के बाद उन स्कूलों

(3.35 म. प.)

(श्री केदारनाथ सभापति पदासीन)

(श्री विजयसिंह रावत)

के अन्दर केवल साइन्स का सामान लाक-अप किया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि अजमेर जिले के अन्दर जितने भी स्कूल हैं जिनमें साइन्स का सामान पड़ा है वहां तुरन्त साइन्स का विषय खोलने की कृपा करें।

इसके अलावा मैं चाहूंगा कि नसीराबाद से रामसर काफी दूर पड़ता है और रामसर के अन्दर हायर सेकेन्डरी स्कूल है वहां पहले भी गवर्नमेन्ट की तरफ से आश्वासन था कि हम कॉमर्स का विषय खोलेंगे वह अभी तक नहीं खोला है। तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी आप गौर करें। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि पिछले समय में क्योंकि समय ज्यादा हो गया था इस लिए अजमेर में जो नाइट क्लासेस खोलते हैं गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिए उसकी सुविधा अजमेर जिले में नहीं है। यह सुविधा अजमेर जिले को मिलनी चाहिए। जैसे दूसरे जगह गंगानगर जैसे जिले में था जो जिले छोटे हैं वहां इस प्रकार की सुविधा मिली हुई है तो मैं चाहूंगा कि यह सुविधा इसी साल से वहां लागू की जाये ताकि जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स आगे पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ सकें और उनको यह सुविधा प्राप्त हो जाये।

मैं भ्रष्टाचार के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि रामनगर माध्यमिक शाला है उसके अध्यापक श्री ओमप्रकाश है। उन्होंने डिफेन्स फण्ड का पैसा इकट्ठा किया। बच्चों से किया, बच्चों के पेरेन्टस से किया और उसका कोई अकाउन्टस मेन्टेन नहीं किया और इनके अलावा जो फीस उन्होंने ली एडमिनेशन्स होते हैं हाफ ईयरली और त्रैमासिक उसकी फीस ली और प्रोग्रेस रिपोर्ट सस्ते में खरीद कर मंहगे में बेची। इसकी सारी शिकायत आपके डिपार्टमेन्ट में आई है उसके ऊपर आपने इन्क्वायरी की और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के सब इन्सपेक्टर ने इन्क्वायरी करली और उसमें 400 रुपये का गबन पाया गया। लेकिन उसको बड़े अधिकारियों द्वारा या राजनैतिक कारणों के द्वारा उसे दबाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिए क्योंकि अजमेर एक राज्य था और उस समय पुलिस और शिक्षा का बहुत महत्व था उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको देखें। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि पंचायतों के अन्दर कुछ प्राईमरी स्कूलें भी हैं। और आप इनको नहीं हटाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था कीजिए। मेरी समझ में आता है कि एजेन्सीज जो बनाते है, मास्टर जो प्राइमरी स्कूलों में है वह राजनैतिक कारणों से बनते हैं और बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और यह कुदरत्तन चीज है कि एक व्यक्ति उसी गांव का रहने वाला हो और उसी गांव का अध्यापक हो और जिस गांव में खेतीबाड़ी हो तो अधिक समय वह अपने निजी काम में लगाये तो जिला परिषद में भी हमने काफी डिस्कशन किया है। एक जिले के टीचर्स दूसरे जिले के अन्दर ट्रान्सफर करने की व्यवस्था आप कीजिये। उसका समय एक ही चीज में बीतना चाहिये कि वह बच्चों को पढ़ाये और वह शिक्षा दे जिससे उनके चरित्र का निर्माण हो और देश का निर्माण हो। इसलिये एक जिले से दूसरे जिले में इन अध्यापकों का ट्रान्सफर कीजिए जिससे राजनैतिक शिकायतें आपके पास नहीं आयें।

(श्री विजयसिंह रावत)

इसके साथ साथ में यह कहना चाहता हूं ईसाई मिशनरीज द्वारा जो प्राइवेट संस्था चलाई जाती है उनमें सुबह के समय जो बच्चों को प्रार्थना करवाते हैं उसमें ईश्वर की प्रार्थना बोलनी चाहिये लेकिन उसकी जगह ईसामसीह की प्रार्थना बुलायी जाती है। ईसाई धर्म के जो मानने वाले होते हैं उन्हीं को अध्यापक के स्थान पर रखा जाता है। जब कि इन संस्थाओं को गवर्नमेन्ट एड मिलती है फिर भी टीचर्स को पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती उनको साठ सत्तर और अस्सी रुपये दिये जाते हैं, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। जिन जिन शालाओं को अनुदान मिलता है उन पर सरकार को नियन्त्रण रखना चाहिये उनके अध्यापकों को भी उतनी सुविधायें मिलनी चाहिये जो गवर्नमेंन्ट की शाला के अन्दर टीचर्स को मिलती हैं।

ईसाई मिशनरी को दिन के समय में जाना पड़ता है वहा प्रार्थना करनी पड़ती है इसलिए जो दोपहर में इस तरह से जांय उनके प्रति एक्शन होना चाहिये इस तरह से गवर्नमेंन्ट सतर्क रह कर जो शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार के प्रतिक्रियावादियों की पालना की जाती है उनका अनुदान बन्द कर देना चाहिये। इनमें अधिकतर नन्स और पादरी होते हैं जिनका इलेक्टोरोल्स में नाम नहीं होता, इनको वोट देने का अधिकार नहीं तो ऐसी हालत में गवर्नमेन्ट को इन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिये। ईसाइयों की जितनी भी स्कूल्स में टीचर्स के रूप में जो काम करते हैं वे अधिक तनख्वाह लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, जो आदमी खुद शिक्षित न हो वह शिक्षा पर बोले तो आश्चर्य तो जरूर लगेगा। लेकिन मैं जब गावों में जाता हूं बहुत से पढ़े लिखे जवानों को देखता हूं जो एम० ए० पास किये हुए होते हैं बी० ए० पास किये हुए होते हैं जो शान शौकत से रहते हैं वे गांवों में किसी के प्रति नम्रता प्रकट नहीं करते। यह देखकर हमें बड़ा धक्का लगता है वे अपने बूढे मां बाप तक की मदद नहीं करते। पिता यदि सिर पर उठाकर चड़स ले जाता है तो वह मदद नहीं करते। जहां उनको पढाई के साथ साथ विनय भी सीखना चाहिये लेकिन यह न होकर श्रम को उन्होंने एक तरफ पटक दिया है और बुद्धि को एक तरफ। जब उनकी श्रम करने की इच्छा नहीं होती है तो यह मानना पड़ेगा कि जो शिक्षा उनको मिली है उसमें कहीं न कहीं दोष जरूर है। गान्धी जी दूर दृष्टा था उसने देखा कि श्रम के साथ शिक्षा होनी चाहिये इस कारण उन्होंने बुनियादी तालीम शुरू की ताकि उद्योग के साथ साथ उनको शिक्षा मिले वे भारतीय संस्कृति को जानते थे कि इसमें किस तरह के शिक्षित व्यक्ति काम कर सकते हैं। आप और हम सब पढ़ते हैं कि कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़े........

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखकर बोलें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं सिर्फ दो चार बातें ही निवेदन कर देना चाहता हूं। आप शिक्षा में परिवर्तन लाइये। आप कृपा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करके नये नये कालेज और स्कूल्स मत खोलिए। जहाँ भी खुले हुए हैं उनको ही आप अच्छे बनाइये और सब तरह से सुज्जित करिये।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं आज आप शिक्षा में परिवर्तन नहीं लायेंगे तो 75 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त करने पर जिन लड़कों को इन्जीनियरिंग में भरती किया जाता है वे सब आज नौकरी की तरफ जाने के लिये इच्छुक हैं। लोग पढ़कर नौकरी की तरफ न जाये और उद्योग धन्धों मे लग जाय इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनाइये।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं समाज कल्याण विभाग के जितने भी होस्टल हैं उनको कृपा करके बन्द करिये। आज तीन तरह की बातें हो रही है एक तो पब्लिक स्कूल्स जिसमें साधारण बच्चे जा नहीं सकते जिनमें बड़े बड़े लोगों के लड़के जाते हैं।

दूसरेसाधारण स्कूल्स जिसमें मेहता वगैरह के लोग जाते हैं।

तीसरे वे स्कूल्स जिनमें हरिजन और आदिवासियों के लड़के जाते हैं और रहते हैं। इनको तोड़कर आप इनको दूसरे नम्बर के छात्रावासों में प्रवेश दीजिये।

चौथी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के अधीन जितने स्कूल्स हैं उनको आप शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लीजिये। आप कहेंगे कि मैं पंचायत राज के खिलाफ किस तरह बोल रहा हूं। मैं इसका सबसे बड़ा हामी हूं लेकिन फूलों की माला होती है उसमें डोरा नजर नहीं आता केवल फूल ही फूल नजर आते हैं। आज फूल जो पंचायत समितियें वे मुरझा गई हैं अब केवल डोरा ही डोरा नजर आता है। राजस्थान सरकार पंचायतों को कितना मानती है उसका मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जब मैंने वित्त मंत्री महोदय के सामने....

(3·45 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

एक छोटी मांग रखी कि जहां जहां की पचायतों ने जो लोकतन्त्र की सबसे छोटी इकाइयाँ है कहा है कि हमारे यहां से शराब की दुकानें हटा दी जाय लेकिन उनकी इस छोटी सी बात को भी सरकार ने नहीं माना है। पंचायतों को आखिर मान्यता कितनी है। पंचायतों की जितनी खराब हालत है वह किसी से छिपी नहीं है, इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायतों के अधीन जो स्कूलें हैं उनको पंचायतों से हटाकर आप भले ही जिला परिषदों को दे दें लेकिन पचायतों से इनको हटा दें। मुझे पचायतों में जाकर स्कूल मास्टरों से मिलने का मौका मिलता है सब अध्यापक लोग चाहते हैं कि हम लोगों का भविष्य शिक्षा विभाग के हाथ ही सुरक्षित रह सकता है। हमारे एडीशनल डाइरेक्टर साहब काफी लगन से काम करते हैं जब हमारी सीनियोरिटी का नम्बर आता है तब हमें अपने आप चान्स मिल जाता है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनको शिक्षा विभाग के ही अन्तर्गत रखा जाय।

शिक्षा में परिवर्तन करिये नहीं तो यह बेकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती

(श्री उपाध्यक्ष)

जायगी फिर बच्चे तोड़फोड़ में लगेंगे। तब उनकी बातों को मानने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 29 कटौती प्रस्ताव है मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मजबूर हूं।

श्री श्रवणलाल : मुझे भी समय दिया जाय। कल आपने कहा था जो सदस्य आज नहीं बोल पाये उनको कल समय दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था 4।। बजे ठीक मुखबन्द का प्रयोग होगा। मुखबन्द के मायने गुलेटिन और गुलेटिन के मायने कुल्हाड़ी। इसलिये 3।।। बजे सरकार द्वारा उत्तर दिया जाना निश्चित किया गया था। माननीय सदस्य (श्री रामचन्द्र आर्य) को पुकारा गया था लेकिन वे उस समय उपस्थित नहीं थे। वे किसी विषय पर बोलकर सदन से बहिर्गमन कर गये। मैंने उस समय कहा था आप भाषण प्रारम्भ रखें लेकिन उस समय बोले नहीं। ऐसी स्थिति में जब उत्तर देने का समय हो गया है अतः अब समय दिया जाना मुमकिन नहीं है। आपके काफी प्रस्ताव हैं उनका उत्तर भिजवाने की तजवीज की जायगी समय देना संभव नहीं होगा।

श्री श्रवणलाल : कल आपने आश्वासन दिया था कि जो सदस्य आज भाग नहीं ले सके उनको कल यानी आज समय दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : कल कहा था लेकिन आज जो व्हिप्स की लिस्ट आयी उसी के अनुसार नाम पुकारे गये। आप अपनी पार्टी के अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। मैं भी यह चाहता हूँ दल का अनुशासन व्यवस्थित रहे।

श्री श्रवणलाल : आर० एस० एस० के बारे में चार्ज लगाया था उसका जवाब देना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष जी आगे कहे अनुसार कि मुझे अपने कटौती प्रस्ताव के जवाब मिलेंगे मैं बैठ जाता हूँ। एक का भी जवाब नहीं मिला तो मैं समझूंगा आपका आश्वासन भी ठीक नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर भिजवा दिया जायगा। श्री शिक्षा मंत्री।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने शिक्षा की मांग के सम्बन्ध में जो सुझाव उपस्थित किये हैं और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उन पर जो विचार रखे गये हैं उसके लिये मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन के माननीय सदस्यों की जो उपेक्षा देखी वह वास्तव में दुखपूर्ण है। लक्ष्मीकुमारी जी ने भी जब अपना भाषण दिया उस समय उन्होंने भी इस बात को दोहराया। मैं भी आपका बहुत आभारी होता शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा की प्रगति के बारे में कुछ सुझाव दिये जाते।

श्री दौलतराम सारण : सदस्यों की क्या उपेक्षा आपने देखी वह तो समझा दें।

श्री गोकुलप्रसाद : शिक्षा मन्त्री पर सब का भरोसा है इसलिए सदस्यों ने ज्यादा नहीं कहा।

श्री रामचन्द्र आर्य : गवर्नमेन्ट पर कोई भरोसा नहीं जब आपकी तरफ की आगे की सब कुर्सियां खाली पड़ी हैं।

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन जिस वातावरण में यहां पर बहस हुई उसको सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माननीय सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता से बहुत से महत्व-पूर्ण सुझाव यहां पर प्रस्तुत किये हैं। मैं अपनी ओर से एक बार पुनः अपना आभार प्रकट करता हूँ।

यहां पर शिक्षा के बारे में जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है उनका मैं विस्तृत उत्तर दूं उसके पहले मैं अपना यह कर्तव्य मानता हूं कि राजस्थान में इन 20 वर्षों में शिक्षा में जो कुछ भी प्रगति हुई है उसका एक.संक्षिप्त लेखा-जोखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान जब बना और हिन्दुस्तान आजाद हुआ उसके पहले शिक्षा के मद में जितनी देशी रियासतें थीं इस प्रदेश में उनमें कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ की धनराशि खर्च की जाती थी और आज 29-19 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। उस समय जितनी धनराशि खर्च होती थी वह फी व्यक्ति 1-07 होती थी और आज प्रति व्यक्ति 12 रुपया से अधिक खर्च कर रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : आज एक रुपये की वेल्यू 17 पैसा।

श्री शिवचरण माथुर : 1950-51 में राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 8-95 था आज वह प्रतिशत बढ़कर 24 हो गया है। प्राइमरी स्कूल्स 1950-51 में जहां राज-स्थान में 4333 थे उनकी संख्या बढ़ कर आज 12990 हो गई है इसी प्रकार से जहां मिडिल स्कूल्स राजस्थान में 1950-51 में कुल मिलाकर 732 थे उनकी संख्या आज राजस्थान में 1853 हो गई है। एक जमाना था जब कि कुल मिलाकर 175 हाई और हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स थे वहां आज राजस्थान में 899 हाई और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं। उच्च शिक्षा के मामले में जहां कुल मिलाकर 27 कालेजेज हुआ करते थे उसके मुकाबले में आज 78 कालेजेज शिक्षा के लिए राजस्थान में उपलब्ध हैं। और यदि यह मैं कहूं कि विश्व विद्यालय पूर्ण रूप से आजादी के बाद बना है तो आज 3 विश्व विद्यालय राजस्थान में हैं। इनके अलावा 5 मेडिकल कालेजेज हैं, 3 इन्जीनियरिंग कालेजेज हैं और 8 पोलीटेक-नीकल इन्स्टीट्यूट हैं। इनके अलावा कई आई० टी० आइ० पी० हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि विस्तार का जहां तक सवाल है राजस्थान में हम लोग कह सकते हैं कि उससे हमें सन्तोष है। लेकिन ज्यादे से ज्यादा शिक्षा का विस्तार हुआ उसके साथ साथ यहां पर माननीय सदस्यों ने शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई है उसके सम्बन्ध में काफी चर्चा की है। मैं यह मानता हूं कि जहां पर विस्तार होता है बड़े पैमाने पर एक चीज को बढ़ाना होता है, तब यह स्वाभाविक होता है कि कुछ न कुछ गिरावट तो उसमें आयेगी ही।

(श्री शिवचरण माथुर)

और मैं यह मानता हूं कि यह विस्तार का परिणाम है कि कुछ न कुछ गिरावट हमको देखने को मिलती है। जो शिक्षा की बातें आज सामने रखी है उनसे एक बात साफ सोचनी पड़ती है कि आज जो राज्य के आर्थिक श्रोत हैं, आर्थिक साधन हैं उनको यदि देखा जाय और शिक्षा के मायने में जो हमारे प्रदेश में और देश में पिछड़ापन है उसको यदि हम देखेंगे तो बात साफ यह मानेंगे कि इतने अधिक साधन नहीं है कि हम देश को पूरी अशिक्षा को मिटा सकें और पिछड़ेपन को दूर कर सकें। इसलिए यह आवश्यक था कि जितने भी साधन थे उन साधनों को शिक्षा के मामले में पिछड़ापन मिटाने में लगाने की जरूरत थी।

राजस्थान उन सौभाग्यशाली प्रान्तों में से हैं जहां सारे राज्य का जो कुछ भी बजट है उसका 20-06 प्रतिशत आज शिक्षा पर खर्च किया जाता हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 20-06 पर्सेन्ट खर्च करने के बाद भी आज यह कमी महसूस होती है। अगर अधिक पैसा होता तो हम अपनी शिक्षा की कमी को बहुत शीघ्र दूर करने में सफल होते लेकिन राजस्थान की आर्थिक स्थिति के अनुसार जो आर्थिक साधन हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं शायद उससे इसको करना सम्भव नहीं हैं। इसलिये मैं आम तौर से कहा करता हूं और आप से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा के काम को बड़े पैमाने पर फैलाना है तो सरकार के साथ-साथ समाज को भी उसमें इन्वाल्ड करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर समाज इस काम में सामने आये। इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जहां सरकार ने शिक्षा का एक रूप लाने की चेष्टा की है, वहां राजस्थान की जनता ने भी एक बड़े पैमाने पर इस काम में मदद दी हैं। देहात के इलाके में चला गया और दूसरी जगह चला जाय तो वहां पर हजारों और लाखों रुपया लगाकर वहां की जनता ने बिल्डिंग बनाई है भवनों का निर्माण किया है, साइन्स के इक्विपमेंट्स के लिए पैसा दिया है, यहां तक कि कक्षाएं खोलने का पैसा दिया है, और मैं मानता हूं कि वे स्कूल चल रहे है। शहरों और गांवों के इस विवाद में जाना ठीक नहीं समझता हूं। जहां तक शिक्षा के विस्तार का सवाल है यह साफ बात है कि हमारे अधिकतर लोग गांवों में रहते है इसलिए अधिक पैसा हमें वहां पर खर्च करना पड़ेगा। (हियर हियर) शिक्षा की मांग को और बजट को यदि आप देखेंगे तो आज भी हम इस मायने में अधिक पैसा देहाती इलाके में खर्च कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : नोहर चुनाव क्षेत्र में 70 गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गये हैं और पंचायत समिति ने 20 गांवों में खोलने की इजाजत मांगी तो उनको इजाजत नहीं दी गई।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे थे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको कि एक मील से अधिक दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो।

श्री दौलतराम सारण : यह कल्पना की बात है। 10-10 मील तक नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : कल्पना की बात नहीं है। सही चीज है।

आज इसकी सफलता का प्रमाण यह है कि प्राइमरी स्कूलों के वास्ते कहीं से आम तौर से मांग नहीं आती है। एक बात में बहुत साफ मानता हूं कि जहां तक सेकेन्डरी स्कूल्स के स्टेट्स का सवाल है और मिडिल स्कूल्स के स्टेट्स का सवाल है राजस्थान में इनकी काफी कमी महसूस होती है। प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स का रेशियो 1 और 10 का है। 10 प्राइमरी के पीछे राजस्थान में एक मिडिल स्कूल हैं। मैं यह मानता हूं कि देहाती इलाकों में, यदि सही मायने में देहात के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए समाजवाद के आधार पर समान अवसर देने की बात सामने आती है तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम कम से कम आठवीं क्लास तक शिक्षा का प्रबन्ध देहात के इलाकों में करके चलें।

मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में आपने देखा होगा अधिक से अधिक प्रावधान राजस्थान में मिडिल स्कूल खोलने के लिए किया गया है। 75 मिडिल स्कूल इस साल राजस्थान में खोलने की व्यवस्था है। हायर सेकेन्डरी स्कूल्स का रेश्यो एक तरह से बहुत खराब नहीं हैं तो उसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी काफी काम करना है, लेकिन मिडिल स्कूल्स का रेश्यो है उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है, और उसकी पूर्ति करने के लिए इस वर्ष बजट में हमने इस प्रकार की घोषणा की है, और हम चाहते हैं कि जो एडवर्स रेश्यो है प्राईमरी स्कूल्स का और मिडिल स्कूल्स का उसमें सुधार करके बहुत जल्दी इसको 2–3 साल में इस रेश्यो को किस प्रकार से 1 और 7 का बनाया जाय—7 प्राईमरी स्कूल्स के पीछे एक मिडिल स्कूल हो। ऐसी व्यवस्था बहुत जल्दी राजस्थान में बनाई जाय तो समझेंगे कि एक बहुत बड़ा और अच्छा काम किया, और इस काम को पूरा करने के लिए हमें पुनः कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

मैं एक बात साफ निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राज्य की जिम्मेदारी का सवाल है मैं अपने आप में यह मानता हूं कि राज्यों की पूर्ण जिम्मेदारी यह है कि बड़े पैमानेपर सारे व्यक्तियों के लिए इतनी शिक्षा का प्रबन्ध हो कि वह अपना शैक्षाणिक ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में जहां जाने की चाहे वहां के लिए अवसर मिल जाय। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि उच्च शिक्षा के बारे में निश्चित रूप से एक दूसरी राय बना सकते हैं और यह भी सोचना होगा उस स्टेज पर कि सिलेक्टिव स्टेज की तरफ ध्यान दें। कुछ चुनी हुई शिक्षा के लिए जो मेधावी विद्यार्थी हों, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हों वे ही उच्च शिक्षा में जाय। गरीब विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो सरकार पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदारी ले।

(4 म. प.)

लेकिन नीचे की शिक्षा का,खास तौर से जहां तक साधारण शिक्षा का सवाल है, वहां तक आम शिक्षा का सवाल है,मैं साफ मानता हूं कि किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार अच्छी कहलाने वाली सरकार कि जिम्मेदारी है नीचे की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सबको समान रूप से मिल सके। मैं मानता हूं कि प्राथमिक

(श्री शिवचरण माथुर)

शिक्षा की हमारी जो हालत है, 20 साल होने के बाद भी आज लोग कहते हैं कि शिक्षा की निश्चित नीति सरकार नहीं बना पाई है। समाज के सामने यह बात आई है तो मैं मानता हूं कि यह बात आई है तो हमें सोचना होगा कि 20 साल के बाद भी शिक्षा में कौनसी कमी रही जिससे सबको समान अवसर नहीं मिल सका। यदि इस बात को सोचते हैं तो सारी शिक्षा की प्राथमिकता को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रायोरिटी की बात हम कहते हैं तो नीचे की प्राइमरी शिक्षा, मिडिल स्कूल की शिक्षा और हायर सेकेन्डरी तक की शिक्षा के लिए आम तौर से सबको समान रूप से अवसर दे सकें यह प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी। जब प्रायोरिटी की बात करते हैं तो यह भी सोचना होगा कि नीचे की शिक्षा अच्छी हो साथ ही गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी शिक्षा हो यह बात भी हमारे दिमाग में है। यदि इस बात पर आज की दशा में सोचे तो मुझे संतोष नहीं है। आज प्राइमरी एज्युकेशन राजस्थान में ही नहीं सारे देश में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्राथमिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है।

दुनियां के दूसरे देशों में माना यह जाता है कि सबसे नीचे की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो। कोमल दिमाग वाले बच्चे आगे जाकर देश के अच्छे नागरिक हों। अच्छे विद्वान और अच्छी रुचि वाले लोगों को तैयार करने की बात आती है तो वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे आदमी को सामने आना चाहिये। लेकिन यहां पर हालत उल्टी है। प्राइमरी स्कूलों में वे लोग हैं जिनको हम शिक्षाविद नहीं कह सकते। मैं यह नहीं कहता कि वे योग्य नहीं है, लेकिन वे मनोवैज्ञानिक ढंग से बालकों को शिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं। हमारे सामने कठिनाई है, आज प्राइमरी स्कूलों के लिए अच्छे अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। मेरी तो चिन्ता यह है कि प्राइमरी स्कूलों की कैसे हालत सुधरे। आज लोग कहते हैं कि पंचायत समितियों के पास प्राइमरी एज्युकेशन जाने के कारण हालत बिगड़ी है। लेकिन मैं नहीं मानता कि पंचायत समितियों के पास जाने से उनकी हालत बिगड़ी है। आज की प्रणाली इस प्रकार की है कि यदि शिक्षा विभाग के पास भी प्राइमरी एज्युकेशन रहती तो शायद थोड़ा असर पहुंच सकता था लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता इसलिए पंचायत समितियों पर डालना कि प्राथमिक शिक्षा पर उनके कारण से गिरावट आई है यह मैं नहीं मानता। प्राइमरी स्कूलों को अधिक प्राथमिकता देने का नहीं सोचा गया। मैं स्वीकार करता हूं। आप कहेंगे कि करते क्यों नहीं लेकिन करने का जहां सवाल आता है तो समस्या बहुत बड़ी है। 18,990 प्राइमरी स्कूलों में अच्छे टीचर्स लाना, उनको अच्छे ग्रेड्स देना राज्य के सीमित साधनों के बाहर है लेकिन बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसी हालत में करें क्या? हमने बीच का रास्ता सोचा है। यदि हम प्राइमरी स्टेज पर अच्छे हैड मास्टर दे सकें तो यह भी बहुत बड़ी बात होगी। अच्छे साधनों का अभाव हो सकता है, बिल्डिंग नहीं है लेकिन अच्छा हैडमास्टर है और अच्छे अध्यापक हैं तो निश्चित तौर से परिणाम अच्छा आवेगा, यह मूल भूत बातें हैं यह बड़ी समस्या होते हुए भी यदि हम यह कह सकें कि प्राइमरी स्कूलों को अच्छे अध्यापक देंगे या अच्छे प्रधान अध्यापक दे

(श्री शिवचरण माथुर)

सकेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। यह बहुत बड़ी समस्या है लेकिन इसको हल करना है। इसलिए अगले वर्ष से प्रयोग के तौर पर चुनी हुई प्राथमिक स्कूलों में जहां बहुत संख्या में लड़के आते हैं वहां अच्छे सिलेक्टेड हाई-स्कूल्स के हैडमास्टर जाकर पढ़ावें और स्कूलों की हालत सुधारने का प्रयत्न करें तो मैं मानूंगा कि शिक्षा में सुधार कर सकते हैं मेरी कल्पना यह है। हर स्टेज पर हायर-सेकेन्डरी स्कूल के शिक्षक यह शिकायत करते हैं कि मिडिल स्कूल से खराब लड़के आते हैं और कालेज में पढ़ाने वाले अध्यापक तो अपनी अलग ही दुनिया मानते हैं वे समझते हैं कि हायर सेकेन्डरी से जो लड़के आते हैं वे कच्चे होते हैं। इसलिए शिक्षा के के हर क्षेत्र में समन्वय या कोरडिनेशन करने की आवश्यकता है।

इसलिए मैंने उपाय सोचा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, अच्छी सिलेक्टेड प्राइमरी स्कूल्स में अच्छे हैडमास्टर्स भेजें इसके ऊपर के स्तर पर कोरडिनेशन या समन्वय करने की दृष्टि से उपाय करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है 'शाला संगम' या स्कूल कांप्लेक्स के नाम से। इसका मतलब यह होता है कि अच्छी स्कूल चुन लेते हैं जिसमें अच्छे इक्विपमेन्ट्स होते हैं, अच्छा हैडमास्टर होता है और अच्छे अध्यापक होते हैं उनको चुन कर पास की 8,10 स्कूलों को जोड़ देते हैं और सारा समूह बन जाता है जितने अध्यापक होते हैं वे मिल कर साल भर की योजना बनाते हैं केन्द्रीय स्कूल के अध्यापक छोटी स्कूलों के क्लास रूम्स में जाते हैं और उनको पढ़ाते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। केन्द्रीय स्कूल में जितने इक्विपमेंट्स और लेबोरेटरीज हैं उनका फायदा छोटी स्कूलों को देने की बात करना चाहते हैं। राजस्थान में हमने इस साल इसको प्रयोग के तौर पर शुरू किया है विभागीय आधार पर नहीं बल्कि अध्यापकों से बात करके, उनसे चर्चा करके, उनकी भावना को प्रेरित करके हाथ में लिया है। मैं कह सकता हूं कि इसका परिणाम संतोषजनक पाया है, मेरा हौसला बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि अगले साल और ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को इससे जोड़ें। होता यह है कि हम एक योजना को हाथ में लेते हैं उसके गुण अवगुण, सफलता, असफलता का ध्यान किये बिना बड़े क्षेत्र पर लागू कर देते है या बड़े पैमाना पर लागू कर देते है। नतीजा यह होता है कि कुछ दूर जाने के बाद यह ख्याल होता है कि हम गलती कर रहे हैं और तब तक काफी धन खर्च कर दिया जाता है। इसलिये जो हमारी योजना है उसको हम धीरे धीरे ले और एक एक में सफलता प्राप्त कर ले। जिस तरह से मैंने शाला संगम की बात कही उसी तरह से हम चाहते हैं कि कुछ कालेजों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों से जोड़ दें। एक कोई बीच का कॉलेज हो उसको आसपास के हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल्स से जोड़ कर उन अध्यापकों का कोरडिनेशन करने की बात है। इसको एक कालेज में प्रयोग के तौर पर भीलवाड़ा में शुरु किया है। मैं जानता हूँ कि इस कालेज में यह काम अच्छी तरह से चल रहा है।

मैंने स्कूल्स कांप्लेक्स की बात कही। हम चाहते यह हैं कि हर स्तर पर शिक्षा को बढ़ाने की बात करें। यह हमें करना है।

(श्री शिवचरण माथुर)

एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते । सही माने में राष्ट्रीय कार्यक्रम समझ कर आगे आने की बात करे तो सफल होंगे । मैं शिक्षा के सम्बन्ध में इस पक्ष या उस पक्ष में भेद नहीं मानता । सभी के सुझावों का स्वागत है । समाज के सहयोग के सरकार जो कुछ अपने साधनों से करना चाहती है तो शायद 20 वर्ष 25 वर्ष या 50 वर्ष लग जायें । मुझे आशा है जो वातावरण आज सारे राजस्थान में बना है उससे मैं कह सकता हूं कि ये योजनाएं अगले साल से लागू होंगी । हमने यह भी तय किया है कि प्राथमिक दृष्टि से लम्बे प्लान की बात सोचें । छोटे अर्से के लिये प्लान बनावें और साधनों का अभाव है तो लम्बे अर्से के लिये सोचने की बात आई है । और हमने सोचा है कि राजस्थान में शिक्षा सुधार की दृष्टि से एक पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जाय । यह पर्सपेक्टिव प्लान अपने आप में बैठकर या विभाग में बैठ कर तैयार करने की बात नहीं होगी । पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के लिए मैं राजस्थान के शिक्षा-विदों को कहना चाहता हूं, मैंने पिछले पांच छः महिने में राजस्थान के जो शिक्षा शास्त्री हैं उनसे चर्चा की है और भारत के शिक्षा शास्त्रियों से भी चर्चा की है, हमने इस पर्सपेक्टिव प्लान की बात की है इससे मेरा मतलब यह कतई नहीं है कि किस साल हम कितने स्कूल खोलेंगे या किस साल हम कितने कॉलेज खोलेंगे । इस पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब यह है कि आज हमारी शिक्षा में कौन कौन से साधनों को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें । उनको लें और उनके साथ साथ जो उपलब्ध साधन हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको प्राथमिकता में लगाने की बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए । तो मेरे दिमाग में इस पर्सपेक्टिव प्लान का मूलधार यह है । मैं कहना चाहता हूं कि पर्सपेक्टिव प्लान मैंने एक चर्चा की दृष्टि से आपके सामने बताया है वह अभी तैयार नहीं हुआ है । इसलिए मैं चाहूंगा कि कभी आने वाले समय में, जब यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाय, उसको एक तरह से राजस्थान के शिक्षा शास्त्री मिल कर तैयार करें और मैं चाहता हूं कि उस पर मंत्री परिषद चर्चा करे और इस विधान सभा के सदस्य भी चर्चा करें । मैं यह भी चाहूंगा कि राजस्थान के शिक्षक इस पर्सपेक्टिव प्लान पर चिन्तन करें, मनन करें और सुझाव भेजें । जब से मैंने इस पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में कहना शुरू किया है मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के सैंकड़ों शिक्षकों ने, शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिये इसके लिए सुन्दर सुझाव भेजे हैं । उससे मुझे एक सन्तोष मिला है और मैं चाहता हूं कि जो पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाय उसमें सबको सहयोग हो । यह मैंने प्राथमिक साधन की दृष्टि से निवेदन किया ।

दूसरा प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमारा विचार यह है कि 6 साल से 11 साल के बीच में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जल्दी से जल्दी हम पढ़ने की पूरी तौर से सुविधा दें । हमारे देश के संविधान में इस प्रकार की बात कही गई है और डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल में भी इसकी चर्चा की गई है कि जल्दी से जल्दी यह सुविधा हम प्रदान करें । साधनों के अभाव में वह बात आज तक नहीं हो पाई है । लेकिन आज भी हमारी यह जिम्मेदारी है और प्राथमिक शिक्षा की बात को पूरा करने की बात हमारे दिमाग में है । प्राथमिक शिक्षा की बात के अन्दर एक और बात

(श्री शिवचरण माथुर)

आती है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर आज जो बहुत बड़ा वेस्टेज हो रहा है प्राथमिक शिक्षा में बच्चा आज पहली कक्षा में दाखिल होता है लेकिन दूसरे साल में जाकर वह छोड़ देता है। इस तरह जो खर्चा पड़ता है तो कुल राजस्थान के खर्च को देखते हुए 67 पर्सेन्टेज वेस्टेज राजस्थान में इस प्राथमिक शिक्षा में हो रहा है। इसको भी हम मिटाना चाहते हैं और राजस्थान का प्रायोरिटी प्रोग्राम है उसमें इसको भी करने के लिए हम सब साधन उपलब्ध करना चाहते हैं. सब सम्भव उपाय काम में लाना चाहते हैं जिसमें शिक्षा में बहुत बड़े अप-व्यय का प्रश्न है उसको हम दूर कर सकें। इस काम के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जन सहयोग की भी आवश्यकता है साधनों की की दृष्टि से। यह बात साफ तौर पर मान ली जाय कि पूरे साधन राजस्थान की सर-कार उपलब्ध नहीं कर सकती है।

माननीय सदस्यों ने भवनों की चर्चा की कि शिक्षा के लिये भवनों की कमी है। मैं मानता हूं कि भवनों की कमी सब जगह पर है। मैं यह भी मानता हूँ कि इतनी जल्दी भवनों की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन भवनों को बनाने की बात पर राजस्थान में शिक्षा के विस्तार की बात करें तो मैं समझता हूं कि हमें शिक्षा को रोक देना चाहिये। मेरा इरादा है कि भवनों के अभाव में भी शिक्षा के विस्तार को करने की कोशिश करनी है। यह मूल बात है। मैं मानता हूं कि यह आधार हो जाय तो जो हमारे पास भवन हैं, उनको देखते हुए विद्या-र्थियों की संख्या बढ़ती है तो जो शिफ्ट प्लान है उनके अनुसार हमें एक पारी, दो पारी, तीन पारी में उसे करना पड़ेगा आज अमे-रिका जैसा देश है, जिस अमेरिका में सेन्ट परसेन्ट लिट्रेसी है, वहां पर भी जो शिक्षण संस्थायें हैं – वह एक पारी, दो पारी, तीन पारी – शिफ्ट बेसिस पर चलती हैं और उस तरह से उनका पूरा उपयोग होता है। मैं मानता हूं कि धनाभाव की स्थिति में हमारे पास उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग एक बड़े पैमाने पर नई शिफ्ट में करना पड़ेगा। उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। इसलिए माननीय सदस्यों का जहां तक भवनों का सवाल है जो उन्होंने भवनों के सवाल उठायें हैं, मैं उनको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि भवनों की कमी तो हमारे देश में रहने वाली है। हम राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़े पैमाने पर भवन-निर्माण पर ही खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए समाज को भी काफी बड़े पैमाने पर सरकार की मदद करनी पड़ेगी। वैसे जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान की जनता ने इस मामले में खुले दिल से सरकार को सहयोग दिया है।

मैंने आपसे से यह प्राथमिक शिक्षा का जिक्र किया। इसके साथ ही एक बात और है। आज हम स्तर सुधार की बात करते है, शिक्षा के स्तर सुधार की बात करें – यह बात सामने आती है तो एक बात दृष्टिगोचर होती है और वह यह है कि आज जो शिक्षक हैं उनको हम इस प्रकार का बनायें जो सही मायनें में शिक्षा दे सकें। अगर वह शिक्षण के काम को प्राथमिकता दें तो हम कितना ही खर्च करते जायें, उस का लाभ हमें नहीं मिलने वाला है। विभाग ने इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और हम चाहते हैं कि शिक्षकों को नये

(श्री केदारनाथ)

नये प्रयोगों का प्रशिक्षण दिया जाय। आप जानते हैं कि हमारे यहां जो एस. टी. सी. के स्कूल चलते हैं, उनमें से निकल कर जो प्रशिक्षित टीचर्स आयें वह आज की स्थिति में बेकार रहें—इस दृष्टि से यह उचित समझा जाता है कि यह जो स्कूल हैं इनका रिफ्रेसर कोर्स स्कूल बना लिया जाय, इनको रिफ्रेसर कोर्स स्कूल के अन्दर परिवर्तित कर दिया जाय। इसका मतलब साफ यह होता है कि हमारे यहां जो भी शिक्षक है उनको रिफ्रेसिंग की आवश्यकता होती है, जो आज वह पढ़ाते हैं उसके अन्दर अगली साल दूसरी साल नये नये प्रयोग देश के सामने आते हैं, नयी नयी टेक्निक नये नये ट्रेन्ड के प्रशिक्षण को आज आवश्यकता होती है इसलिए कुछ ऐसे स्कूल हों जिनमें सर्विस टीचर्स में से कुछ टीचर्स को लेकर जो नये नये ट्रेन्ड जो शिक्षा में सामने आ रहे हैं, जो नये नये प्रयोग सामने आ रहे हैं—उनकी शिक्षा हम टीचर्स को देते रहे। इसी दृष्टि से हमने आर. टी. सी. की योजना को चलाया है इसके आधार पर बहुत सारे हमारे अध्यापक, जो शिक्षण संस्थाओं में लगे हुए हैं उनको एक साल, दो साल, तीन साल के बाद इन रिफ्रेसर्स स्कूल में लाया जायगा और शिक्षा के नये नये उपयोगों की, नये नये ट्रेन्ड का और नयी नयी टेक्निक की शिक्षा उनको दी जायगी।

इसके साथ ही जो हमारे यहां बी. एड. कॉलेज हैं, हम चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में काफी बड़े पैमाने पर शिक्षकों को लाकर उनको शिक्षण के नये नये तरीके समझायें क्योंकि साल भर तक प्रशिक्षण देने से इतना लाभ नहीं होता है। जिन टीचर्स ने एक बार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनको खास तौर से साइंस की शिक्षा के लिए नयी नयी टेक्निक जानने की और साइंस के प्रशिक्षण के लिए अपने आपको तैयार करने की आवश्यकता होती है इसलिए हमने गर्मी की छुट्टियों में साइंस का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। इससे हमारे अध्यापकों ने लाभ उठाया है और मिडिल स्कूल स्तर पर, हायर सेकन्डरी स्तर पर, सेकन्डरी स्तर पर जो अध्यापक हैं, मैं समझता हूं, इस योजना से अगले साल और लाभ उठा सकेंगे। जिस प्रकार से हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, उससे मैं समझता हूं शिक्षा की प्रगति पूरी तरह से संतोषजनक रूप से हो सकेगी।

इसके अलावा मैंने आपसे पहले कहा कि प्राइमरी स्कूल्स में हम अच्छे हेड मास्टरों को लाने की बात करते हैं। इसके साथ ही हमारे सामने समस्या आयेगी कि जो हेड-मास्टर हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको प्राई-मरी स्तर में पढ़ाने का ओरियेन्टेशन नहीं है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह तैयार नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे हेड मास्टर्स को बनाने के लिये थोड़ा बहुत ओरियेन्टेशन प्राइमरी स्कूल्स में देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करके, ऐसी व्यवस्था बनाकर मुझे उम्मीद है कि यह जो योजनायें हमने हाथ में ली हैं इनसे शिक्षा में सुधार होगा।

एक बात माननीय सदस्यों ने कही, वह थी परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में। मैं मानता हूं कि परीक्षा प्रणाली आज रहे या नहीं—इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के तमाम शिक्षा शास्त्र

श्री केदारनाथ)

चर्चा करते हैं लेकिन जो परीक्षा प्रणाली का तरीका है, वह सही है या नहीं, इसमें क्या सुधार हो, इसके लिए बोर्ड ग्रॉफ सैकण्डरी एजूकेशन, में कह सकता हूं, ने कई प्रयोग राजस्थान में ऐसे किये है जो ग्राज हिन्दुस्तान के अन्दर नोबल प्रयोग कहे जा सकते हैं। उसने शिक्षा में सुधार की दृष्टि से जो कार्सेज रखे है, जो केरीकलम को तैयार करने में नये नये प्रयोग किये हैं, उनसे जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कहते हैं, वह इन कार्सेज से और केरीकुलम से सुधार होने की बात ग्राती है। जब केरीकुलम में सुधार की बात ग्राती है तो मेरे दिमाग मे कल्पना ग्राती है कि ग्राज की जो शिक्षा पद्धति है वह कुछ समस्याओं से सम्बन्ध रखती है। ग्राज ग्राम तौर पर कहा जाता है कि ग्राज की शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को बाबू बनने की कल्पना देती है। यह सारे देश के सामने समस्या है कि इसको मिटाने के लिए क्या तरीका करें, कौनसी शिक्षा देने की बात करें, कौनसा ऐसा सुधार लायें जिससे विद्यार्थी श्रम का महत्व समझें और जीवन में उन्हें कोई भी काम करने में हिचकिचाहट अनुभव नहीं हो और उस काम को करने की ओर प्रवृत हों। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो स्कूल हैं, वहां पर खेतों का ग्रौर कई उद्योगों का काम हमें चलाना पड़ेगा। इसलिए ही स्कूलों में कार्यानुभव या वर्क एक्सपीरिन्स देने की हमारी योजना है और इसके जरिये से हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। वर्क एक्सपीरियेन्स का मतलब यह होता है कि जो गांव के स्कूल हैं, ता वहां पर हम विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर की शिक्षा दें जो इसके ग्रलावा दूसरी जगह जो क्राफ्ट्स हैं, ग्रौर जो उद्योग हैं-जो लोकल दृष्टि से महत्व की चीज होती है – उस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को देने की बात करें। ग्राज कोई गांव का विद्यार्थी, किसान का बच्चा ग्यारह क्लास भी पास कर लेता है तो उसमें वापिस खेत पर जाने की इच्छा नहीं हुग्रा करती। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी कमी शिक्षा पद्धति में है। इसको मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए तो इसको करने के लिए हम कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियन्स की बात लाना चाहते हैं। इस साल प्रयोग के तौर पर काफी स्कूलों में इस योजना को चलाया है और उससे विद्यार्थियों को लाभ ही हुग्रा है। कई स्कूलों में मुझे देखने को मिला है कि विद्यार्थियों ने अपने, ग्राप में महनत से काम करना सीखा है। काफी रुपया इसमें लगाया है ग्रौर वह वितरित किया है। इससे उनका होंसला बढ़ा है ग्रौर उन्होंने कहा है कि हम इस काम को ग्रौर ग्रागे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के काम को हम राजस्थान में ग्रौर प्रशय देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियेन्स की योजना की बात मैंने ग्रापको कही है, उसे हम राजस्थान में चालू रखते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के दिमाग में जो श्रम से दूर रहने की भावना है उसको हम मिटा पायेंगे। एक बुरा वातावरण जो देश में बना था ग्रौर एक प्रकार से जो कन्टीजियस बात है उसकी जगह राजस्थान में इस तरह का वातावरण बने तो वह देश भर में ग्रौर प्रान्त भर में फैलेगा। शिक्षा ग्रायोग ने भी इस वर्क एक्सपीरियेन्स के काम को महत्व दिया है ग्रौर राजस्थान में इस योजना को काफी बड़े पैमाने पर हम काम करना चाहते हैं।

(श्री केदारनाथ)

यह तो कुछ बातें मैंने शिक्षा के अन्दर गिरावट के सम्बन्ध में कहीं। अब इसके साथ ही हमारे सामने टेक्निकल एजूकेशन, हायर एजूकेशन का सवाल है। माननीय सदस्य केदार जी ने यूनीवर्सिटी एजूकेशन के संबंध में, टेक्नीकल एजूकेशन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं उनके सुझावों की कद्र करता हूं। मैं कहना चाहता हूं आज जैसा उन्होंने कहा कि राजस्थान के टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको एक तरफ से बाहर नौकरियां नहीं मिल सकती हैं—यह उनकी बात सत्य से परे हो सकती है क्योंकि यहां के कुछ ग्रेजुएट्स कुछ प्रोजेक्ट्स में गये हैं, वहां पर यहां के इन्जीनियर्स मिलते हैं। तो मैं जानता हूं कि राजस्थान के इन्जीनियर्स भिलाई के कारखाने में, रूरकेला में और दूसरे स्टील प्राजेक्ट्स के अन्दर हैं।

हिन्दुस्तान के बड़े बड़े कारखाने हैं। उनके अन्दर राजस्थान के इंजीनियर ग्रेजुएट्स जाकर काम कर रहे है। और यहां के विद्यार्थी बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने कोटा वाली बात कही है। आज देश के अन्दर जो हालत है उसके अन्दर उनकी यह बात उपयुक्त नहीं है कि बेरोजगारी का सवाल केवल राजस्थान में ही हो। राजस्थान के अलावा जितनी दूसरी जगहों पर बेरोजगारी है उतनी यहां पर नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अन्दर जितने इंजीनियर हैं जितने डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको हम राजस्थान में खपा सकते हैं। वह आगे चलकर भी उनको काम मिल सके ऐसी व्यवस्था करके चलना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि राजस्थान पहला प्रान्त है, जहां इस प्रकार की घोषणा की गयी है। और इससे विद्यार्थीयों ने कुछ लाभ भी उठाया है। कल ही विद्यार्थियों से पोलिटेकनिक के विद्यार्थियों से बात कर रहा था। हमारी बात सद्भावना पूर्ण वातावरण के अन्दर हुई। मैंने उनको साफ कहा कि आपके दिमाग में केवल नौकरी की कल्पना हो तो बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। आप लोग अपने हाथ से काम करने की चेष्टा करें और उद्योगों में लाने की बात करें। तो सरकार ने जो घोषणा की है उससे लाभ उठाने की बात होती है, और मैं नहीं समझता कि फिर राजस्थान में कोई बेरोजगारी की बात रहती है। मुझे खुशी है कि विद्यार्थियों ने मेरी इस बात को समझा है। कल वह लोग यहां से वापिस चले गये हैं और शायद एक दो दिन में पोलिटेकनिक छात्रों की स्ट्राइक समाप्त हो जाए। और सब विद्यार्थी वापिस शिक्षा प्राप्त करने लग। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में इस वर्ष टेक्नीकल इंस्टीट्यूट्स की गिनती में कमी की गई है। इसको करने में एक तो इंस्टीट्यूटशन के खर्चे का कारण है और दूसरा कारण यह है कि आज राजस्थान में कुछ लोग बेकार हैं लेकिन इन इन्सटीट्यूशन में इन्टेक की कैपिसिटी यही रही तो अगले साल में जाकर बेकारी और भी बढ़ सकती है, तो इंजीनियरस की बेकारी की आशंका के कारण इन्टेक कैपिसिटी को कम किया है। आज इन्टेक कैपिसिटी को कम करने के साथ साथ जो पोलिटेकनिक स्कूल है और जो इंजीनियरर कालिज है उनको हमें इतनी ही क्षमता रखनी पड़ेगी जिससे कि हमें कभी ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़े देश में तो ऐसे लोगों को उनमें दाखिला देकर उनको

(श्री केदारनाथ)

संख्या को बढ़ा सकते हैं। आज की हालत में यह जरूरी था कि राजस्थान इंजीनियरिंग कालेज और पोलेटेकनिक स्कूल हैं उनकी इन्टेक कैपिसिटी को हम कम करते। एक बात माननीय केदार जी ने कही कि यूनिवर्सिटी में अध्यापन के जरिये अध्यापकों की प्रशिक्षण की बात करनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय इस बारे में सोच रहे हैं कि विश्वविद्यालय में फैकल्टी वाइज टीचिंग किया जा सके। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बारे में निर्णय किया था और फैकल्टी वाइज टीचिंग के निर्णय को लागू भी करना चाहते हैं लेकिन जो सवाल आता है वह पैसे का ही रहता हो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आज सारे देश के अन्दर फैकल्टी वाइज टीचिंग के बारे में लोग विचार कर रहे हैं और तरह तरह की संभावनाएं और आशंकायें व्यक्त कर रहे हैं और लोग यह भी कहने लगे हैं कि यह प्रयोग सफल भी हो जाय या नहीं मैं इस विषय की गहराई में नहीं जाना चाहता। यह सब चीजें देखना शिक्षा शास्त्रियों का काम है। हमारा काम नहीं। हमारा काम तो यह है कि विश्वविद्यालय को जो आटोनोमी दे रखी है उसमें कैसा शिक्षा का स्तर हो। किस प्रकार की वहां शिक्षा हो। इस सब विचार से हम उनको साधन उपलब्ध करें। साधन उपलब्ध करने का सरकार का काम है। मैं मानता हूं कि राजस्थान उन प्रान्तों में से है जिसमें कि विश्वविद्यालय की आटोनोमी को स्वीकार किया और हमारे विश्वविद्यालय कह सकते हैं कि राजस्थान ने विश्वविद्यालय को हमने सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं। इसके साथ ही जो स्वच्छन्द वातावरण के अन्दर हमारे विश्वविद्यालय काम कर सके हैं उसका अच्छा परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। पिछले 20 वर्षों के अन्दर जैसा कि माननीय केदार जी का कहना है, जो विश्वविद्यालय हमारे यहां बने उनमें से दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो देश के उच्चकोटि के विश्वविद्यालयों में माने जा सकते हैं। इस बात का हमें गौरव होना चाहिए। वैसे 20 साल का समय अधिक नहीं है। आखिर संस्थाओं के जमाने में समय लगता है लेकिन धीरे धीरे राजस्थान में ये संस्थाएं जमती जा रही हैं। और एक समय आएगा जो योजना हमारी है उसके आधार पर राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालय अच्छी स्थिति में अपने को पा सकेंगे। एक सवाल शिक्षक की सुविधा के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया। मैं मानता हूं राजस्थान सरकार जितनी सतर्क है और जितनी जागरूक है। उसके बारे में राजस्थान की जनता को गर्व हो सकता है कि हमारे यहां पर शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं देने के बारे में पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार सतर्क है। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार शिक्षकों के वेतन स्तर का जहां तक सवाल है, राजस्थान हिंदुस्तान के बहुत ऊंचे प्रान्तों में से माना जाता है। हमारे यहां पर शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलता है और इसके अलावा अन्य सुविधाएं देने की चेष्टा करते हैं। मैं नहीं कहता कि शिक्षकों के पूरे हित को हम पूरे कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह :- शाबाश !

श्री शिवचरण माथुर — या पूरा न्याय

(श्री शिवचरण माथुर)

उनके साथ होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षकों के साथ कुछ ज्यादती हो सकती है। कुछ उन्हें कठिनाइयां हो सकती हैं। लेकिन उन कठिनाइयों के हटाने के बारे में हम निरन्तर सतर्क हैं। और जागरूक हैं। जो भी शिक्षकों की समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको दूर करने के लिए हम चिंतित रहते हैं। मैं यहां पर यह भी कहूंकि 1961 में जितने भी टीचर थे उनमें से थर्ड ग्रेड के टीचर्स की सोनियरिटी सारे जिलों की पूरी हो चुकी है। थर्ड ग्रेड टीचर्स की सीनियरिटी को पूरा करने के लिए उसके अन्दर जिन टीचर्स की सीनियेरिटी का सवाल आता था उन अध्यापकों को मौका दिया गया कि वह अपनी बात कह सकें। उनकी बात सुनी और सुनकर एक प्रकार से सोनियोरिटी सब की कायम की और बाईएन्लार्ज —मैं नहीं कहता कि किसी भी टीचर को असन्तोष नहीं है लेकिन एक बड़े पैमाने पर शिक्षकों को सन्तोष है। और यदि किसी टीचर को असन्तोष है तो उसको भी मिटाने के बारे में विचार करते हैं। इसके अलावा जो एरियर्स एण्ड फिक्सेशन्स का सवाल है उसमें टीचर्स काफी खुश हैं और उसमें हमें काफी सफलता मिली है।

मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मुझे दूसरे मंत्री जो का भी खयाल है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जिन समस्याओं के बारे में जिक्र किया उनके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। बहुत सो बातें नये स्कूल खोलने और नये विषय खोलने के बारे में यहां पर कही गयी हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राजस्थान के अन्दर उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहते हैं। एक बात हम निवेदन करना चाहते हैं, जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी कि यदि हम जिलों का एक प्रकार का प्लान बनायें और खास तौर पर प्राथमिकता के आधार पर स्कूल खोलें यह एक सही बात है जो इलाके शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए रह गये हैं। उन इलाकों को हम आगे लाना चाहते हैं। आगे वाले दो तीन महीनों में इस प्रकार का आधार बनाकर अगले वर्षों में किसी जगह स्कूल खोले जायें, कहां कहां क्या क्या विषय चालू किये जाएं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। उन साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करें और राजस्थान के अन्दर शिक्षा विस्तार हो यही हमारी भावना है। कन्या शिक्षा के बारे में माननीय सदस्या कान्ता जी ने और रानी लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत जी ने जिक्र किया। मैं एक दो बातें इस सबंध में करना चाहता हूं। राजस्थान को कन्या शिक्षा के मामले में मैं शायद बहुत सतर्क मानता हूं। इसका प्रमाण भी साथ है। इस साल 1967-68 के अन्दर धनाभाव के कारण जहां हमने एक भी लड़कों का स्कूल नहीं खोला है। वहां हमने जितने हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाये हैं और जितने भी प्राइमरी स्कूल बनाये हैं, करीब 34/35 हैं। वह सारे के सारे लड़कियों के स्कूल हैं और आगे भी खोलना चाहता हूं। जैसी कि इस साल बजट में घोषणाएं की हैं उसमें भी लड़कियों के लिए दस सेकेण्डरी स्कूल की बात कही है। लड़कों के स्कूल की बात नहीं कही है। उसमें मैं सरप्लस की बात तो नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

कह सकता लेकिन उसमें काफी आगे हम बढ़ चुके हैं और लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए हम काफी बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कन्या शिक्षा के मामले में काफी सतर्क हैं और इसको आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में हमारा खयाल बराबर बना रहा है।

कुछ प्राइवेट संस्थाओं के बारे में जिक्र आया और कहा गया कि अध्यापकों को वास्तव में दिया कुछ और जाता है और लिखाया कुछ और जाता है। मैं समझता हूं यह काफी बड़ी बीमारी नहीं है। हमारे ग्रान्ट इन एड के रूल्स हैं, उनमें साफ तौर से जिक्र किया गया है कि जो कन्डीशन्स, जो हालात हमारे स्कूलों में होने चाहिये वही कन्डिशन्स और हालात उन सब प्राइवेट स्कूल्स में भी होने चाहिये।

यदि ऐसी शिकायत आती है तो मैं उदाहरण दे सकता हूं कि हमने उन प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध...........

श्री उपाध्यक्ष : वाद विवाद समाप्त हुआ।

(मुखबन्द)

मांगों पर मतदान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26- विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,24,95,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,19,37,000 रु० तक की राशि प्रदान को जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13,- अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,32,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14- स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महो-

Page No. 148

(श्री उपाध्यक्ष)

दय को 5,48,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15- पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,64,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18- संसद, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35, 20, 000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38- श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 60,87,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65 निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ 72- निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,53,29,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 66- प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 67- भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,00,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71- विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,62,73,000 रु० तक को राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76- अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 78,64,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 78- का राष्ट्रीय आपतकाल से सम्बधित व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,74,000 रु० तक को राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92- भूमिधारकों आदि की जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षति पूर्ति देय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,30,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 109- अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,000 रु० तक को राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 120- निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत

(श्री उपाध्यक्ष)

मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,00,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सख्या 47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था— राज्य। संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,94,79,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधेयक का पुरःस्थापन

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक सूचना।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि दिनांक 30.3.68 को सदन की कार्य-प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक होगी।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान दिवस है इसीलिए प्रातः 8 बजे होगी।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर 4.39 मध्याह्नोत्तर सदन की कार्यवाही दिनांक 29.3.68 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या 909 की सूची)

बीकानेर जिले के औषधालयों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम जहां औषधालय स्थित है	क्रमांक	नाम ग्राम जहां औषधालय स्थित है
1.	बीकानेर	17.	अवकासर
2.	पूंगल	18.	सोंदसरा
3.	मालासर	19.	बीनमपुर
4.	सींथल	20.	बज्जू
5.	जसरासर	21.	रिड़मलसर
6.	पांचू	22.	महाजन
7.	काकड़ा	23.	जैतपुर
8.	बादनू	24.	महादेववालड़े
9.	जयसिंहदेसर	25.	करनीसर
10.	बेरासर	26.	शेखसर
11.	कथकू	27.	कुचोर आथूनी
12.	देसलसर	28.	छत्तरगढ़
13.	आंगलू	29.	गांडू
14.	रासीसर	30.	बरसलपुर
15.	सुरपुरा	31.	किसरदेसर बाटाव
16.	झझू	32.	बीटनांक

Page No. 152

क्रमांक	नाम ग्राम जहां औषधालय स्थित हैं	क्रमांक	नाम ग्राम जहां औषधालय स्थित हैं
33.	सत्तासर	37.	सियाना
34.	सदासर	38.	सींथल
35.	रामसर	39.	बीकानेर
36.	खाजूवाला		

———

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या 912 को सूची)

सूची

पशु विभाग को पशु मेले गोगामेडी से रवन्ना कर से हुई आय का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	वर्ष	आय
1.	1959	64,917–65
2.	1960	57,263–74
3.	1961	66,031–83
4.	1962	52,721–84
5.	1963	72,119–50
6.	1964	73,663–75
7.	1965	1,05694–00
8.	1966	94,463–14
9.	1967	93,748–25

सूची

पशुपालन विभाग द्वारा यात्रियों एवं पशुओं की सुविधाओं पर निम्नांकित खर्चा किया जाता है

क्र० सं०	वर्ष	आय
1.	1959	6,800–00
2.	1960	7,650–00
3.	1961	5,500–00

क्र० सं०	वर्ष	आय
4.	1962	8,800–00
5.	1963	6,000–00
6.	1964	6,000–00
7.	1965	7,300–00
8.	1966	7,900–00
9.	1967	7,900–00

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या 914 की सूची)

पत्रकारों को दिये गये भूखावन्टन सूची

क्रम सं. 1	पत्रकारों के नाम 2	भू.खंड संख्या 3	क्षेत्रफल वर्ग गज में 4
1.	श्री एस० एन० खन्ना	ए–73	1400–00
2.	श्री आर० एन० सांघी	ए–76	1300—6
3.	श्री एम० एल० गुप्ता	ए–74	1422—8
4.	श्री के० के० शर्मा	बी–115	1237–25
5.	श्री रेवाशंकर	बी–166	1177—7
6.	श्री डी० डी० भारद्वाज	बी–177	1100–00
7.	श्री अमर नाथ चतुर्वेदी	डी–11	600–00
8.	श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी	डी–12	600–00
9.	श्री विपिन प्रभाकर	डी–13	600–00
10.	श्री राजेन्द्र कुमार अजय	डी–14	600–00
11.	श्री सोमदेव	बी–128	600–00
12.	श्री दिनेश खरे	बी–139	1002—3
13.	श्री एस० एन० तिवाड़ी	डी–150	600–00
14.	श्री आई० एम० बापना	डी–16	600–00
15.	श्री सीताराम झालानी	डी–17	600–00
16.	श्री जयसिंह	डी–18	600–00
17.	श्री ऋषि कुमार मिश्रा	डी–19	600–00
18.	श्री हरिप्रसाद शर्मा	डी–27	600–00
19.	श्री गोपाल पुरोहित	बी–140	1100–00
20.	श्री कपूरचन्द्र कुलिश	बी–142	1100–00
21.	श्री प्रवीणचन्द्र छाबड़ा	बी–143	1100–00
22.	श्री सोभागराम जैन	डी–21	600–00
23.	श्री टी० एन० कोल	बी–144	1588—8
24.	श्री कैलाश मिश्रा	सी–261	566—6
25.	श्री यादवेन्द्र झा	सी–277	566—6
26.	श्री हीरेन्द्र चौधरी	सी–252	566—6

1	2	3	4
27.	श्री शिवपूजन त्रिपाठी	सी–254	566—6
28.	श्री गुलाबचन्द काला	सी-258	566—6
29.	श्री ए० एम० मिश्रा	सी–276	566—6
30.	श्री वाई० के० गुरु	सी-255	566—6
31.	श्री लाल्सा बडेवाल	सी–260	566—6
32.	श्री सुभाष मोदी	सी–262	566—6
33.	श्री वासुदेव प्रसाद	सी-259	566—6
34.	श्री हरीदत्त पाठक	डी–22	600–00
35.	श्री रूपनारायण पांडे	डी–28	600-00
36.	श्री कालीचरण पांडे	डी–27	600-00
37.	श्री विजय भंडारी	डी–24	600-00
38.	श्री विश्वनाथ वामन वाले	डी-29	600-00
39.	श्री राजेश माथुर	डी-25	600-00
40.	श्री भंवर शर्मा	डी–26	600–00
41.	श्री हीरानन्द जिन्दा	डी-30	391-66
42.	श्री प्रकाशचन्द्र बंसल	डी-31	391-66
43.	श्री बृजभूषण कश्यप	डी-32	391-66
44.	श्री ए० पी० थापलियाल	डी-33	391-66
45.	श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी	डी–34	395–06
46.	श्री एम० पी० जैन	डी-35	395-06
47.	श्री सूरजप्रकाश	डी-36	386-66
48.	श्री शेष कुमार	डी–37	366–06
49.	श्री विष्णु शर्मा	डी-39	366-66
50.	श्री कालूराम गुप्ता	डी	366-66
51.	श्री त्रिलोकी नाथ	डी–40	366–96
52.	श्री भंवर सुराना	डी–41	366-66

1	2	3	4
53.	श्री सदाशिव	डी-42	366-66
54.	श्री राधेश्याम	डी-43	395-06

विचाराधीन प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पत्रकारों के हैं जिन पर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

1. श्री बी० सी० खोची इन्डियन एक्सप्रेस जयपुर
2. श्री अशोक कुमार अधिकार दैनिक जयपुर
3. श्री अमरचन्द कोठारी राजस्थान पत्रिका जयपुर
4. श्री कृष्णाकुमार सौरभभारती अधिकारी जयपुर
5. श्री वीरेन्द्र जैन समाचार भारती जयपुर
6. श्री प्रेमजीत सिंह राजस्थान क्रोनिकल जयपुर

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या 918 की सूची)

कम्पाउण्डर के स्थानान्तर का कारण व दिनांक-सूची (अ)

क्र०सं०	स्थानान्तर होने का आदेश सं० व दिनांक	कारण	केन्सिल होने का आदेश संख्या दिनांक	केन्सिल होने का कारण
1.	निदेशक के आदेश सं. ई 11-8027/4 दिनांक 19-9-63।	प्रशासनिक कारणों से।	ई-11-8491/4 दिनांक 26-10-63	स्थानीय मांग पर।
2.	जि०चि० एवं स्वा० अ. नागौर के आदेश संख्या संस्थापना/कम्पाउण्डर/64/6742 दिनांक 30-7-64	दो साल पूरे होने के कारण	जि०चि० एवं स्वा०अ० नागौर के आदेश सं० 240 दि० 5-8-64।	उनकी पत्नि के प्रसव हुए 15 दिन हुए थे। ऐसी स्थिति में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर।
3.	डी.एम. एण्ड एच.एस आदेश सं० ई-11/2158 दिनांक 29-3-65।	डी०एम० बी० की रिपोर्ट पर।	केन्सिल नहीं हुआ।	
4.	डी.एम. एण्ड एच.ओ आदेश सं० 1452-57 दि० 26-2-66।	मीठडी के तत्कालीन कम्पाउण्डर के ट्रेनिंग में जाने के कारण।	केन्सिल नहीं हुआ।	

———

कम्पाउण्डर के खिलाफ, शिकायतकर्ता का नाम तथा विभागीय की गई कार्यवाही सूची (अ)

क्र०सं०	तारीख शिकायत	शिकायत कर्ता का नाम	बाबत	विभागीय कार्यवाही
1.	22-10-64	निवासी ग्राम मीठड़ी	अस्पताल के समय में शराब पीकर आना, अस्पताल के कार्य की तरफ ध्यान न देना व मरीजों से नाजायज फीस लेना इत्यादि। शिकायत पत्र के साथ दिनांक 13-10-64 की बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव का विवरण की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर का पत्र संख्या सी०बी० (एन.एस.) एफ146/एन/17/4409 दि० 28-10-64 द्वारा तीनों शिकायत पर आवश्यक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया उन्होंने डा० एस०डी० शर्मा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तगढ़ द्वारा इसकी जांच कराई तथा निदेशालय को सूचित किया कि जांच रिपोर्ट में प्रतीत हुआ कि ग्राम: मीठड़ी में दो दल है। एक दल श्री नजीर मोहम्मद के पक्ष में एवं दूसरा दल उनके विपक्ष में है उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि श्री नीजर मोहम्मद का वहां से स्थानान्तरण कर दिया जावे। इसी दारान उसका
2.	27-11-64	सरपंच मीठड़ी	28-10-64 को कम्पाउण्डर के विरुद्ध शिकायत की जांच हुई उसके व्यवहार जनता के साथ ठीक नहीं हैं, तुरन्त स्थानान्तरण चाहा था।	
3.	30.10.64	श्री हरजीराम बुरड़क	श्री नजीब मोहम्मद, औषधि संयोजक ग्राम	

क्र०सं०	तारीख शिकायत	शिकायत कर्ता का नाम	बाबत	विभागीय कार्यवाही
		तत्कालीन प्रधान पंचायत समिति लाडनू ।	मीठडी से स्थानान्तर किये जाने ।	स्थानान्तरण जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा पुलिस लाइन डिस्पेन्सरी नागौर में आदेश संख्या एस्ट/कम्प/65/426 दिनांक 5-4-65 के द्वारा जारी कर दिया गया और मामला निदेशालय में फाईल कर दिया गया ।

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या ७१७ की सूची)

सूची

तारांकित प्रश्न संख्या 153 सा० नि० मं० दिनांक 25-1-68

क्रम सं०	नाम डिविजन बी० एण्ड आर०	नाम जिला	शिक्षण संस्थाओं की सूची
1.	झालावाड़	झालावाड़	14
2.	टोंक	टोंक, सवाई माधोपुर	7
		7 10	10
3.	कोटा	- -	27
4.	चित्तौड़	चित्तौड़	16
5.	राष्ट्रीय मार्ग उदयपुर	उदयपुर	4
6.	भवन व पथ उदयपुर	उदयपुर	26
7.	डूंगरपुर	डूंगरपुर, बांसवाड़ा	8
		8 6	6
8.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	46
9.	राष्ट्रीय मार्ग जयपुर	जयपुर	2
10.	नगर खंड जयपुर	,,	8
11.	जिला खंड जयपुर	,,	51
12.	नगर खंड 2 प्रथम जयपुर	जयपुर	43
13.	अजमेर	अजमेर	44
14.	झुंझूनू	झुंझूनू, सीकर	11
		11 21	21
15.	भरतपुर	भरतपुर, सवाई माधोपुर जिला	24
		24 5	5
16.	गंगानगर	गंगानगर	9
17.	हनुमानगढ़	,,	7
18.	चूरू	चूरू	6
19.	बीकानेर	बीकानेर	22
20.	सिरोही	सिरोही	9
		जालोर	4
21.	बूंदी	बूंदी	26

सूची शिक्षण संस्थायें सिटी सब डिविजन कोटा

क्रम संख्या	नाम भवन	वार्षिक मरम्मत 66-67
1.	गर्ल्स मिडिल स्कूल सी० बी० उद्यान कोटा	317
2.	प्राइमरी स्कूल शाहपुरा कोटा	359
3.	मंगजोन मिडिल स्कूल लाडपुरा कोटा	315
4.	मिडिल स्कूल रामपुरा कोटा	120
5.	पाटन पोल मिडिल स्कूल कोटा	421
6.	न्यू मिडिल स्कूल लखनपुरा कोटा	117
7.	रावघाट हवेली गर्ल्स स्कूल तोपटा कोटा	3000
8.	बेसिक मिडिल स्कूल मोखापुरा कोटा	—
9.	तोपखाना स्कूल भवन कोटा	—
10.	,, श्रीपुरा	162
11.	मिडिल स्कूल गुमानपुरा कोटा	231
12.	प्राइमरी स्कूल छावनी	18
13.	मोन्टेसरी स्कूल नयापुरा कोटा	331
	योग	6682

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्रश्न संख्या 723 की सूची)

Government of Rajasthan.
Town Planning Department.

To

The Secretary, Improvement Trust, Jaipur/Jodhpur/Udaipur/Ajmer/Bikaner/Bharatpur/Gangapur/Hindaun.

No. F. 3/59/TP/64 Jaipur the 18-11-64.

Subject :- Encroachment of Nazul/Trust lands.

Sir,

I am directed to say that the following recommendations made by the Conference of Chairman of the Improvement Trusts held on 30th June and Ist July, 1964.

Kachi Basties be divided into three categories :—

(a) Person who have encroached and settled in these Basties prior to 1952 viz. the Ist General Election.

(b) Person who have encroached and settled in these Basties after 1952 but prior to 1957 viz; 2nd General Election.

(c) Persons who have encroached in these Basties after 1957 it was also recommended that following action be taken :—

(i) Category (a) may be treated leniently and may be allotted suitable plots as far as possible in the same area or in the alternative at other suitable places in charges to be decided by the Government.

(ii) Category (b) will be considered for resettlement on suitable plots in the same area or in the alternative at some other suitable places in accordance with Town Planning Scheme on payment of premium fixed according to rules.

(iii) Category (c) shall not be considered for re-settlement and shall be rejected from these are as according to law.

(iv) Harijans will be charged nominal fee of Rs. 1/- per plot for issuing pattas as Local Self Government Department order No 765/F. 10/42/LSG/A/58 dated 27-4-58 and further notified vide No. F.10/29/LSG/A/58 dated 26-2-62.

2. It has been decided that the above recommendations may be implemented as soon as possible. Detailed lay out plans to settle these persons should be prepared as early as possible. Proof of having settled in these Basties for category (a) and (b) will shall be by entry of names of the persons and No. of the house in final rule prepared in the Ist and 2nd General Election as the case may be Survey maps should be prepared for the respective areas to prevent further encroachment on Govt. & Trust lands. Action is being taken by this Deptt separately in respect of the delegation of powers U/S. 203 of the Rajasthan Municipalities' Act to the Improvement Trust in respect of Nazul lands within their charge and also for U/S. 91 of the land Revenue Act to him.

3. Progress reports may be forwarded to this Deptt. by the 10th of every month in respect of action taken by the Trust in this regard.

Yours faithfully,
Sd/-Assistant Secretary to Govt.

परिशिष्ट ७

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जोधपुर में पाइप लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत

922. श्री ओमदत्त भाटी : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में पाइप लाइन कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को रोड कटिंग और रोड रिपेयर के नाम पर कुछ धन राशि अग्रिम में जमा करानी पड़ती है ? यदि हां, तो कितनी राशि किस आधार पर वसूल करने का नियम है ?

(2) पाइप लाइन लग जाने के बाद कितने समय सड़क की वापिस दुरुस्ती हो जाने का नियम है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि जोधपुर शहर में पाइप लाइन लगाये जाने के वर्षों बाद तक सड़कों की वापिस मरम्मत नहीं की जाती है और यदि की जाती है तो भी वे पूर्णतया ठीक नहीं की जाती ?

(4) इस समय इस प्रकार की कितनी सडकों को ठीक करवाया जाना बाकी है और कितनी सड़कों पर काम चल रहा है ?

(5) एक माह पूर्व तक दिये गये पानी के कनेक्शन्स के सम्बन्ध में खराब हुई सभी सड़कों को सरकार कब तक ठीक करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सड़क कटवाये जाने के लिए धन राशि पानी का कनेक्शन लेने वाले व्यक्ति को नगरपालिका, भवन व पथ निर्माण विभाग या नगर निकास न्यास, जिसके भी हलके की सड़क है के पास जमा करानी पड़ती है और अनुमति प्रदान करने से पहिले उपरोक्त विभाग कनेक्शन लेने वाले व्यक्ति से उनके द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार रकम जमा करवाते हैं। अनुमति मिलने पर नल के कनेक्शन के लिए सड़क काटी जाती है जो नल लगाये जाने के तुरन्त बाद भर दी जाती है।

(2) यह जिम्मेदारी सड़क काटने के लिए अनुमति देने वाले विभाग की है। नियमों के बारे में सम्बन्धित विभाग से जानकारी की जा रही है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) इस विषय में सम्बन्धित विभाग, नगरपालिका व भवन व पथ निर्माण विभाग व नगर विकास न्यास से सूचना प्राप्त की गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(4) उत्तर तीन के अनुसार

(5) इसकी सूचना सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

करौली अस्पताल की गाड़ी पर व्यय

923. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन):— क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) करौली हास्पिटल की गाड़ी सन् 1962 से 1967 तक कितनी बार जयपुर मरम्मत आदि के लिए आई है और उस पर किस किस वर्ष में कितना रुपया खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सच है कि करौली हास्पिटल की गाड़ी प्राये दिन जयपुर में रहती है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में कब कब कितने कितने दिनों तक जयपुर में रही है ?

(स्थगित किए जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

मंत्री व उप मंत्री के पद से हटने के पश्चात् सरकारी बंगलों में रहने का किराया

924. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 62 से लेकर अब तक कौन कौन मंत्री, उपमंत्री, मंत्री एवं उप-मंत्री पद से हटने के पश्चात् कितने कितने दिन तक सरकारी बंगलों में रहे हैं तथा किस समय से किस समय तक ?

(2) किन किन मन्त्रियों से इस अवधि का कितना किराया वसूल किया गया है और किन किन से नहीं और क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1962 से लेकर अब तक जो जो मन्त्री एवं उपमन्त्री अपने पद पर से हटने के पश्चात् जितने जितने दिन तक सरकारी भवनों में रहे हैं, उसकी एक तालिका प्रस्तुत है ।

(2) मंत्री पद रिक्त करने के पश्चात् दो मास तक निःशुल्क सरकारी भवनों में रहने का प्रावधान अधिनियम में धारा 5 (1) के परन्तुक में विद्यमान है । ऐसी दशा में दो मास से अधिक अवधि का ही किराया वसूल किया जाना वाजिब होता है । दो मास से अधिक केवल श्री घासीरामजी यादव ने ही सरकारी भवन का उपयोग किया, जिनसे एक दिन के किराये की वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

———

S. N.	Rungalow No.	Name of Ex-Minister/day. Minister	Date of Unseating.	Date of Vacation.	Remarks
1.	Own House.	Shri Ram Kishore vyas	12-3-62	—	
2.	49 C. L.	Shri Damodar Lal vyas.	12-3-62	11-3-62	
3.	11 C. L.	Shri Badri Prasad Gupta.	12-3-62	11-3-62	
4.	18 C. L.	Shri Sampat Ram.	12-3-62	11-3-62	
5.	7, Opp. SMS Hosp.	Shri R C. Dhariwal.	12-3-62	12-3-62	
6.	385 C. L.	Shri R. C. Chowdhary.	12-3-62	12-3-62	
7.	48 C. L.	Shri Poonam Chand Vishnoi.	12-3-62	11-3-62	
8.	50 C. L.	Shri Shri Bhau Upadhaya.	4-3-65	21-9-64	Continued in 6 hospital Road upto 1-3-65.
9.	384 C. L.	Shri B. S. Nandwana.	19-12-65	6-1-66	
10.	Own House.	Shri Kumbha Ram Arya.	27-12-66	—	
11.	381 C. L.	Maharaja Shri Harishchandra.	27-12-66	27-1-67	
12.	A-2 Gandhi N.	Shri Daluat Ram Saran.	27-12-66	26-12-66	

1	2	3	4	5	6
13.	380 C. L.	Shrimati Kamla Beniwal.	27-12-66	3-2-64	
14.	Own House.	Shri Bhim Singh.	27-12-66	—	
15.	8 C. L.	Shri Mohan Lal Sukhadia.	13-3-67	11-4-67	
16.	Own House.	Shri Mathura Dass Mathur.	13-3-67	—	
17.	14 C. L.	Shri Nathu Ram Mirdha.	13-3-67	13-4-67	
18.	11 C. L.	Shri Bal Krishana Kaul.	13-3-67	4-4-67	
19.	51 C. L.	Shri Bhikha Bhai	13-3-67	12-4-67	
20.	49 C. L.	Shri Barkatullah Khan.	13-3-67	Continued	Extension accorded vide G. O. No. F4. (23) GA/A/67 Dated 27-4-67.
21.	Own House.	Shri Damodar Lal vyas.	13-3-67	—	
22.	B-4 MLA's Qr.	Shri Hari Deo Joshi.	13-3-67	Continued.	(in a capacity of M. L. A.)
23.	Own House.	Shri Brij Sunder Sharma.	13-3-67	—	
24.	Own House.	Shri Amrit Lal Yadav.	13-3-67	—	
25.	48 C. L. 13 CL	Shri Paras Ram Maderna.	13-3-67	29-4-67 Continued in 13 C. L.	Extension accorded vide G.O. No. F. 4 (23) GA/A/67 Dt. 27-4-37.

	2	3	4	5	6
26.	5(C. L.	Shri Ram Prasad Laddha.	13-3-67	16-3-67	
27.	Own House.	Shri Chandan Mal vaidhya.	13-3-67	—	
28.	27 Museum Rd.	Shri N. N. Achariya.	13-3-67	1-4-67	
29.	7 Opp. S.M S. Hospital.	Smt. Prabha Misra.	13-3-67	11 5 67	Extenstion accorded vide G. O. No. F. 4 23, GA/A/67 Dt. 27-4-67.
30.	383 C. L.	Shri Dinesh Rai Dangi	13-3-67	18-3-67	
31.	2 Behind G. P.	Shri Ghasi Ram Yadav.	13-3-67	15-5-67	No extension granted after 13-4-67.
32.	6 S.M.S. Hosp.	Shri Ram Deo Singh.	13-3-67	11-5-66	Extension accorded vide G.O. order No. F 4 (23) GA/A/67 Dt. 27-4-67.
33.	A–1 G. N. 381. Civil Lines.	Shri Manphool Singh	13 3-67	28-7-67 Continued in 381 C.L	Extension accorded vide G O. No. F.4 (23) GA/A/67 Dt. 27-4-67.

थाना भींवसर के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

925. श्री रावतराम (छापर सु०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थाना भींवसर, जिला चूरू के थानेदार श्री किशोरीलाल के सम्बन्ध में कई शिकायतें उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो किन के द्वारा कब कब शिकायतें की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा शिकायतों की प्रतिलिपियां भी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार के विरुद्ध, तहसील सुजानगढ़ (जिला चूरू) के ग्राम चारिया के मोडाराम हरिजन से 500) रु०, ग्राम लोडसर के खुमाराम से 100) रु०, ग्राम बडावर के रावत, मंगला हरिजन से 1200) रु०, खुमानसिंह से 100) रु०, भूरासिंह से 150) रु० झूठे मुकदमें बनाकर, लेने के आरोप हैं ? यदि हां तो उक्त शिकायतें गुप्तचर विभाग या राज्य सरकार को प्राप्त होने पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में थानेदार के विरुद्ध जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच कौन कर रहा है और जांच कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतों की सूची मय प्रतिलिपियों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, शिकायतों पर जांच कराई गई।

(3) जी हां, शिकायतों पर पहले ग्रुप आफीसर, बीकानेर द्वारा जांच कराई गई थी किन्तु उनमें कुछ कमियां व कोन्ट्रडिक्शन्स होने कारण मामलों को पुनः जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजा गया है। और शीघ्र ही समाप्त करने के लिए ताकीद की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए खर्च की गई राशि

926. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सन् 1962 में राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में

वृद्धि करने व खाद की समस्या को हल करने हेतु काश्तकारों को एक रुपया प्रति गड्ढा खाद के गड्ढे के हिसाब से इन्सेन्टिव के रूप में दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक राज्य में कितने खाद के गड्ढे खुदे एवं कितना रुपया राज्य कोष से इस प्रयोजन के लिये अब तक खर्च किया जा चुका है ? सूची अलग अलग जिलेवार सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस समय दिये जाने वाले अच्छे बीजों एवं खाद पर सरकार उन पर व्यय की गई कीमतों पर ब्याज एवं अनाज बाटी लगाती है ? यदि हां, तो क्यों ? कारणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

सांचोर तहसील में सुरक्षा सड़क के निर्माण में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

927. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में सुरक्षा सड़क के लिए, अवाप्त की हुई भूमि के लिए काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) ऐसे काश्तकारों को अपनी भूमि का मुआवजा कब तक मिल जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि कुछ काश्तकारों ने अपनी वाही भूमि जो सड़क में आ गई थी, उसके बदले में दूसरी भूमि की मांग की थी ? अगर हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं ? उस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? उनको कब तक काश्त की भूमि मिल जावेगी ?

(4) क्या यह सत्य है कि पड़ोसी राज्य गुजरात में इसी सड़क में आई हुई भूमि मुआवजा काश्तकारों को मिल चुका है ? अगर हां, तो अपनी सरकार द्वारा अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि सांचोर तहसील में सुरक्षा सड़क के लिए आवाप्ति की हुई भूमि के लिए काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है उसके मुआवजा को राजस्थान लैण्ड एक्सचेन्ज की धारा 6 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(2) जिन काश्तकारों को सुरक्षा सड़क के लिए भूमि आवंटन की जायेगी उसका मुआवजा 3 माह में चुकाया जा सकेगा।

(3) केवल दो काश्तकारों ने इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिये थे ये आवेदन पत्र जिलाधीश जालोर के पास उचित कार्यवाही हेतु भिजवाई गई। काश्तकारों को बदले में दूसरी भूमि दी जाने को अख्तियार केवल जिलाधीश जालोर को ही प्रदत है इसके बारे में विशेष सूचना जिलाधीश महोदय जालोर से प्राप्त करने की कृपा करें।

(4) गतगत राज्य द्वारा इस सड़क में आई हुई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दी जाने की सूचना इस कार्यालय को जानकारी में नहीं है।

अलवर जिले में कृषकों को शंकर बाजरे के बीज का वितरण

श्री रामानन्द अग्रवाल। (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को अलवर जिले में किसानों की यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस वर्ष शंकर बाजरे का जो बीज वितरित किया गया है जो असली शंकर बाजरे का बीज नहीं था और इस कारण बाजरे की पैदावार प्रति बीघा बहुत कम हुई है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इसकी जांच कराई है ? यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला ? कृपया जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा बीज उपलब्ध करने और वितरण करने की व्यवस्था क्या है ?

(4) क्या राज्य सरकार प्राइवेट उत्पादकों से बीज खरीदती है ? यदि हां, तो उसके असली होने की जांच करने की क्या व्यवस्था है ?

(5) क्या यह सही है कि इस वर्ष अलवर जिले में शंकर बाजरे का बीज प्राइवेट उत्पादकों से भी खरीदा गया था ? यदि हां, तो किस किस से कितनी कितनी मात्रा में और किन किन भावों पर ? कृपया सूचि सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि इस खरीदे हुए बीज में कुछ बीज ऐसा भी खरीदा गया है जो पहले रिजेक्ट किया जा चुका था ?

(7) क्या सरकार ने सर्वेक्षण कराकर अनुमान लगाया है कि खराब बीज वितरण के कारण कितने अनाज की पैदावार का नुकसान हुआ है ?

(8) क्या यह सही है कि अलवर जिला किसान सभा ने खराब बीज वितरण

के कारण किसानों को हुए नुकसान को क्षति पूर्ति करने के लिये मुआवजे को मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। शिकायत की जांच कराई गयी थी। जिससे मालूम हुआ कि बीज में कोई खराबी नहीं थी परन्तु वर्षा अधिक होने के कारण समय पर निराई व गुड़ाई नहीं हो सकी न ही पूर्ण सघन विधियां अपनाई गयीं। इस कारण पैदावार कम हुई ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) शंकर बीज नेशनल सीड कारपोरेशन से मंगाया जाता है तथा राजस्थान में पंजीयक उत्पादकों द्वारा भी गुणन किया जाता है जिस प्रकार कृषि विभाग की निगरानी रहती है तथा वह बीज भी नेशनल सीड कारपोरेशन द्वारा प्रमाणित होने पर ही क्रय किया जाता है। तथा लक्ष्यों के अनुसार जिला कृषि अधिकारी को भेज दिया जाता है जो पंचायत समितियों द्वारा नकद कीमत पर किसानों को दे दिया जाता है।

(4) प्रश्न 3 के उत्तर में जवाब दिया जा चुका है।

(5) जी हां, सूचि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(6) जी नहीं।

(7) पैदावार में कहीं भी बीज की खराबी के कारण नुकसान नही हुआ था। अतः सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं थी।

(8) किसान सभा अलवर की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी इसकी जांच कराली गई थी बीज खराब न होने के कारण मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।

———

Tour note of Shri J. N. Johri, Seed Production Officer, Rajasthan, Jaipur.

I visited Alwar on the 9th and 10th October, 1967, in connection with Hybrid Seed Production Programme of Bajra and Maize I inspected the field of Mr. Jugal Kishor, Alwar, Sambhusingh Kishangarhbas, Kishoresingh Fatehsingh and others at Mahot (Kishangarhwas Panchayat Samiti). The condition of the crop was satisfactory at Alwar. The crop had logged because of heavy rains and strong winds. I met the District Agricultural Officer, Alwar, who told me that there are complaints of certified seed of Hybrid Bajra distributed in Alwar and specially in Kishangarhwas Panchayat Samitis. I also met the B. D. O. of Abore Panchayat Samiti and asked him to give the speciafic complaints of the persons. He told me that there are complaints from the cultivators of village Ismailpur of the the same Panchayat Samiti. I along with the A E.O. visited the village. The seed in that village has been given of Prabhudan Ji of Bilara, Govt. Agriculture Farm, Surayats etc. The cultivators told me that this year the crop was not uniform in height and number of tillers per plant were also less in comparision to last year. The sowing of Bajra in that village were done in two dates-first in the last week of June to Ist week of July and secondly to 3rd week of July to last week of July. The uneveness in height and poor number of tillers was more in the early sowing of Bajra because of the reasons given below:

1. There was continuous rain after sowing and the plant could not get the optimum sun light resulting in eratic growth of the plant.

2. The cultivators themselves admitted that they could not give more than one weeding and thinning was also not properly done. It is a well known fact that Hybrib vigour is displayed by the plant only when it gets optimum conditions like clean cultivation, proper maintenance of plant distances and sufficient quantity of food material available. If these things are not provided to the plant in time the behaviour of the crop becomes erratic.

3. Already as stated earlier there was continuous rain hence many parts of the field were water logged resulting in poor growth of the plants which were in these parts of the fields. The fields which were sown late were found suffering from lack of nitrogen. On enquiry from the cultivator, it was found that he has not done the desired number of inter cultivation, weeding thinning and Manuring. Hence in my opinion there was nothing wrong in the seed. The general crop of the Desi Bajra has practically failed in that region this year. According to the cultivators this would give three times more yield than the local Bajra variety of that region. The same seed of Surayata and Bilara had been supplied to other stations but there are no complaints. The general condition of the Bajra crop was satisfactory in patches. (where no water logging etc.)

अलवर के बीज उत्पादकों के नाम जिनसे हाई ब्रीड बीज खरीदा गया

	मात्रा	भाव
1—श्री नन्दलाल ग्राम नन्दहैडी	6850 किलो	रु० 6) प्रति किलो
2—श्री किशोरसिंह ग्राम मोहन्द	1110 किलो	,, ,,
3—श्री फतेहसिंह	3522 किलो	,, ,,
	कुल योग 10482 किलो	

उदयपुर नगर के विकास की योजना

929 श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 12-12-67 की राजस्थान पत्रिका में "उदयपुर के लिए 80 लाख की योजना" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार 80 लाख की कौनसी योजना उदयपुर नगर के विकास के लिए बनाई गई हैं ?

(2) ये योजनाएं राज्य सरकार द्वारा कब स्वीकृत की गई और इनके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

(3) क्या इस प्रकार की कोई योजना राज्य के अन्य जिला केन्द्रों के सम्बन्ध में भी बनाई गई है ? यदि हां, तो किस-किस स्तर के लिए और कितनी-कितनी लागत की और वह कब प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए एक 99.66 लाख रूपये की जल प्रदाय योजना बनाई गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17-1-68 को दी गई है। कार्य की समाप्ति धनराशि की उपलब्धि के अनुसार होगी।

(3) जी हां, जोधपुर के लिए बवाई बांध में पानी बढ़ाने के वास्ते 114 लाख रु की व भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध में बनास नदी से अतिरिक्त जल लाने को मेजा फीडर योजना 117 लाख रुपयों की बनाई गई है।

मादरा के प्रसूति गृह में लेडी डाक्टर की व्यवस्था।

930. श्री हंसराज आर्य (मादरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले से मादरा कस्बे के अस्पताल में चार पांच साल से साठ हजार रुपये की लागत से बनकर तैयार कराए गए प्रसूति गृह में आज तक लेडी डाक्टर नहीं भेजी गई है ?

(2) यदि हां, तो यह लेडी डाक्टर कब तक भेज दी जाएगी ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। मादरा अस्पताल में केवल एक ही डाक्टर का पद स्वीकृत है जिस पर डाक्टर गोपाल दास कार्य कर रहे हैं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) इस अस्पताल में लेडी डाक्टर का पद स्वीकृत नहीं है।

'ए' व 'बी' क्लास के वैद्यों में वृद्धि

931. श्री गंगासहाय (कठूमर : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व आयुर्वेद मंत्री 'ए' क्लास वैद्यों के 52 पदों को तथा 'बी' क्लास वैद्यों के 130 पदों को बढ़ाकर क्रमश: 162 व 365 करने की घोषणा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा का पालन किया जा चुका हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी उक्त घोषणा का पालन नहीं हुआ है। इस विषय में सरकार द्वारा कुछ सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

होम गार्ड्स की ट्रेनिंग

932. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा) : क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि होम गार्ड्स की ट्रेनिंग जनता को बराबर सरकार द्वारा दी जाती रहेगी ? यदि हां, तो आजकल कहां कहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है और नहीं तो क्या सरकार इस योजना को आगे के लिए नहीं चाहती है ?

उत्तर

जी हां, राजस्थान के सारे जिलों में जनता को होम गार्ड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इस समय ट्रेनिंग निम्न जिलों में चल रही है:—

(1) गंगानगर
(2) बाड़मेर
(2) बीकानेर
(4) जैसलमेर
(5) जोधपुर
(6) अजमेर
(7) भरतपुर

परिशिष्ट ८

अतारांकित प्रश्न सख्या ४१६ की सूची

Copy of Circular N. F 5 (4) Appits (/D IV/62 dated the 6th April, 1962 from the Chief Secretary to the Government, appointment (D. IV) Department addressed to all concerned.

In accordance with the provision laid down in articles 336 of the Constitution of India the Government of Rajasthan decided wide order No. F. 25(42)62-361 dated the 19th Sept., 1961 that the following percentage of vacancies in the various categories of posts which are filled by direct recruitment should be reserved for the members of the scheduled castes and scheduled tribes.

	Name of services	Percentage of vacancies to be reserved
1.	All State Services posts.	12%
2.	All Subordinate and Ministerial Services posts.	12%
3.	Class IV Services.	15%

A question has been raised whether the order should be made applicable to the various State undertaking and the Local Bodies. The matter has been examined. Since the Services and posts under the control of the various Local Bodies and States undertaking come within the purview of the Services and posts in connection with the affairs of the States the words used in articles—335 of the constitution) Government feel that the order in question as also all directions issued by the Government in connection with the implementation of above order should be made applicable to all Local Bodies and the various State undertakings such as Ganganagar Sugar Mill, warehouse Corporation, Copperative Banks etc., with effect from the 1st April, 1962.

परिशिष्ट ६

(अतांरांकित प्रश्न संख्या 498 की सूची)

1.	बनियान सफेद	2 नग	1 वर्ष
2.	कमीज खाकी	3 नग	1 वर्ष
3.	जुर्राब गर्म जोड़ा	2 जोड़ा	1 वर्ष
4.	टोपी गर्म (साइड कैप)	2 नग	1 वर्ष
5.	जूता जोड़ा (कपड़े का)	2 जोड़ा	1 वर्ष
6.	पोलीस लालटीन	1 टीन	1 वर्ष
7.	चप्पल जोड़ा	1 जोड़ा	1 वर्ष
8.	होज स्टाप (गर्म जोड़ा)	1 जोड़ा	2 वर्ष
9.	नेकर खाकी	3 नग	2 वर्ष
10.	पेन्ट खाकी	4 नग	2 वर्ष
11.	अंक लेट जोड़ा	1 जोड़ा	2 वर्ष
12.	झालर नीली (आधा मीटर)	2 नग	2 वर्ष
13.	लाल साफा (611 मीटर)	1 नग	2 वर्ष
14.	ब्रुश काला	1 नग	2 वर्ष
15.	ब्रुश लाल	1 नग	2 वर्ष
16.	एमूनेशन बूट जोड़ा	1 जोड़ा	3 वर्ष
17.	जरसी खाकी गर्म (साइज इंच)	1 नग	3 वर्ष
18.	कम्बल गर्म	1 नग	3 वर्ष
19.	कुर्त्ता खाकी जीन का	1 नग	3 वर्ष
20.	आर० पी० बैज जोड़ा	2 जोड़ा	5 वर्ष
21.	सीटी	1 नग	5 वर्ष
22.	सीटी की रस्सी	1 नग	5 वर्ष
23.	मच्छरदानी	1 नग	5 वर्ष
24.	फीता हैड कानिस्टेबिल (तीन)	1 नग	6 वर्ष
25.	आर० पी० दरी	1 नग	6 वर्ष
26.	केतली पानी की	1 नग	6 वर्ष
27.	किट बैग कपड़े का	1 नग	6 वर्ष
28.	बरसाती मय टोपी	1 नग	6 वर्ष
29.	टोपी के बटन छोटे	2 नग	7 वर्ष
30.	ग्रेट कोट गर्म बटन सहित	1 नग	7 वर्ष

Page No. 182

31.	बेल्ट चमड़ा मय क्लास्प	1 नग	8 वर्ष
32.	बेल्ट नम्बर खुदवा	1 नग	स्थायी
33.	पीतल पालिश	1 नग	1 वर्ष
34.	काली पालिश	2 नग	1 वर्ष

———

शुद्धि पत्र

(गुरुवार, दिनांक 28 मार्च, 1968)

स्कंभ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
4	अंतिम से 12	सरकर	सरकार
5	3	जा	जो
5	6	आने	अपने
7	5	को	की
7	14	की	है
10	7	मंडार	भंडार
11	2	लेकि ा	लेकिन
11	अंतिम से 2	ागया	गया
12	3	गए	गये
12	अंतिम से 11	प्रोसिडिंग्ज	प्रोसिडिंग्स
12	,, 3	श्री खेतसिह	श्री खेतसिंह
15	7	श्री श्रवणलाल (हींन्डान)	श्री श्रवणलाल (हिन्डोन)
15	अंतिम से 12	सूचि	सूची
16	10	श्रा अमृतलाल यादय	श्री अमृतलाल यादव
17	7	एम्प्लोयमेट	एम्प्लायमेंट
17	अंतिम से 10	आ त्ति	आपत्ति
17	,, 8	मन्त्रियों	मंत्रियों

स्कंभ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
17	अंतिम से 5	मत्री	मंत्री
18	13	बाने	बताने
19	1	सी	सही
19	14	चि िसा	चिकित्सा
19	अंतिम से 11	बी ारों	बीमारों
19	अंतिम	सकार	सरकार
21	8	इन्हाने	इन्होंने
21	12	हल्य	हैल्थ
21	16	श्री सुवलाल	श्री सुवालाल
21	17	सीि न	समिति
22	7	ि वेदन	निवेदन
22	8	प ायत	पंचायत
22	9	ग्राधालय	औषधालय
22	14	जान ारी	जानकारी
23	अंतिम से 10	ता	तो
24	,, 9	( )	(2)
24	,, 8	वष	वर्ष
24	11	—	912.
25	7	ाकाल	अकाल
25	14	लिय	लिये
26	5	ग्राधकार	अधिकार

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
26	7	विाग	विभाग
26	अन्तिमसे 13	प्रइ	प्रश्न
26	,, 12	166	1966
26	,, 10	शणा	शरण
27	,, 15	ी	भी
28	5	नहं	नहीं
28	7	उसका	उसका
28	13	ो	को
28	15	जपुर	जयपुर
28	16	चित	उचित
28	19	अशु ों	पशुओं
28	अन्तिम से 12	अमदना	आमदनी
28	,, 5	श्री केदारनाथ (गगानगर)	(श्री केदारनाथ गंगानगर)
29	शीर्ष	(श्रीहरिसिंह)	(श्री हरीसिंह)
29	7	जा	जो
29	8	हाना	होता
29	12	जतो	जाती
29	अन्तिम से 9	भ	भक्त,
30	8	ण	शरण
30	9	परिवा	परिवार
30	18	कर	करें

कालम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
30	अन्तिमसे 12	उपध्यक्ष	उपाध्यक्ष
30	,, 11	भा	भी
30	,, 11	आप	आपने
31	6	91	913
31	7	मत्री	मंत्री
32	अन्तिमसे 10	ज	भेजा
32	,, 3	स्टफ	स्टाफ
34	,,	मुभ	मुझे
37	अन्तिम से 13	आडंर	आर्डर
40	,, 10	वित्त मंत्री श्री मथुरादास माथुर)	वित्तमंत्री (श्रीमथुरादासमाथुर-
41	,, 11	मोट	मीट
41	,, 6	याजना	योजना
45	7	जाती थी	चाहिये थी
45	अन्तिम से 4	का	की
46	,, 6 व 5 के बीच में		4) फिलहाल मिठड़ी में दिनांक 28 – 2 – 62 से लगाये जाने के बाद की कोई शिकायत प्राप्त, नहीं हुई है. 5) जी हां, उक्त रिपोर्ट पर इनका स्थानान्तर मीठड़ी से पुलिस लाइन डिस्पेन्सरी नागौर में कर दिया गया था। (कृपया परिशिष्ठ 4 देखिये)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
48	3	खुद यह ने	खुद ने यह
48	4	दा	दो
48	16	कीमत	कीमती
56	शीर्ष	196	1968
57	3	महिमा	महिला
57	अंतिम से 8	श्री डूगाराम राजोरिया	श्री डूंगाराम राजोरिया
59	3	उना के आ ुार	उसी के अनुसार
59	6	आर	और
59	7	अप	आप
59	16	उ ा ो	उनको
59	19	प्रसारण	प्रसारण
60	4	व ा	क्या
60	5	कृ ा	कृपा
61	3	गग	गंग
61	5	ह	है
61	8	किं उस उस पैसे	कि उस पैसे
62	14	ह	है
63	2	पाल	पालन
63	6	यि	यदि
69	10	ब न्द	बन्द
71	शीर्ष	(श्री चिकित्सा मंत्री)	(चिकित्सा मंत्री)

स्कम्भ सं	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
73 से 78	शीर्षक	अनु० सदस्यों कि—28 मार्च, 1968 कि तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
74	अंतिम 5	पलस	पलश
75	,, 14	अस्ताल	अस्पताल
76	4	फोरी	पूरी
7L	2	आयग	आयोग
85	16	(.)	(2)
86	12	सूचि	सूची
88	अंतिम से 9	बगाये	बनाये
89	,, 4	ठप्प	ठप्प
91	शीर्ष	श्री सहकारिता मंत्री	(सहकारिता मंत्री)
93	अंतिम से 4	आने	जाने
94	,, 9	श्री वृद्धचन्द जैन	श्री वृद्धिचन्द जैन
94	,, 3	वेल	वैल
95	शी	श्री वृद्धचन्द जैन	श्री वृद्धिचन्द जैन
97	7	खाले	खोले
97	अंतिम से 8	पुस्तकलय	पुस्तकालय
98	11	वाल	वाली
100	7	अय	आय
100	16	प्रप्त	प्राप्त
101	13	फैलाती	फैलती
101	17	बिजला	बिजली

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
102	अंतिम से 5	श्री उपध्यक्ष : श्री ामीला यादव	श्रीउपाध्यक्षः श्रीप्रमीलालयादव
103	,, 12	बगर	बगैर
,,	,, 3	मा	मी
104	8	कि	इनकि
,,	12	कर	पर
105	19	तग	तंग
106	5	माकट	मार्केट
,,	9	आ	जो
,,	14	दुगना	दुगुनी
107	13	लगन	लगान
108	अंतिम से 11	कर्यवाही	कार्यवाही
109-10	शीर्षक	अनु. की-28.मार्च,1068मा.वि.	अनु. की-28मा;1968 मां.उ.
109	7	26व विविध	26 विविधि
111	अंतिम से 9	छोगों	लोगों
,,	,, 4	प्र ोग	प्रयोग
112	,, 12	शर्षक	शीर्षक
,,	,, 5	झरवापटन	झालरापाटन
112	,, 4	मध्यमिक	माध्यमिक
114	13	से	को
115	1	के गावों	के
120	अंतिम से 11	व्यस्क	वयस्क

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
124	अंतिमसे 6	सम्गम्ध	सम्बन्ध
131	शीर्ष	——	(श्री गंगासहाय)
133	अंतिमसे 9	भार	भारी
133	,, 11	विभागी	विभाग
135	शीर्ष	(श्रीदेवीत (दगाड़िया)	(श्री देवीदत्त गाड़िया)
137-39	शीर्ष	(श्री चुन्नीलाल इन्दालिया)	(श्री हरजीराम मेरडक)
142	अंतिम से 6	18-शिक्षा	28-शिक्षा
145	,, 1	श्री श्रवणलाल (हिन्डौनसु.) 194.	198. श्रीश्रवणलाल(हिन्डौनसु.
146	1	मांग संख्या मुख्य शीर्षक	मांग संख्या 15. मुख्य शीर्षक
150	अंतिमसे 14	स्तर आई में	स्तर में आई
157	शीर्ष	——	(श्री दिग्विजयसिंह)
154	अंतिमसे 6	ही चर्चा	चर्चा
161	,, 3	क्षत्र	क्षेत्र
165 से 232	शीर्षक	मांगों पर- 28 मार्च, 1968- कटौती प्रस्ताव	अनुदान कीमांगों पर-28- मार्च 1968-विचार
168	अंतिमसे 3	(12. 43. म. प)	(12. 43 म. प.)(श्रीकेदार नाथ सभापति पदासीन)
173	2	के से	कि
173	3	पुजारियों	पुजारियों से
174	9	ढंग	ढंग से
175	अंतिमसे 1	देवस्वाव	देवस्थान
183	शीर्ष	——	(श्री लक्ष्मण तानी वाल)
185-187	शीर्ष	(श्री रामनारायण)	(श्री लक्ष्मण तानी वाल)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
188	अंतिम से 7	जमाने से	से
,,	,, 3	स्कूत्र	स्कूल
189	,, 12	विश्नाई	विश्नोई
191	19	मले	भोले लोग
,,	20	पढ़ियों	पढिये
,,	24	लाद	लात
193	17	उपाव्यक्ष	उपाध्यक्ष
193	अंतिम से 10	बाला	बोला
194	,, 9	भी में	में भी
,,	,, 8	उतना	उतनी
195	15	सेखने	खोलने
198	अंतिम से 8	ऐतराज	एतराज
199	अंतिम से 1	चाहता	चाहती
202	11	अकाइव्ज	अर्काइव्ज
203	अंतिम से 9	टेक्रिनल	टेक्निकल
213	शीर्ष	(श्री रामनारायण)	(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
216	अंतिम से 9	आर. एस. सी.	आर. ए. सी.
218	,, 1	निरोक्षका	निरीक्षिका ने
222	,, 10	पढ़े ए	पढ़े हुए
,,	,, 4	संस्काद	संस्कार
223	12	विलिजयस	रिलीजियस

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
223	अंतिम से 15	बद	वंद
224	2,9,11	ट्रे विनकल	टेक्निकल
224	अंतिम से 6	उदयपुर	जोधपुर
226	4	चहूंग	चाहूंगी
228	13	न म	नाम
228	अंतिम से 9	द	दो
228	,, 3	डेमोकसोकमा	डेमोक्रेसी कभी
229	12	ि घवी	सिंघवी
230	13	स्कूल	तहसील
236	9	वहीं	नहीं
237	अंतिम से 1	नीचे	के नीचे
240	15	यह शिक्षा	सहशिक्षा
241	1	लोग हैं	हैं
241	अंतिम से 10	कामंस	कामर्स
245	,, 1	वकास	विकास
247	3	अन्द	अन्दर
248	4	इम्लोमेन्टेशन	इम्पलीमेन्टेशन
252	2	आफ	आप
252	12	इकानामी	इकानामिक
253	7	से	कि
255	अंतिम से4,5	टेण्ड	ट्रेण्ड

Page No. 193

स्तम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
256	9	फंलो	फलो
256	13	थी	थी
256	19	एजूकेशनल	एज्युकेशन
256	अंतिम से 8	हमा ।	हमारा
257	„ 1	जो फायदा हम चाहते हैं	—
262	1	एबामिनेशन्स	एग्जामिनेशन्स
264	अंतिम से 13	था उसने	थे उन्होंने
267	शीर्ष	(श्री उपाध्यक्ष)	(श्री मनोहरसिंह मेहता)
271	8	छिड़ापन	पिछड़ापन
271	अंतिम से 3	पढ़ता	पड़ता
273	19	चलं	चलें
274	अंतिम से 3	कि	की
275	3	निश्चित	निश्चित
275	5	में	में
275	10	का	को
275	अंतिम से 9	दसरे	दूसरे
277	18	जसा	जैसा
277	21	का	की
279	2	राष्ट्रय	राष्ट्रीय
279	6	सहयोग के	सहयोग से
280	अंतिम से 2	की पूरा	को पूरा

स्तम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
280	11	एनराज	एतराज
280	अन्तिम से 13	आपसे से	आपसे
280	अन्तिम से 6	सक	सकें
283	शार्ष	(श्री किदारनाथ)	(श्री शिवचरण माथुर)
283	अन्तिम से 8	ओर	और
283	अन्तिम से 7	ट्रेड का	ट्रेड की
285	शीर्ष	श्री केदारनाथ)	श्री शिवचरण माथुर)
285	अन्तिम से 2	ता	तो
287-289	शीर्ष	'(श्री सेदारनाथ)	(श्री शिवचरण माथुर)
288	20	लग	लगें
288	22	कमा	कमी
289	अन्तिम से 13	में इस	में इस
294-300	शीर्षक	अनुदान की मांगों 28 मार्च 1968 पर विचार	अनुदान की शेष मांगों पर मुख वन एवं मतदान
294	13	के निमित्त	व्यय के निमित्त
303	शीर्षक	1969	1968
311	4	तारांकत	तारांकित
217	4	किरकी	कितनी
321	अन्तिम से 11	को	को
321	अन्तिम से 11	रख द	रख दी
321	अन्तिम से 6	ताकिद को	ताकीद की
323	4	कायवाही	कार्यवाही

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
323	7	गजरात	गुजरात
323	8	ज ने	जाने
323	10	श्री रामानन्द अग्रवाल	928. श्री रामानन्द अग्रवाल
324	1	नुकसन	नुकसान
327	अंतिम से 6	स्वीकृ	स्वीकृति
327	,, 5	अनुसा	अनुसार
328	शीर्षक	1969	1968
328	15	(कहूमर	(कहूमर)
328	अंतिम से 2	सिंघवा	सिंघवी
328	,, 2	(छावड़ा)	(छबड़ा)